Monday, 12th December, 1994

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खण्ड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रूपये

दिनांक 12 दिसम्बर, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण का शुद्धिपत्र

पृष्ठ/कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(ii)	2	इन्द्रायणी एक्सप्रेस	इन्द्रायणी एक्सप्रेस रे
(iii)	4	योगेन्द्र	भोगेन्द्र
2	16	सिलवेरा	सिल्वेरा
44	नीचे से 15	बृज	ब्रज
139	3	(फीरोजपुर)	(फिरोजपुर)
161	17	विवरण	विवरण-11
345	3, 17	शीर्षक में "विधेयक" शब्द के पश्चात "1994" जोड़ि	
348	नीचे से 7	(संशोधन)	(दूसरा संशोधन)
384	नीचे से 16	"सभापति महोदय" शब्दों का लोप कीजिये ।	

विषय-सूची

दशम माला, खंड 36, बारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)
अंक 4, सोमवार, 12 दिसम्बर, 1994/21 अग्रहायण, 1916 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	61 से 64	1—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	65 से 80	24—45
अतारांकित प्रश्न संख्या : 627 से 663 और 665 से 856		45—315
गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करने के विरूद्ध मछुआरों के आन्दोलन के बारे में		315—327
श्री राम नाईक		315—317
श्री ए. चार्ल्स		317
श्री पी.जी. नारायणन्		317
श्रीमती सुशीला गोपालन		317
श्री काशीराम राणा		317
श्री पी.सी. चाको		318
श्री चन्द्र शेखर		318
श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन		319
श्री एन.के.पी. साल्वे		319—321
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे		321
श्री लाल कृष्ण आडवाणी		321
श्री श्रीकान्त जेना		322
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा		322
श्री हन्नान मोल्लाह		323
श्रीमती गीता मुखर्जी		323
श्री ओस्कर फर्नान्डीज		323
श्री भोगेन्द्र झा		323
श्री चित्त बसु		324
श्री के.पी. रेड्डय्या यादव		324
श्री पी.सी. थामस		325
श्री ई. अहमद		325
श्री राम सागर		326
प्रो. के.वी. थामस		326
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन		326
श्री तेज नारायण सिंह		326
श्री संतोष मोहन देव		327

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
बम्बई जाने वाली इन्द्रायणी एक्सप्रैस का बिना इंजन चालक के चलना	327-330
चीनी के आयात पर ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के बारे में	330-336
श्री जसवन्त सिंह	330-331
श्री चन्द्रजीत यादव	332-333
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	333-334
श्री श्रीकान्त जेना	334-335
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	335-336
सभा पटल पर रखे गये पत्र	336-344
लोक लेखा समिति	
छिहत्तरवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत	344
विधेयक—पुर:स्थापित	
भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1994	345
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक, 1994	345
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खान श्रमिकों के लाभ के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की आवश्यकता	
कुमारी सुशीला तिरिया	346
(दो) तमिलनाडु में यूरिया की समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता	
श्री पी.पी. कालियापेरूमल	346
(तीन) उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर और ललितपुर क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	347
(चार) इलाहाबाद स्थित भारत पम्प एण्ड कम्प्रेशर लिमिटेड के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए समुचित वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता	
श्रीमती सरोज दुबे	347
(पांच) उड़ीसा के देवगढ़ जिले में तिलिय बानी खण्ड को जनजातीय विकास अभिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	348
(छ:) उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत वन भूमि से विस्थापित थारू आदिवासियों को वैकल्पिक भूमि प्रदान करने की आवश्यकता	
डा. जी.एल. कनौजिया	348
विशेष संरक्षा ग्रुप (दूसरा संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प : और विशेष संरक्षा ग्रुप (दूसरा संशोधन) विधेयक विचार करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो. रासा सिंह रावत	348-352, 386-388
श्री एस.बी. चव्हाण	352-353, 379-384
मेजर जनरल (रिटार्यड) भुवन चन्द्र खण्डूरी	354-356
श्री सैयद शहाबुद्दीन	356-358

विषय	कालम
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	358—360
श्री याइमा सिंह युमनाम	360—361
श्री योगेन्द्र झा	361—363
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	363—365
श्री वीरेन्द्र सिंह	365—367
कुमारी ममता बनर्जी	367—370
डा. एस.पी. यादव	370—371
श्री तेज नारायण सिंह	371—373
श्री उमराव सिंह	373—377
श्री पी.सी. थामस	377—378
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	378—379
विशेष संरक्षा ग्रुप (दूसरा संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प : — अस्वीकृत	389
विशेष संरक्षा ग्रुप (दूसरा संशोधन) विधेयक विचार करने के लिए प्रस्ताव	389
खंड 2, 3 और 1 पारित किए जाने हेतु यथासंशोधित प्रस्ताव	
श्री एस.बी. चव्हाण	389
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प :	
और	
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक विचार करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो. रासा सिंह रावत	390—393
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	393—394
श्री राम कापसे	394—398
श्री विजय एन. पाटील	398—400

लोक सभा

सोमवार, 12 दिसम्बर, 1994/21, अग्रहायण 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

प्लेग फैलना

+

*61. **प्रो. के.वी. थामस :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सूरत और देश के अन्य भागों में प्लेग फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बीमारी से प्रत्येक राज्य में कुल कितने व्यक्ति प्रभावित हुए और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन राज्य सरकारों को कोई विशेष सहायता दी है, जहां प्लेग महामारी फैली थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने देश में दुबारा प्लेग को फैलने से रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). सरकार ने प्लेग के संक्रमण और फैलने के कारणों को स्पष्ट करने, रणनीति के संबंध में सलाह देने, उस पर नियंत्रण करने के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करने और भविष्य में ऐसे संक्रमणों की रोकथाम करने हेतु कदम उठाए जाने की सिफारिश करने के लिए तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया।

(ग) संभावित मामलों की कुल संख्या 876 बी (महाराष्ट्रः 596, गुजरातः 151, दिल्लीः 68, कर्नाटकः 50, उत्तर प्रदेशः 10 और मध्य प्रदेशः 1)। कुल मिलाकर 54 लोगों की मृत्यु हुई (गुजरातः 52, दिल्लीः 1, कर्नाटकः 1)

(घ) और (ङ). राज्यों को वायु शुद्धीकरण हेतु धूपन सामग्री (आयुर्वेद एवं यूनानी धूपन पदार्थ) सहित 2360 मेट्रिक टन बी एच सी एवं टेट्रासाइक्लीन के 372 लाख कैप्सूल वितरित किए गए।

(च) कड़ी निगरानी रखी जा रही है और निवारात्मक उपाय जारी है। प्रयोगशाला सुविधाओं को सुदृढ़ करने का भी विचार किया गया है।

प्रो. के.वी. थामस : महोदय, 940 मिलियन जनसंख्या वाले देश में प्लेग की बीमारी के 876 संभावित मामलों की सूचना दी गई थी और 54 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दुर्भाग्य से प्लेग की खबर इस तरह से फैली कि इससे देश और विदेशों दोनों में भय व्याप्त हो गया।

इसका एक कारण यह है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ-साथ राज्य सरकारों ने प्लेग के बारे में इस तरह की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत नहीं की कि कितने लोग प्लेग से प्रभावित हुए और कितने लोगों की प्लेग के कारण मृत्यु हो गई।

सरकार से मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने क्या योजना बनाई है, सरकार के पास कौन सा तंत्र है ताकि यदि भविष्य में कोई महामारी फैलती है तो सरकार राज्यों में हो रही घटनाओं की सही जानकारी दे सके और यह बताए कि लोगों को प्रचार माध्यमों से खबर कैसे दी जाएगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : महोदय, प्लेग एक घातक बीमारी है और विगत समय में इससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। लोग जानते हैं कि जब कभी प्लेग की आशंका होती है लोगों में दहशत सी फैल जाती है। लेकिन आज प्लेग उन अन्य बीमारियों की तरह है जिन्हें रोका जा सकता है, जिनका उपचार किया जा सकता है और जो ठीक हो सकता है। अतः मौजूदा संदर्भ में आधुनिक औषधियां उपलब्ध होने से प्लेग आज पहले जैसी खतरनाक बीमारी नहीं रह गई है।

अब यह दुभार्ग्यपूर्ण बात हुई है। कई वर्षों के अन्तराल के बाद प्लेग फैला है इसलिए चिकित्सकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

परन्तु अब इस पर गौर करने के बाद एक तकनीकी सलाहकार समिति बनाई गई है और यह समिति विस्तार से इस बात की जांच करेगी कि क्या हुआ है, सरकार को भविष्य में क्या कदम उठाने चाहिए आदि। यह समिति 11 अक्तूबर को गठित की गई थी और इसकी रिपोर्ट इसके गठन की तारीख के छह महीने के बाद प्रस्तुत की जाएगी।

प्रो. के.वी. थामस : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। प्रभावित लोगों की संख्या कुल जनसंख्या की तुलना में बहुत कम थी लेकिन केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों में इस प्लेग के बारे में स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने और लोगों को इस बारे में बताने में पूरी तरह से विफल रही है। इससे पूरे देश में भय उत्पन्न हुआ है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार के पास इस बात का पता लगाने के लिए कि देश में क्या हो रहा है एक तंत्र होना चाहिए। मेरा प्रश्न यह था जिसका उत्तर नहीं दिया गया है।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि उस समय जब प्लेग की खबर फैली समाचार पत्रों में यह छपा था कि प्लेग को रोकने के लिए विशेष औषधियां राज्यों में उपलब्ध नहीं थी और सरकार ने प्लेग को रोकने के लिए बी.एच.सी. जैसी महत्वपूर्ण सामग्री और चीजों की आपूर्ति नहीं की। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की है ताकि विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालयों के पास आवश्यक औषधियां उपलब्ध हों और राज्यों को बी.एच.सी. और डी.डी.टी. जैसी सामग्री की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा सके

क्योंकि केन्द्र सरकार ही राज्य सरकारों को बी.एच.सी. और डी.डी.टी. की आपूर्ति करती है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इतने लम्बे प्रश्न पूछेंगे तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा।

प्रो. के.वी. थामस : मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ प्रबंध किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने आवश्यक औषधियों की आपूर्ति की कुछ व्यवस्था की है। यह छोटा सा प्रश्न है।

डा. सी. सिलवेरा : महोदय, प्लेग की खबर मिलते ही सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और इसीलिए सौभाग्य से मरने वालों की संख्या कम रही है। सरकार ने संबंधित राज्यों को सभी आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की और सभी राज्यों को प्लेग के मामलों के बारे में सावधान रहने के लिए सतर्क कर दिया गया था। पूरे देश में धन और बी.एच.सी. जैसी औषधियों की कमी नहीं थी। बी.एच.सी. जैसी औषधियों या अन्य अपेक्षित सामग्री की कमी नहीं थी और सरकार किसी आकस्मिकता का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, यह महामारी जब शुरू हुई, उसकी रिपोर्ट सूरत से आई तो पहले कहा जा रहा था कि यह प्लेग जैसी बीमारी है। बाद में कुछ दिनों बाद वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि यह प्लेग नहीं था। मैं अब सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस नतीजे पर आई है कि यह जो महामारी थी यह प्लेग ही था और इसके बारे में सरकार के पास वैज्ञानिकों की जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, इस संबंध में अनेक विरोधाभासी खबरें हैं और वैज्ञानिकों ने भी इस बारे में विरोधाभासी राय व्यक्त की हैं कि यह प्लेग था अथवा नहीं। लेकिन आज की स्थिति के अनुसार हमें जो वैज्ञानिक अनुसंधान रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें यह बताया गया है कि यह प्लेग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति ने भी उस स्थान का दौरा किया है। उन्होंने वहां पर कुछ मामलों की जांच की और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी यह प्लेग है। जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि हमने विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए हमारे देश के सुविख्यात चिकित्सा वैज्ञानिक डा. वी. रामालिंगास्वामी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है और इस समिति में अन्य चिकित्सा वैज्ञानिकों को भी शामिल किया गया है। यह समिति इस बात का पता लगाएगी कि यह किस तरह का प्लेग है और उसके जीवाणु किस तरह के हैं इत्यादि। यह समिति एक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए गठित की गई थी। लेकिन आज की स्थिति के अनुसार यह केवल प्लेग ही है।

श्री राम नाईक : क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है?

श्री पवन सिंह घाटोवार : हमने समिति को छह महीने का समय दिया है और यह समिति इस छह महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे देगी।

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो उस समय मैने अंग्रेजी में बोलने का निश्चय किया था लेकिन अब मैं हिन्दी में बोलूंगा। इस सम्माननीय सभा में हम प्लेग और संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अभी जो मिनिस्टर साहब बोले हैं कि हमने जब स्टेट्स को दवाईयां दे दी हैं हम इससे बहुत दुःखी हैं क्योंकि हमने जितने हास्पिटल्स का दौरा किया हमने ऐसा नहीं पाया। मैं चार साल तक उड़ीसा में हैल्थ-मिनिस्टर था और हमें मालुम है कि लोगों को क्या मेडिसन मिलती है और पैसा कहां जाता है। मैं उड़ीसा स्टेट की बात कहना चाहता हूं। वहां मेडिसन नहीं है। हमारे आदिवासी लोग कहां जायेंगे, किस दुकान पर जायेंगे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हर राज्य को कितनी दवाईयां सप्लाई की गई हैं? विशेष रूप से उड़ीसा के बारे में बताएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए।

श्री पवन सिंह घाटोवार : सौभाग्य से उड़ीसा में या उड़ीसा के आस-पास प्लेग नहीं फैला। अतः उस राज्य को औषधियों की आपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता। जहां कहीं औषधियों की आवश्यकता है हमने उन जगहों के लिए पहले ही औषधियों की आपूर्ति कर दी है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, प्लेग के कारण बतलाया गया कि चार सौ करोड़ रूपये का घाटा हुआ है। मैं सरकार से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं एक तो सुरक्षात्मक कदमों के बारे में है। आज के युग में कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था कि प्लेग दुबारा रिवाईव हो सकता है। उससे भारत की बहुत बदनामी हुई है, व्यापार को धक्का लगा है। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटना दुबारा न घटे इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, क्या योजना बनाई है?

दूसरा, हम दवा की कमी की बात करते हैं। अभी हम शिकागो और लॉस-एन्जिलिस गये थे। वहां पर बसे भारतीय चिकित्सक भारी संख्या में टेट्रासाइक्लीन भारत भेजना चाहते हैं। लेकिन वह कस्टम-ड्यूटी पे नहीं कर सकते हैं। क्या उन दवाईयों को मुफ्त में मंगाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : यह बात सही नहीं है कि यहां पर प्लेग नहीं फैला।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि आप कौन से निवारक कदम उठा रहे है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हम देश में चूहों के मरने पर निगरानी रखते हैं। हम मृत चूहों की गिनती करते हैं और उससे हमें देश में प्लेग होने का पता चलता है। हमने निगरानी तंत्र को मजबूत बनाया है और हमने उस निगरानी तंत्र में पर्याप्त कर्मचारियों को रखने के लिए राज्य सरकारों को सतर्क कर दिया है ताकि वे देश में चूहों के मरने पर ठीक ढंग से निगरानी रख सकें और असाधारण स्तर पर पहुंच जाने पर वह तत्काल कदम उठाते हैं और हमें भी सूचित करते हैं।

हमारे देश में औषधियों का पर्याप्त भन्डार है। औषधियों की कमी नहीं है, अतः बाहर से औषधियां लाने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मेरा सीधा सा प्रश्न था। सूरत में जिस तरह से गंदगी फैली हुई है। उसके कारण भी प्लेग हुआ। सुरक्षात्मक उपाय से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि रोज कितने चूहे मर रहे हैं आप उसकी जांच कर रहे हैं। यह सुरक्षात्मक उपाय नहीं है। सरकार ने सुरक्षात्मक उपाय इसके लिए क्या किये हैं वह बताएं? अगर कोई विदेश से मुफ्त दवाईयां देना चाहे तो क्या आप उस पर से कस्टम ड्यूटी हटाने का काम करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया है। पहला प्रश्न नगरपालिकाओं और राज्य सरकारों से संबंधित है।

श्री राम विलास पासवान : कौन से निवारक उपाय किए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सरवेलेंस कर रहे हैं।

श्री राम कापसे : माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि महामारी में उपाय हो सकता है। दूसरी बार जब सवाल पूछा गया तो बताया गया कि हमारे पास औषधि पूरी मात्रा में है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास औषधि है, यह क्यूरेटिव डिसिज है तो फिर कुछ दिनों में ही 800 से ज्यादा लोग मरे इसके लिए क्या शासन जिम्मेदार नहीं है और आगे चलकर ऐसा न हो इसके लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं?

[अनुवाद]

डा. सी. सिलवेरा : मरने वालों की संख्या 800 नहीं है। दुर्भाग्य से मरने वालों की संख्या लगभग 54 थी।

श्री राम कापसे : कृपया उत्तर का भाग (ग) देखिए। यह कहा गया है कि अनुमानित मामलों की कुल संख्या 876 थी (महाराष्ट्र में 596 इत्यादि)...**(व्यवधान)**

डा. सी. सिलवेरा : मृतकों की संख्या भिन्न है। यह पृथक रूप से दी गई है। मामलों की संख्या दी गई थी। लेकिन पहले क्या हुआ वह बात ये है कि जब वहां प्लेग फैला हुआ था तो सूरत में चिकित्सा विभाग इस बारे में आश्वस्त नहीं था। जैसे ही प्लेग होने की बात सिद्ध हुई उचित उपचार किया गया। इस उपचार के कारण मृत्यु दर में बहुत कमी आई।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : मैं गुजरात से आता हूं। मुझे भी प्रश्न पूछने का मौका दें।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले क्यों नहीं पूछा?

श्री काशीराम राणा : मैं निवेदन कर रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको यह प्रश्न स्वयं पूछना चाहिए था।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देश में जो प्लेग फैला और उससे जो मौतें हुईं, उसके बारे में विश्व आरोग्य केन्द्र ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की लापरवाही से यह बीमारी फैली है। जो मौतों की संख्या बताई गई है, वह वास्तव में कम है। यह भी कहा गया था कि टेट्रासाइक्लीन भेजी गई थी, वह भी समय पर नहीं पहुंची। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि वहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है, यह सही नहीं है। इसी के कारण वहां प्लेग की बीमारी फैली, तत्काल कार्रवाई न करने की वजह से यह बीमारी फैली और इतनी ज्यादा मौतें हुई। जिसके कारण देश की दुनियां में बदनामी हुई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : आपने जो तकनीकी समिति बनाई है, यह कब तक रिपोर्ट देगी?

अध्यक्ष महोदय : बता दिया है कि छः महीने में देगी।

श्री काशीराम राणा : सरकार की ओर से जन–स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। जब प्लेग फैला तब एक्शन कमेटी बनी, अगर पहले बना देते तो क्या फर्क पड़ता और बीमारी से पहले विभाग ने इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई की थी?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : यह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : माननीय सदस्य ने कुछ वक्तव्यों को विश्व स्वास्थ्य संगठन का आरोप बताया है जो कि सही नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक डा. नाकाजिमा ने उस जगह का दौरा किया था। वह सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट थे। जैसे ही हमें सूचना मिली हमने वहां औषधियां भेजी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री बी. शंकरानन्द और डा. सी. सिलवेरा जी ने भी उस जगह का दौरा किया और व्यक्तिगत रूप से वहां भेजे गए दल की

निगरानी की। हमारे विशेषज्ञ वहां गए थे। केन्द्र सरकार ने सभी संभव कदम उठाए हैं। हमारी ओर से किसी तरह उपेक्षा नहीं बरती गई। हमने अपनी ओर से हर संभव द्रुत कार्रवाई की है।

[हिन्दी]

पोलियो के रोगी

+

* 62. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पोलियो से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो "पल्स पोलियो ऑपरेशन" के अंतर्गत क्रमशः 2 अक्तूबर और 4 दिसम्बर, 1994 को कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई; और

(ग) इस पर कितना खर्च हुआ और देश में इस रोग के पूर्णरूपेण उन्मूलन के लिए चलाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली में "पल्स पोलियो ऑपरेशन" के अधीन 2 अक्तूबर, 1994 और 4 नवम्बर, 1994 को प्रतिदिन लगभग 11.3 लाख बच्चों को लाभ पहुंचाया गया।

(ग) दिल्ली में पल्स पोलियो ऑपरेशन पर 274.17 लाख रूपये खर्च किए गए। देश में पोलियों के उन्मूलन के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का उद्देश्य शिशुओं को 80 प्रतिशत से अधिक रोग प्रतिरक्षण कवरेज को बनाए रखना, "अत्यधिक जोखिम" वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त कार्यकलाप चलाना तथा इस रोग को फैलने से रोकने के उपाय करना है।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द त्रिवेदी : अध्यक्ष जी, मंत्री जी के उत्तर से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पोलियो रोग में वृद्धि नहीं हुई है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि किस आधार पर यह कहा है और क्या इसका सर्वेक्षण किया गया है? मैं राज्य वार इसका ब्यौरा चाहता हूं कि तीन वर्षों में गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम और गोआ राज्यों में किसी प्रकार की वृद्धि हुई है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, जहां तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सतर्कता ब्यूरो का संबंध है, उसके अनुसार देश में पोलियो संबंधी मामलों में कमी आई है। 1981 में इनकी संख्या 38090 थी और 1993 में यह मात्र 7576 ही है। अतः हमारे देश में पोलियों के मामलों में महत्वपूर्ण कमी आई है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अब इसका राज्य–वार विवरण दे सकते हैं? अथवा आप विवरण भेज सकते हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैं माननीय सदस्य को विवरण भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि 25 प्रतिशत बच्चों को दवा देने के बाद भी पोलियो रोग लग जाता है? क्या दवा के अंदर कोई कमी रहती है या जहां पर दवा बनती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से टैम्परेचर को मेनटेन नहीं कर पाते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में दवा के रख–रखाव में कोई कमी रहती है? क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि इस दवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये टैम्परेचर मेनटेन किया जा सके जैसे गाय भैसों के कृत्रिम गर्भाधान के लिये लीक्विड नाईट्रोजन में सीमन्स को रखा जाता है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : महोदय, पोलियो टीका देश भर में उपलब्ध है भले ही वह शहर, गांव अथवा पहाड़ी क्षेत्र ही क्यों न हो, यह एक व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम है।

अध्यक्ष महोदय : छोटा सा प्रश्न यह है कि चूंकि तापमान में उतार–चढ़ाव के कारण औषधियां बेअसर हो जाती हैं। क्या आपके पास कन्टेनर इत्यादि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है?

डा. सी. सिलवेरा : पूरी व्यवस्था है। कन्टेनर उपलब्ध कराये गये हैं, सम्पूर्ण देश में सब कुछ उपलब्ध कराया गया है। यह तथ्य कि यह प्रभावशाली है या नहीं, यह इस बात से स्पष्ट है क्योंकि गत दस अथवा पन्द्रह वर्षों के दौरान पोलियो के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यदि पोलियो का टीका ठीक प्रकार से लगाया जाता है तो सामान्यतः जिन लोगों ने पोलियो का टीका लगवाया है वे पोलियो से मुक्त हैं। हम आशा कर रहे हैं कि 2000 ई. तक देश को पोलियो से मुक्त कर देंगे...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह बहुत ही अच्छा और तकनीकी प्रश्न है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। हमारी ओर से यह सख्त निर्देश है कि देश में कोल्ड–चेन को बनाये रखें। माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। पोलियो टीके को कतिपय डिग्री तापमान पर रखना होता है, यह तापमान 8° सेल्सियस तक होता है। इसके लिए हमने राज्य सरकार के माध्यम से सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सालयों (पी एच सी) में वैक्सीन को रखने के लिए तथा आइस बैगों को तैयार करने के लिए आइस लाईन रेफ्रीजरेटर तथा डीप फ्रीजरों की व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदय : आपने ठीक उत्तर दिया है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पोलियो रोग पर नियंत्रण पाने के लिये 80 प्रतिशत टारगेट फिक्स किया है, इसे 100 प्रतिशत करने के लिये क्या करने जा रहे हैं?

जो सरकारी आंकड़े दिये गये हैं उसके अनुसार पोलियो रोग बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत तक नवजात शिशु और टैटनस के अभाव में 74 प्रतिशत रोग होना बताया गया है। तो इन चार राज्यों में पोलियो रोग बड़े पैमाने पर होने के बाद इन राज्यों के लिये क्या किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2000 तक इस रोग को पूरी तरह हटाने के लिये जो कार्य किये हैं, उसमें हमारी सरकार क्या करने जा रही है कि यह 100 प्रतिशत रोग समाप्त हो जायें? दूसरे, पोलियो के इंजेक्शन दिये जाते हैं, इनकी गांवों में सुविधा नहीं है क्योंकि वहां पर फ्रिज की सुविधा नहीं है और आदिवासी ऐरियाज में भी यह सुविधा नहीं है लेकिन शहरी क्षेत्रों में जरूर है।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैंने कोल्ड चेन के बारे में पहले ही बता दिया है। हमने पोलियो के टीके रखने के लिए ग्रामीण इलाकों में औषधालयों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सालयों (पी एच सी) को एक छोटा कन्टेनर भी दिया है। जहां तक व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम का संबंध है, यह सच है कि कुछ राज्य ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। हमने इस संबंध में कुछ विशेष कदम उठाये हैं। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता के लिए हम राज्य सरकारों पर निगरानी रखने और उनसे बातचीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि हम अपने बच्चों को इन सभी बीमारियों से बचा सकें।

[हिन्दी]

डा. जी.एल. कनौजिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पोलियो के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए हम पंद्रह साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं और जितनी सफलता इसमें मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। इसके तीन फेक्टर हैं—ऐडीक्वेट डोज, पोटेन्सी ऑफ द ड्रग, और करेक्ट ऐज। इन तीनों को मेनटेन किया जाए तो जितना प्रयास आज तक हम लोगों ने किया है उसके हिसाब से पोलियो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि कोल्ड चेन मेनटेन करते हैं। मेरा कहना है कि अगर यह कोल्ड चेन मेनटेन रहती है तो दवा पी.एच.सी. में कैसे रहती है, दुकानों में दवा कैसे रहती है और रास्ते में कैसे रहती है। मेरा तजुर्बा है कि कोल्ड चेन का ब्रेक अप मिनिमम 50 प्रतिशत होता है और जिन बच्चों को पोलियो की डोज दी जाती है उनमें रिकरेन्स 35 प्रतिशत होता है। पोलियो की तीनों डोज पिलाने के बाद भी जब उनको पोलियो हो जाता है तो उन पर क्या बीतती होगी। इसके लिए सरकार कितनी सीरियस है और इन तीनों स्टेप्स को लागू करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है? करेक्ट स्टेप क्या है? आप निर्देश देते रहते हैं मगर उसका क्या प्रभाव होता है? मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 35 प्रतिशत रेकरैन्स हो रहा है, इसके लिए सरकार क्या स्टेप उठा रही है?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने उन राज्यों के संबंध में जो व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं, विशेष कदम उठाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का मूल भाव यह है कि जब रोगी को दवाई दी जाती है तो उस समय आपेक्षित तापमान को बनाये नहीं रखा जाता है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने अपनी योजना के तहत पहले ही रेफ्रीजरेटर तथा कोल्ड कन्टेनर उपलब्ध करा दिया है। हम ग्रामीण इलाकों में कोल्ड चेन तथा कोल्ड कन्टेनर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के साथ लगातार सम्पर्क में है। हम उनसे इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। कोल्ड चेन को बनाये रखा जाना चाहिए ताकि पोलियो टीके के प्रभाव को बनाये रखा जा सके।

[हिन्दी]

डा. जी.एल. कनौजिया : मंत्री महोदय जो कोल्ड चेन की बात बता रहे हैं, उसके बारे में मुझे ज्यादा मालूम है लेकिन वह मेनटेन क्यों नहीं होती है? मैं दावा करता हूं कि यह मेनटेन नहीं होती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री कालकादास : अध्यक्ष जी, पोलियो एक भयंकर बीमारी है और सारी मानवता को अपंग किये जा रही है। इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए कार्यक्रम तय किया और उस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में दो चरणों में 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह भाषण नहीं है। यह प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री कालकादास : दो चरणों में 11.3 लाख बच्चों को पोलियो उन्मूलन की दवा मिलाकर इस कार्यक्रम को किया। अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि इस सारे प्रोग्राम से ऐसा लगा है कि जैसे दिल्ली सरकार ने ही इसे गंभीरतापूर्वक लिया हो क्योंकि 11.3 लाख की जो संख्या होती है...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई उचित प्रश्न नहीं करेंगे तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री कालकादास : मैं मंत्री महोदय से आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि इसको प्रोत्साहित करने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने 11.3 लाख बच्चों को दो चरणों में दवा पिलाई। इसे और प्रोत्साहित करने के लिए क्या दिल्ली सरकार को प्रशंसा पत्र देने की कोई योजना है, ताकि अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिल सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या यह बात सही है कि विश्व में सबसे ज्यादा पोलियो के रोगियों की संख्या भारत में है? क्या यह भी सही है कि बिहार के छोटा नागपुर जिले के कई मुख्यालयों में पोलियो की दवाई की व्यवस्था नहीं है, जैसे– चतरा, गड़वा, डाल्टनगंज आदि?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से यह अपेक्षा नहीं करता कि उनको इसकी जानकारी हो, लेकिन यदि उनके पास सूचना है तो वह दे सकते हैं अथवा वह यह सूचना लिखित में उनको भेज सकते हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : वही योजना देश भर में चल रही है। यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि इस योजना को चलायें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : उत्तर के भाग (ग) में मंत्री जी ने कहा कि देश में पोलियो उन्मूलन के लिए शुरू किये गये कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 80 प्रतिशत टीकाकरण कवरेज करना है। वास्तविकता यह है कि 1990 तक 85 प्रतिशत टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। मेरा प्रश्न निधियों के, विशेषकर उपलब्ध विदेशी सहायता के उपयोग तथा लक्ष्य प्राप्ति के प्रतिशत से संबंधित है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि जहां तक इस कार्यक्रम में विदेशी सहायता का अर्थात भाग (क) का संबंध है, निधियों की उपयोगिता की दर क्या है और अब तक कितनी राशि अनुपयुक्त पड़ी हुई है।

उसी प्रश्न का भाग (ख) यह है कि क्या वर्ष 1991–92 में प्रस्तावित लक्ष्य की प्राप्ति का प्रतिशत 6.8 प्रतिशत घट गया है और क्या वर्ष 1992–93 में इस दर में वृद्धि होने के बावजूद प्रस्तावित लक्ष्य के मात्र 78 प्रतिशत तक ही प्राप्त किया जा सका। प्रश्न यह है कि क्या इस कार्यक्रम में लक्ष्य प्राप्ति की दर में क्रमशः गिरावट आ रही है। यह निष्पादन बजट संबंधी सरकारी रिपोर्ट के अनुरूप है।

अध्यक्ष महोदय : दो साधारण प्रश्न हैं कि क्या आपने इस संबंध में विदेशों द्वारा दी गई अनुदान राशि का उपयोग किया है और क्या इस सुविधा को उपलब्ध कराने की दर में कमी आ रही है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मेरे पास विदेशों से प्राप्त धनराशि का कोई ब्यौरा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप ब्यौरा लिखित में भेजिए।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैं माननीय सदस्य को ब्यौरा दे दूंगा। जहां तक निष्पादन बजट का संबंध है, मैंने पहले ही कहा है कि...

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मात्र 50 से 60 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया गया है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : हम ठीक कार्य निष्पादन न करने वाले राज्यों के संबंध में और अधिक कदम उठा रहे हैं। हम वहां अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं। हम राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं कि वे अन्य राज्यों की तुलना में अपने कार्य निष्पादन को भी अद्यतन रखें।

[हिन्दी]

कश्मीर का मुद्दा

+

*63. **डॉ. लाल बहादुर रावल :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने 1994 के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाया है/उठाने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो मंच–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या प्रतिकारात्मक कदम उठाए गए;

(घ) इन मंचों में से प्रत्येक के संबंध में सरकार को क्या सफलता मिली; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ङ). सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

1. मानवाधिकार आयोग, जेनेवा का पचासवां अधिवेशन: 31.1.94 से 11.3.94 तक

पाकिस्तान की प्रधान मंत्री ने अपने मुख्य भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। कार्य सूची की बहुत सी मदों के तहत पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल, पाकिस्तान के गैर–सरकारी संगठनों और पाकिस्तान समर्थित गैर–सरकारी संगठनों ने भी कश्मीर का मसला उठाया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर देने के अधिकारों का प्रयोग करके तथा आरोपों का उचित रूप से खण्डन करके और व्यवस्था के प्रश्नों पर उन्हें रद्द करवा कर पाकिस्तान के इन प्रयासों को नाकाम कर दिया जिनका उद्देश्य जोर–शोर से लगातार कश्मीर की ओर ध्यान केन्द्रित करना था।

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के 50 वें अधिवेशन के दौरान भारत के खिलाफ कश्मीर मसले पर एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में जम्मू–कश्मीर में मानवाधिकारों के तथाकथित हनन के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की गई थी और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से यह अनुरोध किया गया था कि वह तथ्यों का पता लगाने वाले एक प्रतिनिधिमंडल को जम्मू–कश्मीर भेजकर वहां मानवाधिकारों की स्थिति की छानबीन करवाये और इस प्रतिनिधिमंडल से स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहे। पाकिस्तान की इस कार्रवाई का प्रतिकार करने के लिए भारत ने कारगर कदम उठाए थे। अपने इस प्रस्ताव के लिए पर्याप्त समर्थन न जुटा पाने के कारण पाकिस्तान ने स्वेच्छा से तथा बिना शर्त ही यह प्रस्ताव वापिस ले लिया।

2. गुट निरपेक्ष आन्दोलन के विदेश मंत्रियों की परामर्श बैठक, जकार्ता : 10.2.94

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कश्मीर मसले को उठाने का प्रयास किया था लेकिन अध्यक्ष ने भारत सरकार द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर स्पष्ट शब्दों में यह निर्णय दिया कि पाकिस्तान के मंत्री को चाहिए कि वे भारत के साथ पाकिस्तान की द्विपक्षीय समस्याओं को गुट–निरपेक्ष आंदोलन मंच पर न उठाये।

3. महिलाओं की हैसियत पर गठित आयोग का अड़तीसवां सत्र : 8.3.94

श्रीमती नुसरत भुट्टो द्वारा दिए गए वक्तव्य के माध्यम से पाकिस्तान ने कश्मीर में महिलाओं के साथ व्यापक स्तर पर हो रहे बलात्कार और हिंसा की वारदातों का आरोप लगाया। हमने इन आरोपों का खंडन किया।

4. महिलाओं की हैसियत पर गठित आयोग का अड़तीसवां सत्र : 15.3.94

प्राथमिक विषय नामक मद के अधीन आयोग में दूसरी बार कश्मीर का मसला उठाया गया था। यह कहा गया था कि बोस्निया और हर्जेगोविना तथा "भारत अधिकृत कश्मीर" में मानवाधिकारों की स्थिति एकसमान है। हमने इन आरोपों का खंडन किया।

5. विशेष शांति स्थापना समिति : 5.4.94

पाकिस्तान ने शांति–स्थापना कार्यों पर अपने वक्तव्य में यू एन एम ओ जी आई पी का जिक्र किया।

6. काहिरा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मंत्रिस्तरीय बैठक : 3.6.94

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पूर्ण बैठक में जम्मू–कश्मीर का मसला उठाया। विदेश राज्य मंत्री श्री रघुनदन लाल भाटिया ने उत्तर दिया।

7. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा : 7–24 जून, 1994

पाकिस्तान के श्रम सचिव ने पूर्ण बैठक में कश्मीर का मसला उठाया। उन्होंने कश्मीर में कामगारों की आर्थिक स्थिति का जिक्र किया और कहा कि श्रमिकों को जबरन विस्थापित करने तथा मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों और उत्पीड़न के परिणामतः यह स्थितियां बिगडी हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर के अधिकार का प्रयोग करके इन आरोपों का उचित रूप से खंडन किया। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने ऐसे किसी भी आह्वान का प्रतिकार किया कि तथ्यों का पता लगाने वाला प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए तथा इस विषय को सम्मेलन की किसी भावी कार्रवाई में शामिल किया जाए।

8. एशिया ग्रुप की बैठक : 14.7.94

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार हाई कमिश्नर से एक प्रश्न पूछकर और उसमें जम्मू–कश्मीर का मसला उठाया। हमने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया कि इन मसलों पर एशिया ग्रुप में विचार नहीं किया जाना चाहिए।

9. ई सी ओ एस ओ सी : 15.7.94

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार हाई कमिश्नर से जम्मू–कश्मीर पर एक प्रश्न पूछा और हमने उत्तर में एक प्रति प्रश्न उठाया।

10. मानवाधिकार मसलों से सम्बद्ध तृतीय एशिया-प्रशान्त कार्यशाला, सियोल : 18-20 जुलाई, 1994

पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कश्मीर का मसला उठाने का प्रयास किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने तत्काल व्यवस्था का प्रश्न उठाकर इस कार्यशाला के सन्दर्भ में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल की टिप्पणियों की प्रासंगिकता का प्रश्न उठाया और अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे पाकिस्तान के प्रतिनिधि को सलाह दें कि वे विवादास्पद तथा राजनीतिक प्रेरित वक्तव्य न दे। अध्यक्ष ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि को तदनुसार सलाह दी और पाकिस्तानी प्रतिनिधि अपने वक्तव्य में कश्मीर का जिक्र नहीं कर सका।

11. ई सी ओ एस ओ सी : 22.7.94

पाकिस्तान ने मानवाधिकार प्रश्न नामक कार्य सूची की मद के अधीन जम्मू–कश्मीर का जिक्र किया तथा हमने अपने उत्तर के अधिकार का प्रयोग किया।

12. मूलवासी जनसंख्या पर गठित उप आयोग कार्यकारी दल : 25–29 जुलाई, 1994

पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कश्मीर का जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया कि जम्मू–कश्मीर में बहुसंख्यक समुदाय को आत्म–निर्धारण का अधिकार नहीं दिया जा रहा है और उनके मानवाधिकारों का उल्लघंन हो रहा है। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और अध्यक्ष ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को इस विषय को उठाने की इजाजत नहीं दी।

13. अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति भेदभाव को रोकने तथा उनको संरक्षण देने से सम्बद्ध उप आयोग : 1–26 अगस्त, 94

कार्यसूची की बहुत सी मदों के अधीन उप आयोग में बहस के दौरान कश्मीर का जिक्र आया। पाकिस्तान की रणनीति का उद्देश्य अपने औपचारिक वक्तव्यों में कश्मीर का जिक्र एक विवादास्पद प्रदेश के रूप में करना तथा आत्मनिर्धारण का प्रश्न उठाना था। उत्तर के अधिकारों का प्रयोग करके हमारे प्रतिनिधिमंडल ने सभी पाकिस्तानी तर्कों का खण्डन किया और पाकिस्तान की राजनीति तथा प्रादेशिक आकांक्षाओं को उजागर किया।

14. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद : 11.8.94

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर जम्मू–कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन तथा उत्तरोत्तर बढ़ रही सैनिक कार्रवाई पर चिन्ता व्यक्त की। उसी दिन इसी प्रकार का एक पत्र महासचिव को भी भेजा गया था। इन पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

15. जनसंख्या तथा विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, काहिरा 5–13 सितम्बर, 1994

पाकिस्तान की प्रधान मंत्री ने उद्घाटन समारोह के दौरान अपने भाषण में कश्मीर का संक्षिप्त रूप से जिक्र किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इसकी अनदेखी की।

16. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद : 3.10.94

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर निम्नलिखित अनुरोध किए :

(I) यू एन एम ओ जी आई पी, की संख्या को बढ़ाया जाए,

(II) भारत से यह कहा जाए कि वह "यू एन एम ओ जी आई पी, को नियंत्रण रेखा के दोनों ओर गश्त लगाने की इजाजत दे, तथा

(III) कश्मीरी लोगों को मानवीय सहायता प्रदान की जाए। इस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

17. संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस : 4.10.94

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आम बहस के दौरान जम्मू–कश्मीर का मसला उठाया। हमने अपने उत्तर के अधिकार का प्रयोग किया।

18. संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति : 12.10.94

पाकिस्तान ने चार्टर समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में एक मद के तहत आत्मनिर्धारण का प्रश्न उठाया। हमने अपने उत्तर के अधिकार का प्रयोग किया।

19. संयुक्त राष्ट्र महासभा की तृतीय समिति : 17.10.94

लोगों के आत्म–निर्धारण के अधिकार की प्राप्ति नामक कार्य सूची मद के अधीन पाकिस्तान ने जम्मू–कश्मीर का प्रश्न उठाया। हमने उसी दिन अपने वक्तव्य में अपनी स्थिति का खुलासा किया। उत्तर के अधिकारों का भी प्रयोग किया गया।

20. संयुक्त राष्ट्र महासभा का पूर्ण अधिवेशन : 19.10.94

पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष पर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में अपने वक्तव्य में कश्मीर का जिक्र किया।

21. संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति : 20.10.94

पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद नामक कार्यसूची मद के अधीन जम्मू–कश्मीर का प्रश्न उठाया।

22. संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति : 24.10.94

पाकिस्तान ने आम बहस के दौरान जम्मू–कश्मीर का मसला उठाया। हमने अपने उत्तर के अधिकार का प्रयोग किया।

सऊदी अरब, तुर्की तथा नाइजर को लेकर गठित किए गए ओ आई सी सम्पर्क दल ने एक प्रस्ताव का प्रारूप परिचालित किया जिसमें भारत तथा पाकिस्तान से यह अनुरोध किया गया था कि वे मेल–मिलाप की भावना तथा जम्मू–कश्मीर के मसले को शांतिपूर्ण ढंग से अन्तिम रूप से हल करने के उद्देश्य से अपनी द्विपक्षीय वार्ता जारी रखें। इस प्रस्ताव में महासचिव से भी यह अनुरोध किया गया था कि वे दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। युक्ति गत कारणों से पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव के मसौदे में अपना नाम नहीं दिया। हालांकि, यह पूर्णतः पाकिस्तान का ही प्रस्ताव था। भारत ने इसका प्रतिकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। इस प्रस्ताव के पक्ष में पर्याप्त समर्थन न जुटा पाने के कारण ओ आई सी संपर्क दल ने घोषणा की कि वह इस प्रस्ताव को नहीं रखेगा।

23. संयुक्त राष्ट्र महासभा का पूर्ण अधिवेशन : 27.10.94

इस संगठन के कार्य पर महासचिव की रिपोर्ट नामक कार्य–सूची मद के तहत अपने वक्तव्य में पाकिस्तान ने जम्मू–कश्मीर का मसला उठाया। हमने अपने उत्तर के अधिकार का प्रयोग किया।

24. संयुक्त राष्ट्र महासभा की चतुर्थ समिति : 31.10.94

पाकिस्तान ने सूचना के संबंध में अपने वक्तव्य में जम्मू–कश्मीर का उल्लेख किया।

25. संयुक्त राष्ट्र महासभा की तृतीय समिति की बैठक : 1.11.94

पाकिस्तान ने सामाजिक विकास पर अपने वक्तव्य में सरकारी तौर पर जम्मू–कश्मीर का जिक्र किया।

26. संयुक्त राष्ट्र महासभा की तृतीय समिति : 11.11.94

शरणार्थियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र हाई कमिश्नर नामक कार्यसूची मद के तहत पाकिस्तान ने जम्मू–कश्मीर का प्रश्न उठाया।

27. संयुक्त राष्ट्र महासभा की चतुर्थ समिति : 17.11.94

पाकिस्तान ने शांति स्थापना कार्य के संबंध में अपने वक्तव्य में यू.एन.एम.ओ.जी.आई.पी. का जिक्र किया।

28. संयुक्त राष्ट्र महासभा की तृतीय समिति : 30.11.94

पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान ने मानवाधिकार स्थितियां नामक कार्य सूची मद के अधीन अपने वक्तव्य के दौरान कश्मीर का विस्तार से जिक्र किया। हमने अपने वक्तव्य में तथा उत्तर के अधिकारों का प्रयोग करके इसका प्रतिकार किया।

29. सतत् प्रक्रिया के अंग के रूप में हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को भारत में तथा विदेश स्थित अपने मिशनों के जरिए जम्मू-कश्मीर पर अपने दृष्टिकोण से अवगत करते रहते हैं।

[हिन्दी]

डा. लाल बहादुर रावल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जो विस्तृत उत्तर दिया है उससे ऐसा आभास होता है कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ा है जब उसने किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मामला न उठाया हो। लेकिन भारत हमेशा बचाव की मुद्रा में रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान कश्मीर के विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर और विवादास्पद बनाने का प्रयास कर रहा है। क्या पाकिस्तान 1972 में हुए शिमला समझोते की गंभीरता को कम नहीं कर रहा है और क्या भारत ही शिमला समझोते का अनुपालन करने को बाध्य है?

इसी से संबंधित मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है कि इस्लामिक सम्मेलन संगठन के देश सऊदी अरब, तुर्की, नाइजर, अल्बानिया, अजर बेजान और बोस्निया के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध क्या बहुत खराब हैं? यदि हैं तो भारत की ओर से संबंध सुधारने के लिए तथा कश्मीर की सही स्थिति बताने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं?

श्री आर.एल. भाटिया : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पाकिस्तान ने दुनियां के इंटरनेशनल फोरों में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां कि यह मुद्दा नहीं उठाया हो, लेकिन जैसा कि आपने

देखा, हमारे प्रयासों के कारण उनको कहीं पर भी कामयाबी नहीं मिली है। यह ठीक है कि इसके बावजूद भी उनकी यह कोशिश रही है कि जहां कहीं भी वे यह मुद्दा उठा सकें, चाहे यू.एन. जनरल असैम्बली हो, चाहे सिक्योरिटी कौंसिल हो, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन हो और चाहे नान अलाइन्ड नेशन जकार्ता या कैरो हो, उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हमने दूसरे देशों को कश्मीर की सही स्थिति से अवगत करवाया है। उसके पश्चात उन्हें कहीं भी कामयाबी नहीं मिली है।

जहां तक आपने दूसरे देशों नाईजीरिया और तुर्की आदि के बारे में पूछा है जो कि ओ.आई.सी. के रिजोल्यूशन को स्पोंसर करना चाहते थे, भारत के सम्बन्ध और उनके सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। जितने भी ओ.आई.सी. के कंट्रीज हैं उनको हम इस बात को समझाने में कामयाब हुए हैं कि कश्मीर की स्थिति क्या है और भारत का पक्ष क्या है और ऐसे रिजोल्यूशन पास करने से कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। इसी वजह से जिनेवा में और यू.एन. जनरल असैम्बली में हम इस काबिल हुए हैं कि पाकिस्तान की जो यह कोशिश थी कि वह बहुत से लोगों को अपने साथ मिलाकर उस रिजोल्यूशन को स्पोंसर करा सके, इस स्थिति से उनको दूर किया है। यही कारण है कि पाकिस्तान अपने रिजोल्यूशन को प्रैस नहीं कर सका। बाकी इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। फिर भी जो मुल्क पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे या उस रिजोल्यूशन को स्पोंसर करना चाहते थे, उनको हम अपना पक्ष जोरदार तरीके से बता रहे हैं।

डा. लाल बहादुर रावल : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान भारत में, विशेषकर जम्मू–कश्मीर में प्रशिक्षित उग्रवादियों को अबाधरूप से भेजकर कश्मीर की स्थिति को और संवेदनशील बनाता जा रहा है और हम उस घुसपैठ को रोकने में असफल रहे हैं जैसा कि गृह मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकारा भी है। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान इसी तरह कश्मीर की स्थिति को और अधिक संवेदनशील बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से कश्मीर का मुद्दा उठाता रहेगा? क्या पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से अंतिम रूप से न उठाने देने के लिए भारत कोई प्रभावी कदम उठा रहा है और क्या पाकिस्तान और भारत–शिमला समझौते जैसा कोई अन्य समझौता करने के इच्छुक है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का यह कथन कि कश्मीर में तनाव बढ़ गया है, क्या यह बयान पाकिस्तान को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है?

श्री आर.एल. भाटिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले अवगत करवाया है कि पाकिस्तान का तो सभी जगह यह प्रयास है, लेकिन आपने देखा उनको कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। उसका कारण यही है कि भारत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि नेशन्स स्टेट और दुनियां के दूसरे मुमालिग को हर स्टेज पर इस बात की खबरदारी दी जाए कि असली स्थिति वहां क्या है। उन्होंने यह कोशिश की है कि दुनियां को अपनी तरफ से कश्मीर के इश्यू को बढ़ाकर दिखाने का प्रयास किया है और ऐसा दर्शाने का प्रयास किया है कि वहां हालात बहुत खराब हैं, जबकि वहां पर ऐसी पोजीशन नहीं है। वहां जो हालात थे वे धीरे–धीरे हमारी फोर्सस ने ठीक किए हैं और कर रही है और उसके नतीजे के तौर पर आहिस्ता–आहिस्ता वहां तब्दीली आ रही है जिसको हमने फारेन कंट्रीज के जो एम्बैसेडर थे, उनको वहां जाने का मौका दिया कि वे वहां जाकर देख सकें। ट्रांसपेरेंसी भी रखी और अखबार वालों को भी जाने दिया। उससे दुनियां को कश्मीर की जो सही स्थिति है उसका पता चला है। इसलिए पाकिस्तान की जो तमाम कोशिशें हैं कि वह बाहर इस मुद्दे को उठाए और वहां खराब हालात हैं, ऐसा बताने का प्रयास पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन बाहर के मुल्कों ने उसकी इस बात को नहीं माना है और लोगों ने समझ लिया है।

[अनुवाद]

श्री श्रवण कुमार पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की उप–विदेश मंत्री, मैडम राबिन राफेल के अक्तूबर में नई दिल्ली के दौरे के दौरान उन पर यह दबाव डाला था कि वह पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव डाले कि वह जम्मू और कश्मीर में भाड़े के सैनिकों सहित प्रशिक्षित उग्रवादियों को भारत में भेजकर उसके विरूद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध जारी न रखे। यदि हां, तो किस रूप में और उसके प्रति पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रही। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि वर्तमान वास्तविकताओं को देखते हुए राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं।

श्री आर.एल. भाटिया : महोदय, मैडम राबिन राफेल के साथ दिल्ली में हुई चर्चा के दौरान मैंने उन्हें कश्मीर की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। हमने वहां हुए सुधारों, सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए किए गए प्रयासों तथा प्रक्रियाओं का भी ब्यौरा दिया। मेरे विचार से वह मुझसे सहमत थीं लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट करते हुए कहा था कि क्या वहां चुनाव कराना संभव होगा। मैंने कहा कि "सामान्यीकरण की प्रक्रिया जारी है; जनता भी इसमें रूचि ले रही है और मुझे आशा है कि हम चुनाव करवा पाएंगे।"

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का पहला भाग है कि क्या पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाया है अथवा उठाने का प्रयास किया है। मैंने माननीय मंत्री के उत्तर में संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों और मंचों का ब्यौरा पाया है लेकिन अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों के संबंध में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। शायद उत्तर पूरा नहीं है, विशेषरूप से ओ.आई.सी. भी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।

दूसरे, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि उनके उत्तर की मद संख्या 21 में यह कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में पाकिस्तान ने 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद' नामक कार्यसूची मद के अंतर्गत जम्मू–कश्मीर का प्रश्न उठाया। ऐसा क्यों हुआ? यह विडंबना है कि पाकिस्तान ने यह मुद्दा उठाया और हमने नहीं उठाया। वास्तव में हमें 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद' का मुद्दा उठाना चाहिए था और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यदि ऐसा उन्होंने किया तो क्यों किया।

मैं महसूस करता हूं कि जबकि माननीय मंत्री सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी सफलता का दावा करते हैं, मैं नहीं जानता कि क्या उन्हें इस पर प्रसन्न होना चाहिए और यह मानना चाहिए कि पाकिस्तान की यह असफलता हमारे बेहतर प्रयासों का परिणाम है। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा पाकिस्तान द्वारा बार-बार यह मुद्दा उठाने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं से क्लांत होने के कारण है।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न के अंतिम भाग में 'राय' शामिल है?

श्री आर.एल. भाटिया : यह सत्य नहीं है कि हमने आतंकवाद का मुद्दा नहीं उठाया। हम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सभी स्तरों पर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में की जा रही कार्यवाही के बारे में बताते रहते हैं। वे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और यह बात अब पूरा विश्व जानता है।

माननीय सदस्य के इस प्रश्न के संबंध में कि ओ.आई.सी का उल्लेख नहीं किया गया मेरा यह कहना है कि स्थिति ऐसी ही है। जब मैंने यह कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठाया तो इसका यह भी अर्थ है कि पाकिस्तान ने वहां भी यह मुद्दा उठाया। उन्होंने यह मुद्दा उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक समिति गठित की थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ओ.आई.सी. देशों में भी वे इस संकल्प को लाने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं जुटा पाए। चूंकि वह संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया था इसलिए मेरे विचार से इसका उत्तर में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। यहां तक कि ओ.आई.सी. में भी उनके प्रयास असफल हो गए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, उत्तर अधूरा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें 'राय' का उत्तर देने के लिए नहीं कहा था।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैंने पूछा, "क्या यह एक गलती है कि ओ.आई.सी. का उल्लेख नहीं किया गया था।" क्या मंत्री ने इसे स्वीकार किया है? उन्हें इसे शामिल करना चाहिए था।

श्री आर.एल. भाटिया : मैंने उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मैंने कहा कि उन्होंने ओ.आई.सी. में भी यह प्रश्न उठाया था लेकिन वे इसमें असफल रहे थे।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू सत्र के दौरान इस मुद्दे से निपटने में सरकार की सफलता की मेरे पास ताजा जानकारी है। जबकि मैं पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास को विफल करने में सरकार की सफलता की प्रशंसा करता हूं, मैं यह महसूस करता हूं कि पाकिस्तान ने जनसंख्या और महिला, सामाजिक विकास तथा आर्थिक विकास सहित हर संभव मंच पर इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी भूमिका कम हो गई लेकिन हमारी क्षमता बढ़ी है।

हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अच्छे सदस्य हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि देश की जनता को यह बताने के *लिए कि यदि पाकिस्तान ऐसा संकल्प लाता है तो हम उसकी परवाह नहीं करते। विपक्षी नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि ऐसा संकल्प लाया जा रहा है और हमें भी पाकिस्तान के समकक्ष ऐसा संकल्प लाना चाहिए।* मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में हम क्या भूमिका निभा रहे हैं।

श्री आर.एल. भाटिया : हम विपक्षी नेताओं के साथ सदैव संपर्क बनाए रखे हुए हैं और यहां तक कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जेनेवा में दल के नेता थे। यह विदेश नीति सभा के मतैक्य पर आधारित है। हम ऐसा ही कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले सत्र के दौरान मंत्री महोदय ने माना था कि अमेरिका की किसी प्राइवेट एजेंसी को भी हमने अपना पक्ष रखने के लिए काम पर लगाया था तो हमें जो सफलता मिली है, क्या वह हमारे अपने डिप्लोमैटिक एफर्ट के कारण मिली है या जो कम्पनी इस काम के लिए आपने वहां एंगेज की, उसका इसमें कितना हाथ रहा है और क्या उसकी सेवाएं आप अब भी ले रहे हैं?

मेरे प्रश्न का भाग "ख" है। पाकिस्तान जो प्रश्न उठाता है, उसका उत्तर हम डिफेंसिव होकर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में आपके द्वारा प्रस्ताव रखा गया और उसे सर्व सम्मति से पास किया गया था कि कश्मीर में अगर कोई समस्या है तो 1/3 जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसको वापस लेने की है तो उस दिशा में हम क्या कदम उठा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे भाग की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री आर.एल. भाटिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि दुनियां को इस बारे में अवगत कराने के लिए हमने बहुत से साधन बनाये हैं, उनमें से एक का आपने जिक्र किया है कि एजेंसी की सेवाएं हमने ली हैं। हमारे फारेन मिनिस्टर ने तमाम देशों के फारेन मिनिस्टर्स को इसके बारे में पत्र लिखे थे, जिसमें कश्मीर की स्थिति के बारे में पूरी तरह से बताया गया था। हमारे जो फारेन मिशंस हैं, वह भी जहां-जहां लैंडिड हैं, तमाम मुल्कों में वह वहां की गवर्नमेंट को इस बारे में सारी स्थिति बताते हैं और उनके सामने हमारा पक्ष रखते हैं।

तीसरी बात यह है कि यूनाइटिड नेशंस में हमारे जो पी.आर. हैं, वह भी दूसरी गवर्नमेंट के पी.आर्स के साथ मिलकर, हमारा जो नुक्ता-ए-नजर है, उसको अच्छी तरह से बताते हैं। इसी तरह से इस एजेंसी का भी वही काम है कि वहां के जो सीनेटर्स हैं, उनको इस बारे में बताया जाय। इसी के फलस्वरूप आपने देखा है कि पाकिस्तान अपना रैजोल्यूशन लाने के लिए समर्थन नहीं जुटा सका।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति

+

+*64. **श्री ब्रह्मानंद मंडल :**

श्री गुरुदास कामत :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश निर्धारित करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा मई, 1994 में गठित जोशी समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या हाल ही में दूरसंचार के क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञों ने समिति की कतिपय सिफारिशों के बारे में अपनी शंकाएं व्यक्त की हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). संस्तुतियां सरकार के विचाराधीन है, जिनको शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

(ङ) और (च). इस मंत्रालय को विशेषज्ञों की ओर से लिखित में ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उन्होंने समिति की किसी सिफारिश पर अपनी आशंका व्यक्त की हो।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानंद मंडल : अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रश्न किया था, उसमें राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश तय करने के लिए मई, 1994 में जो एक जोशी समिति बनाई गई थी, प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा गया था कि उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं...

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी बता दिया कि वह गवर्नमेंट के कंसीडरेशन में है।

श्री ब्रह्मानंद मंडल : लेकिन यह नहीं बताया गया...

अध्यक्ष महोदय : वह उनका कंसीडरेशन पूरा होने तक आपको नहीं बताएंगे।

श्री ब्रह्मानंद मंडल : मैं तो चाहता था...

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होता है। पूरा कंसीडर करने के बाद ही बताया जाता है।

श्री ब्रह्मानंद मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अभी दूरसंचार की नीति बनायी गई है, उसके अनुसार इसका निजीकरण हो रहा है और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम से उसे चलाने की कोशिश की जा रही है। मंत्री जी भी पिछले दिनों विदेश के दौरे पर थे और उन्होंने यहां आकर ऐसे बयान भी दिये। दूरसंचार में जो अनियमिततायें हो रही हैं और खास करके यहां से बड़े पैमाने पर विदेशों में जो कॉल्स की जाती हैं, उनसे बहुत बडा नुकसान दूरसंचार विभाग को हो रहा है। इसके लिये मंत्री जी कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि टेलीकॉम पालिसी का निजीकरण हो रहा है, इसके बारे में माननीय सदन को मालूम है कि हमारी डैनसिटी एक परसैंट से भी कम है जबकि पाकिस्तान, चाइना और दूसरे विकासशील देशों की इससे बहुत ज्यादा है। धन के अभाव और टैक्नोंलीजी के अभाव की वजह से हम आगे नहीं बढ पा रहे हैं। माननीय सदस्यों को भी टेलीफोन के सम्बन्ध में हमेशा शिकायत रहती है। इसलिये नेशनल टेलीकॉम पालिसी में प्राइवेट सैक्टर को लिया गया है। टेलीकॉम पालिसी में यह निर्धारित किया गया है कि इस अगली पंचवर्षीय योजना के अंत तक यानी कि 1997 के अंत तक हमको सारी वेटिंग लिस्ट लिक्विडेट करनी है और गावों में टेलीफोन की व्यवस्था करनी है। इस काम के लिए 23000 करोड रूपया चाहिये। हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं जिससे कि हम इतनी राशि की व्यवस्था कर सकें। इस वास्ते प्राइवेट सैक्टर को लाना बहुत जरूरी हुआ। विदेशों से भी इस पर इनवैस्टमैंट आना है। जहां तक विदेशों में कॉल करने का प्रश्न है, मेरी जानकारी में भी यह बात आई है। इसके लिये हमने कुछ लक्ष्य उठाये हैं विजिलैंस के माध्यम से हम इसमें कार्यवाही कर रहे हैं। चूंकि यह बहुत सी जगह फैला हुआ है, अतः कौन सी टैक्नालोजी लायी जाये, उसको लाने के बारे में हम सोच रहे हैं।

श्री ब्रह्मानंद मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो दूरसंचार की राष्ट्रीय नीति बन रही है, उसके माध्यम से अगले एक वर्ष के अन्दर दूर–दराज के इलाकों में टैलीकम्युनिकेशन की व्यवस्था सम्पूर्ण रूप से हो सकेगी या नहीं?

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, हमारी यह कोशिश है और हमने निर्धारित भी किया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश के सभी गांवों में टेलीफोन की व्यवस्था करायी जा सके, लेकिन इसके लिये धन चाहिये। इसलिये इसमें प्राइवेट सैक्टर को लाया जा रहा है। सभी चीजें निर्धारित करने के बाद ही सारा कार्यक्रम पूरा हो सकेगा।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूरसंचार नीति से यह अनुमान लगाया गया है कि आठवीं योजना के अन्त तक 10 मिलियन लाइनें दी जानी हैं। आज की स्थिति के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 7.5 मिलियन लोगों के प्रतीक्षा सूची में होने का अनुमान है जिससे इसमें 11,000 करोड रूपये की धनराशि की कमी रह जाएगी जिसमें से 7,000 करोड़ रू. आप पहले ही जुटा चुके हैं।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार एम एन सी को अनुमति देने के बजाय डॉट और भारतीय कम्पनियों को मजबूत

बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जो कि सी–डॉट तकनीक की सहायता से स्थापित किए गए हैं और इसमें डॉट की पुनर्संरचना की योजना भी शामिल है? क्या सरकार इसे एक एकल अखण्ड संगठन बनाए रखने की बजाए निगमों में विखंडित करने के लिए कदम उठाएगी ताकि मूल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो?

श्री सुख राम : दूरसंचार एक उच्च प्रोद्योगिकी तथा व्यापक पूंजी निवेश वाला क्षेत्र है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का 7.5 मिलियन लाइनें देने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें 40,555 करोड़ रूपये की आवश्यकता है। जबकि हमारी आंतरिक संसाधन क्षमता केवल 33,733 करोड़ रू. है। इसमें लगभग 8,000 करोड़ रू. की कमी है और हमें गांवों से संपर्क जोड़ने के लिए 4,000 करोड़े की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी गांवों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह सुविधा दे दी जाएगी। पूरी प्रतीक्षा सूची का निपटान सुनिश्चित करने के लिए हमें 2.5 मिलियन अतिरिक्त लाइनों की आवश्यकता है जिसमें 11 से 12 हजार करोड़ रू. के लगभग राशि की आवश्यकता होगी। अतः इस कार्य के लिए कुल 23,000 करोड़ रूपयों की आवश्यकता है।

माननीय सदस्य यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्या इस पूरी राशि को देश में जुटाया जा सकता है। यह एक पहलू है। दूसरे, हमें सरकार से कोई बजटीय समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आप जनता को शेयर जारी कर सकते हैं।

श्री सुख राम : मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। हम अब उपकरण खरीदने के लिए लीज के आधार पर धन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ माह पहले टेंडर आमंत्रित किए थे और हमें बहुत उत्साहजनक जवाब मिला जिससे हमें सात सौ करोड़ रू. की राशि मिल सकी। यह एक नया अनुभव है और हम इस बारे में विशेषज्ञ की राय जानना चाहते हैं, हमने विशेषज्ञ की राय ले ली है। इन सब बातों में कुछ समय लगा है और हमें इस वर्ष पहले ही देर हो चुकी है। हमें इसका लाभ अलग वर्ष तक मिल सकता है। फिर भी इस राशि से पूरे देश में कनैक्शन देना सम्भव नहीं है। इसलिए विदेशों से पूंजी तथा प्रोद्योगिकी का प्रवाह होना चाहिए। इन दोनों चीजों के बिना आप इस देश के लोगों को दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : अगले दो वर्षों में दूरसंचार के लिए कितने धन की आवश्यकता है, इस बारे में विवाद है। स्वयं कर्मचारियों के बीच भी विवाद है और धनराशि की वास्तविक आवश्यकता बहुत कम है। इसके अतिरिक्त यदि निजी क्षेत्र मूल दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो देश की सुरक्षा दांव पर लग जाएगी। इसलिए, इस दूरसंचार नीति पर संसद में चर्चा की जानी चाहिए। चूंकि प्रश्न काल में केवल एक प्रश्न द्वारा इन सब पहलुओं पर विचार नहीं किया जा सकता इसलिए क्या सरकार संसद में दूरसंचार नीति पर विस्तृत चर्चा कराने के लिए तैयार है? इस पर विस्तृत चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें आई.एस. आर. ओ. के गुप्त गतिविधियों की जानकारी है। अन्य बातें भी हैं जिसके कारण हमारे देश की सुरक्षा जोखिम में है। इसलिए दूर–संचार नीति पर संसद में एक उपयुक्त चर्चा होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए अवश्य समय देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको उसके लिए मुझे समय देना चाहिए।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मंत्रीजी को चर्चा के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने हमें परामर्शदात्री समिति में इसका वायदा किया था।

श्री सुख राम : जी हां महोदय, मुझे वह वचन याद है। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति बनाते समय राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू को ध्यान में रखा गया है। यह हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता है। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। जब मैंने यह दस्तावेज सभापटल पर रखा, तभी मैंने यह बात कही थी। माननीय सदस्य को यह अधिकार है और हम निश्चय ही माननीय अध्यक्ष की स्वीकृति से इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं दूरसंचार नीति पर एक चर्चा के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

*65. **श्री काशीराम राणा** :
श्री खेलन राम जांगडे :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993–94 और 1994–95 में, दिसम्बर,1994 तक ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्य–वार कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य–वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ग) क्या सरकार ने सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई समयबद्ध योजना/कार्यक्रम बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) वर्ष 1993–94 के दौरान और 1994–95 में सितम्बर, 1994 तक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य–वार ब्यौरा संग्लन विवरण–I में दिया गया है।

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किये गये गांवों की संख्या का राज्य–वार ब्यौरा संग्लन विवरण–II में दिया गया है।

(ग) से (ङ). ग्रामीण विद्युतीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। संसाधनों की समग्र उपलब्धता और संबंधित राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लक्ष्यों को योजना आयोग द्वारा राज्य बिजली बोर्डों के परामर्श पर वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है।

विवरण-I

वर्ष 1993-94 और 1994-95 (सितम्बर, 94 तक) के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आर.ई.सी. द्वारा प्रदान की गई राज्य-वार वित्तीय सहायता

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य	प्रदान की गई वित्तीय सहायता			
		1993–94 के दौरान		1994–95 के दौरान	
		आबंटन	वितरण	आबंटन	सितंबर, 94 तक वितरण
1.	आन्ध्र प्रदेश	49.00	104.93	73.73	53.76
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.25	5.25	5.50	0.00
3.	बिहार	9.25	2.89	4.75	0.00
4.	गुजरात	34.00	36.58	43.82	15.50
5.	हरियाणा	13.50	18.25	14.16	6.35
6.	हिमाचल प्रदेश	3.50	4.81	6.00	0.50
7.	जम्मू एवं कश्मीर	4.50	4.04	4.00	0.00
8.	कर्नाटक	19.00	35.12	15.00	9.00
9.	केरल	7.00	14.31	8.00	4.50
10.	मध्य प्रदेश	54.00	122.21	53.00	12.51
11.	महाराष्ट्र	46.50	56.47	62.54	34.80
12.	मणिपुर	11.75	9.43	10.40	0.00
13.	मेघालय	6.00	2.10	6.25	0.00
14.	मिजोरम	9.50	12.27	7.70	3.04
15.	नागालैंड	1.50	2.12	1.50	0.00
16.	उड़ीसा	30.00	23.63	25.00	5.00
17.	पंजाब	11.00	15.92	14.00	4.00
18.	राजस्थान	61.00	72.21	64.93	9.50
19.	सिक्किम	2.00	3.17	1.00	0.00
20.	तमिलनाडु	40.00	49.52	52.82	20.00
21.	त्रिपुरा	10.75	7.93	11.25	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	75.00	71.29	108.00	0.00
23.	पश्चिम बंगाल	18.50	17.53	21.00	0.00
24.	दिल्ली	0.00	0.00	1.00	0.00
25.	असम	7.25	0.00	7.25	0.00
26.	गोवा	0.25	0.00	0.25	0.00
27.	एम.एम.एच./आर.ई. कोआप. ओ.ई.सी.एफ	70.00	**	82.00	0.00
	जोड़ :	600.00	691.98	704.85	178.46

* 9/94 को समाप्त तिमाही तक जारी की गई वित्तीय सहायता को दिसम्बर, 94 तक समाप्त तिमाही के लिये जारी वित्तीय सहायता के रूप में दर्शाया गया है जो कि तिमाही के समाप्त होने के बाद उपलब्ध होगी।

** वितरण को राज्यों में शामिल किया गया है।

विवरण-II

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों तथा 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में देश में विद्युतीकृत गांवों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	विद्युतीकृत गांव		
*		1991–92 के दौरान	1992–93 के दौरान	1993–94 के दौरान
1	अरूणाचल प्रदेश	130	134	80
2	असम	120	17	14
3.	बिहार	517	258	205
4.	जम्मू व कश्मीर	17	5	6
5.	मध्य प्रदेश	1856	605	751
6.	मणिपुर	150	60	85
7.	मेघालय	44	69	23
8	मिजोरम	60	50	50
9	उड़ीसा	1011	200	226
10.	राजस्थान	754	689	711
11	तमिलनाडु	7	.	
12	त्रिपुरा	200	200	200
13	उत्तर प्रदेश	744	947	650
14	पश्चिम बंगाल	436	435	351
	जोड़ (भारत)	6046	3669	3352

* राज्य योजना स्रोत

[अनुवाद]

सड़क परियोजनाएं

*66. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परियोजनाओं का निर्माण कार्य संतोषजनक चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक ने इन सड़क परियोजनाओं की धीमी प्रगति अथवा इन्हें कार्यान्वित नहीं किए जाने के कारण अपना ऋण रद्द कर दिया है और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). सांविधानिक दृष्टि से केन्द्र सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव के लिए ही मूलतः जिम्मेदार है और अन्य सभी सडकों की जिम्मेदारी, अनिवार्य रूप से, संबंधित राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, आम तौर पर संतोषजनक रूप से चल रही हैं, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों। तथापि कुछेक मामलों में धीमी गति से कार्य हुआ है जिसका मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण में विलम्ब और राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा जन–सुविधाओं को शिफ्ट करना तथा ठेकेदारों की असफलता है। मंत्रालय ने अनेक निवारक उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) परियोजनाओं की निगरानी, जिसमें वर्ष में दो बार कार्यवार समीक्षा करना भी शामिल है।

(ii) निर्माण कार्य को संस्वीकृत किए जाने से पहले, भूमि अधिग्रहण और जन सुविधाओं को शिफ्ट किए जाने संबंधी कार्य को पूरा किया जाना।

(iii) बड़े कार्यों के लिए ठेकेदारों की पूर्व–अर्हता।

(ग) जी, हां।

(घ) पूर्ण–कालिक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति के मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ङ) और (च). मुख्यतः भूमि अधिग्रहण और राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा जन–सुविधाओं को शिफ्ट करने में हुए विलम्ब तथा मुकदमेबाजी और ठेकेदारों की असफलता के कारण कार्यान्वयन की धीमी गति को देखते हुए विश्व बैंक ने प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण में से 96.6 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि रद्द कर दी।

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन

*67. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सितम्बर, 1994 में काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन द्वारा आगामी दो दशकों के लिए बनाई गई कार्य योजना की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन में अपनाए गए कार्रवाई कार्यक्रम में मुख्य रूप से निम्नलिखित पर विचार किया गया :

(एक) जनसंख्या एवं विकास नीतियों का एकीकरण;

(दो) महिलाओं को शक्ति प्रदान करना;

(तीन) परिवार में इसकी भूमिका, अधिकारों, गठन एवं ढांचे के संबंध में नीतियों एवं सहायक नियमों का विकास;

(चार) जनांकिकी आवागमन की प्रक्रिया में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना;

(पांच) प्रजनन अधिकारों एवं स्वास्थ्य पर कार्रवाई;

(छः) जनसंख्या सूचना तथा संचार, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास पर कार्रवाई;

(सात) कार्यकरण के कार्यक्रम की सहायता में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग; तथा

(आठ) गैर–सरकारी क्षेत्र के साथ भागीदारी।

(ग) कार्रवाई का कार्यक्रम आमतौर पर भारत की विकास प्राथमिकताओं एवं जारी कार्यक्रमों के अनुकूल है। इस संबंध में महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिशु–जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ करना; एकीकृत बाल विकास सेवाएं; लिंग समानता का संवर्धन, स्वैच्छिक परिवार नियोजन सेवाओं की व्यापक पहुंच एवं गैर–सरकारी संगठनों की अधिक भागीदारी है।

मातृ दुग्ध बैंक

*68 **श्री अन्ना जोशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मातृ दुग्ध बैंकों की स्थापना के भारी अवसर हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे कितने बैंक चल रहे हैं और उनका परिचालन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे और बैंक स्थापित करने तथा उन्हें बढ़ावा देने की कोई योजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) लोकमान्य तिलक स्मारक अस्पताल, बम्बई में 1989 से एक मातृ दुग्ध बैंक कार्य कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पाकिस्तान के साथ वार्ता

*69. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत–पाकिस्तान संबंधों को बेहतर बनाने और कश्मीर मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के साथ नये सिरे से वार्ता के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने भारत के साथ वार्ता के लिए कुछ शर्तें रखी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). सरकार का यह मानना है कि पाकिस्तान के साथ सभी अनसुलझे मसलों को शान्तिपूर्ण तरीके तथा द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। इसी भावना को लेकर सरकार हाल ही में पाकिस्तान को बार–बार इस बात से अवगत कराती रही है कि हम औपचारिक तथा अनौपचारिक बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमें इस बात से निराश हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। हम पाकिस्तान के साथ रचनात्मक बातचीत का अपना प्रस्ताव हर अवसर पर रखते रहेंगे।

(ग) और (घ). पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करने के लिए विभिन्न अवसरों पर जम्मू कश्मीर में वास्तविक स्थिति तथा जनवरी, 1994 के दौरान दिए गए दो अ–दस्तावेजों के बारे में कतिपय शर्तें और पूर्व शर्तें लगाता रहा है। हमारा यह मानना है कि ऐसी बातचीत के लिए शर्तें अथवा पूर्व शर्तें लगाना कोई सकारात्मक रवैया नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता

*70. **श्री सत्यदेव सिंह** :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में हाल ही में औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर अन्य सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र महासभा के 49 वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए भेजे गए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता के रूप में वाणिज्य मंत्री ने पूर्ण बैठक में अपने भाषण में यह कहा था कि जनसंख्या, अर्थ–व्यवस्था के आकार अथवा भावी सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने के लिए और शान्ति स्थापना कार्यों में योगदान जैसे किसी भी मानदण्ड को देखते हुए भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का पात्र है।

(ग) "सुरक्षा परिषद में उचित प्रतिनिधित्व तथा उसके स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि के प्रश्न पर गठित महासभा का कार्यदल किसी देश विशेष की उम्मीदवारी पर विचार नहीं कर रहा है बल्कि वह उन सिद्धान्तों और मानदण्डों पर विचार कर रहा है जिनके अनुसार इसका विस्तार किया जाना चाहिए और इसलिए सदस्य राज्यों से यह अपेक्षा नहीं की गई है कि वे किसी देश विशेष की उम्मीदवारी के बारे में कोई रवैया अख्तियार करें।

[अनुवाद]

दूरसंचार संबंधी बुनियादी सेवाएं

71. **श्री सुदर्शन रायचौधरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्वीकृत दूरसंचार संबंधी बुनियादी सेवाओं की परिभाषा क्या है;

(ख) लोगों को आधारभूत दूरसंचार संबंधी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा करनें हेतु कितने संसाधनों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है;

(ग) बजटीय आबंटन के जरिए ऐसे संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कितनी कमी रह जाने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार में निर्गम लाकर जनता से धन जुटाने के विकल्प पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सामान्यतः निम्नलिखित सेवाएं मूलभूत दूरसंचार (टेलीकॉम) सेवाएं मानी जाती हैं :

(एक) दूरभाष सेवा : स्थानीय एवं लम्बी दूरी

(दो) टेलीग्राफी

(तीन) टेलेक्स

(चार) रियल टाइम स्विच्ड डाटा कम्युनिकेशन

(पांच) लीज़्ड लाइन सर्विस

(ख) 40,555 करोड़ रू. की संसाधनों की आवश्यकता दर्शाई गई है।

(ग) आठवीं योजना का अनुमोदित परिव्यय 23,946 करोड़ रूपये है। मध्यावधि समीक्षा के समय इसे 33,733 करोड़ रू. तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। बकाया को पट्टे इत्यादि पर देने जैसे वैकल्पिक माध्यमों से वित्त पोषित किए जाने की योजना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खनिजों की खोज

*72. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने देश में खनिज भंडारों का सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के धात्विक और गैर–धात्विक खनिजों का खनन किया गया; और

(घ) खनन क्षेत्र में गैर–सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने हेतु लागू किये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने खनिज संसाधन खोजने के लिए देश के विभिन्न भागों में सर्वेक्षण किये हैं तथा प्रमुख अयस्कों/ खनिजों के निम्नलिखित भंडारों का पता लगाया है :

खनिज अयस्कों का नाम	कुल निक्षेप (मिलियन टन में)	
हेमेटिटिक लौह अयस्क	11939.53	
मैग्नेटिटिक लौह अयस्क	4896.04	
मैगनीज अयस्क	369.78	
क्रोमाइट	104.13	
सीसा–जस्ता अयस्क	215.02	
तांबा अयस्क	422.21	
टीन अयस्क	28.91	(13643 टन धातु)
टंगस्टन अयस्क	30.18	(117743 टन में डब्ल्यू ओ 3 मिश्रित)
राक फास्फेट	160.91	
एपेटाइट	13.28	
एस्बेस्टोज	11.82	
बाक्साइट	3037.49	
डोलोमाइट	6509.86	
ग्रेफाइट	10.21	
जिप्सम	321.58	
चूनापत्थर	100760.39	
मैग्नेसाइट	344.71	
काइनाइट	5.67	
सिलिमेनाइट	54.19	
हीरा	1196154	कैरेट्स
स्वर्ण अयस्क	17.052	म.टन. (ग्रेड 1.22 ग्राम/ टन से 4.60 ग्राम/टन)

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निकाले गए धात्विक और गैर–धात्विक खनिजों का मूल्य और कुल मात्रा निम्न प्रकार है :

(मूल्य करोड़ रू. में)

खनिज	इकाई की मात्रा	1991–92		1992–93		1993–94	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
धात्विक खनिज							
बाक्साइट	ह.टन	5013.0	70.09	5103.0	74.51	5028.5	74.04
क्रोमाइट	ह.टन	1082.1	205.69	1069.6	204.88	1094.1	207.36
तांबा अयस्क	ह.टन	5207.0	218.09	5210.8	221.36	5224.3	209.75
स्वर्ण	किग्रा.	2041.0	84.97	1850.0	81.35	1938.0	85.87
लौह अयस्क	ह.टन	58534.0	725.03	55818.0	713.52	56380.0	777.23
सीसा सान्द्र	टन	53255.0	41.22	60704.0	49.30	61426.0	44.62
मैगनीज अयस्क	ह.टन	1639.7	103.86	1870.4	138.80	1781.1	153.72
चांदी	किग्रा.	35556.0	25.59	46560.0	31.27	49910.0	33.35
जिंक सान्द्र	टन	252540.0	133.37	301437.0	208.70	325022.0	164.11
गैर-धात्विक खनिज							
एपेटाइट	ह.टन	17.0	0.40	16.8	0.61	14.2	0.64
फास्फोराइट	ह.टन	585.9	59.12	617.4	61.07	727.8	80.53
एस्बैस्टस	टन	30440.0	2.00	43788.0	2.08	46961.0	2.02
बैराइट्स	ह.टन	635.1	22.78	372.1	10.36	531.5	18.66
हीरा	कैरेट	18213.0	10.79	18752.0	8.38	19607.0	9.10
डोलोमाइट	ह.टन	2931.9	33.64	3051.3	37.49	3469.0	47.79
फायरक्ले	ह.टन	531.5	3.94	438.7	3.22	464.6	3.70
फ्लोराइट (ग्रेड)	टन	3694.0	0.85	2819.0	0.78	5635.0	1.20
फ्लोराइट (सांद्र)	टन	23454.0	11.11	19598.0	9.58	19215.0	6.46
जिप्सम	ह.टन	1582.2	16.33	1626.2	19.98	1878.1	24.28
कोयलीन	ह.टन	799.2	18.20	649.1	26.45	659.3	25.76
कायंनाइट	टन	19908.0	1.69	9191.0	0.70	5940.0	0.35
सिलिमेनाइट	टन	13677.0	2.30	20227.0	2.75	12050.0	1.73
चूनापत्थर	ह.टन	17375.0	380.77	76617.0	396.27	83866.0	444.45
चूनाकंकड़	ह.टन	125.2	0.53	59.3	0.29	98.4	0.38
लाइमशैल	ह.टन	119.1	1.76	100.0	1.79	88.3	1.84
कैल्कारियस सैंड	ह.टन	121.2	0.84	83.1	0.58	268.1	1.88
मैग्नेसाइट	ह.टन	530.6	31.77	569.9	34.20	417.5	24.87
अभ्रक(कच्चा)	टन	3593.0	3.04	2507.0	1.97	2242.0	1.89
पाइराइट्स	ह.टन	130.7	5.68	130.3	5.67	141.2	6.21
स्टीटाइट	ह.टन	451.9	12.93	381.7	11.16	359.8	10.66
अन्य प्रमुख (खनिज)(मूल्य)			42.33		35.54		38.44
गौण खनिज (मूल्य)			1319.97		1319.97		1319.97

(घ) खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 में 13 खनिजों के सिर्फ सरकारी क्षेत्र द्वारा विदोहन किये जाने संबंधी आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी गैर–ईंधन तथा गैर–आणविक खनिजों के पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टा दिये जाने के लिये पात्र है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा खनिज विरासत नियम, 1960 को संशोधित किया गया है और उसमें ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जिससे खनिज क्षेत्र में निवेश करना सुलभ हो सकेगा।

विद्युत संयंत्र

***73. श्री गुमान मल लोढा :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कवास, गन्धार, फरक्का और तालचेर स्थित विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक में उपयोग की गई क्षमता का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग न किये जाने के कारणों का भी पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ख). 4 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम संयंत्रों के संबंध में वांछित सूचना निम्न प्रकार है:–

(1) कवास (645 मेगावाट) : वर्ष 1992–93, 1993–94, 1994–95 (नवम्बर, 1994 तक) मे संयंत्र भार अनुपात के संबंध में अधिष्ठापित क्षमता क्रमशः 52.68 प्रतिशत, 42.89 प्रतिशत एवं 39.01 प्रतिशत है।

(2) गंधार (648 मेगावाट) : 648 मेगावाट मे से 393 मेगावाट चालू हो चुकी है, परन्तु इसे अभी वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया। अतः संयंत्र भार अनुपात के संबंध में इसके समुपयोजन को नहीं मापा गया है। इस स्टेशन से उत्पादित ऊर्जा 1993–94 में 195 मि.यू. और 1994–95 में (नवम्बर, 1994 तक) 151 मि.यू. थी। 225 मे.वा. की भाप टरबाइन यूनिट कार्यक्रम के अनुसार 1995–96 में चालू हो जाएगी।

(3) फरक्का चरण–1 (600) मेगावाट : ग्रिड अपेक्षाओं के अनुरूप संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है। इसका संयंत्र भार अनुपात 1992–93, 1993–94 एवं 1994–95 (नवम्बर, 1994 तक) में क्रमशः 70.26 प्रतिशत, 68.02 प्रतिशत एवं 77.12 प्रतिशत है।

फरक्का चरण–2 (2×2500 मे.वा.) : यूनिटों को अभी तक वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया है। अतः संयत्र भार अनुपात के संबंध में उनका समुपयोजन नहीं मापा गया है। इन यूनिटों द्वारा उत्पादित ऊर्जा 1993–94 में 290 मि.यू. एवं 1994–95 (नवम्बर, 1994 तक) में 183 मि.यू. थी।

(4) तालचेर (2×500 मेगावाट) : ये यूनिटें 1994–95 (फरवरी, 1995) एवं 1995–96 में कार्यक्रम के अनुसार चालू की जानी हैं।

(ग) और (घ). जी, हां। कवास एवं गंधार गैस विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता गैस की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। गैस की आपूर्ति बढाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर(ई.एस.पी.) में जनवरी, 1994 में दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के कारण फरक्का चरण–2, यूनिट–4 एवं 5 प्रभावित हुई है। इससे ई.एस.पी. संरचनाओं को मजबूत करना आवश्यक हो गया है। यूनिट–5 को सितम्बर, 1994 से नियमित रूप से चालू कर दिया गया है तथा यूनिट–4 को जनवरी, 1995 से चालू किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) का आधुनिकीकरण

+*74. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "इस्को" के आधुनिकीकरण के लिए कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी धनराशि निवेश की जाएगी;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ विदेशी सहायता लिए जाने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से. (घ). चूंकि रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 (फरवरी,1994 में यथा संशोधित) के अनुसार इस्को (आई. आई.एस.सी.ओ) रूग्ण औद्योगिक कम्पनी हो गई, इस्को के निदेशक–मण्डल ने 22 जून, 1994 को औद्योगिक वित्त पुनर्गठन बोर्ड को कम्पनी के संदर्भ में अपनाये जाने वाले उपायों का निर्धारण करने हेतु अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत यथा आवश्यक उल्लेख किया था।

अतः इस्को के आधुनिकीकरण के लिए जो भी योजना अपनायी जाएगी, उसे औद्योगिक वित्त पुनर्गठम बोर्ड द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुरूप होना चाहिए।

चिकित्सा पद्धतियों में पूंजी निवेश

***75. डा. राम चन्द्र डोम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और अन्य देसी चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान तथा विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष–वार तथा क्षेत्र–वार कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ख) क्या सरकार ने आगामी तीन वर्षों में ऐसे पूंजी निवेश के लिए कोई अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या "गैट" के लागू होने के बाद के परिदृश्य में देश में औषधियों के मूल्यों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को देसी चिकित्सा पद्धतियों का और अधिक संवर्द्धन करके दूर करने की संभावनाओं का पता लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग). पिछले 3 वर्षों में एलोपैथी, होमियोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा और सिद्ध में अनुसंधान और विकास के लिए किये गए क्षेत्र-वार निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(रूपये लाखों में)

	1991–92	1992–93	1993–94
एलोपैथी (भा.चि.अनु.परिषद)	2797.72	3227.95	3453.29
होमियोपैथी	232.58	271.09	330.32
आयुर्वेद एवं सिद्ध	771.57	839.90	889.84
यूनानी	342.29	456.78	438.65
योग और प्राकृतिक चिकित्सा	68.78	57.37	67.58
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (भा.चि.प.)	85.00	87.94	93.90

सरकार ने अगले 3 वर्षों में प्राथमिक तौर पर देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति के एक नये विभाग की स्थापना करने के माध्यम से प्रत्येक स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धति की अनुसंधान संस्थाओं का दर्जा बढ़ा करके आने वाले वर्षों में अनुसंधान के लिए संसाधनों के बढ़े हुए आबंटन द्वारा अधिक जोर दिए जाने का प्रस्ताव है। यह अनुसंधान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तान्त्रिक विज्ञान संस्थान और भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के अनुसंधान निकायों जैसे निकायों के बीच सहयोगी प्रयास पर भी आधारित होगा।

(घ) और (ङ). यद्यपि इस पद्धति के अन्तर्गत स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने और औषधों की उपलब्धता को आने वाले वर्षों में बढ़ावा दिया जा रहा है, फिर भी यह आशा नहीं है कि औषधों की कीमतों जो इस समय बाजार में हैं, पर गैट के संदर्भ में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जर्मनी के वाइस चांसलर और विदेश मंत्री की भारत यात्रा

*76. **श्री बी.एन. रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के वाइस चांसलर और विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के लिए हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस यात्रा के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग). जर्मन संघीय गणराज्य के विदेश मंत्री डा. क्लास किंकल विदेश मंत्री के निमंत्रण पर भारत की राजकीय यात्रा पर आए और 27 से 29 जुलाई, 1994 तक यहां ठहरे। डा. किंकल ने राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और लोक सभा के माननीय अध्यक्ष से भेंट की। उन्होंने विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री से बातचीत की। डा. किंकल के साथ 24 सदस्यों का एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया था जिसे उन्होंने और वित्त मंत्री ने संयुक्त रूप से सम्बोधित किया तथा इन लोगों ने भारतीय व्यावसायिकों के साथ विस्तृत विचार विनिमय किया। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें भारत के आर्थिक उदारीकरण के विषय में भी बताया।

डा. किंकल के साथ जिन मुख्य मुद्दों पर बातचीत हुई उनमें द्विपक्षीय व्यापार एवं पूंजी निवेश को बढ़ाना, बोस्निया की स्थिति, भारत-पाक सम्बन्ध तथा सार्वभौम मसलों पर द्विपक्षीय सहयोग, विशेषरूप से संयुक्त राष्ट्र में, भी शामिल थे। जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से की जाने वाली आतंकवादी गतिविधियों के विषय में हमारी चिंता से भी डा. किंकल को अवगत कराया गया। जर्मनी के विदेश मंत्री ने अपने देश की "एशिया परिकल्पना नीति" के सन्दर्भ में भारत की केन्द्रीय स्थिति पर बल दिया तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भागीदारी के आधार पर भारत के साथ निकटतम सम्बन्ध विकसित करने को जर्मनी द्वारा दिए जाने वाले महत्व पर भी बल दिया। डा. किंकल ने द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से भारत-पाक विवादों को सुलझाने से सम्बद्ध संकल्प पर अपना समर्थन व्यक्त किया तथा मानवाधिकारों के सम्बन्ध में भारत की पारदर्शिता की नीति का स्वागत किया। उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में जर्मनी गहरी दिलचस्पी रखता है तथा संयुक्त राष्ट्र निकाय में भारत के लिए स्थायी स्थान के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

डा. किंकल की यात्रा के दौरान एक द्विपक्षीय वित्तीय सहायता करार सम्पन्न हुआ जिसमें 1994-95 के दौरान भारत को 46 करोड़ डिश मार्क की कुल राशि की सहायता का प्रावधान है। इस जर्मन सहायता का उपयोग परस्पर सहमत विकास परियोजना पर किया जाएगा।

डा. किंकल के साथ आने वाले जर्मन व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से यह अनुरोध किया गया कि वे ऊर्जा, विद्युत, कोयला, दूरसंचार, पर्यावरण, सहायक प्रौद्योगिकी, सड़कों और पत्तनों का आधुनिकीकरण तथा कृषि संसाधन के क्षेत्रों में पूंजी निवेश की परियोजनाओं का अधिक सक्रियतापूर्वक पता लगाएं। जर्मन व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने पूंजी निवेश के माध्यम से विद्युत, रसायन तथा परिवहन संबंधी समूची आधारिक संरचना के क्षेत्रों में खासतौर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई।

प्रधान मंत्री की सिंगापुर और वियतनाम की यात्रा

*77. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में सिंगापुर और वियतनाम की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो वहां के नेताओं के साथ किन–किन विषयों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या द्विपक्षीय आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को मजबूत बनाने हेतु किन्हीं समझौतों और संधियों पर हस्ताक्षर किए गए;

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) इस यात्रा के परिणामस्वरूप इन देशों के बीच कुल कितना पूंजीनिवेश किए जाने की आशा है; और

(च) विदेशी निवेश की सीमा के कारण इस निवेश पर कितना प्रभाव पड़ेगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां। 5 से 9 सितम्बर, 1994 तक।

(ख) सिंगापुर और वियतनामी नेताओं के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर चर्चा हुई।

(ग) और (घ). इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर हुए :

सिंगापुर :

दोनों देशों के विदेश कार्यालयों के बीच परामर्श से संबद्ध समझौता ज्ञापन जिसमें सभी महत्वपूर्ण मसलों पर समय–समय पर विचार–विमर्श की व्यवस्था है।

वियतनाम :

(एक) दोनों देशों के विदेश कार्यालयों के बीच परामर्श से संबद्ध समझौता ज्ञापन जिसमें सभी महत्वपूर्ण मसलों पर समय–समय पर विचार–विमर्श की व्यवस्था है।

(दो) दोहरे कराधान के परिहार के संबंध में करार।

(तीन) दोनों देशों के नागरिकों के लिए यात्रा सुविधाओं के संबंध में करार।

(चार) रक्षा सहयोग के संबंध में प्रोटोकोल।

निगमित कम्पनियों के बीच भी कई करार संपन्न हुए जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) प्रधान मंत्री की यात्रा से सिंगापुर के साथ निवेश कार्यकलाप के प्रोत्साहित होने की उम्मीद है। तथापि, निश्चित आकडे बता पाना संभव नहीं है। वियतनाम पूंजी अधिशेष वाला देश नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सिंगापुर :

सितम्बर, 1994 में प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान निगमित क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित समझौता ज्ञापन/करार संपन्न हुए :

1. एक्वाफार्म : ब्लू वे मेरीन फूड्स लिमिटेड, मद्रास तथा एशिया पैसीफिक सी फूड्स (प्रा) लिमिटेड सिंगापुर के बीच संयुक्त उद्यम।
2. तृतीय देश व्यापार और निवेश : ग्रीव्ज लिमिटेड, बम्बई और पेसीफिक ग्रीव्ज (प्रा) लिमिटेड सिंगापुर के बीच सहयोग करार।
3. शिप ब्रीकिंग : मैसर्स गणपत राय जयगोपाल बम्बई और थकराल इंवेस्टमेंट्स होल्डिंगस (प्रा) लिमिटेड, सिंगापुर तथा नाटस्टील ट्रेड इंटरनेशनल (प्रा) लिमिटेड सिंगापुर के बीच संयुक्त उद्यम।
4. एल पी जी टर्मिनल : वेस्टर्न इंडिया ग्रुप और मैसर्स सीम बावांग इंजीनियरिंग, सिंगापुर के बीच संयुक्त विकास करार।
5. निजी बैंक : 20 वीं शताब्दी वित्त निगम और केफीनेंस इंवेस्टमेंट(प्रा) लिमिटेड, सिंगापुर के बीच संयुक्त उद्यम।
6. मिनी टाउनशिप : ग्रोथ टेक्नो प्रोजेक्ट्स, नई दिल्ली और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलाजी सिंगापुर, के बीच करार।
7. वेयरहाउसिंग : न्यूजप्रिंट ट्रेडिंग एण्ड सेल्स कार्पोरेशन, दिल्ली और सी डब्ल्यू टी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड लेड सिंगापुर कंसोरटियम के बीच संयुक्त उद्यम।
8. रेस्तरां : पामनानी फूड्स (प्रा) लिमिटेड और इन्नो–पेसिफिक होल्डिंग्स, सिंगापुर के बीच संयुक्त उद्यम।
9. मूल्य–वर्धित नेटवर्क सेवाएं : मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा और सिंगापुर नेटवर्क सर्विसिज के बीच संयुक्त उद्यम।
10. आफिस काम्प्लेक्स : मैसर्स यूनीटेक और ए सिंगापुर कंसोरटियम के बीच संयुक्त उद्यम।
11. बेकरी: क्वालिटी आइस क्रीम ग्रुप, इंडिया और क्यू ए एफ लिमिटेड, सिंगापुर के बीच संयुक्त उद्यम।
12. दूरसंचार उपकरण: आई. टी. आई कम्युनिकेशंस और कम्ज कम्युनिकेशंस के बीच करार।

वियतनाम :

सितम्बर, 1994 में प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान निगमित क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर हुए :

(1) नागार्जुन फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा लोंग एन प्रदेश में लगभग 180 लाख अमरीकी डालर की अनुमानित लागत से शत प्रतिशत विदेशी निवेश से एक चीनी मिल की स्थापना करने के लिए करार।

(दो) वियतनाम जनरल शुगर कार्पोरेशन और के.सी.पी. लिमिटेड के बीच शुगर मशीनरी बनाने के लिए 50 लाख अमरीकी डालर के संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर । होची मिन्हशहर के नजदीक सुविधाएं स्थापित होगी।

(तीन) मैसर्स वेस्टर्न पेक्स द्वारा बी.ओ.टी. शर्तों के तहत होची मिन्हशहर में एक मल-जल शोधन संयंत्र लगाना। होची मिन्हशहर के सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ करार संपन्न हुआ।

(चार) मैसर्स राइट्स और वियतनाम नेशनल रेलवे के बीच रेलवे कोच निर्माण के लिए करार।

(पांच) के.ई.सी. इंटरनेशनल और कोम्बा इंजीनियरिंग कम्पनी के बीच हे फोंग के नजदीक ट्रांसमिशन टावर्स निर्माण करने के लिए एक संयुक्त उद्यम करार।

(छः) वेस्टर्न पेक्स और हनोई पीपल्स कमेटी के बीच हनोई में एक मल/जल शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए करार।

बिजलीघरों को कोयले और गैस की सप्लाई

*78. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में बिजली घरों को कोयले और गैस की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनको कितनी मात्रा में सप्लाई की गयी;

(ग) क्या कोयले और गैस की सप्लाई में कोई कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये है?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) चालू वर्ष के दौरान कोयला आधारित केन्द्रों के लिये कोयले की आवश्यकता 177 मिलियन टन और गैस आधारित केन्द्रों के लिए गैस की आवश्यकता 20.33 एम.सी.एम.डी. है। इन आंकडों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण -I और II में इंगित किया गया है।

(ख) और (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान आवश्यकता/आबंटन की तुलना में प्राप्त किये गये कोयले और गैस की मात्रा निम्नवत है :

कोयला

(आंकडे मिलियन टन में)

वर्ष	आवश्यकता	प्राप्ति	कमी	प्रतिशत
1991-92	137	130.07	6.93	5
1992-93	150	142.62	7.40	4.9
1993-94	160	158.30	1.70	1.1

गैस

(आंकडे एम.सी.एम.डी. में)

वर्ष	आबंटन	आपूर्ति	कमी	प्रतिशत
1991-92	20.33	11.87	8.46	41.6
1992-93	20.33	13.53	6.80	33.4
1993-94	20.33	12.96	7.37	36.2

(घ) देश मे सभी ताप विद्युत केन्द्रों को की जाने वाली कोयले और गैस की आपूर्ति की स्थिति के बारे में उच्च स्तरीय अन्तर-विभागीय साप्ताहिक बैठक समेत इसकी समीक्षा की जाती है तथा इस संबंध में समय-समय पर उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं। गैस की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु उठाये गये कदमों में ये शामिल हैं; नये क्षेत्रों का विकास करना, कुछ विद्यमान क्षेत्रों में अतिरिक्त विकास करना, बडी पाइप-लाइनों का निर्माण और गैस टर्मिनलों की संचालन क्षमता में विस्तार करना।

विवरण-I

वर्ष 1994-95 के लिये कोयले की राज्य-वार आवश्यकता

राज्य का नाम	कोयले की कुल आवश्यकता (हजार टन)
1	2
1. राज्य क्षेत्र	
उत्तरी क्षेत्र	
दिल्ली	1840
हरियाणा	3250
पंजाब	7500
राजस्थान	3570
उत्तर प्रदेश	13880
जोड : उत्तरी क्षेत्र	30040
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	11850
मध्य प्रदेश	12440
महाराष्ट्र	25220
जोड : प. क्षेत्र	49510
दक्षिणी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	9990
तमिलनाडु	9930
कर्नाटक	2870
जोड : दक्षिणी क्षेत्र	22790

1	2
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	3740
उड़ीसा	1860
पश्चिम बंगाल	7210
जोड : पूर्वी क्षेत्र	12810
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	
असम	370
जोड़ : उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र	370
जोड़ : राज्य क्षेत्र	115520
2. केन्द्रीय क्षेत्र	51350
3. डी.बी.सी.	5630
4. निजी क्षेत्र	4500
कुल जोड़ :	177000

विवरण-II

ताप विद्युत केन्द्रों के लिये गैस की राज्य-वार आवश्यकता

राज्य	आवश्यकता
आन्ध्र प्रदेश	0.40
असम	1.38
दिल्ली	0.60
गुजरात	6.05
महाराष्ट्र	4.50
राजस्थान	1.75
तमिलनाडु	0.06
त्रिपुरा	0.34
उत्तर प्रदेश	5.25
जोड़ :	20.33

राष्ट्रीय पोषण नीति

***79. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुपोषण और "माइक्रो– न्यूट्रैंट डैफीशिएंसी डिसआडर्स" के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने कुपोषण के नियंत्रण हेतु कोई राष्ट्रीय पोषण नीति बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). स्कूल–पूर्व बच्चों पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अध्ययन (1988–90) के अनुसार गम्भीर कुपोषण की सीमा अध्ययन की गई जनसंख्या का 8.7 प्रतिशत थी। माइक्रो–न्यूट्रैंट डैफीशिएंसी का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है :–

(एक) लौह की कमी के कारण रक्ताल्पता 1989 में 50–70 प्रतिशत स्कूल–पूर्व बच्चे

(दो) विटामिन "ए" की कमी

1986–89 में 0–6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में 6.01 प्रतिशत

(तीन) आयोडीन की कमी से होने वाले विकार

1993में घेंघा/आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों से लगभग 63 मिलियन लोगों का पीड़ित होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993 का उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ अनिवार्य खाद्य पदाथो के पुष्टीकरण, कम कीमत के पौष्टिक खाद्य पदार्थों को लोकप्रिय बनाने और माइक्रो–न्यूट्रेंट कमियों की रोकथाम करने के माध्यम से कुपोषण/दीर्घकालिक उपायों का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और सुधरी हुई आहार संबंधी प्रतिमानों को प्राप्त करना है।

खाड़ी युद्ध के कारण लौटे भारतीयों को मुआवजा

***80. डा. वसंत पवार :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के दौरान हुई क्षति हेतु कितने भारतीय दावेदारों ने अपने दावे दर्ज कराए हैं;

(ख) क्या इन दावों की जांच की गई है और इन्हें संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग के पास दर्ज कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ दावेदारों को मुआवजा मिल गया है;

(ङ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(च) यदि नहीं, तो आयोग दावेदारों को मुआवजे का भुगतान कब तक देना शुरू कर देगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) कुल 1,44,496 भारतीय दावे हैं।

(ख) जी हां। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग को भेजने से पहले विशेष कुवैत सैल ने इन सभी दावों की जांच की थी।

(ग) श्रेणी क	–	1,04,035
श्रेणी ख	–	258
श्रेणी ग	–	39,158
श्रेणी घ	–	927
श्रेणी ङ	–	117
श्रेणी च	–	1

(घ) अभी तक किसी भी दावेदार को कोई भुगतान नहीं हुआ है।

(ङ) लागू नहीं होता।

(च) संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग का कार्य केवल दावों की जांच और मूल्यांकन करना, भुगतान प्रक्रिया तैयार करना तथा पात्र दावेदारों को राष्ट्रीय सरकारों के मार्फत स्वीकृत मुआवजा देना है। इस बात का अन्दाजा लगाना मुमकिन नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग कब और कितनी रकम की अन्ततः अदायगी करेगा।

[अनुवाद]

सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियों हेतु सरकारी आवास

627. श्री विजय एन. पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पहले सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियों हेतु बनाए गए सरकारी आवासों का अभी तक आबंटन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सम्पदा कार्यालय को इस अवधि के दौरान कितनी राशि का घाटा उठाना पड़ा है; और

(घ) इन आवासों को अस्पताल कर्मचारियों को कब तक आवंटित कर दिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (घ). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने नई दिल्ली नगर पालिका का स्वीकृति और पानी तथा बिजली के कनेक्शन के अभाव में अस्पताल प्राधिकारियों को अभी तक निर्मित भवन नहीं सौंपे हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सफदरजंग अस्पताल के प्राधिकारियों को समापन प्रमाणपत्र के साथ आवासों को सौंपने के उपरान्त भवन पात्र कर्मचारियों में आवंटित किये जाएंगे।

आन्ध्र प्रदेश में अस्पतालों को विश्व बैंक सहायता

628. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जिलों में सेकेंडरी अस्पताल खोलने के लिए सहायता की मांग करते हुए विश्व बैंक के समक्ष कोई प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव अंतिम चरण पर है और इस संबंध में सितम्बर, 1994 में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना था;

(ग) क्या विश्व बैंक के अधिकारियों ने राज्य में अपने दौरे के समय इस परियोजना को व्यवहार्य पाया और इसे वित्त पोषित करने के मामले में अपनी स्वीकृति व्यक्त की;

(घ) क्या ऋण के भुगतान के बारे में सभी कार्यविधि तैयार कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर समझौता कब तक कर लिया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी. सिलवेरा) : (क) से (ङ). द्वितीयक स्तरीय अस्पतालों के उन्नयन के लिए आन्ध्र प्रदेश स्वास्थ्य पद्धति परियोजना को विश्व बैंक को भेजा गया था और इस संबंध में अक्तूबर, 1994 के प्रारम्भ में हुई बातचीत सफल रही। इस परियोजना की कुल लागत अनुमानतः 158 मिलियन अमरीकी डालर है जिसमें से आई.डी.ए का ऋण करीब 133 मिलियन अमरीकी डालर होगा।

[हिन्दी]

कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र

629. श्री एन.जे. राठवा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात के आदिवासी जिलों में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के निजीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) सूरत जिले के मंगरोल जनजातीय तालुका में कोयला (लिग्नाइट) आधारित ताप विद्युत संयंत्र के निजीकरण के बारे में गुजरात पावर कारपोरेशन लि. (जी.पी.सी.एल.) ने प्रस्ताव रखा है।

(ख) जी.पी.सी.एल ने सूचित किया है कि इस तालुका में लिग्नाइट के भण्डार पाए गए हैं, इसलिए निजी क्षेत्र में पिटहैड विद्युत केन्द्र द्वारा इन भण्डारों का दोहन किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) निजी क्षेत्र की जी.पी.सी.एल. एक विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए इस परियोजना को हस्तांतरित किए जाने हेतु जी.पी.सी.एल द्वारा सितम्बर, 94 में एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) जी.पी.सी.एल. की सूचना के अनुसार इस परियोजना को मार्च, 1999 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल

630. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन महाविद्यालयों और अस्पतालों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस समय चल रहे आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों का विस्तार करने और नए आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल खोलने के लिए अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) गुजरात राज्य में 9 आयुर्वेदिक कालेज, एक गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं 44 आयुर्वेदिक अस्पताल कार्य कर रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में गुजरात में आयुर्वेदिक कालेजों को दी गई वित्तीय सहायता की विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के आयुर्वेदिक कालेजों को दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रूपयों में)

वर्ष	कालेज का नाम	दिया गया अनुदान
1991–92	श्री गुलाब कुनवर्ब आयुर्वेद कालेज, जामनगर	2.00
	स्नातकोत्तर अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	185.00
1992–93	श्री गुलाब कुनवर्ब आयुर्वेद कालेज, जामनगर	10.00
	स्नातकोत्तर अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	231.50
1993–94	गवर्नमेण्ट आयुर्वेदिक कालेज, वडोडरा	29.19
	गवर्नमेण्ट आयुर्वेद कालेज, जूनागढ	6.50
	स्नातकोत्तर अध्यापन एव अनुसंधान संस्थान, जामनगर	245.00
	श्री गुलाब कुनवर्ब आयुर्वेद कालेज, जामनगर	5.00
	कुल	714.19

[अनुवाद]

चण्डीगढ़ में टेलीफोन

631. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ–राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ख) वहां पर 1 अप्रैल, 1991 तथा 14 नवम्बर, 1994 को क्रमशः कितने टेलीफोन कार्यरत थे;

(ग) इस समय प्रतीक्षा–सूची में प्रार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी प्रार्थियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे; और

(ङ) इस संघ–राज्य क्षेत्र में अन्य कौन–कौन सी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान चंडीगढ संघ राज्य में जारी टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :–

1991–92	5004
1992–93	2851
1993–94	2268
कुल योग :	10123

(ख) चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) में कार्य कर रहे टेलीफोनों की कुल संख्या इस प्रकार है :–

1.4.1991 की स्थिति के अनुसार – 21866

14.11.1994 की स्थिति के अनुसार – 34721

(ग) चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) में, 30.11.1994 की स्थिति के अनुसार इस समय प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की कुल संख्या 35652 है।

(घ) सितंबर, 1995 तक प्रतीक्षा–सूची का निपटान कर दिए जाने की योजना है।

(ङ) रेडियो पेजिंग सेवा प्रदान करने की योजना है।

[हिन्दी]

टेलीफोन बिलों का पूर्व सत्यापन

632. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अत्यधिक बिल आने के मामलों में टेलीफोन के बिलों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए, बिलों के पूर्व–सत्यापन की प्रणाली शुरू की है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली को अन्य स्थानों पर भी शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) तथा (ख). टेलीफोन बिलों के पूर्व–सत्यापन के लिए उत्तर प्रदेश सहित सभी यूनिटों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं।

(ग) क्रमशः बिल तथा मीटर रीडिंग डाटा की विशुद्धता के लिए यूनिट द्वारा 10,000/–रू से अधिक की राशि वाले अत्यधिक राशि के बिलों को भेजे जाने से पूर्व सत्यापित किया जाना चाहिए ताकि बिल बनाने की प्रक्रिया में कोई गलती न हो। कालों की अनियमितता, यदि कोई हो, तो बिल संबंधित अधिकारी की जानकारी में लाया जाए ताकि मीटर के कार्यकरण की जांच की जा सके और मीटर रीडिंग की तकनीकी विशुद्धता का सत्यापन किया जा सके।

जैसे ही जांच के परिणाम सामने आएं और अधिक राशि के बिल बनाए जाने के कारणों का पता चले और यह तय किया जाए कि बिल को सही किया जाना है, तो "संशोधित बिल" स्पष्टतया यह दर्शाते हुए उपभोक्ता को भेजा जाए कि यह बिल पहले जारी किए गए बिल का प्रतिस्थापन है। तथापि, यदि उपभोक्ता से यह सूचना प्राप्त हो कि वह बिल का भुगतान कर चुका है, तो बिल में दर्शाई गई अधिक राशि उसके खाते में डालकर उसे अगले बिल में समायोजित कर दिया जाए और इसकी जानकारी उसे भेज दी जाए।

सोने का उत्पादन

633. **श्री मृत्युंजय नायक :**
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **खान मंत्री** 8 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2227 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रश्न के भाग (ग) से (च) के संबंध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) देश में सोने की खोज के लिए भारतीय भू–गर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना दर्शाने वाली कार्यान्वयन रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को 5.12.1994 को भेजा जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

टी.बी. के रोगियों में वृद्धि

634. **श्री गोपी नाथ गजपति :**
श्री उद्धव बर्मन :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टी. बी. के रोगियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में टी.बी. के कितने रोगियों की पहचान की गई; और

(ग) टी.बी. रोग की वृद्धि पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं और उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य को कितना धन आवंटित किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्षय रोगियों को बढती हुई घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार है :–

(एक) एक संशोधित कार्यनीति तैयार करना।

(दो) क्षय रोगियों के लिए अल्पावधि कैमोथिरेपी शुरू करना, और

(तीन) वार्षिक योजना परिव्यय में वृद्धि करना।

सभी राज्यों को वर्ष 1992–93 से 1994–95 के दौरान किए गए धन के आवंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
राज्यों को 1992-93, 1993-94 और 1994-95 का आवंटन

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटन 1992–93	आबंटन 1993–94	आबंटन 1994–95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	147.00	205.00	230.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	25.50	29.00	30.00
3.	असम	78.00	111.00	112.80
4.	बिहार	143.00	206.00	207.00
5.	गोवा	8.50	12.00	11.25
6.	गुजरात	228.00	276.00	282.00
7.	हरियाणा	77.00	89.00	100.00
8.	हिमाचल प्रदेश	48.00	56.00	67.50
9.	जम्मू वं कश्मीर	32.00	77.00	80.50

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	89.00	117.00	154.00
11.	केरल	47.00	77.00	95.00
12.	मध्य प्रदेश	280.00	350.00	395.00
13.	महाराष्ट्र	308.00	366.00	413.00
14.	मणिपुर	9.50	12.00	18.25
15.	मेघालय	9.50	12.00	18.25
16.	मिजोरम	9.50	12.00	18.25
17.	नागालैंड	9.50	12.00	18.25
18.	उड़ीसा	79.00	113.00	155.50
19.	पंजाब	103.00	156.00	150.00
20.	राजस्थान	118.00	166.00	187.00
21.	सिक्किम	8.00	13.00	17.80
22.	तमिलनाडु	268.00	316.00	380.20
23.	त्रिपुरा	16.00	22.00	27.25
24.	उत्तर प्रदेश	374.00	450.00	580.00
25.	पश्चिम बंगाल	185.00	250.00	310.00
		2700.00	3505.00	4040.00

स्पीड पोस्ट कारपोरेशन

635. **श्री राम कापसे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग के अंतर्गत और अधिक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए स्वायत्तशासी एकक के रूप में स्पीड पोस्ट कारपोरेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त "क" को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

636. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में 31 मार्च, 1994 तक किन-किन शहरों में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) 1994-95 के दौरान और किन-किन शहरों में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाएंगे;

(ग) किन-किन शहरों में 30 सितंबर, 1994 तक इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर दिए गए हैं और प्रत्येक एक्सचेंज में कितनी टेलीफोन लाइनें हैं; और

(घ) बिहार में 30 सितम्बर, 1994 तक टेलीफोन कनेक्शन के लिए एक्सचेंज वार कितने व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (सुख राम): (क) ब्यौरे विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) निधियों और भंडारों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, 1994-95 के दौरान 29 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किये जाने हैं। ब्यौरा विवरण II और III में दिये गये हैं।

(ग) 1.4.94 से 30.9.94 तक संस्थापित इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा विवरण III में दिया गया है।

(घ) ब्यौरे विवरण IV में दिए गये हैं।

विवरण-I

31.3.1994 की स्थिति के अनुसार छपरा दूरसंचार जिला में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की सूची

1	2
1.	आदापुर
2.	अंदार
3.	आरेराज
4.	बागाह
5.	बनियापुर
6.	बाड़ाचाकी
7.	बडकागांव
8.	बरौली
9.	बरहरिय
10.	भभुआ
11.	बतिया
12.	बसन्तपुर
13.	भैरोगंज
14.	भेलाही
15.	भोलडी
16.	चम्पापुर
17.	चनपतिया
18.	छपरा
19.	चौरादानो
20.	चिरइया
21.	दामोदरपुर
22.	डोरंडा
23.	दौधपुर
24.	डाका
25.	दिघवादुबौली
26.	दिघवाड़ा
27.	दिनदयालपुर

1	2
28.	डोरीगंज
29.	एकमा
30.	जी. मधुबन
31.	गोर सेहना
32.	गोपालगंज
33.	गोपालपुर
34.	गोरेकोठी
35.	गोखा
36.	हरिडीह
37.	हसनपुरा
38.	हथुवा
39.	जलालपुर
40.	जोगापट्टी
41.	कल्याणपुर
41.	कठिया
43.	केसरिया
44.	कोटवा
45.	लौरिया
46.	महराजगंज
47.	मैनतवा
48.	मैरवा
49.	मझौली
50.	माझीगढ़
51.	माझी
52.	मढौड़ा
53.	मसरख
54.	महथी
55.	मोतीहारी
56.	एन. जलालपुर
57.	नगरा
58.	नवगांव
59.	नरकटिया बाजार
60.	नरकटियागंज
61.	पीपराकोठी
62.	पचरूखीया
63.	पकडीदयाल
64.	पुरबा
65.	रघुनाथपुर
66.	रंगरहवा
67.	रामनगर
68.	रक्सौल
69.	रीविलगंज
70.	समुसा
71.	सतहा
72.	सेथी
73.	सेमरा
74.	सिघवलिया
75.	सिकीया
76.	सिवान
77.	सोनपुर
78.	सगौली
79.	तिरैइया
80.	थावे
81.	तुरकौवली
82.	बाल्मिकी नगर
83.	जीरादेई

31.3.1994 की स्थिति के अनुसार कटिहार टैलीकॉम जिला में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की सूची

1	2
1.	आजमनगर
2.	अररियाकोट
3.	बहादुरगंज
4.	बैजनाथपुर
5.	बैसी
6.	बलुआ हाट
7.	बलुवाहा
8.	बलुआ बाजार
9.	बनगांव
10.	बरमांखी
11.	बरयाहा
12.	बरसोई
13.	बारसोनी
14.	बेलवा
15.	भबतिया

1	2
16.	बीहारीगंज
17	बिनाभावगाव
18.	बिराटपुर
19	बीरपुर
20	बिसानपुर हाट
21.	चम्बानगर
22.	चाटपुर
23.	धाबोबौली
24.	धामदसा
25.	पोरबिआगंज
26.	गामाहारी
27.	गौरीपुर
28.	ग्वालपाडा
29.	गुरू बाजार
30.	हरदा
31.	हरीपुर
32.	जे. राघोपुर
33.	जलालगढ
34.	जानकीनगर
35.	झंडापुर
36.	जोगबनी
37.	जोकीहाट
38.	काझा
39.	कपसिया
40.	करजाइन बसर
41.	कस्बा
42.	कटिहार
43	खिरिक बाजार
44.	किशनगंज
45.	किशनपुर
46.	कोरहा
47.	कुरसेला
48.	माधेपुरा
49.	मैना
50	मनिहारी
51.	मुराजपुर
52.	मुरलीगंज
53.	मारयानपुर

1	2
54.	नरपुटगंज
55.	नौगछिया
56.	नौहाटा
57.	पंचगाछीया
58.	पिपरा
59.	प्रतापगंज
60.	पुरौनी
61.	पुरैनिया
62.	रहुवातुलसियाही
63.	रानीगंज
64.	सहरसा
65.	सलखुवा
66.	सलमारी
67.	सराई गढ़
68.	सिमर. बखत पुर
69.	सिंघ स्थन
70.	सेमापुर
71.	सोनाली
72.	सेनबरसे राज
73.	सौर बाजार
74.	सुखपुर
75.	सुपौल
76.	ठाकुरगंज
77.	त्रिवेणीगंज
78.	तुलसिया
79.	उदा किशनगंज

31.3.1994 की स्थिति के अनुसार रांची और धनबाद दूरसंचार जिलों में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की सूची

रांची दूरसंचार जिला

1	2
1.	भन्दरा
2.	बोरया
3.	बुन्दु
4.	चांही
5.	घुरवा
6.	घघरा
7.	गुमला
8.	हिनू
9.	कांके

1	2
10.	खेलाड़ी
11.	खून्टी
12.	कोइलाबेड़ा
13.	कुरूआ
14.	लोहरदगा
15.	मन्दार
16.	मेकलास्कीगंज
17.	मेसरा
18.	मुरहू
19.	मुरई
20.	नगरी
21.	नेटारहाट
22.	ओरमांझी
23.	पंडरा
24.	पिपरवार
25.	रांची
26.	सिमदेगा
27.	सिसाई
28.	इटकी
29.	टाटीसिलवाई
30.	टोरपा

धनबाद दूरसंचार जिला

1	2
1.	बघमारा
2.	बहादुरपुर
3.	बलइयापुर
4.	बलाईडीह
5.	बोरमो
6.	बोकारो स्टील सिटी
7.	चन्दनकियारी
8.	चन्द्रपुरा
9.	चास
10.	चिरकुंडा
11.	धनबाद
12.	गोमिया
13.	गोमोह
14.	गोबिन्दपुर
15.	कतरास
16.	कइसा
17.	झरिया
18.	कलपनिया
19.	कन्दरा
20.	कथरा
21.	लोयाबाद
22.	मोगमा
23.	नेवाडीह
24.	मोटेरहार
25.	रायगंज
26.	सिंदरी
27.	सिनीडीह
28.	तपचाहीं
29.	तेनूघाट
30.	टुंडी
31.	तुपकाडीह

31.3.1994 की स्थिति के अनुसार सासाराम और आरा दूरसंचार जिलों में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की सूची

सासाराम दूरसंचार जिला

1	2
1.	अबोरहीगाला
2.	इयारकोठा
3.	बालुमठ
4.	बन्जारी
5.	बरवाडीह
6.	बेटला
7.	भभुआ
8.	भवनाथपुर
9.	बिक्रमगंज
10.	चांडवा
11.	छतरपुर
12.	छिपादोहर
13.	डालमियानगर
14.	डाल्टनगंज
15.	डीनिरा
16.	दुर्गावती
17.	गढ़वा
18.	हाइदेरनगर

1	2
19.	हरिहरगंज
20	जमुहर
21	जापला
22.	कारघर
23.	करकेट
24.	कोचास
25.	कुदरा
26.	लटेहर
27.	लेसलीगंज
28.	मझावन
29.	मेराल
30.	मोहनिया
31.	नगरूतरई
32.	नसारीगंज
33.	नटवार
34.	नोखा
35.	रायपुरचोरी
36.	राजपुर
37.	रमाना
38.	रामगढ़ (एसएसआर)
39.	रंकराज
40.	रेहला
41	सांझौली
42.	सासाराम
43.	शिवसागर
44.	तिलौठी

आरा दूरसंचार जिला

1.	अखगांव
2.	आरा
3.	बहेया
4.	बरूना
5.	ब्रम्हपुर
6.	बकुर
7.	चौबा
8.	डुमरी
9.	डुमरगांव
[illegible]	[illegible]जगंज
11.	गरहनी
12.	गिधा
	इथारी

1	2
14.	हसनबरार
15.	जगदीशपुर
16.	जमालपुर
17.	खुटा बाजार
18.	कोइलवार
19.	कोरनसराई
20.	मझरिया
21.	नरायणपुर
22.	नवानगर
23.	पिरो
24.	राजपुर
25.	शाहपुर
26.	सन्देश
27.	सिमारी
28.	उदवन्त नगर

31.3.1994 की स्थिति के अनुसार भागलपुर दूरसंचार जिला में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

1	2
1.	अकबरनगर
2.	अलीगंज
3.	अमरपुर
4.	अमरपुर (एमसी)
5.	असरगंज
6.	बकुडीह
7.	बंका
8.	बड़ाहाट
9.	बारबिघा
10.	बारहाइट
11.	बरहरवा
12.	बढैया
13.	बरीयारपुर
14.	भगइया
15.	भागलपुर
16.	बोन्सी
17.	चकाई
18.	चित्रा
19.	दरियापुर
20.	देवघर
21.	धोरइया

1	2
22.	दीघी
23.	दुमका
24.	गिधौर
25.	गुहडा
26.	घोघा
27.	एच खड़गपुर
28.	हंसडीहा
29.	हथियामा
30.	हिरणपुर
31.	ईशीपुर
32.	जमालपुर
33.	जमसी
34.	जमतास
35.	जमुई
36.	झारमुंडी
37.	जासीडीह
38.	झाझा
39.	कहलगांव
40.	कजरा
41.	कर्मातार
42.	काठीकुण्ड
43.	कटोरिया
44.	खैरा
45.	खरीबन
46.	कोरका
47.	कुमारपुर
48.	लखीसराय
49.	लइमातिया
50.	लक्ष्मीपुर
51.	मधुपुर
52.	महागांवा
53.	महेशपुर रस
54.	मलिकपुर
55.	मथुरापुर
56.	मेहस
57.	मिहिजाम
58.	मिर्जा चौकी
59.	महल पहाड़ी
60.	मुंगेर
61.	नाला

1	2
62.	नरइनी
63.	नारायणपुर
64.	मौनीहाट
65.	पाकुर
66.	पालानोरी
67.	परेसा (गोड्डा)
68.	पताम
69.	पथारगामा
70.	पिरपाइनती
71.	पिथाना
72.	पोरइयाहाट
73.	पुरग्याइनी
74.	राजौन
75.	राजमहल
76.	राजेश्वर
77.	सबौर
78.	साहीसगुन
79.	साजौर
80.	संग्रामपुर
81.	संगरवार
82.	सरइयाहाट
83.	सरात
84.	शादपुर
85.	शाहजादपुर
86.	शाहकुंड
87.	शम्भुगंज
88.	शेखपुरा
89.	सिकंदरा
90.	सिमुलतल्ला
91.	सोनहौला
92	सोना
93.	सुल्तानगंज
94.	सूरजगढ़
95.	तालझारी
96.	तारापुर
97.	तीनपहाड
98.	उधवा

गया दूरसंचार जिला

1.	अकबरपुर
2.	अम्दा

1	2
3.	अलवल
4.	औरंगाबाद
5.	बरूण
6.	बालागंज
7.	भदैया
8.	भारथौली
9.	बिथोसरीफ
10.	बोधगया
11.	चाकंद
12.	चफ्रकी
13.	देव
14.	दाऊद नगर
15.	डोभी
16.	फतेहपुर
17.	गया
18.	गोह
19.	गोविन्दपुर
20.	गुरारू
21.	हंसपुरा
22.	हसुआ
23.	जमहौर
24.	जेहानाबाद
25.	कोका
26.	खीजेरसराय
27.	कुर्था
28.	मदनपुर
29.	मखदुमपुर
30.	नबी नगर
31.	नवादा
32.	ओबरा
33.	पकरीबड़ावान
34.	परइया
35.	पोइवान
36.	रफीगंज
37.	रानीगंज
38.	रजौली
39.	शिवगंज

1	2
40.	शेरघाटी
41.	सुमराबाजार
42.	एस. इमामगंज
43.	तेहरा
44.	टेकारी
45.	बाजीरगंज
46.	बारसलीगंज

पटना दूरसंचार जिला

1	2
1.	अशथवाना
2.	अथमालगोला
3.	बख्तीयारपुर
4.	बनु
5.	बेणी
6.	बिहारशरीफ
7.	बिहटा
8.	बिक्रम
9.	चांदी
10.	दानापुर
11.	दनियावान
12.	दयालचक
13.	दीपनगर
14.	दुल्हीन बाजार
15.	डुमडमा
16.	कांगरसराय
17.	फतवा
18.	गंगपुर
19.	गिरियाक
20.	गोनामा
21.	गुसाशेखपुर
22.	हरनौत
23.	हाथीदाह
24.	हिल्सा
25.	इस्लामपुर
26.	कंकड़बाग
27.	कराई पारासुरा
28.	कतरीसराय
29.	खुस्त्रुपुर

1	2
30.	मनेर
31.	मसौढ़ी
32.	मोकामा
33.	नगरनौसा
34.	नालंदा
35.	नौबतपुर
36.	नूरसराय
37.	पालीगंज
38.	पंडाराख
39.	परवलपुर
40.	पटेलनगर
41.	पाटलीपुत्र
42.	पटना सिटी
43.	पटना मेन
44.	पावापुरी
45.	पैनाल
46.	पुनपुन
47.	राहुई
48.	राजेन्द्र नगर
49.	राजगीर
50.	सलीमपुर
51.	सरमेरा
52.	सिलाव
53.	सिमरा
54.	तेलहाड़ा
55.	योगीपुर

31.3.1994 को स्थिति के अनुसार हजारीबाग जिला में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की सूची

1	2
1.	आरखांगो
2.	इटका
3.	औरा
4.	बदाम
5.	बगोदर
6.	बरही
7.	बड़कागांव
8.	बरकाथा
9.	बसलपतरातु
10.	बेनगाबाद
11.	भरैचनगर
12.	भुरकुंडा
13.	बिशुनगढ़
14.	चांदवाड़ा
15.	चपुआडीह
16.	चरही
17.	चतरा
18.	चौपारन
19.	दारू
20.	देमोटंड
21.	देवरिया
22.	दोमचंच
23.	देवारपहाड़ी
24.	गंडे
25.	घटोटंड
26.	गिड्डी
27.	गिरिडीह
28.	गोदाखार
29.	गोला
30.	हजारीबाग
31.	इचाक
32.	इसरीबाजार
33.	जैनगर (हजारीबाग)
34.	झुमरा
35.	झुमरीतलैया
36.	केरेदारी
37.	कुंजु
38.	कोडरमा
39.	मधुबन
40.	महेशमुंडा
41.	मंडु
42.	मरकाचो
43.	मेरू
44.	मिर्जागंज
45.	पतरातु
46.	राजधनवार

1	2
47.	रजरप्पा
48.	रामगढ़
49.	सैगवाह
50.	सिमरीया
51.	सुरइया
52.	टडवा
53.	तीलैयाडेम
54.	तिसरी

31.3.1994 की स्थिति के अनुसार मुजफ्फरपुर और जमशेदपुर में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की सूची

मुजफ्फरपुर

1	2
1.	औरइ
2.	बैरजामिया
3.	बाजपत्ती
4.	बेलसुन्द
5.	भगवानपुर
6.	बीदूपुर
7.	बुच्चाहा
8.	चैनपुर
9.	चाकसिकन्दर
10.	छप्पराखुर्द
11.	देवरिया
12.	देसारी
13.	धेंग
14.	धौली
15.	गुरूल
16.	हाजीपुर
17.	जैतपुर
18.	जनकपुररोड
19.	जनदाहा
20.	कान्ती
21	करनूल
22.	करमा
23.	कुरहनी
24.	लालगंज
25.	माधोपुर
26.	मन्हार
27.	माहुआ
28.	मैनपुरी
29.	मौतीपुर
30.	मुजफ्फरपुर
31.	नरमा
32.	पचदाही
33.	परिहर
34.	पारसौनी
35.	पातीपुर
36.	परतापटांड
37.	रंसीदपुर
38.	रीगा
39.	शतियाबुजुर्ग
40.	सराय
41.	सरैया
42.	सेहोर
43.	सीतामढ़ी
44.	सोनबरसा
45.	सुरसांड
46.	तुर्की
47.	वैशाली

जमशेदपुर

1.	अदित्यापुर
2.	बरहोड़ागढ़
3.	बड़ाम्दा
4.	बरजाम्दा
5.	बिहारपोंगे
6.	चाइबासा
7.	चक्रधारपुर
8.	चकौलिया
9.	चलियामा
10.	चान्दिल
11.	दिलभूमगढ़
12.	घटसिला
13.	गया
14.	हल्दिपोखर
15.	जड़ूगोडा

1	2
16.	जगन्नाथपुर
17.	जमशेदपुरमैक्स
18.	झिनकपनी
19.	कन्दरा
20.	करकेला
21.	केरा
22.	खरासवागढ़
23.	माहोलिया
24.	मनोहरपुर
25	महाबहान्दर
26,	मेघाहतुबू
27.	मोसबनी
28.	नौमुंदीन
29.	पारसुधी
30.	पात्मादा
31.	सरायकिला
32.	सिन्नी
33.	सोनुवा
34.	सुरदा
35.	सुरदा
36.	टेल्को

31.3.1994 की स्थिति के अनुसार दरभंगा में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की सूची

1	2
1.	अलौली
2.	अन्धामा
3.	आन्धाथार्डी
4.	अरोर
5.	बोर
6.	बामागामा
7.	बाबूबरही
8.	बछवारा
9.	बाघट
10.	बहेरी
11.	बरोहनी
12.	बसैंठा
13.	बासोपट्टी
14.	बेगुसराय
15.	बिलासमरी
16.	बेनीपट्टी
17.	बेनीपुर
18.	बिसनपुर
19.	भगवानपुर (डीबीएन)
20.	बालपट्टी
21.	भारवारा
22.	निहडा
23.	बिहट
24.	बिरौल
25.	भाखरी बाजार
26.	चौथान
27.	छथौना
28.	दलसिंहसराय
29.	दलभंगा
30.	इकथा
31.	गंडवार
32.	घेकरडिहा
33.	हर्री
34.	हसनपुर
35.	हगाघाट
36.	जयनगर
37.	जैली
38.	जथमालपुर
39.	झांझरपुर
40.	कलुवाही
41.	कल्याणपुर
42.	कमतौल
43.	कंसी
44.	कापर
45.	कर्जापट्टी
46.	क्योटी
47.	खगोरिया
48.	खजौली
49.	खजरांधा
50.	खुतन्ना
51.	किसनपुर
52.	क्योलाख.

1	2
53.	कौथिया
54.	कुसथार
55.	लखारी
56.	लाठा
57.	लक्ष्मनिया
58.	लौखा
59.	माधेपुर
60.	महेशकुठ
61.	मझौल
62.	मझोलिया
63.	मंगलगढ
64.	मांसी
65.	मंसूरचाक
66.	मरैया
67.	मतिहानि
68.	मधुवनी
69.	मोहदीनगर
70.	मुसारीघेरी
71.	मुस्कीपुर
72	नैहरा
73.	निर्माली
74.	पघारी
75.	पंछाह
76.	परभत्ता
77.	पसराह
78.	पटोरी
79.	फुलपराश
80.	पिंडारूच्छ
81.	पुरखोपट्टी
82.	पूसा
83.	रहिका
84.	रैयाम
85.	राजनगर
86.	रामदीरी
87.	रामपट्टी
88.	रानी
89.	रसैरा

1	2
90.	शहरघाट
91.	साहेबपुर कमाल
92.	सकारी
93.	सकतपुर
94.	समस्तीपुर
95.	सराय
96.	सरायंजान
97.	सरसोपाही
98.	सतीशनगर
99.	सिमाराह
100.	सिमारी
101.	सिंधईयाघाट
102	सोनकी
103.	सोनबरसाघाट
104.	सुराह
105.	ताजपुर
106	तमुरिया
107	तारसराय
108	तुल्यातगंज
109	उजाकपुर
110.	उज्जैन
111.	विद्यापट्टीनगर

विवरण -II

1994-95 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए गए अतिरिक्त स्थानों की सूची

1.	झरिया
2.	भागलपुर
3.	धनबाद
4.	जमशेदपुर
5.	आदित्यपुर
6.	टेल्को
7.	परसुडीह
8.	कतरास
9.	बलाडीह
10.	सिंदरी
11.	बोकारो
12.	बिहारसरीफ

विवरण-III

1.4.94 से 30.9.94 तक इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज संस्थापित किए गये स्थानों की सूची

क्र.सं.	स्थान का नाम	क्षमता (लाइनों में)
1	2	3
1.	फाल्का	88
2.	मरमापुर	88
3.	गोलमा	88
4.	मंगुअर	88
5.	शारदा	88
6.	आलम नगर	88
7.	बेलतहरा	88
8.	बरकना	88
9.	अरयाडा	88
10.	रामगढ़	88
11.	गंटी	56
12.	पताही	88
13.	राजौरा	88
14.	रांची	10000
15.	रामपुर	88
16.	नमकुम	500
17.	बिहारशरीफ	2000

विवरण-IV

बिहार सर्किल में टेलीफोन एक्सचेंजों की वर्णानुक्रम सूची (30.9.1994 तक विशुद्ध)

क्र.सं.	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अखगांव	12
2.	अरराह	894
3.	बरूना	0
4.	बेहेया	35
5.	ब्रहमपुर	6
6.	बक्सर	151
7.	चौसा	2
8.	डुमराव	53
9.	डुमरी	0
10.	गजराजगंज	0
11.	गरहानी	11
12.	गिद्धा	4
13.	हसनबाजार	51
14.	इटहारी	0
15.	जगदीशपुर	47
16.	जमालपुर	33
17.	खुटाबाजार	6
18.	कोयलवार	21
19.	कोरनसराय	3
20.	मझरिया	0
21.	नारायणपुर	34
22.	नवांनगर	1
23.	पीरो	14
24.	राजपुर	18
25.	साहपुर	41
26.	संदेश	41
27.	सीमरी	10
28.	कुदबंत नगर	34

1.	अकबर नगर	2
2.	अलीगंज	2
3.	अमरपुर	1
4.	अमरपुर (एमसी)	4
5.	असरगंज	1
6.	बकूदीह	0
7.	बंका	0
8.	बरहात	0
9.	बाराबीघा	7
10	बरहेत	0
11.	बरहईया	88
12.	बढ़रवा	0
13.	बरियारपुर	31
14.	भगैया	0
15.	भागलपुर	1340
16.	बौंसी	1
17.	चकई	0
18.	चित्रा	0
19.	दरियापुर	0
20.	देवघर	256

1	2	3
21.	धौरईया	0
22.	दीगही	0
23.	दुमका	134
24.	गंगती	0
25.	गोघा	0
26.	गिधौर	0
27.	गोड्डा	44
28.	एच. खड़गपुर	45
29.	हंसदिया	0
30.	हथियामा	0
31.	हीरनपुर	4
32.	ईशीपुर	0
33.	जमालपुर	60
34.	जामसी	0
35.	जमतारा	13
36.	जमुई	6
37.	जसीदीह	19
38.	झाझा	10
39.	झारमुंडी	0
40.	कजरा	27
41.	करमातार	0
42.	कठिकुंड	0
43.	कटोरिया	1
44.	खेरा	0
45.	खलगांव	88
46.	खिरीबंद	0
47.	कोरका	0
48.	कुमारपुर	0
49.	लखीसराय	94
50.	लालमटिया	0
51.	लक्ष्मीपुर	0
52.	मधुपुर	56
53.	महागमा	40
54.	महेशपुरराज	0
55.	मल्लेपुर	3
56.	मथुरापुर	3
57.	मेहुश	3
58.	महीजम	5

1	2	3
59.	मिर्जा चौकी	0
60.	मोहल पहाड़ी	0
61.	मुंगेर	217
62.	नाला	0
63.	नरैनी	0
64.	नारायणपुर	0
65.	नौनीहाट	0
66.	पाकुर	28
67.	पालाजोरी	0
68.	परसा (गोड्डा)	0
69.	पाटम -	22
70	पठारगांव	3
71.	पिरपेंती	6
72.	पिठाना	0
73.	कुरईयाहाट	0
74.	कुरैनी	1
75.	राजौन	0
76.	राजमहल	0
77.	रामगढ़	0
78.	रानेश्वर	0
79.	साबोर	13
80.	साहेबगंज	23
81.	साजोर	1
82.	संग्रामपुर	3
83.	सानोखर	4
84.	सरईयाहाट	0
85.	सारथ	0
86.	सादपुर	0
87.	शहजोदपुर	4
88.	शाहकुंड	0
89.	शंभुगंज	0
90.	शेखपुरा	0
91.	सिकन्दरा	0
92.	सिमुल्लतल्ला	0
93.	सोनहाला	0
94.	सोनो	0
95.	सुल्तानगंज	6
96.	सूरजगढ़	0

1	2	3
97.	तलझरी	0
98.	तारापुर	15
99.	तिनपहाड़	0
100.	उधवा	0

1	2	3
1.	अलाउली	0
2.	अंदामा	0
3.	आधा तारही	0
4.	अरेर	20
5.	बाभानगामा	0
6.	बाबू रारही	20
7.	बच्छुबारा	15
8.	बाघाई	0
9.	दामेरी	0
10.	बाखेरी बाजार	17
11.	बारौनी	27
12.	बसईह्हा	0
13.	बासोपत्ती	0
14.	बेगूसराय	377
15.	बेला गिमरी	0
16.	बेनीपट्टी	10
17.	बेनीपुर	20
18.	भगवानपुर	5
19.	भालपट्टी	0
20.	भारवारा	15
21.	भीरहा	0
22.	बीहट	0
23.	बीरौल	10
24.	बीशुमपुर	0
25.	चौथाम	0
26.	छातौना	0
27.	दालसिंह सराय	0
28.	दरभंगा	993
29.	इकराथा	0
30.	गंधवाड़	0
31.	खोघरडिहा	0
32.	हरडी	0
33.	हसनपुर	0
34.	हयाघाट	0
35.	चेवावर	25
36.	जालेक	25
37.	जेहमलपुर	0
38.	झंझरपुर	0
39.	कलवाही	33
40.	कल्याणपुर	10
41.	कामहौल	6
42.	कांसी	0
43.	कापन	0
44.	करजा	0
45.	केवटी	0
46.	खबरिया	120
47.	खजौली	8
48.	खजरेथा	0
49.	खुटौना	0
50.	किशनपुर	0
51.	कुरलानी	0
52.	कोठिया	0
53.	कुसोठर	0
54.	लडारी	0
55.	लेहटा	0
56.	लखमीनिया	10
57.	लोकाहा	0
58.	माधेपुर	38
59.	मधुबनी	222
60.	महेशहट	0
61.	मझौल	30
62.	मझौलिया	30
63.	मंगलगढ	0
64.	मानसी	0
65.	मंसूरचक	24
66.	मरैया	0
67.	मटीहानी	0
68.	मोहीउदीनगर	30
69.	मुसारीघारी	0
70.	मुशकीपुर	40
71.	नेहरा	20

1	2	3
72.	निर्मली	10
73.	पघारी	0
74.	पंचोभ	0
75.	परभट्टा	0
76.	पसराहा	0
77	पथोरी	22
78.	फूलपारस	0
79.	पिंडारूच	0
80.	पुरखोपट्टी	0
81.	पुसा	36
82.	रौहीका	14
83	राईयाम	0
84.	राजौरा	0
85.	राजनगर	30
86.	रामदीरी	20
87.	रामपट्टी	0
88.	रानी	26
89.	रोशेरा	45
90	साहरघाट	0
91.	साहेबपुर कमल	0
92.	सेकरी	10
93.	सकतपुर	0
94.	समस्तीपुर	430
95.	सरायरंजन	24
96.	सरया	0
97.	सरसोपाही	0
98.	सतीशनगर	0
99.	सिमरा	0
100.	सिमरी	0
101.	सिंघौरा घाट	31
102.	सौनबरसाघाट	0
103	सोनकी	0
104.	सूरहा	0
105.	ताजपुर	38
106.	तमुरिया	0

1	2	3
107	तरसाराई	0
108	तुलापटीगंज	0
109.	उजीयारपुर	0
110.	उज्जान	0
111.	विद्यापटीनगर	0
112.	वैनी	0
1.	बाघमारा	4
2.	छानदानक्यारी	0
3.	गोविंदपुर	9
4.	गोमोह	0
5.	झारीया	352
6.	बलियापुर	0
7.	कटराश	31
8.	धनबाद	1010
9.	कांड्रा	0
10.	बालीडीह	6
11.	लालपनिया	9
12.	बहादुरपुर	0
13.	पेटरवार	3
14.	बेरमो	146
15.	मुगसा	2
16.	लोयाबाद	2
17.	छिरकुंडा	23
18.	छंदरापुरा	8
19.	तेनूघाट	0
20.	छास	105
21.	सिंदरी	83
22.	गोमिया	0
23.	नीरसा छट्टी	23
24.	राजगंज	3
25.	नवाडीह	0
26.	टोपछानछी	0
27.	सीनीडीह	0
28.	तुपकाछीह	0
29.	तुंदी	0
30.	कठारा	8
31.	बोकारो एस. शहर	783

1	2	3
1.	अकबरपुर	20
2.	अम्बा	17
3.	अरवाल	53
4.	औरंगाबाद	115
5.	बरून	29
6.	बेलागंज	24
7.	भडैया	40
8.	भरथौली	80
9.	बिथोसरीफ	9
10.	बोधगया	60
11.	चपन्द	51
12.	चेरड़ी	20
13.	डोडनगर	158
14.	देव	11
15.	दोभी	0
16.	फतेहपुर	0
17.	गया	1550
18.	गोह	23
19.	गोविन्दपुर	0
20.	गुरारू	9
21.	हंसपुरा	40
22.	हसुआ	8
23.	ईमानगंज	7
24.	जम्मोर	28
25.	ज़हानाबाद	380
26.	काको	49
27.	खिजरसराय	7
28.	कुरथा	13
29.	मदनपुर	88
30.	मकदूमपुर	21
31.	नरीनागर	59
32.	हावडा	131
33.	ओवरा	38
34.	परिहारवन	0
35.	परैया	7

1	2	3
36.	पोइवन	5
37	रफीगंज	48
38.	राजौली	0
39.	रानीगंज	13
40.	शिवगंज	12
41.	शेरघाटी	118
42.	सिमराबाजार	55
43.	टेहटा	17
44.	टेकारी	45
45.	वरसालीगंज	0
46.	वजीरागंज	91

1.	अरगडा	18
2.	अरखन्गो	00
3.	अटका	15
4.	ओरा	14
5.	बड़ुम	5
6.	बगोदर	16
7.	बाढी	22
8.	बरखागांव	38
9.	बरकाकाना	37
10.	बरकाथा	14
11.	बसल पात्राटू	9
12.	बंगाबाद	24
13.	भडैचनगर	14
14.	भुरकुण्डा	33
15.	बिशनगढ़	12
16.	चांदवाड़ा	26
17.	चपुआदीह	10
18.	चढ़ी	38
19.	चतरा	3
20.	चौपारन	1
21.	दारू	11
22.	डेमोतन्ड्	5
23.	देवरी	0

1	2	3
24.	डोमचन्च	15
25.	द्वारपहाड़ी	24
26.	गान्डे	12
27.	घाटोतण्ड	21
28.	गिड्डी	12
29.	गिरिदीह	160
30	गोडाखर	0
31.	गोला	5
32.	हजारीबाद	445
33.	इचक	16
34.	इसरीबाजार	39
35.	जयनगर (हजारीबाद)	26
36.	झुमरा	10
37.	झुमरीतलैया	110
38.	केरडारी	7
39.	कोडेरमा	23
40.	कुजु	12
41.	मधुबन	2
42.	महेश मुण्डा	22
43.	मण्डु	19
44.	मरकाचो	19
45.	मेरू	50
46.	मिरजागंज	56
47.	पत्रादू	27
48.	राजधनवार	4
49.	राजरप्पा	22
50	रामगढ़	289
51.	सतगावन	8
52.	सिमारिया	6
53.	सूर्या	17
54.	ताण्डवा	5
55.	तिलटयाडम	0
56.	तिसरी	13

1	2	3
1.	आलमनगर	6
2.	अररिया कोर्ट	10
3.	आजमनगर	23
4.	बहादुरगंज	17
5.	बैजनाथपुर	6
6.	बैसी	1
7.	बलुआहाट	26
8.	बलुआहा	10
9.	बलुआबाजार	3
10	बनगांव	15
11.	बनमंखी	10
12.	बरडांहा	24
13.	बरसोई	3
14.	बरसोनी	0
15.	बेला तेरहा	25
16.	बेलवा	1
17.	भापटिया	5
18.	भरमारपुर	4
19.	बिहारीगंज	16
20.	बीनाभाभनगाम	2
21.	बिरातपुर	37
22.	बीरपुर	4
23.	बिशनपुर हाट	0
24.	चम्पानगर	7
25.	छातापुर	2
26.	ढावोली	22
27.	घमडाहा	2
28.	फालका	8
29.	फोरबेसगंज	30
30.	गहमरिया	7
31.	गौरीपुर	13
32.	ग्वालपाड़ा	10
33.	गोलमा	20
34.	गुरू बाजार	6
35.	हारड़ा	3

1	2	3
36.	हरीपुर	8
37.	जे. राघोपुर	20
38.	जलालगढ़	2
39.	जानकी नगर	2
40.	झंडापुर	26
41.	जोगवानी	0
42.	जोकीहाट	0
43.	काझा	3
44.	कापसिया	6
45.	कर्जन बाजार	17
46.	कसावा	2
47.	कटिहार	105
48.	खड़िक बाजार	12
49.	किशनगंज	18
50.	किशनपुर	41
51.	कोरहा	2
52.	कुरसेला	14
53.	माधेपुरा	129
54.	मैनारञ्जनपुर	17
55.	मंगोर	10
56.	मनिहरि	20
57.	मुराजपुर	28
58.	मुरलीगंज	12
59.	नारायणपुर	10
60.	नरपतगंज	2
61.	नौगछिया	35
62.	नवहट्टा	23
63.	पंचगछिया	6
64.	परवाहा	8
65.	पिप्रा	2
66.	प्रतापगंज	17
67.	पुरेंनी	5
68.	पुरणींया	405
69.	रहुअतुएसिया	15
70.	रानीगंज	3

1	2	3
71.	सहर्षा	21
72.	सलखुआ	6
73.	सलमारी	32
74.	सरायगढ़	12
75.	सरदिहा	19
76.	सेमापुर	19
77.	सिमर बख्तपुर	20
78.	सिंह अस्थान	15
79.	सोनाली	5
80.	सोनवरसाराज	32
81.	सौर बाजार	2
82.	सुखपुर	5
83.	सुपौल	3
84.	ठाकुर गंज	3
85.	त्रिवनी गंज	22
86	तुलसिया	0
87.	उड़ा किशनगंज	10

1.	अदापुर	5
2.	अरेराज	5
3.	बबाहा	142
4.	बाबचाड़ा	89
5.	मारिहार	177
6.	मैरोगंज	8
7.	मेलाही	4
8.	चम्पापुर	10
9.	चनपटिया	0
10.	छौरादानो	7
11.	चिरैया	27
12.	दामोदरपुर	4
13.	ढाका	4
14.	जी. मधुबन	7
15.	घोरासहन	11
16.	हरासिद्धी	1
17.	जोगापट्टी	1
18.	कल्याणपुर	5

1	2	3
19.	केसरिया	23
20.	कोटवा	10
21.	लोरिया	3
22.	मैनातड़	9
23.	मझोलिया	0
24.	महसी	24
25.	मोतीहरी	205
26.	नरकटिया बाजार	8
27.	नरकटया गंज	92
28..	पकरिदयाल	22
29.	पटही	13
30	पिप्रा कोठी	17
31.	रामगढ़वा	12
32.	रामनगर	91
33.	रक्सौल	298
34.	सताहा	2
35.	साथी	70
36.	सेमरा	4
37.	सिकेटा	26
38.	सुगौली	10
39.	तुरकोलिया	8
40.	बाल्मीकि नगर	0

1.	औरई	12
2.	बैरगनिया	24
3.	बाजपट्टी	5
4.	बेलसुण्ड	18
5.	भगवानपुर	65
6.	बिडूपुर	63
7.	बोघाहा	13
8.	चैनपुर	22
9.	चकसिकन्दर	7
10	छपरा खुर्द	29
11.	देवरिया	7
12.	देगरी	90
13.	धेंग	1
14.	धोली	63
15.	गोरूल	30
16.	हाजीपुर	113
17.	जैतपुर	8
18.	जनकपुर रोड	25
19.	जनडाहा	59
20.	कांती	26
21.	करनौल	22
22.	केर्मा	9
23.	कुरहानी	18
24.	लालगंज	0
25.	माधोपुर	25
26.	महनार	84
27.	महुआ	65
28.	मीनापुर	8
29.	मोतीपुर	12
30.	मुजफ्फरपुर	942
31.	नरमा	34
32.	पचडाही	14
33.	परिहार	0
34.	परसौनी	4
35.	पाटेपुर	10
36.	प्रतापतण्ड	5
37.	रीनीसैदपुर	2
38.	रिगा	11
39.	सहडई बजुर्ग	2
40.	सूराईय	46
41.	सरैया	19
42.	शिवहर	21
43.	सीतामढ़ी	468
44.	सौनवर्सा	3
45.	सुरसन्द	22
46.	तुर्की	16
47.	वैशाली	40

1	2	3
1.	अस्थिवान	0
2.	अथमलगोला	0
3.	बखतियारपुर	10
4.	बड़	213
5.	बेन	0
6.	बिहारशरीफ	575
7.	बिहता	110
8.	बिक्रम	98
9.	चांदी	0
10.	दानापुर	93
11.	दिनियावान	0
12.	दयालचाक	8
13.	दिपनागर	0
14.	डुल्हीन बाजार	16
15.	डूमराम	0
16.	एकगनसराय	0
17.	फतवा	80
18.	गंजपुर	0
19.	गेरीक	0
20.	गोनामाह	0
21.	गोसशीकपुर	0
22.	हरनौट	10
23.	हाथीडाह	5
24.	हिल्सा	5
25.	इस्लामपुर	5
26.	कंकरबाग	1375
27.	कटैपरसुरा	0
28.	कतरीसराय	0
29.	खुसरूपुर	0
30.	मनेर	41
31.	मसौरही	96
32.	मोकामाह	12
33.	नगरमौसा	0
34.	नालंदा	0
35.	नौबतपुर	87

1	2	3
36.	नूरसराय	0
37.	पालीगंज	43
38.	पण्डारखा	0
39.	परवलपुर	0
40.	पटेल नगर	87
41.	पाटलीपुत्र	324
42.	पटना सिटी	709
43.	पटना मेन	1024
44.	पावापुरी	0
45.	पेनाल	0
46.	पुनपुन	64
47.	राहूज	0
48.	राजेन्द्र नगर	1369
49.	राजगिर	0
50	सलीमपुर	0
51.	सरमेरा	0
52.	सिलाओ	5
53.	सिमरा	6
54.	टेलहारा	0
55.	योगीपुर	0
1.	भन्द्रा	2
2.	बोरया	0
3.	बुन्दू	1
4.	चानहो	0
5.	धूर्वा	113
6.	घाघरा	0
7.	गुमला	125
8.	हिनू	150
9.	इटकी	0
10.	कांके	5
11.	खेलाड़ी	0
12.	खुन्टी	5
13.	कोयलेविरा	0
14.	कुरू	0

1	2	3
15.	लोहरदगा	101
16.	मण्डार	0
17.	मेकलासीगंज	0
18.	मेसरा	2
19.	मुई	0
20.	मूरि	4
21.	नागरी	0
22.	नामकुम	7
23.	नेतरहाट	17
24.	औरमांझी	0
25.	पाण्डरा	30
26.	पिपरवाड़	8
27.	रांची	573
28.	सीमेन्ज रांची	0
29.	सिम्डेगा	23
30.	सिसई	0
31.	ताटिसिलवाई	0
32.	टोर्पा	0
1.	अकोही गोला	14
2.	अयरकोठा	2
3.	बालूमठ	0
4.	बंजारी	35
5.	बरवाडिह	0
6.	वेटला	0
7.	भभुआ	109
8.	भवनंतपुर	0
9.	बिक्रम्गंज	62
10.	चौंदवा	19
11.	छत्तरपुर	0
12.	छियादोहर	0
13.	डालमिया नगर	309
14.	डालटनगंज	194
15.	दिनारा	27
16.	दुर्गावती	2
17	गढ़वा	11

1	2	3
18.	हैदर नगर	2
19.	हरिहरगंज	1
20.	जामूहर	16
21.	जपला	0
22.	करगहर	2
23.	करकट	0
24.	कापस	0
25.	कूद्रा	39
26.	लटेहर	2
27.	लेसलीगंज	2
28.	मझिआं	1
29.	मेरल	0
30.	मोहनिया	11
31.	नगरूतरी	7
32.	नसरीगंज	18
33.	नटवर	0
34.	नोरवर	8
35.	रायपुरचोरे	0
36.	राजपुर	0
37.	रमना	0
38.	रामगढ़ (एसएसआर)	12
39.	रामपुर	0
40.	रंकराज	3
41.	रेहला	0
42.	संझौली	0
43.	सासाराम	208
44.	शिवसागर	0
45.	तिलौथू	0
1.	आदित्यपुर	872
2.	बाहरगोड़ा	66
3.	बड़ा आमदा	0
4.	बड़ाजामदा	1
5.	बिहारस्पोंज	9
6.	छैबासा	1
7.	चक्रधरपुर	8

1	2	3
8.	चकुलिया	14
9.	चलियामा	0
10.	चंदिल	0
11.	दलभूमगढ़	3
12.	घाटशिला	40
13.	गुआ	0
14.	हल्दीपोखर	15
15.	जादूगोडा	40
16.	जगवतपुर	0
17.	जमशेदपुर	4495
18.	छिकपानी	0
19.	कंदरा	23
20.	करैकल	10
21.	कटिन	1
22.	केरा	0
23.	खरसवागढ़	0
24.	महूलिमा	0
25.	मनोहरपुर	37
26.	मौभण्डार	34
27.	मेघाहटदुरू	0
28.	मोसाबनी	60
29.	नौमुण्डी	0
30.	परसुडिह	166
31.	पटामडा	1
32.	सरायकेला	0
33.	सिंज	1
34.	सोनुआ	0
35.	सुर्दा	1
36.	टेलको	1046

1.	अंडर	8
2.	बनियापुर	4
3.	बड़कागांव	0
4.	बरौली	0
5.	बरहरिया	63
6.	बसैतपुर	13
7.	बैदुआबाजार	0

1	2	3
8.	छपरा	215
9.	दरौण्डा	2
10.	दौदपुर	1
11.	डिगवादूबौली	0
12.	दिघवाड़ा	13
13.	दीनदयालपुर	12
14.	डोरीगंज	0
15.	एकमा	5
16.	गोपालगंज	70
17.	गोपालपुर	8.
18.	गोरीकोठी	16
19.	गोर्खा	3
20.	हसनपुर	5
21.	हथूआ	62
22.	जलालपुर	1
23.	कटेया	0
24.	महराजगंज	11
25.	मैरवा	50
26.	मझगढ़	0
27.	मांझी	0
28.	मारवाहा	4
29.	मसरख	4
30.	एनजलालपुर	0
31.	नागरा	1
32.	नवागांव	0
33.	पचरूखी	3
34.	परसा	0
35.	रघुनाथपुर	3
36.	रेवेलगंज	4
37.	सासामसा	0
38.	सिधवालिया	0
39.	सिवान	235
40.	सोनपुर	1
41.	तरैया	1
42.	थावे	0
43.	वेल्डी	0
44.	जिरादेयी	10

बाई-पासों का निर्माण

637. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान बाई-पासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके लिए धनराशि कब तक आबंटित कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार मुख्यरूप से देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। संभवतः माननीय सदस्य का आशय आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाईपासों से है। 1993-94 और 1994-95 में इलुरू और नैल्लोर में बाईपासों के निर्माण संबंधी दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये संस्वीकृति-पूर्व की स्थिति में हैं।

(ग) और (घ). चूंकि ये परियोजनाएं संस्वीकृति पूर्व की स्थिति में हैं, अतः अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि अपेक्षित निधियां कब तक आबंटित कर दी जाएंगी।

[हिन्दी]

"एड्स" रोग पर नियंत्रण हेतु धनराशि का नियतन

638. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से "एड्स" रोग को फैलने से रोकने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि खर्च की है और इस संबंध में क्या वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस संबंध में सरकार को प्राप्त हुई सफलता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का "एड्स" रोग को फैलने से रोकने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों के सक्रिय सहयोग से युद्ध स्तर पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार पश्चिमी देशों की भांति देश में कोई सामाजिक सुरक्षा स्कीम शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क)

वर्ष	करोड़ रुपये में
1991-92	6.23
1992-93	29.71
1993-94	33.05

(ख) रक्ताधान प्रयोजनों के लिए निरापद सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विनियामक तंत्र कड़ा कर दिया गया है। रक्त जांच सुविधाओं वाले 150 जानेल रक्त जांच केन्द्र स्थापित किए गए हैं। देश में सभी रक्त बैंकों को इन जोनल रक्त जांच केन्द्रों के साथ जोड़ दिया गया है। रक्ताधान के पूर्व रक्त की जांच करने के लिए सभी जिला स्तरीय रक्त बैंकों/रक्ताधान केन्द्रों को द्रुत जांच किटें प्रदान की जाती हैं।

देश में सभी मौजूदा 372 यौन संचारित रोग क्लिनिकों को प्रयोगशालीय उपस्करों तथा स्टाफ में प्रशिक्षण की व्यवस्था करके सुदृढ़ किया जा रहा है। चूंकि अभी एच.आई.वी./एड्स के उपचार के लिए कोई वैक्सीन नहीं है इसलिए लोगों विशेषतौर से उच्च खतरे का आचरण करने वाले समूह में एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने पर बल दिया जा रहा है। इस दिशा में एन.एस.एस. को शामिल किया गया है जिसमें 158 विश्वविद्यालय तथा 1.1 मिलियन छात्र स्वयंसेवी शामिल हैं। व्यापक परामर्शी प्रशिक्षण मैनुअल विकसित किया गया है। 43,000 महिला स्वास्थ्य संघों को सामुदायिक परामर्श के लिए एच.आई.वी./एड्स सामग्री सप्लाई की जा रही है।

14 राज्यों में जनमत नेताओं को शामिल किया गया है तथा शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रयास जारी हैं। 65 नगरों में उच्च खतरे के आचरण का अध्ययन चल रहा है। परियोजना तैयार करने में देशव्यापी गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षित करने के लिए एक नोडल गैर-सरकारी संगठन निर्धारित किया गया है।

(ग) एच.आई.वी./एड्स के प्रसार के निवारण एवं नियंत्रण की एक व्यापक स्कीम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में पूरे देश में पहले ही कार्यान्वित की जा रही है। निजी क्षेत्र एवं गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं।

(घ) से (च). वित्तीय अड़चनों के कारण पश्चिमी देशों के पैटर्न पर कोई सामाजिक सुरक्षा स्कीम शुरू करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पत्तनों का आधुनिकीकरण

639. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पत्तनों का आधुनिकीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आधुनिकीकरण संबंधी कार्य कब शुरू किया जाएगा और कब तक पूरा होगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). जी, हां। महापत्तनों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, सभी 11 महापत्तनों के आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न विकास स्कीमों के लिए आठवीं योजना में 2984 करोड़ रू. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। महापत्तनों में अनेक बड़ी स्कीमों पर पहले ही कार्य शुरू हो चुका है और इनमें से अधिकतर स्कीमें आठवीं योजना के दौरान ही पूरी होने की संभावना है।

[हिन्दी]

गर्भ-निरोधक इंजेक्शन

640. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम गर्भ–निरोधक इंजेक्शन की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंजेक्शन का मानवों पर परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इन इंजेक्शनों के प्रयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) पुरुष के लिए गर्भ निरोधन हेतु ओवाइन एन्टी फॉलिकिल स्टिम्युलेटिंग हारमोन वाली एक इंजेक्टिबल वैक्सीन का आविष्कार किया गया है।

(ख) और (ग). मानवों पर चरण–I चिकित्सीय परीक्षण पूरे हो गए हैं।

(घ) और (ङ). चिकित्सीय परीक्षण अभी प्रयोगिक अवस्था में हैं।

[अनुवाद]

कलकत्ता में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा-सूची

641. **श्री अमल दत्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता टेलीफोन क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा–सूची का एक्सचेंज–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान प्रतीक्षा–सूची में प्रतीक्षारत सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक प्रदान कर दिए जाएंगे; और

(ग) उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने हेतु एक्सचेंजों की क्षमता/लाइन क्षमता और उपकरणों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). सूचना संकलित की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

रेडियो लोकल लूप

642. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेटरों को बुनियादी दूरसंचार सेवाएं प्रदान कराने हेतु रेडियो लोकल लूपों के लाइसेंस दे दिए गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका शुल्क–ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन डायरेक्टरी

643. **श्री गोविन्दराव निकम** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न शहरों के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी तैयार करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या नई टेलीफोन डायरेक्टरी टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार को ध्यान में रखते हुए तैयार नहीं की जाती है; और

(ग) यदि हां, सरकार द्वारा प्रतिवर्ष टेलीफोन डायरेक्टरी प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सभी गौण स्विचन क्षेत्रों (एस एस ए)) की टेलीफोन डायरेक्टरियों का मुद्रण प्रत्येक वर्ष किया जाना होता है। टेलीफोन जिलों (दूरसंचार जिला प्रबंधक और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी के अधीन) की पीले पृष्ठों (पीले पेजेज) सहित डायरेक्टरियों का मुद्रण संविदाकारों के माध्यम से करवाया जाता है जबकि दूरसंचार जिलों (टेलीफोन जिला इंजीनियर के अधीन) की डायरेक्टरियों का मुद्रण पीले पृष्ठों के बिना विभाग द्वारा हीकरवाया जाता है।

(ख) एवं (ग). यद्यपि टेलीफोन डायरेक्टरियां प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जानी होती हैं, परंतु कुछ मामलों में संविदाकारों की ओर से कमी के कारण ये डायरेक्टरियां निर्धारित समयावधि के अनुसार प्रकाशित नहीं हो पातीं। ऐसे मामलों में, उन संविदाकारों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है, जिसमें संविदा भी समाप्त की जा सकती है। पीले पृष्ठ स्कीम के अंतर्गत जब कभी संविदाकार के माध्यम से डायरेक्टरियों के मद्रण में अनुचित विलम्ब होता है तो उन्हें विभाग द्वारा मुद्रित करवाने के प्रयास भी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड में पदोन्नतियां

644. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड के अन्तर्गत भर्ती और पेंशन नियमों के अनुसार 9 दिसम्बर, 1993 से पूर्व आवश्यक सेवा पूरे कर चुके अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नतियां नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ख) ऐसे कर्मचारियों का पद–वार ब्यौरा क्या है और क्रमिक रिक्तियों को कब तक भर दिया जाएगा;

(ग) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड में क्रमिक रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय सड़क निर्माण निगम के कर्मचारियों के लिए कोई समिति गठित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ङ). आई आर सी सी में अ.जा./अ.ज.जा. के कुछ कर्मचारियों ने नियमों के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्रता की

अपेक्षित अवधि पूरी कर ली है लेकिन उन्हें प्रोन्नत नहीं किया जा सका। मामला विचाराधीन है।

आयुर्वेदिक औषधियों की खरीद

645. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार आयुर्वेदिक औषधियों की खरीद हेतु राज्य सरकारों को धन आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धन को संबंधित राज्यों द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों की खरीद पर सही ढंग से खर्च किया है अथवा अन्य दवाओं की खरीद पर खर्च कर दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक उपचार अपनाने हेतु रोगियों को प्रोत्साहित करने के लिए संबंधित राज्यों में आयुर्वेदिक विभाग महानिदेशालय की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). स्वास्थ्य, राज्य का एक विषय है और राज्य सरकार में निदेशालयों की स्थापना करना संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है। तथापि, भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी (जिसमें आयुर्वेद शामिल है) को बढ़ावा देने के कार्य में सहयोग देती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

646. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण के लिए चालू वर्ष में उपलब्ध कराई जा रही धनराशि पांच पूर्व (1990-91) इस प्रयोजनार्थ दी गई धनराशि के मुकाबले आधी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण विकास के लिए वर्ष 1990-91 और चालू वर्ष 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को आबंटित राशि नीचे दी गई है :-

(लाख रू.)

वर्ष	आबंटित राशि
1990-91	6500.00
1994-95	8300.00

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

अन्य पिछड़ी जातियों (ओ.बी.सी.) की नियुक्तियां

647. श्री बारे लाल जाटव : क्या **संचार मंत्री** 1 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1223 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की नियुक्ति के संबंध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) लागू नहीं होता।

विवरण

प्रतिबंध के कारण दूरसंचार विभाग में कोई सीधी भर्ती नहीं हुई है लेकिन कतिपय क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा ओ बी सी श्रेणी के लिए निर्धारित किये जाने वाले कुछ पदों का पता लगाया गया है। तथापि, डाक विभाग में ग्रुप "सी" में 7 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है।

दूरसंचार विभाग में 69 पदों तथा डाक विभाग में 420 पदों का पता लगाया गया है।

चूंकि दूरसंचार विभाग में सीधी नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा हुआ है, अतः पता लगाए गये पदों को अभी भरा जाना है। इसीप्रकार डाक विभाग में ग्रेड ए में 7 पद, ग्रेड-सी मे 365 पद तथा ग्रेड डी में 41 पद रिक्त हैं।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

648. श्री आनन्द अहिरवार : क्या **संचार मंत्री** 25 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों के संबंध में सूचना प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) लोक सभा में दिनांक 25.7.94 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 89 की पूर्ति संबंधी कार्यान्वयन रिपोर्ट, दिनांक 28.9.94 के पत्र संख्या 5-8/94-ई एस एम-1 द्वारा दिनांक 28.9.94 को ही संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन को भेज दी गयी थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डेथ प्रोपोजेज–ए.आई.आई.एम.एस. डिस्पोजेज

649. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 नवम्बर, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डेथ प्रोपोजेज–ए.आई.आई.एम.एस. डिस्पोजेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में किसी उच्च–स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और क्या इसमें संलिप्त व्यक्तियों की जिम्मेदारी निर्धारित करके उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राजधानी में सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने इस मामले की छानबीन करवाई। जांच से पता चला कि यह सारी घटना रिश्तेदारों तथा पुलिस द्वारा गलत पहचान करने के कारण अनजाने में दुर्भाग्यवश घटी जिसके साथ किसी को नहीं जोड़ा जा सकता। तथापि, भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संस्थान ने उपायुक्त पुलिस (दक्षिण) नई दिल्ली को इस मामले में पत्र लिखा है।

समुद्री सीमा समझौता

650. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत थाईलैंड और म्यांमार के बीच कोई समुद्री सीमा समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समझौते के दस्तावेजों का हस्तांतरण कब तक हो जाएगा तथा यह समझौता कब तक लागू हो जाएगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां। अण्डमान सागर में भारत, थाईलैण्ड और म्यांमार के बीच त्रि–संगम बिन्दु के निर्धारण के संबंध में इन देशों के बीच 27 अक्तूबर, 1993 को नई दिल्ली में एक करार सम्पन्न हुआ था।

(ख) त्रि–संगम बिन्दु के निर्देशांकों की परिभाषा और उनका निर्धारण इस करार की प्रमुख बातें हैं।

(ग) अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान–प्रदान से संबंधित सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली गई हैं और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान–प्रदान संबंधित पक्षों की सुविधानुसार तय की जाने वाली तारीख को होगा। अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान–प्रदान की तारीख से यह करार लागू हो जाएगा।

भारतीयों के प्रवेश पर रोक

651. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई देशों ने भारत में न्यूमोनिक प्लेग के संदिग्ध रूप से फैलने को देखते हुए अपने यहां भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो ये देश कौन–कौन से हैं;

(ग) क्या कुछ देशों ने इस संबंध में चिकित्सा सहायता प्रदान करने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार न्यू मोनिक प्लेग फैलने की आशंका को देखते हुए केवल एक देश ने ही अपने यहां भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था। कुछ अन्य देशों ने भारतीयों के सीधे प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया था लेकिन तीसरे देशों से आने वाले भारतीयों को प्रवेश की इजाजत दी गई थी।

(ख) लेबनान ने किसी भी जगह से आने वाले भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया था। जिन देशों ने भारतीय नागरिकों के सीधे प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया था, वे इस प्रकार हैं–सऊदी अरब, यमन, बहरीन, ओमान, कत्तर, यू.ए.ई., जार्डन, कुवैत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पपुआ न्यू गिनी।

कुछ अन्य देशों ने संगरोधन लगाया था इनमें मिस्र, जार्डन, चीन, उक्रैन, कजाकस्तान, उजबेकिस्तान, टर्की तथा रूस शामिल हैं।

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कुवैत में प्रवासी भारतीयों को मुआवजा

652. **श्री परसराम भारद्वाज** :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1990 में कुवैत पर हुए इराकी हमले में वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों द्वारा उठाई गई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए कुवैत सरकार से सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुवैत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) 1990–91 के दौरान इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के परिणामतः जो भारतीय राष्ट्रिक कुवैत/इराक से वापस आ गए थे अथवा जिन्हें इस आक्रमण के प्रत्यक्ष प्रभाव से शारीरिक चोटें आयीं अथवा जिनकी मृत्यु हुई अथवा जिनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा उनके द्वारा दायर दावों को संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग को भेज दिया गया है। इस संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग की स्थापना युद्ध के तुरन्त बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने की थी और इस आयोग

का कार्य खाड़ी के युद्ध से प्रभावित सभी लोगों को मुआवजा देना है। इसलिए मुआवजा दावों के मामले को कुवैत की सरकार के साथ उठाने का प्रश्न नहीं उठता। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने अभी तक किसी भी भारतीय दावेदार को मुआवजा की रकम अदा नहीं की है।

(ख) लागू नहीं होता।

महाराष्ट्र में स्वतंत्रता सैनानियों को टेलीफोन कनेक्शन

653. **श्री राम नाईक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष उनके मंत्रालय ने स्वतंत्रता सैनानियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर नए टेलीफोन कनेक्शन आबंटित करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बम्बई और महाराष्ट्र टेलीकॉम सर्किल को इस निर्णय से अवगत कराया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी या उसकी विधवा, जिसे स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन मिल रही है और जिनके पास अपना टेलीफोन कनेक्शन नहीं है, को गैर–ओ वाई टी स्वतंत्रता सेनानी (एस डब्ल्यू एस) श्रेणी में उनके पंजीकरण होने पर अग्रता के आधार पर एक टेलीफोन प्रदान करने के संबंध में 1992 में आदेश जारी किए गए थे।

गत वर्ष गोवा विमोचन पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं, जिन्होंने गोवा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, को भी गैर–ओ वाई टी एस डब्ल्यू एस श्रेणी में शामिल करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ख) एस डब्ल्यू एस श्रेणी के अंतर्गत कोई संस्थापना शुल्क नहीं लिया जाएगा और उपभोक्ता से सामान्य किराया प्रभारों के आधे प्रभार ही लिए जाएंगे। तथापि, गैर–ओ वाई टी श्रेणी पर लागू पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा।

(ग) एवं (घ). जी, हां। उपर्युक्त अनुदेश सभी दूरसंचार सर्किलों/जिलों/एम टी एन एल को जारी किए गए हैं और इनमें एम टी एन एल, बंबई और महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल भी शामिल हैं।

(ङ) उपर्युक्त "ग" एवं "घ" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तंत्रिका संबंधी रोग

654. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तंत्रिका संबंधी रोगों से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या देश में प्रशिक्षित तंत्रिका चिकित्सक लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं से कम है;

(ग) यदि हां, तो देश में तंत्रिका चिकित्सकों की कमी पूरा नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(घ) आवश्यकता को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलूर के अनुसार ऐसे रोगों के कारण होने वाली मौतें दीर्घायु एवं जीवन शैली में परिवर्तन अर्थात धूम्रपान के कारण बढ़ रही हैं। तथापि, कोई देश व्यापी सांख्यिकी विवरण संकलित नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ). राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा दिए गए अनुमान के अनुसार देश में लगभग 400 तंत्रिक विज्ञानी हैं। कोई निर्धारित तंत्रिका विज्ञानी जनसंख्या अनुपात नहीं है। तथापि, 15 संस्थान हर वर्ष 40–50 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

655. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में जिला–वार टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची को शीघ्रता से निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1994–95 के दौरान 57,000 नए टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त कनेक्शन देने हेतु, पट्टे पर अतिरिक्त स्विचिंग उपस्कर लेने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में 1.4.97 तक मध्य प्रदेश सहित समूचे देश में मांग पर टेलीफोन देने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

30.9.94 की स्थिति के अनुसार, जिलावार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	जिला	प्रतीक्षा–सूची
1	2	3
1.	बालाघाट	74
2.	बस्तर	243
3.	बेतुल	231
4.	भिण्ड	450
5.	भोपाल	8642
6.	बिलासपुर	2391
7.	छतरपुर	485
8.	छिंदवाड़ा	588

1	2	3
9.	दमोह	417
10.	दतिया	482
11.	देवास	1001
12.	धार	390
13.	दुर्ग	3528
14.	गुना	607
15.	ग्वालियर	2546
16.	होशंगाबाद	481
17.	इंदौर	18664
18.	जबलपुर	2903
19.	झाबुआ	31
20.	खण्डवा	145
21.	खरगोन	125
22.	मंदसौर	221
23.	मालदा	10
24.	मुरैना	412
25.	नरसिंहपुर	81
26.	पन्ना	128
27.	रायगढ़	208
28.	रायपुर	4146
29.	रायसेन	12
30.	राजगढ़	5
31.	राजनादगांव	876
32.	रतलाम	569
33.	रीवा	1672
34.	सागर	1284
35.	सरगुजा	120
36.	सतना	1997
37.	सिहोर	12
38.	सिवनी	8
39.	शहडोल	328
40.	शाजापुर	–
41.	शिवपुरी	623
42.	सीधी	168
43.	टीकमगढ़	289
44.	उज्जैन	701
45.	विदिशा	168
	जोड़	58512

मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज

656. श्री नवल किशोर राय : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज के कितने एकक और उनके विक्रय अधिकार कितने हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज के प्रत्येक एकक को कितना घाटा/लाभ हुआ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक विक्रय अधिकार से कितने रायल्टी की राशि प्राप्त हुई और उस पर कितना व्यय हुआ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) कम्पनी के अपने 14 ब्रेड एकक और 5 गैर–ब्रेड एकक हैं। इनके अलावा, उसके ब्रेड निर्माण के लिए 15 फ्रैंचाइज एकक हैं।

(ख) ब्यौरे विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे विवरण–II और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड मुख्यालय 1991-92 से 1993-94 के दौरान लाभ/हानि बताने वाला विवरण

लाख रूपए में

क्र.सं.	एकक का नाम	1991–92	1992–93	1993–94
1.	अहमदाबाद	–31.87	–36.30	–20.00
2.	बंगलौर	9.34	35.05	70.74
3.	बम्बई	0.99	42.28	54.05
4.	कलकत्ता	–22.66	28.16	–15.63
5.	चण्डीगढ़	1.84	12.81	–6.91
6.	कोचीन	65.43	111.07	90.07
7.	दिल्ली–1	11.70	252.52	51.70
8.	दिल्ली–2	0.00	–23.42	–47.99
9.	हैदराबाद	–16.92	–28.64	–26.29
10.	इन्दौर	1.83	60.07	35.47
11.	जयपुर	–8.50	–8.56	–17.18
12.	कानपुर	–37.50	–50.01	29.63
13.	मद्रास	66.43	84.03	65.71
14.	रांची	–24.78	–20.22	–32.67
15.	ब्रेवरीज	–10.28	–4.94	0.00
16.	रोलर फ्लोर मिल	–26.83	5.67	77.87
17.	एफ.जे.बी.पी.	–116.33	–100.78	–105.39
18.	उज्जैन	–100.92	-125.81	-106.19
19.	एक्सट्रूडर	–3.49	10.31	17.65
20.	भागलपुर	–45.28	–45.29	–48.80

9.10.1992 को रोलर फ्लोर मिल में विलय हो गया।

विवरण-II

मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि.–फ्रैंचाइज डिवीजन

वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान रायल्टी से हुई आय

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	फ्रैंचाइज यूनिट	1991–92	1992–93	1993–94
1.	**जम्मू और कश्मीर**			
	1. जम्मू	1.20	1.31	1.29
2.	**राजस्थान**			
	2. श्रीगंगानगर	0.51	1.13	1.18
3.	**हरियाणा**			
	3. रोहतक	–	0.45	1.79
4.	**उत्तर प्रदेश**			
	4. आगरा	3.15	3.48	3.70
	5. बहादराबाद	0.23	0.001	1.51
	6. बरेली	–	–	1.40
	7. जगदीशपुर	–	0.13	1.57
5.	**मध्य प्रदेश**			
	8. ग्वालियर	2.12	2.71	2.44
	9. भोपाल	0.83	0.74	1.03
	10. जबलपुर*	2.45	1.63	–
	11. रायपुर	1.22	1.47	1.30
6.	**आन्ध्र प्रदेश**			
	12. विशाखापटनम	–	0.06	1.15
7.	**तमिलनाडु**			
	13. मदुरै	–	–	0.89
8.	**पश्चिम बंगाल**			
	14. सिलिगुड़ी	–	1.23	2.07
9.	**असम**			
	15. सिल्चर	–	–	0.55
10.	**महाराष्ट्र**			
	16. नागपुर	–	–	0.59
	योग	11.71	14.34	22.46

* 1993–94 के दौरान समाप्त हो गई।

विवरण-III

मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड

फ्रैंचाइज प्रचालनों पर व्यय

लाख रूपये में

क्र.सं.	विवरण	1991–92	1992–93	1993–94
1.	वेतन तथा भत्ते	4.30	4.60	5.78
2.	यात्रा भत्ता व्यय	0.56	0.90	1.60
3.	प्रचार	0.40	2.50	0.90
		5.26	8.00	8.28

[अनुवाद]

स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

657. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कैंसर उन्मूलन कार्यक्रम में लगे स्वयंसेवी संगठनों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा): (क) और (ख). राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा और रोगियों का पता लगाने संबंधी गतिविधियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता देने हेतु एक स्कीम है। किसी संगठन को इस प्रयोजन के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि 5.00 लाख रूपये तक है।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी

658. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड ने केन्द्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) समझौता ज्ञापन में कम्पनी के लिए उत्पादन लाभ वस्तु सूची नियंत्रण, आगतों का उपभोग तथा अन्य दक्षता सूचक सर्वमान्य लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

एल्यूमिनियम का उत्पादन

659. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्यूमिनियम के मूल उत्पादकों ने अपने कुल उत्पादन के कितने प्रतिशत एल्यूमिनियम का निर्यात किया है; और

(ख) सरकार द्वारा एल्यूमिनियम के सेकेंडरी उत्पादकों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर एल्यूमिनियम उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) वर्ष 1991–92 से 1993–94 के दौरान एल्यूमिनियम के कुल उत्पादन में से प्राथमिक निर्माताओं द्वारा निर्यात किए गए एल्यूमिनियम का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है :–

वर्ष	उत्पादन में निर्यात का प्रतिशत
1991–92	14%
1992–93	23%
1993–94	18%

(ख) सरकार ने घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित धातु की उपलब्धता बढ़ाने के लिए देश में प्राथमिक एल्यूमिनियम की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाये हैं। आयात ओ.जी.एल. के अन्तर्गत हैं। 1994 के बजट में आयातित एल्यूमिनियम के विभिन्न मदों पर शुल्क मूल्यानुसार लगभग 40 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया और यह अक्तूबर,1994 में पुनः मूल्यानुसार 10 प्रतिशत तक घटाया गया है। इसके अलावा सरकार ने देश में प्राथमिक एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिये एकक स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नीतिगत निर्णय किये हैं :–

(1) एल्यूमिनियम धातु और उसके डाउनस्ट्रीम उत्पादों को अनिवार्य लाइसेंसिंग के उपबंधों में छूट।

(2) धातु पर उत्पाद शुल्क में कमी और एल्यूमिनियम उद्योग के लिए "मोडवाट" सुविधाओं का विस्तार।

(3) एल्यूमिनियम उद्योग को ऐसे उद्योगों की सूची में शामिल करना जहां इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्वटी का अनुमोदन स्वतः उपलब्ध है।

[हिन्दी]

नये मेडिकल कालेजों तथा अस्पतालों की स्थापना

660. **श्री मंजय लाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका और अन्य देशों में रह रहे अनिवासी भारतीय चिकित्सकों ने नये मेडिकल कालेजों तथा अस्पतालों की स्थापना में अपना योगदान देने की पेशकश की है;

(ख) क्या उनकी पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान अनेक भारतीय चिकित्सकों ने इस संबंध में अपनी पेशकश की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के हित में उनका सहयोग मांगने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (घ). भारत में नये मेडिकल कालेज खोलने हेतु संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य देशों में रह रहे अनिवासी भारतीय डाक्टरों से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 के अधीन कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अस्तपाल स्थापित करने हेतु कुछ अन्वेषणात्मक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

कोयले पर आधारित विद्युत परियोजना

661. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की 15 कंपनियों के एक व्यापार संघ ने महाराष्ट्र में कोयले पर आधारित तथा 250 मेगावाट क्षमता को एक विद्युत परियोजना की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि उन्हें 15 जापानी फर्मों के संघ से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

पीने योग्य एल्कोहल

662. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी कंपनियों को पेय एल्कोहल का उत्पादन करने हेतु लाइसेंस दिया गया है;

(ख) इन कम्पनियों का अनुमानित वार्षिक कारोबार कितना है; और

(ग) पेय एल्कोहल का उत्पादन करने हेतु संयुक्त उद्यम लगाए जाने के क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) किसी विदेशी कंपनी को पेय अल्कोहल का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है। लेकिन कुछ विदेशी कम्पनियों को मौजूदा लाइसेंसधारियों के साथ, पेय अल्कोहल आदि के निर्माण के लिए उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता का उपयोग करते हुए, संयुक्त उद्यम कंपनियां स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इन विदेशी कंपनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) संयुक्त उद्यम कंपनियों का कारोबार उनके सालाना उत्पादन पर निर्भर करता है।

(ग) संयुक्त उद्यमकर्ताओं को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने, देशी अल्कोहल पेयों की गुणवत्ता में सुधार करने और निर्यात संभावनाओं को बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इससे नकली/आयातित अल्कोहल पेयों के विपणन पर भी प्रभावी नियंत्रण रहेगा और सरकारी राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी।

विवरण

क्र.सं.	विदेशी कंपनियों के नाम
1.	मैसर्स युनाइटिड डिस्टिलर्स पी.एल.सी.
2.	मैसर्स सीग्राम कंपनी लिमिटेड
3.	मैसर्स हिरम वॉकर ग्रुप लिमिटेड
4.	मैसर्स इंटरनेशनल डिस्टिलर्स एंड विंटनर्स लिमिटेड
5.	मैसर्स डगलस लैआंग एंड कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण

663. **श्री प्रकाश वी. पाटील :**
श्री गुमान मल लोढा :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण की स्थापना स्वास्थ्य समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भेषज उद्योग और औषधि के सभी पहलुओं को देखने के लिए केवल एक प्राधिकरण है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (घ). औषधों और फार्मास्युटिकल्स के गुणवत्ता नियंत्रण की पद्धति को सुदृढ़ बनाने हेतु एक राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय किया गया है। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में औषध नियंत्रण प्राधिकारियों, उनकी शक्तियों और कार्यों तथा अपनाई जाने वाली क्रियाविधियों से संबंधित प्रावधान निहित है।

[हिन्दी]

पेप्सी कम्पनी द्वारा अपने वायदों का उल्लंघन

665. **श्री नारायण सिंह चौधरी :**
श्री तारा सिंह :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 नवम्बर, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पेप्सी फेल्ड टू फुलफिल प्रामिज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेप्सी कम्पनी ने देश में कारोबार शुरू करने के समय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार पेप्सी कम्पनी को देश में अपने कारोबार का विस्तार करने से पहले इसके द्वारा किए गए वायदों की पूर्ति सुनिश्चित कराएगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) से (च). निर्यात दायित्वों के संबंध में विदेशी सहयोग अनुमोदन/आशयपत्रों मे दी गई शर्तों का मैसर्स पैप्सी फूड लिमिटेड द्वारा तथाकथित उल्लंघन करने के मामले पर महानिदेशक विदेश व्यापार के कार्यालय और वाणिज्य मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श करके जांच की जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता

666. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के लिए कुछ देशों से सहायता प्राप्त करने हेतु संपर्क किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने देशों ने भारत को अपना समर्थन देना व्यक्त किया है;

(घ) क्या सरकार ने सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों से भी सम्पर्क किया था; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक देश की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ङ). "सुरक्षा परिषद में उचित प्रतिनिधित्व तथा उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि करने के प्रश्न" पर गठित संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यदल इस समय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए किसी देश विशेष की उम्मीदवारी पर विचार नहीं कर रहा है। इसलिए भारत के लिए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु अन्य देशों का समर्थन मांगने का प्रश्न अभी नहीं उठता है।

विद्युत उत्पादन में गिरावट

667. **श्री राजवीर सिंह :**
डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण विद्युत उत्पादन में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की सप्लाई में कमी आने के क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार ने कोयले की सप्लाई में कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) उत्तर प्रदेश के साथ विद्युत केन्द्रों समेत देश में सभी ताप विद्युत केन्द्रों के लिए विद्युत सप्लाई की निरन्तर समीक्षा की जाती है, इसमें उच्च स्तर पर अन्तः विभागीय साप्ताहिक बैठकें आयोजित करना भी शामिल है और समय–समय पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

दूरसंचार इंजीनियर

668. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराकर को दूरसंचार इंजीनियरों की लम्बी अवधि से चली आ रही मांगों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) मांगों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार इंजीनियरी सेवा संघ (टी.ई.एस.ए) के साथ बातचीत की है तथा की गई कार्य प्रणाली के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है।

विवरण

दूरसंचार इंजीनियरी सेवा संघ (टी.ई.एस.ए) द्वारा प्रक्षेपित मांगों का ब्यौरा

1. वरिष्ठ समयमान (आई.टी.एस.) ग्रेड में पदों का सृजन।
2. मूल नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण।
3. वरिष्ठ एस.डी.ई. के ग्रेड की मंजूरी के लिए पात्रता शर्तों में ढील।
4. टी.ई.एस. ग्रुप "ख" अधिकारियों के पदोन्नति के मार्ग में गति अवरोधों को समाप्त करना।
5. टी.ई.एस. ग्रुप "ख" से जे.टी.एस. में पदोन्नति के लिए नियमित रूप से विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन।
6. लेखा अधिकारियों के मामले की तरह टी.ई.एस. ग्रुप "ख" में 80 प्रतिशत पदों का, 2000–4000/–रूपये के ग्रेड में उन्नयन करने की स्कीम आरंभ करना।
7. टी.ई.एस. ग्रुप "ख" के वेतनमानों में संशोधन।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पताल और औषधालय

669. **श्री शिवाजी पटनायक :**

श्री हाराधन राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के राज्य–वार कितने अस्पताल और औषधालय कार्यरत हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का चालू योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के और अधिक अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भुवनेश्वर और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों मे सरकारी अस्पताल और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा. सी. सिलवेरा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में धन की उपलब्धता की शर्त पर नए औषधालय खोलने के लिए शामिल किए गए लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :–

एलोपैथिक औषधालय	50
पॉलिक्लिनिक	9
आयुर्वेदिक औषधालय/एकक	10
होमियोपैथिक औषधालय/एकक	10
यूनानी औषधालय/एकक	2
डेंटल एकक	1
सिद्ध एकक	1
प्रथमोपचार केन्द्र	8
कुल	91

(घ) शीघ्र कार्रवाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

देश में चल रहे अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के बारे में राज्यवार सूचना

क्र.सं.	राज्य का नाम	एलौपैथिक,आयुर्वेदिक, हौमियोपैथिक, यूनानी, सिद्ध, योग पद्धतियों में औषधालयों/ एककों की कुल संख्या	पॉलिक्लिनिक
1.	आन्ध्र प्रदेश	20	2
2.	बिहार	7	1
3.	दिल्ली	117 *	4
4.	गुजरात	7	–
5.	हरियाणा	2	–
6.	कर्नाटक	13	1
7.	मध्य प्रदेश	3	–
8.	महाराष्ट्र	57	4
9.	उड़ीसा	1 **	–
10.	राजस्थान	7	1
11.	तमिलनाडु	17	2
12.	उत्तर प्रदेश	39	1
13.	पश्चिम बंगाल	21	2
	कुल	311	18

** विशेष रूप से केवल महालेखाकार के कर्मचारियों के लिए

* एक औषधालय ऐसा शामिल है जो मंजूर कर दिया गया है लेकिन उसने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है।

टिप्पण: दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन दो प्रसूति केन्द्र और एक प्रसूति एवं स्त्री रोग अस्पताल है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन एक आयुर्वेदिक अस्पताल है और दो जनरल अस्पताल हैं।

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन

670. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में कितने मामले ऐसे हैं जिनमें टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत कर दिए गए हैं और ओ.बी. नम्बर भी जारी कर दिए गए हैं परन्तु अब तक कनेक्शन नहीं लगाए गए हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मामलों में टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 30.11.94 की स्थिति के अनुसार, गुजरात में ऐसे मामलों की संख्या 9392 है जिनमें टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए हैं और ओ.बी. नम्बर जारी किए गए हैं, परन्तु जिनमें अभी तक कनेक्शन नहीं लगाए गए हैं।

(ख) लंबित मामले तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि संबंधित क्षेत्रों में केबल पेयर उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सभी लंबित मामलों को अगले दो माह के भीतर उत्तरोतर रूप से निपटाए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की इकाइयां

671. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की कितनी इकाइयां चल रही हैं;

(ख) वर्ष 1991–92, 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान इन इकाइयों द्वारा कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कहां तक प्राप्त किया जा सका;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के उत्पादों की खरीद और इनका निर्यात करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा 1994–95 के दौरान निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादों की खरीद हेतु कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) देश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की सात इकाइयां चल रही हैं।

(ख) वर्ष 1991–92, 1992–93 ,1993–94 और 1994–95 के दौरान इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की इन इकाइयों द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्य और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रूपयों में)

1991-92		1992-93		1993-94		1994-95	अप्रैल से अक्तूबर, 94 तक (अस्थाई)
लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
922	1114	1201	1522	1450	1520	1620	434

(ग) दूरसंचार विभाग अपने इस्तेमाल के लिए उपस्कर मैसर्स आई.टी. आई से खरीदता है। कंपनी अपने उत्पादों का निर्यात स्वयं करती है।

(घ) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज से दूरसंचार विभाग द्वारा की गई खरीद के ब्यौरे निम्ननानुसार है :–

(करोड़ रू. में)

वर्ष	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95 (अप्रैल से अक्तूबर,94 तक अस्थाई)
खरीदे गए उपस्कर	1012	1377	1455	408

(ङ) और (च). यद्यपि, 1994–95 के लिए दूरसंचार विभाग के योजना परिव्यय के अनुरूप इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं तथापि, आई.टी.आई. से 1500 करोड़ रूपए के समतुल्य उपस्कर खरीदने का प्रस्ताव है। शेष खरीदें अन्य संसाधनों जैसे प्राइवेट कंपनियों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों के उपक्रमों से खरीदने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था के शिष्टमंडल की यात्रा

672. **श्री सी.के. कुप्पुस्वामी** :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एम.टी.सी. आर.) के शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में उनके समकक्ष व्यक्तियों के साथ उनकी बातचीत किन मुद्दों पर हुई और यात्रा का क्या निष्कर्ष निकला;

(घ) क्या सरकार का विचार इस निष्कर्ष पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) स्विटजरलैण्ड, अमरीका, यू.के. तथा आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों को लेकर गठित एम.टी.सी.आर. क्वाड दल विचार–विमर्श के लिए 30 अगस्त, 1994 को भारत आया था।

(ग) एम.टी.सी.आर. क्वाड दल ने एम.टी.सी.आर. के स्वरूप, उद्देश्यों तथा कार्यों से हमें अवगत कराया है। इस दल की यह भारत-यात्रा एम.टी.सी.आर. के हाल ही के इस निर्णय के अनुरूप है कि वह उन्नत वैज्ञानिक और औद्योगिक आधार वाले अन्य देशों के साथ परामर्श करेगा।

(घ) और (ङ). विचार-विमर्श उपयोगी रहा और उससे दोनों पक्षों को बेहतर ढंग से एक दूसरे की स्थितियां समझने में मदद मिली। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार एम.टी.सी.आर. क्वाड दल के साथ और आगे बातचीत करने के प्रश्न पर विचार करेगी।

पत्तन कामगार पेंशन समझौता

673. **श्री भेरू लाल मीणा :**
श्री केशरी लाल :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन कामगारों की पेंशन और उनकी समस्याओं के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस समझौते के प्रभावी हो जाने की कब तक सम्भावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों के प्रबंधन तथा पत्तन और गोदी श्रमिकों के पांच अखिल भारतीय संघों के बीच पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के वेतन संशोधन तथा संबंधित मामलों के बारे में दिनांक 6.12.94 को बम्बई में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के समक्ष एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) समझौते की एक प्रति विवरण में संलग्न है।

(ग) समझौते में यह व्यवस्था है कि वेतन संशोधन के कारण बकाया भुगतान 15.1.1995 से पहले किया जाएगा। इसमें यह भी व्यवस्था है कि दिनांक 28 से पहले उदारीकृत पेंशन स्कीम का समाधान करके इसे कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए एक स्वतंत्र, उपयुक्त और उदारीकृत पेंशन स्कीम अगले 6 महीनों में तैयार की जाएगी और श्रमिक संघों के साथ समझौता करके इसे द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति द्वारा अन्तिम रूप दिया जाएगा।

विवरण

वेतन संशोधन आदि की मांगों पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास विशाखापत्तनम, कोचीन, मुरगांव, कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन, न्यू मंगलौर और जवाहर लाल नेहरू पत्तन जैसे महापत्तनों और गोदी श्रमिक बोर्डों में कार्य कर रहे पांच संघों द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवाद के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 12(3) के अधीन 6 दिसम्बर, 1994 को श्री सुरेन्द्र नाथ, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के समक्ष हुई सुलह कार्यवाही के दौरान हुए समझौते का ज्ञापन।

उपस्थिति

प्रबंधन के प्रतिनिधि	यूनियनों/संघों के प्रतिनिधि
श्री डी.के. अफजुलपुरकर, अध्यक्ष, दि.वे.वा.स. और ब. प.न्या.	1. श्री एस.आर. कुलकर्णी ए.आई.पी. एंड डी.डब्ल्यू.एफ. (एच.एम.एस.)
	2. श्री जानकी मुखर्जी आई.एन.पी. एंड.डी.डब्ल्यू.एफ.
	3. श्री शांति जी. पटेल ए.आई.पी. एंड डब्ल्यू.एफ. (श्रमिक)
	4. श्री एस. चक्रवर्ती, डब्ल्यू.टी.डब्ल्यू.एफ (सी)
	5. श्री टी.एम. अब्बू, पी.डी. एंड डब्ल्यू.एफ. (एटक)

विभिन्न महापत्तनों और गोदी श्रमिक बोर्डों में कार्य कर रहे पांच संघों के साथ संबद्ध यूनियनों ने वेतन संशोधन सहित कुछ मांगों के संबंध में संबंधित महापत्तनों के अध्यक्षों के विरूद्ध हड़ताल के नोटिस जारी किए थे। इस विवाद को उपर्युक्त पत्तनों के अधिकारिता वाले संबंधित सुलह अधिकारियों द्वारा समझौता करके समाप्त किया गया। इसी बीच महापत्तनों के प्रबंधन और विभिन्न यूनियनों के संघों द्वारा द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया गया। दोनों पक्षों द्वारा की गई द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान मौटेतौर पर समझौता हो गया था। दोनों पक्षों ने मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को कोई अन्तिम समझौता करने से पहले अपना सुलहकारी हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली ने 6 दिसम्बर, 1994 को प्रातः 9.00 बजे से अर्धरात्रि 12.00 बजे तक सुलह कार्यवाही चलाई। लम्बे विचार-विमर्श के बाद दोनों पक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(3) के अधीन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए।

समझौते की शर्तें

1. दोनों पक्षों ने अनुबंधक "क" में संलग्न समझौते में यथा उल्लिखित शर्तों के लिये सहमति दी।
2. दोनों पक्षों ने इस बात पर भी सहमति दी कि मद सं. 1 में सहमत समझौते की शर्तों से विवाद का पूर्ण और अन्तिम समाधान होगा।
3. संघों के प्रतिनिधियों ने उन मांगों को छोड़ देने की सहमति दी जिन्हें मद सं. 1 में उल्लिखित समझौते के अनुसार स्पष्ट रूप से सहमति नहीं दी गई है।
4. यूनियनों ने औद्योगिक शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा उत्पादकता सुधारने में पूरा सहयोग देने के लिये अपनी सहमति दी।
5. दोनों पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमति दी जिसके प्रस्तुत न किए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि समझौता पूर्णतः कार्यान्वित कर दिया गया है।

प्रबंधन के प्रतिनिधि	यूनियनों के संघों के प्रतिनिधि
ह.	ह.
दिनेश के. अफजुलपुरकर, अध्यक्ष, दि.वे.सा.स. एवं ब.प.न्या.	एस.आर. कुलकर्णी, ए.आई.पी. एंड डी.डब्ल्यू.एफ. (एच.एम.एस)
	ह.
	जानकी मुखर्जी, आई.एन.पी. एंड डी.डब्ल्यू.एफ.
	ह.
	डा. शान्ति सी.पटेल, ए.आई.पी. एंड डब्ल्यू. एफ. (श्रमिक)
	ह.
	एस. चक्रवर्ती, डब्ल्यू.टी. डब्ल्यू. एफ. (सीटू)
	ह.
	टी.एम. अब्बू, पी.डी. एंड डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. (एटक)

ह.

गवाह-1. (वी. सुंदरशन)

ह.

2. (डी.एम. धीवन)

ह.

सुरेन्द्र नाथ
मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)
कैम्प–बम्बई

मुहर

समझौता

1. संक्षिप्त विवरण :

1.1 दिनांक 31.12.1992 को भारत के महापत्तनों में पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के वेतन संशोधन और रोजगार की शर्तों के उदारीकरण से संबंधित दिनांक 12.6.1989 के समझौते का कार्यकाल समाप्त होने के परिणामस्वरूप भारत सरकार, जल–भूतल परिवहन मंत्रालय ने अपने दिनांक 22.6.1993 के का.ज्ञा.सं. एल.बी.–12011/1/92–आर.ओ. के अनुसार कलकत्ता पत्तन न्यास के अध्यक्ष डा. ए.सी.रे. की अध्यक्षता में एक द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति गठित की।

1.2 डा. ए.सी.रे. द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृति लेने के बाद भारत सरकार, जल–भूतल परिवहन मंत्रालय ने बम्बई पत्तन न्यास के अध्यक्ष श्री डी.के. अफजुलपुरकर का अपने दिनांक 26.7.1993 के का.ज्ञा.सं. एल.बी.–12011/1/92–आर.ओ. के तहत द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया।

1.3 प्रबंध पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्य निम्नलिखित थे :–

1.	अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन न्यास	सदस्य
2.	अध्यक्ष, कोचीन पत्तन न्यास	सदस्य
3.	अध्यक्ष, तूतीकोरिन पत्तन न्यास	सदस्य
4.	अध्यक्ष, मद्रास पत्तन न्यास	सदस्य
5.	अध्यक्ष, पारादीप पत्तन न्यास	सदस्य
6.	उपाध्यक्ष, मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड	सदस्य
7.	उपाध्यक्ष, कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड	सदस्य
8.	स्टीवीडोरों की एसोसिएशनों के परिसंघ के प्रतिनिधि–2	सदस्य
9.	प्रबंध निदेशक, आई.पी.ए.	सदस्य सचिव
10.	श्री एम. चन्द्र शेखरन अध्यक्ष (सेवा निवृत) मद्रास पत्तन न्यास	सदस्य (को. आप्टेड)

1.4 द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति की पहली बैठक आई.पी.ए. नई दिल्ली में 4.8.1993 को हुई और उसके बाद 16.9.1993 को दूसरी बैठक हुई। प्रत्येक परिसंघ का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या से संबंधित मुद्दे का समाधान किया गया और इस बात पर सहमति हुई कि संबंधित परिसंघ की वर्ष 1990 की सदस्य संख्या के आधार पर द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति में 19 प्रतिनिधि होंगे।

1.	आल इंडिया पोर्ट एंड डाक वर्कर्स फैडरेशन	8
2.	इंडियन नेशनल पोर्ट एंड डाक वर्कर्स फैडरेशन	4
3.	आल इंडिया पोर्ट एंड डाक वर्कर्स फैडरेशन (श्रमिक)	3
4.	वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया	2
5.	पोर्ट एंड डाक वाटर फ्रंट वर्कर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया	2
		19

प्रत्येक संघ के प्रतिनिधियों के नाम अनुबंध–1 में दिए गए हैं। स्टीवीडोर्स एसोसिएशन के परिसंघ का प्रतिनिधित्व उनके अध्यक्ष श्री डी.एस. बोस और उनके उपाध्यक्ष श्री जे.सी. नानावती द्वारा किया गया था।

2. मांग-पत्र :

2.1 पत्तन तथा गोदी श्रमिक बोर्डों के प्रतिनिधित्व करने वाले सभी पांच परिसंघों ने जल–भूतल परिवहन मंत्रालय को अपने अलग–अलग मांग–पत्र प्रस्तुत किए जिन्हें मंत्रालय के दिनांक 5.7.1993 के पत्र सं. एल.बी.–12011/1/92–आर.ओ. के साथ आई.पी.ए. को भेजा गया। मांग–पत्र का सारांश तैयार करके द्विपक्षीय समिति के सदस्यों में परिचालित किया गया।

2.2 मांग–पत्र तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अन्य संगत पहलू ने उत्पादकता में वृद्धि, अलाभकारी प्रथाओं को समाप्त करना, जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाना आदि पर विचार–विमर्श करने के लिए अनेक बैठकें हुईं।

3. समझौते की शर्तें :

यह सहमति हुई कि निम्नलिखित महापत्तनों में पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों को श्रेणी–III तथा IV पर लागू वेतन ढांचा, रोजगार की शर्तों को निम्नलिखित के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

4. व्याप्ति :

यह समझौता निम्नलिखित श्रेणी–III तथा IV के कर्मचारियों/कामगारों पर लागू होगा तथा वे इसमें शामिल होंगे :–

(i) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 42 के तहत यदि कोई स्कीम तैयार की गई हो तो उसमें शामिल श्रमिकों तथा पत्तन न्यास द्वारा जिन श्रमिकों को सीधा भुगतान किया जाता है, उनके सहित बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन, मुरगांव, कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन, न्यू मंगलौर और जवाहरलाल नेहरू पत्तन के महापत्तन न्यासों द्वारा नियोजित व्याप्ति।

(ii) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन, मुरगांव और कांडला स्थित गोदी श्रमिक बोर्डों तथा उनके प्रशासनिक निकायों द्वारा नियोजित व्यक्ति, और

(iii) गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 के तहत बनाई गई किसी स्कीम के तहत रजिस्ट्रीकृत अथवा अरजिस्ट्रीकृत (सूचीबद्ध) व्यक्ति

5. समझौता लागू होने की तारीख और अवधि :

यह समझौता पहली जनवरी, 1993 से लागू होगा और पहली जनवरी, 1993 और 31 दिसम्बर, 1997 तक पांच वर्ष की अवधि के लिये इस समझौते के किसी/किन्हीं अन्य पैरे में अन्यथा दिए गए स्पष्टीकरण को छोड़कर, लागू रहेगा। तथापि, यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम चार वर्ष की अवधि के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं तो उस मामले की अवधि कम करने के लिए समीक्षा की जाएगी।

6. संशोधित वेतनमान :

6.1 मौजूदा वेतनमानों के अनुरूप संशोधित वेतनमान इस समझौते के अनुबंध–II में दिए गए हैं।

6.2 संशोधित वेतनमान मौजूदा मूल वेतन में 31.12.1992 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित भत्तों को शामिल करके तैयार किए गए हैं।

– 607 से 1030 प्वाइंटों तक ए.आई.सी.पी.आई. (1960 की सीरीज़) में वृद्धि के लिए कुल 778.45 रू. तक परिवर्तनशील महंगाई भत्ता।

– 140 रू. से 520 रू. तक पूरा नियत महंगाई भत्ता।

– 35.10 रू. से 60.10 रू. तक पूरा विशेष महंगाई भत्ता।

मौजूदा वेतनमान के संशोधन के बाद एफ.डी.ए. और एस.डी.ए. का 1 जनवरी, 1993 से अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।

7. संशोधित वेतनमान में पहली जनवरी, 1993 को वेतन की अनुकूलता :

7.1 मौजूदा मूल वेतन (व्यक्तिगत वेतन तथा विशेष वेतन को छोड़कर) के 12.5 प्रतिशत के बराबर अनुकूलन राशि 31.12.1992 की स्थिति के अनुसार किसी कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन (व्यक्तिगत वेतन तथा विशेष वेतन को छोड़कर यदि कोई हो), 31.12.1992 को प्राप्त मूल वेतन का मौजूदा उपयुक्त नियत महंगाई भत्ते, और विशेष महंगाई भत्ते, दिनांक 12.6.1989 के वेतन समझौते के पैरा 8.1 के अनुसार जब कभी लागू हो, और 31.12.1992 के अनुसार प्राप्त मूल वेतन के उपयुक्त हो तथा 776.45 रू. की राशि के बराबर 607 से 1030 प्वाइंटों (1960–100) तक अखिल भारतीय कर्मचारी श्रेणी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में जोड़ा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गत्यवरोध व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा है और अगर परिणामी आंकड़े तदनुरूपी संशोधित वेतनमान में किसी स्तर पर हैं तो इसे जोड़ दिया जाएगा और उसका वेतन इस स्तर पर नियत किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई स्तर नहीं है तो उसका वेतन उपर्युक्तानुसार परिणामी आंकड़ों से ऊपर अगले स्तर पर नियत किया जाएगा। गतिरोध व्यक्तिगत वेतन और विशेष वेतन यदि कोई हो तो उन्हें छोड़कर व्यक्तिगत वेतन का अलग से भुगतान किया जाता रहेगा।

7.2 पहली जनवरी, 1993 को अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए किसी कर्मचारी का वेतन न्यूनतम संशोधित वेतनमान पर नियत किया जाएगा।

8. अगली वेतनवृद्धि की तारीख :

8.1 इस समझौते के पैरा 7.1 के अनुसार संशोधित वेतन–मान में किसी कर्मचारी का वेतन नियत करने के बाद उसकी अगली वेतनवृद्धि मौजूदा वेतनमान में उसके द्वारा प्राप्त पिछली वेतनवृद्धि के एक वर्ष बाद देय होगी। उन कर्मचारियों के संबंध में जिनकी वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख पहली जनवरी है, उन्हें संशोधित वेतनमान की सामान्य अनुमति होगी।

8.2 जहां परस्पर वरिष्ठता सूची में उसी श्रेणी के दो अथवा अधिक कर्मचारियों का वेतन संशोधित वेतनमान में उसी स्तर पर नियत होता है और दोनों में से वरिष्ठ कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तारीख कनिष्ठ कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तारीख के बाद है तो वरिष्ठ कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तारीख कनिष्ठ कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तारीख के बराबर करने के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी बशर्ते कि वेतनवृद्धि की तारीख आगे बढ़ाने की अन्य शर्तें पूरी होती हों।

8.3 1.1.1993 से पहले छोटे परिवार के मानदण्डों के लिए व्यक्तिगत वेतन अथवा खेलों में श्रेष्ठता के लिए वेतनवृद्धि संशोधित वेतनमान में संशोधन पूर्व वेतनमान जिसमें उस कर्मचारी ने मूलतः ऐसी वेतन वृद्धि प्राप्त की थी, के अनुरूप वेतनवृद्धि की संशोधित न्यूनतम दर पर देय होगी।

8.4 1.1.1993 के बाद अतिरिक्त अर्हता प्राप्त करने अथवा किसी अन्य प्रयोजनार्थ प्रदान की गई अग्रिम वेतनवृद्धियां संशोधित वेतनमान के अनुसार दी जाएगी।

9. गतिरोध वेतनवृद्धि :

वेतनमानों का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया है कि सामान्यतः कोई गतिरोध नहीं होगा। तथापि, यदि कोई गतिरोध हो भी जाए तो प्रत्येक दो वर्ष के बाद एक गतिरोध वेतनवृद्धि की अनुमति होगी।

10. भत्ते : परिवर्तनशील महंगाई भत्ता :

10.1 दिनांक 1.1.1993 की स्थिति के अनुसार ए.आई.सी.पी. आई. 1030 पर औद्योगिक महंगाई भत्ते को संशोधित वेतनमानों में आमेलित कर दिया गया है। ए.आई.सी.पी.आई. में वृद्धि और कमी के लिए महंगाई भत्ता अधिकारियों के मामले में इस संबंध में लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति प्वाइंट 2 रू. की दर से बढ़ा/घटा कर नियमित किया जाएगा। यदि औद्योगिक महंगाई भत्ते की प्रति प्वाइंट 2 रू. की दर को सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है तो संशोधित दरें भी ऐसे संशोधन की तारीख से लागू होंगी।

10.2 जब कभी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की स्कीम के संशोधन के संबंध में अपने निर्णय की घोषणा करती है तो जहां प्रति प्वाइंट 2 रू. की दर लागू है वहां सरकार आदेशों में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से पत्तन तथा गोदी श्रमिकों पर भी संशोधित दर/दरें लागू की जाएंगी।

11. मकान किराया भत्ता :

11.1 किसी ऐसे कर्मचारी को जिसे पत्तन न्यास अथवा गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा आवास का आबंटन नहीं किया गया है, किराये की रसीद प्रस्तुत किए बिना निम्नलिखित दरों पर मकान किराए भुगतान किया जाएगा।

क्र.सं.	पत्तन	1.1.93 से 31.12.1997 तक संशोधित वेतनमान में मूल वेतन का %	अधिकतम सीमा
1.	बम्बई तथा जे.एन.पी.टी.	30%	1200/-रू.
2.	मद्रास तथा कलकत्ता	25%	1000/-रू.
3.	विशाखापत्तनम तथा कोचीन	17.5%	1000/-रू.
4.	कांडला/न्यू मंगलौर/ तूतीकोरीन/मुरगांव	15%	600/- रू.
5.	पारादीप/हल्दिया	10%	400/- रू.

11.2 इस समझौते के पैरा 11.1 में विनिर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता, किराए की रसीद/म्यूनिसिपल मूल्यन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य होगा।

12. नगर प्रतिपूर्ति भत्ता :

12.1 संशोधन वेतनमान पर निम्नलिखित दरों से नगर प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाएगा :

क्र.सं.	पत्तन		अधिकतम सीमा
1.	बम्बई		100/-प्रतिमाह
2.	जे.एन.पी.टी.	संशोधित मूल वेतन का 6 प्रतिशत	
3.	मद्रास		
4.	कलकत्ता (हल्दिया को छोड़कर)		
5.	विजाग		75/-प्रतिमाह
6.	कोचीन	संशोधित मूल वेतन का 4.5 प्रतिशत	
7.	मुरगांव/न्यू मंगलौर	संशोधित मूल वेतन का 3.5 प्रतिशत	20/-रू. प्रतिमाह

13. मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता :

यदि सरकार मकान किराए भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के संबंध में शहरों के वर्गीकरण, दरों और अधिकतम सीमाओं के संशोधन का कोई आदेश पारित करती है तो उसे मूल सरकारी आदेशों में उल्लिखित तारीख से समय-समय पर सरकार द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार संशोधित करके बढ़ा दिया जाएगा।

14. परिवहन प्रतिपूर्ति-सरलीकृत प्रक्रिया :

14.1 जहां किसी कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी पर आने जाने के लिए पत्तन न्यास (गोदी श्रमिक बोर्ड) का परिवहन उपलब्ध नहीं कराया जाता/प्रयोग नहीं किया जाता वहां उसे प्रतिमाह 90 रू. की दर से परिवहन प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा, चाहे दूरी कितनी भी हो। आकस्मिक छुट्टियों और अवकाशों से भिन्न अन्य छुट्टियों के कारण परिवहन प्रतिपूर्ति में आनुपातिक कमी की जाएगी।

14.2 जहां पत्तन न्यास/गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा किसी कर्मचारी के आवास से ड्यूटी पर आने जाने के लिए अपना परिवहन उपलब्ध कराया जाता है। प्रयोग किया जाता है तो संबंधित कर्मचारी के लिए एक विकल्प होगा कि वह या तो उस सुविधा को जारी रखे अथवा पैरा 14(1) में विनिर्दिष्ट परिवहन प्रतिपूर्ति स्वीकार करे। इस विकल्प का प्रयोग समझौते की तारीख से 3 महीने के भीतर कर लिया जाएगा। एक बार स्वीकार किया हुआ विकल्प ड्यूटी के स्थान में परिवर्तन होने की स्थिति को छोड़कर अंतिम होगा।

15. धुलाई प्रतिपूर्ति/विशेष धुलाई प्रतिपूर्ति :

मौजूदा धुलाई प्रतिपूर्ति और विशेष धुलाई प्रतिपूर्ति की राशि को दिनांक 1.1.93 से प्रतिमाह 18 रू. और 36 रू. से बढ़ाकर क्रमशः 22 रू. और 45 रू. कर दिया जाएगा।

16. अन्य भत्ते :

विशेष वेतन तथा विशेष भत्तों (वेतन के प्रतिशत के रूप में वर्णित किए गए भत्तों को छोड़कर) की मौजूदा दरों में 1.1.93 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी जिनमें कुछ अन्य पत्तनों पर अदा किए

जाने वाले विशेष भत्ते जैसे लेखा परीक्षा निरीक्षकों को वाहन प्रतिपूर्ति और नर्सों को वर्दी तथा धुलाई प्रतिपूर्ति जिनपर स्थानीय स्तरों पर अलग से विचार–विमर्श किया जाएगा, शामिल नहीं होंगे।

17. विशेष भत्ता :

पत्तन न्यासों और गोदी कामगार मंडलों के सभी कर्मचारियों को निम्नलिखित दरों पर विशेष भत्ता दिया जाएगा :–

(1) 3000 रू. तक संशोधित मूल वेतन के लिए –संशोधित मूल वेतन का 2 प्रतिशत

(2) 3000/–रू. तक मूल वेतन–संशोधित मूल वेतन का 4 प्रतिशत

18. आउटस्टेशन भत्ता :

पत्तन जलयान के प्रस्थान से उसके पत्तन पर लौटने की तारीख तक यात्रा के दौरान संशोधित मूल वेतन के 33-$^1/_3$ प्रतिशत के बराबर आउटस्टेशन भत्ता देय होगा।

19. पत्तन न्यासों और गोदी कामगार मंडलों द्वारा प्रदत्त आवास के किराए की वसूली :

19.1 संशोधित वेतनमान में मूल वेतन में मात्र वृद्धि से कर्मचारियों को क्वार्टरों के आबंटन हेतु पात्रता के मामले में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

19.2 पत्तन/गोदी कामगार क्वार्टरों के किराए की वसूली एफ. आर. 45 (ए) में दिए गए भारत सरकार के अनुदेशों के तहत रिहायशी क्षेत्र के आधार पर की जाएगी।

20. उत्पादकता से जुड़ा बोनस/पी.आर. :

यदि वेतनमान में संशोधन के परिणामस्वरूप और वर्तमान पात्रता सीमाओं के रहते, अनके कर्मचारी पी.एल.बी./पी.आर के लिए अपात्र हो जाते हैं तो पात्रता सीमा बढ़ाए जाने की व्यावहार्यता की जांच किए जाने के बारे में सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

यह भी सिफारिश की जाएगी कि पात्रता की वर्तमान सीमा के परिणामस्वरूप 1992–93 और 1993–94 के लिए दिए गए पी.एल.बी./पी.आर. की वसूली नहीं की जाएगी।

सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल करने के लिए एक उपयुक्त वैकल्पिक स्कीम का पता लगाने की भी सिफारिश की जाएगी ताकि वर्तमान पाबंदियां हटाई जा सकें।

21. प्रोत्साहन/उजरती दर प्रणाली :

मौजूदा उजरती दर स्कीमों/प्रोत्साहन/प्रीमियम/परिणाम द्वारा भुगतान में संशोधन और उसके उदारीकरण की मांग और इन स्कीमों को कामगारों की अन्य श्रेणियों पर भी लागू किए जाने पर विचार किया जाएगा और पत्तन स्तर पर इसका निपटान, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर किया जाएगा, जैसा कि पैरा 24.2(2) में सहमति हुई है।

22. अतिरिक्त वर्गों को मिलाने की मांग :

कार्गो हैंडलिंग कामगारों का नियमितीकरण और उन्हें तूतीकोरीन पत्तन में आमेलित किए जाने की मांग की जांच की जाएगी और इसका शीघ्र निपटारा किया जाएगा। जब कभी अन्य पत्तन न्यासों के मामले जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के पास होंगे, उनका शीघ्रता से निपटान किया जाएगा।

23. पेंशन :

23.1 पत्तन और गोदी कामगारों के लिए लागू पेंशन संबंधी लाभों को चौथे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप उदार बनाए जाने हेतु परिसघों की मांगों और आई.पी.ए. द्वारा नियुक्त समिति द्वारा संशोधित मांगों को 24.7.94 के समझौता ज्ञापन के खंड 13 की शर्तों के अनुसार निपटान कर दिया गया है। सरकार का अनुमोदन लिया जा रहा है। इस बारे में की गई प्रगति और अन्तर–मंत्रालीय विचार–विमर्श के दौरान उभरे कुछेक विकल्पों की सूचना बी डब्ल्यू एन सी को दे दी गई है। दिनांक 19/20 नवम्बर, 94 को हुई बी डब्ल्यू एन सी की बैठक के निष्कर्ष अनुबंध–III में दिए गए हैं। इस बारे में सहमति हुई है कि समझौता ज्ञापन के खंड 13 के लिए सरकारी अनुमोदन लिए जाने हेतु प्रबंधन शीघ्र कार्रवाई करेगा ताकि उदारीकृत पेंशन स्कीम को 28 फरवरी, 1995 से पहले लागू किया जा सके।

23.2 यह भी सहमति हुई है कि पत्तन न्यासों और गोदी कामगार मंडलों के कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए एक स्वतंत्र, उपयुक्त और उदार पेंशन स्कीम तैयार की जाएगी और अगले छः माह के भीतर श्रमिक परिसंघों की सहमति से बी.डब्ल्यू.एन.सी. इसे अन्तिम रूप देगा। नई स्कीम को 1.1.1993 अथवा 1.1.1992 से लागू किए जाने की संभावनाओं का पूरी तरह पता लगाया जायेगा।

23.3 वसूली के बारे में पत्तन न्यासों/मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। (आदेश सं. ए–38011/33/89–पी ई–I, 24.5.1994

24. मौजूदा लाभों का संरक्षण :

24.1 मात्र इस समझौते को लागू किए जाने के परिणाम–स्वरूप किसी पंचाट, प्रथा अथवा प्रयोग के द्वारा किसी सुविधा, प्रिविलेज, सुख–सुविधा, अधिकार, लाभ चाहे वह धन संबंधी हो अथवा अन्य प्रकार का या रियासत, जिसके लिए कोई कर्मचारी अथवा कर्मचारियों का एक वर्ग हकदार हो सकता है, इस समझौते में स्पष्ट रूप से उपबंधित सीमा और विधि के सिवाए वापस नहीं लिया जाएगा, कम अथवा समाप्त नहीं किया जाएगा।

तथापि, संरक्षण संबंधी इस खंड का परिसघों अथवा उनसे सम्बद्ध संगठनों और इस समझौते के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा इसमें किए गए निर्धारण के अनुसार निम्न खंड 25 के अनुसार उत्पादकता में सुधार करने, कार्य कुशलता बढ़ाने, व्यक्तियों की तैनाती को युक्ति संगत बनाने, व्यर्थ कार्यों को समाप्त करने, पीस–रेट/प्रोत्साहन स्कीमों को संशोधित करने आदि के उद्देश्यों से इस समझौते के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए पत्तन/गोदी श्रमिक मंडलों के प्रबंधकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को रोकने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

25. सामान्य :

25.1 सभी पक्ष इस बात से सहमत हैं कि भारतीय पत्तन परिवहन उद्योग को विश्वस्तरीय समुद्री व्यापार में ही नहीं बल्कि

आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और रोजगार पैदा करने के साथ आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्द्धा करने की आवश्यकता है। भारतीय निर्यात में तेजी लाने के लिए, पत्तन परिवहन उद्योग में लगे सभी व्यक्ति दिल और ईमानदारी से राष्ट्रीय प्रयासों को समर्थन देने के लिए सहमत हैं।

25.2 अतः दोनों पक्ष गैंग–शिफ्ट उत्पादन, पोत–बर्थ दिवस उत्पादन इत्यादि जैसे पत्तन कार्य निष्पादन के निर्णायक मानदंड/मानकों को नीचे मद में दिए गए स्तरों तक सुधारने के लिए पत्तन कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास करने के लिए सहमत हैं ताकि पोतों के टर्न राउंड समय में कमी हो सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति और उत्पादन बढ़ाकर लागतों को कम करके और वित्तीय व्यावहार्यता सुनिश्चित करके उपलब्ध जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों, उपकरणों, और पत्तन क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए ताकि सभी महापत्तनों की आधारभूत संरचना के उन्नयन और विकास के लिए अधिशेष निधियां अर्जित की जा सकें। तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी की अनुरूपता प्राप्त करने और कार्य–निधियों में सुधार करने, के लिए इस उद्योग के सभी संबंधित पक्ष निम्नलिखित क्षेत्रों में लगातार संयुक्त प्रयास करेंगे :–

1. ऐसे कारणों के सिवाय जो कामगारों के नियंत्रण से बाहर हो, पत्तन कार्य निष्पादन में सुधार करना, और 1993–94 को आधार वर्ष मानकर, प्रति वर्ष उत्पादकता स्तर में 7 प्रतिशत की वृद्धि हेतु परस्पर सहयोग करना।

   यह प्रबंधकीय कार्यों पर भी लागू होगा।

2. संशोधित आधार अंकों के साथ मौजूदा उजरती दर प्रोत्साहन/प्रीमियम स्कीमों को उचित रूप से संशोधित किया जाए और ये आधार अंक पिछले तीन वर्षों में प्राप्त औसत उत्पादकता स्तरों के यथानुपात होना चाहिए और संशोधित उजरती दर उत्पादन हेतु संशोधित आधार अंक/मानकों की तुलना में प्रोत्साहन की अधिक और त्वरित दरें उपलब्ध करवाएगी ताकि कामगारों को गैंग शिफ्ट उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रेरणा मिल सके जैसा कि संगठनों के साथ सम्पन्न समझौते के उक्त खंड (I) में प्रदत्त है।

3. महापत्तनों और गोदी कामगार मंडलों द्वारा कार्यों के उन क्षेत्रों में नियोजित कर्मचारियों/कामगारों के उन वर्गों को शामिल करने के लिए जो फिलहाल इसमें शामिल नहीं हैं, उपर्युक्तानुसार उपयुक्त एवं उचित उजरती दर प्रोत्साहन/प्रीमियम स्कीमों का पता लगाया जाएगा।

4. यूनियनों के साथ समझौता करके पत्तन के काम–काज के सभी अन्य क्षेत्रों में वास्तविक उत्पादकता मानकों को परिभाषित किया जाए।

5. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह सुनिश्चित करना कि मशीनों, उपकरणों, संरचनाओं, सड़कों और फ्लोटिंग–क्राफ्टों के रख–रखाव में सुधार हो।

6. प्रबंधन और यूनियन, यूनियन के परामर्श से प्रबंधन सहित सभी स्तरों पर बेकार और अनुत्पादक प्रथाओं का पता लगाएंगे, उनका निर्धारण करेंगे और उन्हें दूर करेंगे।

7. निर्धारित कार्य घंटों में काम को पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे।

8. नियोक्ता इस बारे में सहमत हैं कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा का पूरा–पूरा ध्यान रखेंगे और उच्च गुणवत्ता के सुरक्षा उपकरण, सुरक्षित कार्य वातावरण और तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाएंगे।

9. नियोक्ता सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करने तथा उन्हें लागू करने पर सहमत हैं।

10. नियोक्ता, कार्य–स्थल के निकट पीने के पानी, सफाई की सुविधाएं, सब्सिडीयुक्त कैंटीन, आराम–कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर सहमत हैं।

11. परिसंघ इस बारे में सहमत हैं कि संबद्ध यूनियन प्रबंधन को इस बारे में सहयोग देंगी कि ओवरटाईम को यथा संभव न्यूनतम स्तर तक रखा जाए।

12. उन पत्तनों में जहां कार्गो हैंडलिंग के मामले में आधार (डेट्म) और कार्य–मापमान, जनवरी, 1993 के बाद नियत किए गए हैं वहां आधार में कोई वृद्धि नहीं होगी और कार्य मापमान में कमी नहीं की जायगी, जैसा कि समझौते में विनिर्दिष्ट है, बशर्ते कि खंड 2 में दिये गये उपयुक्त मानदंड प्राप्त कर लिए हों।

13. इस बारे में सहमति हुई है कि उपर्युक्त उद्देश्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखे जाने हेतु मान्यता प्राप्त परिसंघों और उनसे संबद्ध यूनियनों के समानुपातिक प्रतिनिधित्व से एक स्थायी समिति क्रमशः शीर्षस्थ और पत्तन स्तर पर कार्य करेगी जिसकी प्रत्येक दो माह में एक बार बैठक होगी।

14. कर्मचारियों के अधिकांश और लाभप्रद उपयोग की प्राप्ति दोनों पक्षों का सामान्य उद्देश्य है। अतः कार्गो हैंडलिंग और प्रचालन की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने और उपकरणों/मशीनों और जलयानों का रख–रखाव और यूनियनों के साथ समझौते के अनुसार जनशक्ति विनियोजन को युक्ति संगत बनाया जाना दोनों पक्षों का सामान्य उद्देश्य है ताकि प्रचालन लागत यूनिट को वर्तमान स्तर पर रखा जा सके।

15. सम्पूर्ण नियत कार्य घंटों के दौरान निर्बाध रूप से कार्य करते रहने पर सहमति बशर्ते कि ऐसा श्रमिकों के नियंत्रण से बाहर हो।

16. कामगार, अत्यावश्यक स्थितियों में एक ही ट्रेड/फंक्शन/ग्रेड के तहत आने वाले विभिन्न प्रकार के छोटे–मोटे कार्य भी करेंगे। पत्तन प्रशासन बहु–प्रकार की कुशलता के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा और ऐसे कामगारों को उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा।

17. पत्तन प्रबंधन, उत्पादकता के लाभों को कामगारों के साथ समान रूप से वितरण के बारे में सहमत हैं। आई.पी.ए. के अध्यक्ष महोदय, यह सुनिश्चित करेंगे कि, पत्तन न्यासों/गोदी कामगार मंडलों के प्रस्तावों को सरकार शीघ्र अनुमोदन प्रदान करे।

26. निष्कर्ष

26.1 इस समझौते के बारे में कोई असंगति/विसंगति और विवादित निर्वचन और इस समझौते के कार्यान्वयन संबंधी मामले पर, उसके समाधान की दृष्टि से पांच परिसंघों और पत्तन प्रबंधन के बीच विचार-विमर्श होगा। यह भी सहमति हुई है कि किसी खंड से संबंधित किसी मुद्दे पर यदि पक्षों के बीच कोई असहमति होती है तो विवादित मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 क के तहत पंचाट के पास भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

26.2 परिसंघ इस बारे में सहमत हैं कि इस समझौते के लागू रहते, इस समझौते में निहित मामलों और अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ वाले मामलों के बारे में मांग नहीं उठाई जाएगी, सिवाय अदालतों, न्यायाधिकरणों, सुलह, पंचाट में लंबित मामलों के।

26.3 समयोपरि भत्ते के भुगतान के मामले में व्यक्तियों की अपात्रता, पत्तनों/गोदी कामगार मंडलों के आवास इत्यादि के लिए बढ़े हुए किराए की वसूली सहित, यदि कोई वसूली हो तो वह कर्मचारियों की बकाया राशि में से की जाएगी।

27. अनुबंध IV में 24 मुद्दे उल्लिखित हैं। उनमें से कुछेक इस समझौते के खंडों में शामिल कर लिए गए हैं। शामिल नहीं किए गए अन्य मुद्दे राष्ट्रीय अथवा स्थानीय स्तर के हैं। संबंधित स्तरों पर उनपर विचार-विमर्श होगा। किसी असहमति के मामले में, संबंधित मामले न्यायनिर्णयन/माध्यस्थम के पास जो भी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो, भेजे जाएंगे।

28. इस समझौते के परिणामस्वरूप होने वाली बकाया राशि का भुगतान 15 जनवरी, 1995 से पहले किया जाएगा।

29. वर्गीकरण, कोटि-निर्धारण, प्रोन्नति के अवसरों, और विषमता के प्रश्न की जांच करने वाली उप-समिति छः माह के भीतर अपनी रिपोर्ट बी. डब्ल्यू. एन.सी. के पास विचारार्थ भेजेगी। यदि कोई विवाद हो तो मामला माध्यस्थम के पास भेजा जाएगा।

प्रबंधन के प्रतिनिधि	श्रमिकों के प्रतिनिधि
1	2
	अखिल भारतीय पत्तन और गोदी कामगार परिसंघ (एचएमएस)
ह./- डी के अफजुलपुरकर अध्यक्ष, बी डब्ल्यू एनसीबीपीटी	ह./- एस.आर. कुलकर्णी अध्यक्ष
ह./- विक्रम सरकार अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन न्यास	ह./- एस.सी.सी. एंथौनी पिल्लै महा सचिव
ह./- ए.के. पटनायर अध्यक्ष, पारादीप पत्तन न्यास	ह./- बी मोहन राव सचिव
ह./- सी बाबू राज्रीव अध्यक्ष, कोचीन पत्तन न्यास	ह./- प्रभाती दास उपाध्यक्ष
ह./- एम.जे. कुरियन अध्यक्ष, तूतीकोरिन पत्तन न्यास	ह./- डी.के. शर्मा संस्थापक सचिव
ह./- एम. कलेवानन अध्यक्ष, मद्रास पत्तन न्यास	ह./- पी.एम. मोहम्मद हनीफ कार्यकारिणी समिति सदस्य
ह./- एस.बी. दास उपाध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन न्यास	ह./- एम.एल. बेल्लानी कार्यकारिणी समिति, सदस्य
ह./- सुरेन्द्र नाथ मुख्य श्रमायुक्त (के.) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली	
	भारतीय राष्ट्रीय पत्तन और गोदी कामगार परिसंघ (आई.एन.टी.यू.सी.)
ह./- एन.एम. मीनाक्षी सुन्दरम उपाध्यक्ष, मद्रास डाक लेबर बोर्ड	ह./- जानकी मुखर्जी अध्यक्ष
ह./- डी.एस. बोस अध्यक्ष, स्टीवडोर संगठनों का परिसंघ	ह./- जी कलन महा सचिव
ह./- जे.सी. मानवती उपाध्यक्ष, स्टीवडोर संगठनों का परिसंघ	ह./- एम.के. अश्विनी सचिव
ह./- चक्राबर्ती प्रबंधन निदेशक, भारतीय पत्तन संघ	ह./- जोहमसोन माम्पील्लैय सचिव

1	2
	अखिल भारतीय पत्तन एवं गोदी कामगार परिसंघ (एच.एम.एस)
	ह./–
	डा. शांति पटेल
	अध्यक्ष
साक्ष्य	
ह./–	
किशोर जी आमटे	
सचिव, बम्बई पत्तन न्यास	
ह./–	ह./–
सी.एम. हेगड़े	एस.के. सेठी
एफ.ए. एण्ड सी.ए.ओ	ह./–
	जे.एच. फ्रेरिक आजु
	भारतीय जल परिवहन कामगार परिसंघ (सी.आई.टी.यू.)
	ह./–
	सुभाष चक्रबर्ती
	महा सचिव
	ह./–
	के.पी.एस. मैनन
	उपाध्यक्ष
	भारतीय पत्तन, गोदी और वाटर फ्रंट कामगार परिसंघ (ए.आई.टी.यू.सी.)
	ह./–
	टी.एम. आबू
	महा सचिव
	ह./–
	वी.वी. रामाराव
	उपाध्यक्ष

अनुबंध-I

द्विपक्षीय वेतन समझौता समिति में पत्तन और गोदी कामगारों के श्रमिक परिसंघों के प्रतिनिधि

अखिल भारतीय पत्तन एवं गोदी कामगार परिसंघ (एच.एम.एस)

1. श्री एस.आर. कुलकर्णी, अध्यक्ष
2. श्री एस.सी.सी. एन्थोनी पिल्लै, महा सचिव
3. श्री बी. मोहन राव, सचिव
4. श्री पर्बती दास, उपाध्यक्ष
5. श्री डी.के. सरना, संयोजक सचिव
6. श्री पी.एम. मोहम्मद हनीफ, कार्यकारिणी समिति सदस्य
7. श्री पंचानन कानुंगो, कार्यकारिणी समिति सदस्य
8. श्री एम.एल. बोलानी, कार्यकारिणी समिति सदस्य

भारतीय राष्ट्रीय पत्तन एवं गोदी कामगार परिसंघ (आई.एन.टी.यू.सी.)

1. श्री जानकी मुखर्जी, अध्यक्ष
2. श्री जी. कलन, महा सचिव
3. श्री एम.के. अश्वनी
4. श्री जॉन्सन मनपिल्ली,

अखिल भारतीय पत्तन एवं गोदी कामगार परिसंघ (एच.एम.एस.)

1. डा. शांति पटेल, अध्यक्ष
2. श्री एस.के. शेटे, महा सचिव
3. श्री फैड्रिक अजू

भारतीय जल परिवहन कामगार परिसंघ (सी.आई.टी.यू.)

1. श्री सुभाष चक्रवर्ती, महा सचिव
2. श्री के.पी.एस. मेनन, उपाध्यक्ष

भारतीय पत्तन गोदी और वाटर फ्रन्ट कामगार परिसंघ (ए.आई.टी.यू.सी.)

1. श्री टी.एम. अबू, महा सचिव
2. श्री वी.के. बालकृष्णन/श्री वी.वी. रामाराव

अनुबंध-II

1.1.1993 से प्रभावी प्रस्तावित संशोधित वेतनमान ए.आई.सी.पी.आई. 1960 सीरीज–1030 प्वांट

क्र.सं.	वर्तमान वेतनमान (रू.)		संशोधित वेतनमान (रू.)	
1	2	3	4	5
1.	1040–20–1200–25–1425	(17)	2010–35–2290–45–2830	(20)
2.	1055–20–1155–30–1305–35–1515	(16)	2025–35–2200–50–2450–60–2990	(19)
3.	1065–20–1145–30–1265–35–1545	(16)	2035–35–2175–50–2375–60–3035	(19)
4.	1075–30–1195–35–1580	(15)	2045–50–2245–60–3085	(18)
4.	1085–35–1645	(16)	2055–60–2775–65–3230	(19)
6.	1095–35–1375–40–1695	(16)	2065–60–2545–70–3315	(19)
7.	1130–35–1375–40–1735	(16)	2110–60–2350–70–2700–75–3450	(19)
8.	1160–40–1800	(16)	2150–70–2780–75–3605	(20)
9.	1165–40–1485–45–1800	(15)	2160–70–2720–75–3620	(20)

1	2	3	4	5
10.	1165–40–1485–45–1845	(16)	2160–70–2720–75–3695	(21)
11.	1165–40–1485–45–1935	(18)	2160–70–2720–75–3845	(23)
12.	1205–40–1485–45–1845	(15)	2230–70–2720–75–3695	(21)
13.	1285–40–1485–45–1935	(15)	2370–70–2720–75–3845	(20)
14.	1190–45–1505–50–2005	(17)	2185–75–2710–85–3985	(22)
15.	1205–45–1430–50–2030	(17)	2230–75–2605–85–4050	(22)
16.	1220–50–1620–60–2160	(17)	2250–85–2930–100–4330	(22)
17.	1220–50–1620–60–2220	(18)	2250–85–2930–100–4430	(23)
18.	1320–50–1620–60–2220	(16)	2420–85–2930–100–4430	(21)
19.	1295–50–1595–60–2255	(17)	2425–85–2935–100–4435	(21)
20.	1300–50–1450–60–1690–70–2460	(18)	2425–85–2680–100–3080–120–4700	(21)
21.	1300–50–1450–60–1690–70–2600	(18)	2425–85–2680–100–3080–120–4880	(22)
22.	1240–50–1590–60–2070–70–2560	(22)	2275–85–2870–100–3670–120–4870	(25)
23.	1350–60–1650–70–2490	(17)	2500–100–3000–120–4800	(20)
24.	1350–60–1650–70–2630	(19)	2500–100–3000–120–5040	(22)
25.	1385–60–1565–70–2545	(17)	2600–100–2900–120–4940	(20)
26.	1385–60–1565–70–2685	(19)	2600–100–2900–120–5180	(22)
27.	1405–70–1965–75–2715	(17)	2650–120–3610–140–5430	(21)
28.	1435–70–1855–75–2755	(18)	2700–120–3420–140–5520	(21)
29.	1470–80–1950–85–2800	(16)	2750–140–3590–150–5690	(20)

नोट : (1) वेतन वृद्धि की दरों में लगभग 70 प्रतिशत वृद्धि की गई है।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वृद्धि में गतिरोध न आए वेतनमानों को काफी लम्बा किया गया है।

अनुबंध–III

19 एवं 20 नवम्बर, 1994 को नई दिल्ली में बी डब्ल्यू एन सी की आयोजित बैठक में प्राप्त तथा माननीय जल-भूतल परिवहन मंत्री श्री जगदीश टाइटलर की उपस्थिति में बी डब्ल्यू एन सी के अध्यक्ष श्री डी.के. अफजुलपुर द्वारा घोषित निष्कर्ष

इस पर सहमति हुई है :

1. पत्तन एवं गोदी पेंशन भोगियों तथा सरकारी पेंशन भोगियों की पेंशन जमा आवधिक राहत के बीच विद्यमान अंतर का पता लगाने और निर्धारित करने के लिए वर्ष 1979 अथवा उसके आस–पास के समय का चयन किया जाएगा। इस अंतर को बाद में बनाए रखा जाएगा।

2. अंतर निर्धारित करने के लिए समान वर्गों के बीच तुलना की जाएगी। उपर्युक्त पैरा I में उल्लिखित समान स्थितियों को अंतिम रूप देने के लिए परिसंघों के साथ विचार–विमर्श किया जाएगा। निश्चित समय के पश्चात् की अवधि में जहां कहीं भी पत्तन पेंशन भोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो आवश्यकतानुसार, एफ.डी.ए/आई.आर. के विलय के तरीकों का पता लगाकर अंतर को सुधारने के प्रयास किए जाएंगे।

3. जहां यह अंतर पत्तन पेंशनभोगियों के लिए लाभप्रद है, और पेंशन मंजूर कर दी गई है तो ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4. 30.3.1985 तक पेंशन के समेकन के लिए अतिरिक्त राहत स्वीकार्य है। अतिरिक्त राहत की मात्रा के मुद्दे पर परिसंघों के साथ आगे विचार–विमर्श किया जाएगा और उसे मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा।

5. 1.1.1986 से आगे महंगाई राहत का उदारीकरण स्वीकार्य है। बी.डब्ल्यू.एन.सी. के सिफारिशों के अनुरूप उदारीकरण की मात्रा का मुद्दा मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा।

6. पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए उजरती दर/प्रीमियम/प्रोत्साहन को शामिल करने का मुद्दा जैसा कि जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के मई,1984 के आदेश से पूर्व विद्यमान था बी.डब्ल्यू.एन.सी. की सिफारिश के अनुसार मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा।

7. उपर्युक्त 6 के संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वसूली आदेश वापस ले लिए जायेंगे।

8. सी.पी.एफ. सेवानिवृत्त होने वालों के लिए विकल्प : इस बात पर सहमति हुई कि फिलहाल इस मामले पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

9. पेंशन भोगियों के लिए आंतरिक एवं बाह्य चिकित्सा लाभ प्रदान करने से संबंधित मामले पर प्रत्येक पत्तन/गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा उचित एवं उपयुक्त स्कीमों के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा।

10. बी.डब्ल्यू.एन.सी. श्रमिक परिसंघों की सहमति से अगले 6 महीनों के भीतर कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए एक स्वतंत्र, उपयुक्त एवं उदारीकृत पेंशन स्कीम तैयार करेगी तथा उसे अंतिम रूप देगी। इसे 1.1.1993 अथवा 1.1.1992 जो भी लागू हो, से लागू करने अर्थात् वेतन संशोधन की तिथि नियत करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। महापत्तन न्यास अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। यह स्कीम पत्तन न्यासों एवं गोदी श्रमिक बोर्डों पर लागू होगी।

11. समझौते को अंतिम रूप देने तथा उस पर हस्ताक्षर करने, जिसका मसौदा पहले ही परिचालित कर दिया गया है, के लिए बी.डब्ल्यू.एन.सी. की 5 दिसम्बर, 1994 को बम्बई में बैठक होगी। यह बैठक तब तक चलेगी जब तक समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जाता तथा उस पर विधिवत् हस्ताक्षर नहीं हो जाते।

12. बी.डब्ल्यू.एन.सी. के उपर्युक्त निष्कर्ष माननीय जल-भूतल परिवहन मंत्री श्री जगदीश टाइटलर, जल-भूतल परिवहन सचिव श्री सी.एन. रामदास, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार श्री एस.एन. कक्कड़, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री सी.एस. खैरवाल तथा मंत्रालय के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में पढ़े गए।

13. इसमें उल्लिखित मुद्दों पर हुई सहमति, समझौते पर हस्ताक्षर करने के निर्णय तथा मंत्री द्वारा की गई अपील को ध्यान में रखते हुए श्रमिक परिसंघ हड़ताल का नोटिस वापस लेने पर सहमत हुई तथा 23 नवम्बर,94 से हड़ताल पर न जाने का निर्णय लिया। ये परिसंघ संबद्ध यूनियनों को यथोचत निर्देश देने के लिए भी सहमत हुए।

14. मंत्री महोदय ने उत्पादकता से जुड़े बोनस के लिए सभी कर्मचारियों की पात्रता सीमा हटाने के बारे में 23.10.1994 को बम्बई में दिए गए आश्वासन को दोहराया तथा आश्वासन दिया कि समझौते पर हस्ताक्षर होते ही वह इस मामले को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए उठाएंगे।

15. बी. डब्ल्यू.एन.सी. की पेंशन संबंधी सिफारिशों को 28.2.95 को अथवा उससे पहले अंतिम रूप दिया जाए व कार्यान्वित किया जाएगा।

श्रमिक प्रतिनिधि

1	2	3
अखिल भारतीय पत्तन एवं गोदी कामगार महासंघ		
1.	श्री एस.आर. कुलकर्णी	ह./-
2.	श्री एस.सी.सी. एन्थोनी पिल्लै	ह./-
3.	श्री पार्वती दास	ह./-
4.	श्री मोहन राव	ह./-
5.	श्री डी.के. शर्मा	ह./-
6.	श्री पी.एम. मोहम्मद हनीफ	ह./-
7.	श्री पंचानन कानूनगो	ह./-
8.	श्री एम.एल. बेल्लानी	ह./-
भारतीय राष्ट्रीय पत्तन एवं गोदी कामगार परिसंघ		
1.	श्री जानकी मुखर्जी	ह./-
2.	श्री जी. कालन	ह./-
3.	श्री जी.एम.के. अश्विनी	ह./-
4.	श्री जॉनसन मेम्पिली	ह./-
अखिल भारतीय पत्तन एवं गोदी कामगार परिसंघ (कामगार)		
1.	श्री शांति पटेल	ह./-
2.	श्री एस.के. शेट्ये	ह./-
भारतीय जल परिवहन कामगार परिसंघ		
1.	श्री सुभाष चक्रवर्ती	ह./-
2.	श्री के.पी.एस. मेनन	ह./-
भारतीय पत्तन, गोदी एवं तटीय कामगार परिसंघ		
1.	श्री टी.एम. अबू	ह./-
2.	श्री वी.के. बालाकृष्णन	ह./-

प्रबंध मंडल के प्रतिनिधि

ह./-	ह./-
डी.के. अफजुलपुरकर	सी. बाबू राजीव
(अध्यक्ष, बम्बई पत्तन न्यास एवं अध्यक्ष, बी.डब्ल्यू.एन.सी.)	(अध्यक्ष, सी.ओ.बी.टी. तथा सदस्य, बी.डब्ल्यू.एन.सी.)
ह./-	ह./-
ए चक्रवर्ती	एन. मीनाक्षी सुन्दरम
(प्र.नि., आई पी. ए तथा सदस्य बी डब्ल्यू एन सी)	(उपाध्यक्ष, एम.डी.एल.बी)

ह./-
एन चन्द्र शेखरन
(सदस्य, बी.डब्ल्यूएन.सी.)

अनुबंध-IV

1. निम्नलिखित मुद्दे समझौते पर हस्ताक्षर होने के तीन महीनों के भीतर संबंधित पार्टियों के मध्य आवश्यकतानुसार स्थानीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर समझौता-वार्ता करके हल किए जाएंगे और ऐसा न होने पर माध्यस्थम अथवा न्याय निर्णयन, जो भी पक्षकारों को स्वीकार्य हो, द्वारा किए जाएंगे :-
   (i) कतिपय वर्गों के कामगारों के विशेष वेतन/भत्ते एवं वेतनवृद्धियों के भुगतान के दावे। (स्थानीय)
   (ii) वर्तमान उजरती दर स्कीम का उदारीकरण तथा उजरती दर प्रणाली को कामगारों के अन्य वर्गों को भी प्रदान करना जैसी कि पहले सहमति हुई थी। (स्थानीय)

(iii) पदोन्नति के पर्याप्त अवसर जैसी कि पहले सहमति हुई थी। (स्थानीय)

(iv) विविध प्रकार का कार्य करने वाले अथवा अन्य पत्तनों की तुलना में कम कार्य बल के साथ कार्य करने वाले कामगारों के लिए अतिरिक्त वेतन का भुगतान (स्थानीय)

(v) कार्य मूल्यांकन के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण तथा विसंगतियों एवं असमनाताओं को दूर करना, यदि चक्रवर्ती समिति द्वारा उनका समाधान नहीं किया जाता (राष्ट्रीय)

(vi) कार्य के आधार पर नामपद्धति में परिवर्तन (राष्ट्रीय)

(vii) तटीय कामगारों के लिए लागू दरों पर ही टैली लिपिकों/शेड स्टॉफ/ प्रचालनात्मक स्टॉफ/ पर्यवेक्षकों/ नाविकों के लिए उजरती दर का भुगतान (स्थानीय)।

2. उत्पादकता से जुड़ा बोनस जिसका नाम अब "कार्यनिष्पादन प्रतिफल" होगा, के बारे में किसी वेतन और मात्रा सीमा के बगैर संतोषजनक समाधान निकालने के प्रयोजन से अलग से विचार-विमर्श किया जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि 4500 रू. की वर्तमान पात्रता सीमा में इस तरह छूट दी जाए कि 4500/-रू. अथवा इससे अधिक प्राप्त करने वाले कामगार उत्पादकता से जुड़े बोनस के लिए अयोग्य न हो। जहां वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान कर दिया गया है, उसकी वसूली नहीं की जाएगी।

3. विभिन्न स्थानीय एवं विभागीय मांगों पर पत्तन स्तर पर ही विचार-विमर्श एवं उनका निपटारा किया जाना चाहिए।

4. स्लैब आधार पर महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में सरकार द्वारा नियुक्त "डी ए समिति" की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय को, इस संबंध में सरकार के आदेश में निर्दिष्ट तारीख से बिना, किसी परिवर्तन के लागू किया जाना चाहिए।

5. विकलांगों सहित सभी कामगारों को तथा जिन्हें फिलहाल यह भुगतान रोक दिया गया है उन्हें भी 6/- रू. प्रतिदिन और न्यूनतम 90/-रू. प्रतिमाह की दर से परिवहन प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाए।

6. धुलाई भत्ता/विशेष धुलाई भत्ता का नाम "धुलाई प्रतिपूर्ति" किया जाए।

7. निर्धारित कार्य समय से आगे कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को किसी सीमा के बगैर सामान्य वेतन दर का दुगना भुगतान किया जाना चाहिए (स्थानीय)।

8. समझौते के किसी खंड के निर्वचन के बारे में मतान्तर का समाधान पारस्परिक विचार-विमर्श से किया जाना चाहिए और ऐसा न हो सकने की स्थिति में दोनों पार्टियों को स्वीकार्य तीसरी पार्टी द्वारा उसका समाधान किया जाएगा और उसका निर्णय बाध्यकारी होगा।

9. सुरक्षा खंड जैसा कि सामान्यतः होता है।

10. इस समझौते की अवधि पांच वर्ष होगी।

11. यह समझौता पेंशन संबंधी द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति की उपसमिति की रिपोर्ट की स्वीकृति के अध्यधीन है।

12. वित्तीय नियम 45 के अनुसार गृह किराए की वसूली की जाएगी किन्तु यदि मौजूदा गृह किराया कम है तो इसे संरक्षित रखा जाएगा।

13. अधिकारियों की भांति सभी कर्मचारियों को, प्रस्थान की तारीख से गृह पत्तन में आगमन की तारीख तक मूल वेतन के $33\text{-}^{1}/_{3}$ प्रतिशत की दर से बहिर्स्थान भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

14. भविष्य में मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिपूर्ति भत्ता में संशोधन करके, सरकारी आदेशों एवं संशोधनों के अनुसार उसी तारीख से वृद्धि की जाएगी।

15. सभी महापत्तनों में पत्तन एवं गोदी कामगारों के अतिरिक्त वर्गों का नियमितिकरण किया जाए।

15.क. पत्तन एवं गोदी कामगारों के कार्गो हैंडल करने वाले तथा संबद्ध वर्गों को तूतीकोरिन, नव मंगलूर, विशाखापत्तनम और जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यासों द्वारा आमेलित एवं विधिवत् नियोजित किया जाए।

16. वी.डी.ए. की गणना के लिए अवधि पद्धति श्रेणी-I और श्रेणी-II के अधिकारियों की अवधि पद्धति के अनुरूप होगी।

17. होस्टलों, विश्राम कक्षों, एक कमरे वाले क्वार्टरों तथा घटिया क्वार्टरों में रहने वालों को म.कि.भ. दिया जाएगा।

18. यदि म.कि.भ. के पात्र कर्मचारी अर्थात् पति और पत्नी एक ही क्वार्टर में रहते हैं तो आबंटी को छोड़कर उन सभी को म.कि.भ. दिया जाएगा।

19. 1.1.93 के पश्चात् किसी कर्मचारी को एफ.डी.ए. का उच्चतर स्लेब प्रदान किए जाने की स्थिति में, बकाया राशि का भुगतान किये जाने तक उसे पुनर्निर्धारण कर दी जाएगी मानो उसकी पदोन्नति हुई हो।

20. कार्यस्थल के आधार पर सी.पी.टी. के कर्मचारियों के लिए म. कि.भ. के भुगतान में भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए और सभी को 25 प्रतिशत की दर से म.कि.भ. का भुगतान किया जाना चाहिए।

21. एल.टी.सी. (भारत दर्शन) के भुगतान के लिए केवल सरकारी वाहन से यात्रा करने के प्रतिबंध को हटाया जाएगा।

22. यदि कोई पद सात दिन से अधिक रिक्त रहता है तो स्थानापन्न व्यवस्था की जाएगी (स्थानीय)।

23. समझौते के एक महीने के अन्दर बकाया राशि का भुगतान।

24. कोचीन पत्तन न्यास के व्हार्फ स्टाफ के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन के भुगतान से संबंधित मामला तथा व्हार्फ क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के अन्य वर्गों को अतिरिक्त वेतन प्रदान करने की मांग जिसका औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत समाधान किया जा रहा है, पर

(क) स्थानीय रूप से विचार-विमर्श व समाधान किया जाएगा।

अथवा

(ख) ऐसा न हो सकने की स्थिति में वह मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(2) के तहत संयुक्त आवेदन द्वारा न्याय-निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

[हिन्दी]

रूस से टेट्रासाइक्लिन टीकों का आयात

674. **श्री मोहन सिंह** (फीरोजपुर) : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्लेग की रोकथाम हेतु रूस से टेट्रासाइक्लिन टीकों का आयात किया था;

(ख) क्या रूस ने भी अभी तक इस टीके का मानव पर परीक्षण नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इस टीके के आयात के क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्लेगग्रस्त लोगों को यह टीका लगाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इनका क्या परिणाम रहा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग). रूस से किसी भी टेट्रासाइक्लिन वैक्सीन का आयात नहीं किया गया। सजीव तनूकृत प्लेग वैक्सीन के 10 एम्पूल्स का, जिसे रूस में इस्तेमाल किया जा रहा है, रोकथाम के प्रयोजन के लिए आयात किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मलेरिया रोगी

675. **श्री विजय कुमार यादव :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में मलेरिया से प्रभावित लोगों को वितरित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधियों की आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये औषधियां अभी निर्धन रोगियों तक नहीं पहुंची हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). जी, हां। निम्नलिखित औषधें सप्लाई की गई हैं :

क्लोरोक्वीन गोलियां	245 लाख
प्राइमाक्वीन गोलियां	41.31 लाख
क्वीनीन इंजेक्शन	30,000 एम्पूल्स
आयुष–64 (आयुर्वेदिक औषध)	60,000 खुराकें

(ग) और (घ). राजस्थान सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार को इन अनुदेशों के साथ औषधें सप्लाई की गई थीं कि वे उन्हें औषध संवितरण केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध करवाए।

विद्युत क्षेत्र के लिए अधिनियम

676. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में कार्यरत निजी निवेशकों ने विद्युत की बिक्री अनिवार्य रूप से राज्य विद्युत बोर्डों को ही करने जैसे प्रतिबंधों को हटाने के लिए विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948, भारतीय विद्युत अधिनियम,1910 कंपनी अधिनियम, 1956 और आयकर अधिनियम, 1961 जैसे कानूनों में परिवर्तन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात निजी कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विद्युत की बिक्री किया जाना अनुमत्य है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दिल्ली में एम्बुलैंस सेवा

677. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एम्बुलैंस सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और जनसंख्या के अनुपात में उनकी उपलब्धता का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा "यूनिसेफ" द्वारा विभिन्न सरकारी अस्पतालों को दान में दी गयी अधिकांश एम्बुलेंस गाड़ियां गत अनेक वर्षों से बेकार पड़ी हैं;

(ग) क्या अस्पतालों की अन्य एम्बुलैंस गाडियों मे उपकरणों, आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं और जीवन रक्षा औषधियों का अभाव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त संख्या में उपकरणों से युक्त एम्बुलैंस गाडियां उपलब्ध करने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों में 137 एम्बुलैंस उपलब्ध हैं। जहां तक एम्बुलैंस, जनसंख्या अनुपात का संबंध है ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख). जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास दुर्घटना एवं अभिघात के शिकार व्यक्तियों का ध्यान रखने एवं उन्हें अस्पतालों में ले जाने के लिए 27 विशिष्ट एम्बुलेंस हैं। इसके अलावा 288 पुलिस पी.सी.आर. वैनें भी दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को अस्पतालों में ले जाती हैं।

रोगी परिचर्या के हित में सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेटरी सेवाएं बढ़ाने पर समय-समय पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

678. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों की फर्जी मंजूरी के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सम्बंधित व्यक्तियों, विशेषरूप से ईदगाह एक्सचेंज, दिल्ली के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जायंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बिना बारी के अग्रता कोटे में जाली स्वीकृतियों के चालू मामले दर्ज किए हैं। इनमें से तीन मामलों में जांच रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो गई हैं। जांच-कार्य से पता चला है कि सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों ने जाली मंजूरी आदेशों के आधार पर, बिना बारी के अग्रता कोटे से अपने पक्ष में टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए आपस में सांठ-गांठ की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिश पर निम्नलिखित कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है :-

1.	अभियोजन	10 कर्मचारी
2.	बड़ा दंड दी जाने संबंधी कार्यवाही	9 कर्मचारी
3.	कम दंड दिए जाने संबंधी कार्यवाही	1 अधिकारी
4.	सचेत करने संबंधी कार्रवाई	1 अधिकारी
5.	गैर-संवेदनशील पद	3 अधिकारी
6.	विचाराधीन कार्रवाई	2 अधिकारी

इसके अतिरिक्त, सीबीआई द्वारा, षड्यंत्र में शामिल निजी व्यक्तियों के विरूद्ध पृथक रूप से मुकदमा चलाए जाने के मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं।

एक मामले में सीबीआई की जांच रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा है।

(घ) सीबीआई का जांच कार्य पूरा हो जाने पर ईदगाह एक्सचेंज दिल्ली सहित वास्तविक मंजूरी आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

गुजरात में डाक-तार घर

679. **श्री शंकरसिंह वाघेला** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गुजरात में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक-तार घर खोलने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या ये लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में 170 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर, 14 विभागीय उप डाकघर और 2 विभागीय तार घर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) **डाकघर** : आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3600 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 650 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यवार लक्ष्य प्रति वर्ष निर्धारित किए जाते हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सर्किल में डाकघर खोलने के लक्ष्य और खोले गए डाकघरों का विवरण निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	लक्ष्य	खोले गए डाकघर
1992-93	30	35
1993-94	23 (संशोधित)	20
1994-95	14	अभी खोले जाने हैं

तार घर : आठवीं पंचवर्षीय योजना में 9 तार घर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अहमदाबाद में वटवा, नारनपुरा व बापूनगर और अमोद (जिला भड़ौच) तथा कापड़वंज (जिला खेड़ा) में पांच तार घर पहले ही खोले जा चुके हैं। अहमदाबाद में दो स्थानों पर और राजकोट तथा अंकलेश्वर में एक-एक स्थान पर तार घर खोलने के लिए किराए के भवन लेने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में डाकघर

680. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर संसद सदस्यों ने

1992, 1993 तथा 1994 के दौरान (30 नवंबर, 1994 तक) डाकघर, शाखा डाकघर खोलने की सिफारिश की है;

(ख) सरकार का इन वांछित स्थानों पर शाखा डाकघर तथा डाकघर कब तक खोलने का विचार है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में किन-किन स्थानों पर 1994-95 के दौरान शाखा डाकघर तथा डाकघर खोले जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) पश्चिम बंगाल में वे स्थान जहां संसद सदस्यों ने वर्ष 1992, 1993 तथा 1994 (30 नवंबर, 1994 तक) के दौरान डाकघर तथा शाखा डाकघर खोलने की सिफारिश की है, विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल में जिन स्थानों पर 1992, 1993 और 1994 के दौरान पहले ही अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा डाकघर खोले जा चुके हैं, उनका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

तथापि, और अधिक डाकघर खोलने के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती, क्योंकि डाकघर प्रतिवर्ष, विभागीय मानदंडों के पूरा होने और संसाधनों की उपलब्धता पर ही योजना लक्ष्यों के अनुसार खोले जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान पश्चिम बंगाल में 4 विभागीय उप डाकघर तथा 3 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य है। इस संबंध में प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण-I

उन स्थानों का ब्यौरा, जहां संसद सदस्यों ने 1992, 1993 तथा 1994 के दौरान डाकघर तथा शाखा डाकघर खोलने की सिफारिश की है।

1	2
वर्ष 1992 के दौरान	
1.	बेयरे, उत्तर 24 परगना
2.	बोरेडंगा, कूच बिहार
3.	चौरंगी, कदमतला, कूच
4.	घुआपाड़ा कूच बिहार
5.	कटरी, उत्तर 24 परगना
6.	गेवाल गांव, पश्चिम दिनाजपुर
7.	हरदेंगा, दक्षिण 24 परगना
8.	जमीरा, दक्षिण 24 परगना
9.	कनईकटी, उत्तर 24 परगना
10.	कल्याणपुर, हाउसिंग एस्टेट, बर्दवान
11.	खोचंदपाडा, जलपाईगुड़ी
12.	केटारचक, 24 परगना
13.	ममुदपुर, बांकुरा
14.	नूतनबांस, कूच बिहार
15.	नकयन, दक्षिण 24 परगना
16.	बिशापुर, दक्षिण 24 परगना
17.	पंचासयेर, दक्षिण 24 परगना
18.	रथतला, बलरामपुर, मिदनापुर
19.	राशपुर, दक्षिण 24 परगना
20.	सुभाषग्राम, दक्षिण 24 परगना
21.	बहेदुआ, बर्दवान
वर्ष 1993 के दौरान	
1.	अंथियाबाड़ी, चेनपुर, उत्तर दिनाजुपर
2.	बनाकुल, बर्दवान
3.	भरतपुर, नाडिया
4.	भुरूलिया, नाडिया
5.	विद्याधर रेलवे स्टेशन, दक्षिण 24 परगना
6.	छपई, नाडिया
7.	छोटे नालगीबाड़ी, कूच बिहार
8.	डोखलगंज, बर्दवान
9.	होगला, दक्षिण 24 परगना
10.	खराशग्राम, बर्दवान
11.	लोहाडहा, मुर्शिदाबाद
12.	मौशाव, शीरागुड़ी, कूच बिहार
13.	मिलन बाजार, दक्षिण 24 परगना
14.	नोपुर, बर्दवान
15.	पुआरा, बांकुरा
16.	पुटिमारी, जलपाईगुड़ी
17.	रघुनाथपुर, उत्तर 24 परगना
18.	श्यामपुर, मुर्शिदाबाद
19.	सुभाष नगर, उत्तर 24 परगना
20.	सुकूर, बर्दवान
21.	तालपुर, बर्दवान
22.	वहकारा, कूच बिहार
वर्ष 1994 के दौरान (30.11.1994 तक)	
1.	अंदालमोरे, बर्दवान,
2.	बरतोरिया, बर्दवान
3.	विधाननगर, मिदनापुर
4.	बनघटिया, मिदनापुर
5.	बकरेश्वर, थर्मलपावर प्रोजेक्ट बीरभूम
6.	वैष्णोघाट, पादुली प्रोजेक्ट दक्षिण 24 परगना
7.	भक्तिपुर, मालदा
8.	छांछरिया, मिदनापुर
9.	दिलाराम, दार्जिलिंग

1	2
10.	दामोदर डिहिका, बर्दवान
11.	छेरा, उत्तर दिनाजपुर
12.	गोआलिन, उत्तर दिनाजपुर
13.	हतिनाल, बर्दवान
14.	जोगेन्द्र नगर, दक्षिण 24 परगना
15.	कांतापुकुर, मिदनापुर
16.	कीतल, उत्तर दिनाजपुर
17.	खिरकुरी, उत्तर दिनाजपुर
18.	कलियाणीबाश, उत्तर 24 परगना
19.	खनयान, हुगली
20.	मौसब शिओरागुड़ी, कूच बिहार
21.	नौपुर, बर्दवान
22.	राधाकृष्णापुर, दक्षिण दिनाजपुर
23.	राउतराबाड़ी, मिदनापुर,
24.	सैक्टर–3 विधान नगर, कलकत्ता
25.	झाओर, मिदनापुर

विवरण–II

वर्ष	खोले गए उन प्रस्तावों की संख्या जिन पर विचार किया गया	खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर के स्थानों के नाम	खोले गए विभागीय उप डाकघर के स्थानों के नाम	उन प्रस्तावों की संख्या जिन्हें विभागीय मानंदडों के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।	उन प्रस्तावों की संख्या जिनकी अभी जांच की जानी है।
1992	21	बारोदांगा, घुआपाड़ा, गोवालगांव, खोवेहांडापाडा, नूतनबाश	पंचासायेर	15	–
1993	22	भरतपुर, भुरूलिया, लोहादाहा, पुतीमरी रघुनाथपुर	–	17	–
1994	25	बनघाटिया, गोआलिन, नौपुर, राधाकृष्णापुर	–	11	10

केरल में कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र

681. **श्री रमेश चेन्नित्तला :**
श्री पी.सी. थामस :
श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :
श्री पी.सी. चाको :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या राज्य में किसी अन्य ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). भारत सरकार ने, केरल अवस्थित कायमकुलम में एक कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का पूर्व में निर्णय लिया था, जिसे केन्द्रीय क्षेत्र में तत्कालीन यू.एस.एस.आर. की सहायता से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। एन.टी.पी.सी. ने कुछ ढांचागत सुविधाओं से सम्बन्धित कार्य यथा; भूमि अधिग्रहण, सम्प्रेषण का विकास, अस्थाई स्थल कार्यालय एवं शैडो का निर्माण, जल एवं विद्युत आपूर्ति और अस्थाई क्वाटर्स का निर्माण आदि कर लिया है तथा 31 दिसम्बर, 1993 के अन्त तक 14.40 करोड़ रूपये खर्च हो चुका है। एन.टी.पी.सी. और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से एक विस्तृत समीक्षा किये जाने के पश्चात् अब परियोजना को नाप्था आधारित लगभग 400 मे.वा. का एक संयुक्त साइकिल संयंत्र के रूप में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। 1310.58 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट को के.वि.प्रा. द्वारा दिनांक 14.11.1994 में तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। परियोजना का निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

(ग) एवं (घ). केरल में डीजल आधारित अन्य विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापना हेतु निम्नलिखित तीन प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं :–

(1) ब्रह्मपुत्र डीजल विद्युत उत्पादन परियोजना (5×20 मे.वा.)

इसे अब योजना आयोग द्वारा 23 करोड़ रूपये के निर्माण के दौरान ब्याज समेत 281 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत कर दिया गया है। राज्य बिजली बोर्ड द्वारा फ्रेंच सहायता से परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना की प्रथम यूनिट को जनवरी, 1996 में और बाद वाली यूनिटों को प्रत्येक एक महीने के अन्तराल पर चालू करने का कार्यक्रम है।

(2) कासरगोड डीजल विद्युत उत्पादन परियोजना (3×20 मे.वा.)

इसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 178 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर तकनीकी आर्थिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(3) कोजीकोड डीजल विद्युत उत्पादन परियोजना (6×20 मे.वा.)

इसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 20 करोड़ रूपये के निर्माण के दौरान ब्याज समेत 355 करोड रूपये की अनुमानित लागत पर तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। परियोजना से संबंधित सभी निवेशों को सुनिश्चित कर लिया गया है। योजना आयोग द्वारा निवेश अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पर सिफारिशें कर दी गई है।

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

682. **श्री सुधीर सावंत :**
श्री थाइल जॉन अंजलोज :
श्री मृत्युजंय नायक :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री** 22 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3887 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर अंतर्मंत्रालय स्तर पर चर्चा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेत्र-श्लेष्मला-शोथ (कंजक्टिवाइटिस) के मामले

683. **श्री के.जी. शिवप्पा :**
श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर अगस्त, 1994 के दौरान नेत्र–श्लेष्मला–शोथ का प्रकोप था;

(ख) इस बीमारी से विशेष रूप से कर्नाटक और दिल्ली में कितने व्यक्ति पीड़ित हुए;

(ग) इस बीमारी के फैलने के क्या कारण थे; और

(घ) भविष्य में इस बीमारी के दुबारा फैलने को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) देश के विभिन्न भागों में अगस्त, 1994 के दौरान विषाणुज नेत्र श्लेष्मता की बढ़ती हुई घटनाओं का पता चला था।

(ख) ऐसे कोई आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) इस अवधि के दौरान खराब पर्यावरणिक परिस्थितियां एवं प्रभावित लोगों की अपर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता विषाणुज नेत्र श्लेष्मता के फैलने के लिए जिम्मेदार कुछेक घटक थे।

(घ) निवारक उपायों के बारे में जन–प्रचार के माध्यम से जन–जागरूकता पैदा करना तथा रोग का शीघ्र उपचार करना शुरू किया गया।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

684. **श्री वीरेन्द्र सिंह :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय जिला–वार कुल कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : 30.11.1994 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सुविधा युक्त ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 19,169 है। जिले–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

30.11.94 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सुविधा युक्त ग्राम पंचायतों के जिले-वार ब्यौरे।

क्र.सं.	जिला	30.11.94 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन युक्त ग्राम पंचायतें
1	2	3
1	आगरा	642
2.	अलीगढ़	623
3.	इलाहाबाद	651
4.	अल्मोड़ा	284
5.	आजमगढ़	349
6.	बरेली	311
7.	बलिया	432
8.	बस्ती	306
9.	बांदा	170
10.	बहरैच	282
11.	बाराबंकी	356
12.	बिजनौर	407
13.	बुलंदशहर	436
14.	बदायूं	304

1	2	3
15.	चमोली	206
16.	देहरादून	161
17.	देवरिया	398
18.	एटा	311
19.	इटावा	336
20.	फैजाबाद	348
21.	फर्रुखाबाद	259
22.	फतेहपुर	139
23.	फिरोजाबाद	97
24.	गोरखपुर	235
25.	गोंडा	416
26.	गाजीपुर	236
27.	गाजियाबाद	503
28.	हरदोई	251
29.	हरिद्वार	161
30.	हमीरपुर	143
31.	जौनपुर	360
32.	झांसी	152
33.	जलायूं	190
34.	कानपुर	132
35.	कानपुर देहात	380
36.	लखनऊ	471
37.	लखीमपुर	335
38.	ललितपुर	83
39.	मेरठ	832
40.	मुरादाबाद	393
41.	मुजफ्फरनगर	567
42.	मैनपुरी	186
43.	मथुरा	320
44.	मिर्जापुर	154
45.	मऊ	296
46.	महाराजगंज	137
47.	नैनीताल	399
48.	प्रतापगढ़	189
49.	पीलीभीत	100
50.	पिथौरागढ़	175
51.	पौढ़ी	217
52.	रायबरेली	240
53.	रामपुर	127
54.	सुल्तानपुर	500
55.	सीतापुर	224
56.	शाहजहांपुर	146
57.	सहारनपुर	536
58.	सोनभद्र	108
59.	सिद्धार्थ नगर	117
60.	टिहरी	156
61.	उन्नाव	469
62.	उत्तरकाशी	50
63.	वाराणसी	675
	कुल	19169

[अनुवाद]

प्लेग का प्रकोप

685. श्री श्याम बिहारी मिश्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लेग के प्रकोप के कारणों का पता लगाने और इस भयानक रोग की पुनरावृत्ति को रोकने की योजना बनाने के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). समिति को अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1995 तक प्रस्तुत करनी है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत, जल विद्युत तथा परमाणु विद्युत क्षेत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन

686. डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री जगमीत सिंह बराड़ :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ताप, जल तथा परमाणु विद्युत क्षेत्रों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्रों की प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी–कितनी रही है;

(ग) 1993–94 के दौरान उक्त क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र द्वारा अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में कुल कितनी विद्युत का वास्तविक उत्पादन हुआ तथा उक्त क्षेत्रों मे से प्रत्येक क्षेत्र की कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता की तुलना में कितने प्रतिशत हुआ;

(घ) क्या सरकार ने इनमें से प्रत्येक की विद्युत उत्पादन लागत का आकलन भी कराया है;

(ङ) यदि हां, तो 1993–94 का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत की अनुमानित औसत दर कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान देश के ताप विद्युत न्यूक्लीयर और जल–विद्युत केन्द्रों की अधिष्ठापित क्षमता निम्नलिखित है :–

अखिल भारत (मेगावाट में)

श्रेणी/क्षेत्र	1991–92	1992–93	1993–94
ताप विद्युत	48086	50745	54347
न्यूक्लीय	1785	2005	2005
जल विद्युत	19194	19569	20366
जोड़	69065	72319	76718

(ग) देश में 1993–94 के दौरान क्षेत्रवार अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ–साथ वस्तुतः ऊर्जा उत्पादन का ब्यौरा निम्नवत है :–

अखिल भारत

श्रेणी/क्षेत्र	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	प्रतिशत	ऊर्जा उत्पादन (मे.वा.)
ताप विद्युत	54347	70.9	247757
न्यूक्लीय	2005	2.6	5399
जल विद्युत	20366	26.5	70375
जोड़	76718	100.0	323531

(घ) से (च). अखिल भारतीय आधार पर 1992–93 के दौरान ताप विद्युत और जल विद्युत केन्द्रों की औसत विद्युत उत्पादन लागत निम्नवत थी :–

	पैसा/कि.वा. आवर
ताप विद्युत	95.63
गैस	81.32
जल विद्युत	20.68

राज्य बिजली बोर्डों द्वारा 1993–94 के दौरान उपभोक्ताओं को सप्लाई की गई विद्युत की बिक्री का औसत टैरिफ 120.71 पैसे/कि.वा. आवर बैठता है।

[अनुवाद]

अमरीका के असिस्टेंट सैक्रेटरी ऑफ स्टेट की यात्रा

687. **श्री श्रीकान्त जेना :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1994 में अमरीका के असिस्टेंट सैक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी बैठक में किन–किन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस बातचीत में कश्मीर विवाद पर भी चर्चा हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या अमेरिका के असिस्टेंट सैक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कश्मीर के संबंध में कुछ टिप्पणियां की थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां। दक्षिण एशिया में स्थित अमरीकी मिशनों और केन्द्रों के प्रमुखों की काठमांडू में हुई बैठक के सिलसिले में वे 10 से 12 अक्तूबर, 1994 तक भारत आई थीं।

(ख) विचार–विमर्श के दौरान इस बात पर गौर किया गया कि भारत–अमरीकी सम्बन्ध सकारात्मक रूप से बढ़ रहे हैं, विशेषकर हमारे प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के बाद से द्विपक्षीय सम्बन्धों और अमरीका के रक्षा मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री की आगामी भारत यात्राओं के बारे में विचार–विमर्श किया गया। पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचार–विनिमय हुआ।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार द्वारा जम्मू–कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने और वहां चुनाव करवाने की दिशा में शुरू की गई विभिन्न प्रक्रियाओं से अमरीकी सहायक सचिव को अवगत कराया गया। सरकार ने इस बात पर बल दिया कि जम्मू–कश्मीर के मामले में जो मुख्य समस्या पेश आ रही है वह यह है कि वहां पाकिस्तान आतंकवाद को बराबर समर्थन दे रहा है। उन्हें इस बात से भी अवगत कराया गया कि यदि पाकिस्तान को इस कार्यवाही को बंद करने के लिए राजी कर लिया जाता है तो इससे इस सम्बन्ध में सहायता मिलेगी।

(ङ) सरकार को समाचार पत्रों में छपी इन खबरों की जानकारी है जिनमें अमरीकी सहायक सचिव का हवाला देकर यह कहा गया है कि उन्होंने बम्बई की अपनी यात्रा के दौरान यह कहा है कि अमरीकी प्रशासन इस बात से आश्वस्त नहीं है कि वास्तविक स्थिति को देखते हुए जम्मू–कश्मीर में चुनाव निष्पक्ष रूप से कराये जा सकते हैं।

(च) बाद में दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूतावास ने यह स्पष्ट किया कि अमरीकी सहायक सचिव राबिन राफेल ने विगत में मौजूद समस्याओं का उल्लेख किया था और उनका आशय भावी राजनीतिक प्रक्रिया पर संदेह प्रकट करना नहीं था। अमरीकी विदश विभाग द्वारा 18 अक्तूबर, 1994 को जारी प्रेस मार्गनिर्देश में अमरीका की सरकार ने कश्मीर में हिंसा को कम करने के लिए राजनीतिक आधार तैयार करने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों का स्वागत किया है।

[हिन्दी]

विद्युत केन्द्र की स्थापना

688. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांग–कांग स्थित विद्युत कंपनी द्वारा देश में किसी बड़े विद्युत केन्द्र की स्थापना करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बड़ी विद्युत परियोजना की स्थापना कब तक की जायेगी और इसे चालू कब तक किया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). मैसर्स कंसोलीडेटेड इलेक्ट्रिक पावर एशिया लिमिटेड (सी.ई.पी.ए.) जो कि होपवैल होल्डिंग लिमिटेड, हांगकांड की एक सहायक कंपनी है, ने प्रत्येक 8×660 मे.वा. क्षमता की दो कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने में प्रारम्भिक रूचि दिखाई है। इसका परियोजनाओं के वित्तीय समापन की तारीख से लगभग 4 से 5 वर्षों की अवधि में परियोजनाएं चालू करने का प्रस्ताव है।

गुजरात में कैंसर उपचार केन्द्र

689. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय कितने कैंसर संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन संस्थानों में कैंसर रोगियों के लिये आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे संस्थानों में सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने इन अस्पतालों के लिए चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि नियत की है और अब तक कितनी धनराशि दी गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) कैंसर के उपचार के लिए पांच संस्थाएं हैं।

(ख) और (ग). गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद कैंसर के निदान और उपचार की व्यापक सुविधाएं प्रदान करता है। विकिरण चिकित्सा सुविधाएं अन्य चार संस्थाओं में उपलब्ध है।

(घ) गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान को प्रति वर्ष 50 लाख रूपये दिए जाते हैं। इर्विन ग्रुप आफ हास्पिटल्स को सहायता प्रदान करने का भी एक प्रस्ताव है।

दिल्ली में डाकघरों में कम्प्यूटर

690. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कम्प्यूटरीकृत किए गए डाकघरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली मंडल में कितने डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है और कितने कम्प्यूटर खरीदे गए हैं तथा इनका मूल्य कितना है;

(घ) कितने कम्प्यूटर बेकार पड़े हुए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दिल्ली में डाकघरों के आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की गई थीं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षकों के माध्यम से यह कार्य किस आधार पर किया गया?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। बहुदेशीय काउंटर मशीनों का प्रयोग करते हुए, डाकघरों में काउंटर प्रचालनों के कुछ भाग को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

(ख) अब तक देश के 407 डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(ग) दिल्ली के 35 डाकघरों में 73 लाख रूपयों की अनुमानित लागत से 151 बहुदेशीय काउंटर मशीनें लगाई जा चुकी हैं।

(घ) दिल्ली में, उपरोक्त मशीनों में से कोई भी मशीन बेकार नहीं पड़ी है।

(ङ) डाकघरों के आधुनिकीकरण से संबंधित कार्य, केवल अनुमोदित विभागीय/सरकारी एजेंसियों द्वारा पूरा किया जा चुका है।

(च) और (छ). उपरोक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मिशन

691. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन देशों में भारतीय मिशन नहीं है;

(ख) किन–किन देशों में मिशनों की स्थापना की जाएगी; और

(ग) ये मिशन कब तक खोले जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) उन देशों के नामों की एक सूची, जिनमें इस समय कोई मिशन नहीं है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ब्राटिस्लावा (स्लोवाक गणराज्य) और पोर्ट मोरेस्बी (पापुआ न्यू गुनिया) में नये मिशन खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) उम्मीद है कि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया हो जाने के बाद ये मिशन वित्तीय वर्ष 1995–96 के दौरान किसी समय खुल जाएंगे।

विवरण

उन देशों के नाम, जिनमें आवासी भारतीय मिशन नहीं हैं :

1	2
1.	बेनिन
2.	बुर्कीना फासो
3.	बुरूंडी
4.	कैमेरून
5.	केप वर्डे द्वीप
6.	केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य
7.	चाड
8.	कोमोरोस
9.	कांगो
10.	इक्वेटोरियल गिनी
11	इरीट्रिया
12.	गाबोन
13.	गाम्बिया
14.	गिनी
15.	गिनी बिसाओ
16.	लेसोथो
17.	लाइबेरिया
18.	मलावी
19.	माली
20.	नाइजर
21.	रवांडा
22.	साव टोमे एण्ड प्रिंसिपे
23.	सिआरा लिओने
24.	स्वाजीलैण्ड
25.	टोगो
26.	जायरे
27.	दी बहमास
28.	कुक द्वीप समूह
29.	मार्शल द्वीप
30.	नौरू
31.	न्यू कैलेडोनिया
32.	सोसायटी द्वीप समूह
33.	टौंगा
34.	टुवालू
35.	फिजी
36.	किरीबाती
37.	पापुआ न्यू गिनी
38.	सोलोमन द्वीप समूह
39.	वैनेटु
40.	वेस्टर्न सामोआ
41.	अजरबैजान
42.	अल्बानिया
43.	आर्मेनिया
44.	बोस्निया–हर्जेगोविना
45.	क्रोशिया
46.	एस्टोनिया
47.	जार्जिया
48.	लातविया
49.	लियुआनिया
50.	मालदोवा
51.	स्लोवाक गणराज्य
52.	स्लोवेनिया
53.	द होली सी
54.	आइसलैण्ड
55.	लीचेंस्टैन
56.	लग्जम्बर्ग
57.	मोनाको
58.	सान मारिनो
59.	एंटीगुआ एण्ड बारबुडा
60.	बारबाडोस
61.	बेलीजे
62.	बोलिविया
63.	केनान द्वीप
64.	डोमिनिका कामनवैल्थ
65.	कोस्टारिका
66.	इक्वेडोर
67.	डोमिनिक गणराज्य
68.	ग्रेनाडा
69.	एल साल्वेडोर
70.	हैती
71.	ग्वाटेमाला
72.	नीदरलैण्ड एन्टील्स
73.	होंडूरास

1	2
74.	सेंट क्रिस्टोफर एण्ड नेविस
75.	पराग्वे
76.	सेंट विनसेंट एण्ड द ग्रेनेडियन्स
77.	सेंट लुसिया
78.	उरुग्वे
79.	तुर्क्स एण्ड कैकोस द्वीप समूह
80.	जीबूती
81.	ताइवान
82.	सोमालिया
83.	मोरिटेनिया
84.	जिवाल्टर

[अनुवाद]

"सेल" में चोरी

692. **श्री मोहन रावले :**
श्री अमल दत्त :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "सेल मिसिंग स्टील वर्थ रूपीज 2,558 करोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस विसंगति की जांच के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इसके लिये उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) इस समाचार में प्रधान मंत्री को अभी हाल में एक संसद सदस्य द्वारा भेजे गए संदर्भित पत्र में 'सेल' के संबंध में निम्नलिखित दो मुख्य मुद्दों का हवाला दिया गया है :–

(एक) 2558 करोड़ रूपए मूल्य का लापता इस्पात, तथा

(दो) प्रमुख उपभोक्ताओं के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के कारण कथित हानि।

तथ्य इस प्रकार हैं :–

(एक) 1992–93 और 1993–94 क में विक्रेय इस्पात के स्टाक में कोई लापता स्टाक नहीं है जैसाकि समाचार में आरोप लगाया गया है। समाचार में उल्लिखित विक्रेय इस्पात के स्टाक के आंकड़ों में अन्तर वर्ष 1993–94 से संबंधित सैल के खातों के शेड्यूल–7 (ए) (उत्पादन) तथा शेड्यूल–7 (बी) (अथ शेष) स्टाक, बिक्री तथा इति शेष स्टाक के तहत दर्शाए गए आंकड़ों के परस्पर गणितात्मक आंकलन के कारण है। तथापि, समायोजन के प्रयोजन से इस्पात की वह मात्रा जो बेची नहीं गई है परन्तु किसी अन्य प्रयोजन जैसे कि अन्तर संयंत्र अन्तरण, आन्तरिक खपत, पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए अन्तरण, कमी/फालतू आदि के लिए उपयोग की गई है, का आंकलन नहीं किया गया है, क्योंकि यह कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VI के अपेक्षित ब्यौरे में परिलक्षित नहीं है।

इसका समुचित प्रकटीकरण नोट "सेल" के खाते में शेड्यूल–7 (ख) में दिया गया है। "सेल" इस लेखा पद्धति का 1973 में इसकी शुरूआत से ही इसका अनुपालन कर रहा है।

(दो) "सेल" ने अपने वाणिज्यिक हितों को देखते हुए कुछ उपभोक्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन किया है जो उनकी विपणन नीति का अंग है ताकि वह बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में अपनी स्थिति बरकरार रखे रहे और अपने समग्र उत्पादों के संबंध में बाजार में अपनी स्थिति सुधार सके। "सेल" का मत है कि समझौता ज्ञापन से वर्ष 1993–94 में इसके विक्रेय निष्पादन में सुधार करने में मदद मिली है जो वर्ष 1992–93 के दौरान किए गए इसके कार्य निष्पादन की तुलना में बेहतर है।

(ग) इसमें कोई विसंगति नहीं है अतः जांच की आवश्यकता नहीं है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

भारतवासियों को उड़ानें उपलब्ध न होना

693. **श्री पी.सी. थामस :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री रमेश चेन्नितला :
श्री के. मुरलीधरन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लेग फैलने और विदेशों में इसका प्रचार होने के कारण देश को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक व्यक्ति उड़ानें उपलब्ध न होने और अन्य मान्य कारणों से खाडी देशों तथा अन्य देशों में वापस नहीं जा सके जिससे उनके वीजा और नौकरी खत्म हो गई;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं;

(ङ) इनमें से कितने व्यक्तियों को उनके सम्बद्ध देशों में वापस भेजा गया है; और

(च) सरकार शेष व्यक्तियों को अपने–अपने देश में वापस

भेजने में सहायता करने हेतु क्या कदम उठा रही है और इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं?

__विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया)__ : (क) प्लेग फैलने के तुरन्त बाद इस बीमारी के फैलने के डर से कुछ देशों ने नियन्त्रण लगाए जिससे व्यापार में रूकावटें आईं। इससे यात्रा व्यापार भी प्रभावित हुआ।

(ख) इन प्रतिबन्धों का कितना प्रभाव हुआ, यह बताना कठिन है। अधिकांश मामलों में इन प्रतिबन्धों के कारण निर्यात की खेपों में विलम्ब हुआ जो कि उन्हें निरस्त किया गया। जो कुछ भी नुकसान या विलम्ब हुआ हो, उम्मीद की जाती है कि निर्यातक अपने अतिरिक्त प्रयासों से निकट भविष्य में इस क्षति को पूरा कर लेंगे।

(ग) से (च). सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ देशों के साथ वायु सम्पर्क निलम्बित रहने के कारण कुछ लोग उन देशों की यात्रा नहीं कर सके, जिसके कारण उनके वीजा की अवधि समाप्त हो गयी तथापि प्रतिबन्धों के समाप्त होने तथा वायु सम्पर्क बहाल होने पर ये व्यक्ति वीजा प्राप्त करने के बाद और जहां आवश्यक था, वीजा के पुनः वैधीकरण के बाद उन देशों में चले गए हैं। ऐसे व्यक्तियों की सही संख्या के बारे में सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। इन व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में जहां कहीं भी कठिनाई उत्पन्न हुई है, सरकार ने सम्बद्ध देशों की सरकारों के साथ आवश्यक कार्यवाही की है।

कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी

694. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड निजी कम्पनियों के सहयोग से संयुक्त उद्यम परियोजनाएं शुरू कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड का प्राइवेट कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम परियोजना लगाने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

महासभा के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल

695. **श्री फूलचंद वर्मा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल ही के सत्र में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में कौन–कौन सदस्य थे;

(ख) भारत की ओर से महासभा में प्रारूप किसने प्रस्तुत किया और वहां कौन–कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) इस सत्र के निष्कर्षों और सिफारिशों का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) *एक विवरण–I संलग्न है।*

(ख) आम बहस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता द्वारा दिए गए वक्तव्य की एक प्रति संलग्न विवरण–II में प्रस्तुत है।

(ग) अन्य वर्षों की तरह महासभा की समितियों ने निरस्त्रीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति–स्थापना, आर्थिक एवं वित्तीय मसलों, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय मुद्दों, विधिक मसलों, प्रशासनिक एवं बजट से सम्बन्धित मसलों पर 200 से अधिक संकल्प पारित किए।

विवरण–I

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 49 वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की सूची नीचे लिखे अनुसार है :

1. श्री प्रणव मुखर्जी, वाणिज्य मंत्री–नेता
2. श्री भुवनेश चतुर्वेदी, राज्य मंत्री (प्रधान मंत्री कार्यालय) –वैकल्पिक नेता
3. श्री रघुनंदन लाल भाटिया, विदेश राज्य मंत्री –वैकल्पिक नेता
4. श्री सलमान खुर्शीद, विदेश राज्य मंत्री – वैकल्पिक नेता

गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल :

5. श्री अटल बिहारी वाजपेयी, सांसद
6. श्री पवन कुमार बंसल, सांसद
7. श्री ई. अहमद, सांसद
8. श्री मियां बशीर, पूर्व मंत्री, –जम्मू और कश्मीर
9. श्री के. नटवर सिंह, पूर्व राज्य मंत्री
10. श्री बृजेश मिश्र, पूर्व राजदूत
11. श्री मनोरंजन भक्त, सांसद
12. श्री भुवनेश्वर कालिटा, सांसद
13. श्री पी.जे. कुरियन, सांसद
14. श्री चन्द्रजीत यादव, सांसद
15. श्री आई.के. गुजराल, सांसद
16. प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, पूर्व सांसद–जम्मू और कश्मीर
17. श्रीमती मीरा कुमार, पूर्व सांसद
18. श्री एस.के. सिंह, पूर्व राजदूत

सरकारी प्रतिनिधिमंडल : (विदेश मंत्रालय से)

19. श्री के. श्रीनिवासन, विदेश सचिव
20. श्री सलमान हैदर, सचिव (पूर्व)
21. श्री वी.के. ग्रोवर, सचिव (पश्चिम)
22. श्री पी.एम.एस. मलिक, विशेष सचिव
23. कुमारी सावित्री कुनाड़ी, संयुक्त सचिव (यू.एन.ई)
24. श्री एस. पाल, संयुक्त सचिव (यू.एन.पी.)
25. श्री पी. श्रीनिवास राव, संयुक्त सचिव (एल. एण्ड टी.)

सरकारी प्रतिनिधिमंडल : (विदेश स्थित मिशनों से)

26. श्री प्रकाश शाह, भारत के राजदूत, टोकियो
27. श्री एम.एच. अंसारी, स्थायी प्रतिनिधि, न्यूयार्क
28. श्री सतीश चन्द्र, स्थायी प्रतिनिधि, जेनेवा
29. श्री टी.पी. श्रीनिवासन, उप स्थायी प्रतिनिधि–I, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क।
30. श्री नलिन सूरी, उप स्थायी प्रतिनिधि–II, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क।
32. श्री अजीत कुमार, कौंसलर, भारत का स्थायी मिशन, जेनेवा।
32. भारत के स्थायी मिशन, न्यूयार्क के प्रथम सचिव और उससे ऊपर के पद के सभी अधिकारी।

सरकारी प्रतिनिधिमंडल : (अन्य)

33. श्री आई. राममोहन राव, सलाहकार, राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर।
34. श्रीमती औमिता पॉल, विशेषाधिकारी, वाणिज्य मंत्री
35. कुमारी सुजाता मेहता, निदेशक (एस), प्रधान मंत्री कार्यालय।

विवरण–

अध्यक्ष महोदय,

मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में आपके चुने जाने पर आपको बधाई दता हूं। हमें यह जानकर विशेष रूप से प्रसन्नता हुई है कि अफ्रीका का एक प्रतिष्ठित सुपुत्र इस वर्ष महासभा के विचार–विमर्शों में नेतृत्व कर रहा है।

2. हम आपके पूर्वाधिकारी राजदूत इन्सनली को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने एक वर्ष तक महासभा के महत्वपूर्ण कार्य–कलापों में आत्म–विश्वास और कौशल से अध्यक्षता की। महा सचिव डा. बूतरॉस घाली अपने पद पर तीन वर्ष पूरे करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व जारी रखने में हम उनकी मंगल कामना करते हैं।

3. हम संयुक्त राष्ट्र में नए दक्षिण अफ्रीका का स्वागत कर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका आज मानव–समानता के सिद्धान्त की विजय का स्मारक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने प्रमुख भूमिका निभायी है। विश्व समुदाय को इस बात का सुनिश्चय करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि इस सिद्धान्त को आने वाले समय में कार्यान्वित किया जाए। दक्षिण अफ्रीका के विकास के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

4. उनचास वर्ष पूर्व युद्ध से क्लान्त विश्व ने यह घोषणा की कि वह संयुक्त राष्ट्र रूपी ढलाई के कारखाने में अपने तलवारों को ढाल कर हल–फालों में बदल देगा। इसके बजाए हमने केवल शब्दों की रचना की है जबकि तलवारें लुप्त नहीं हुई हैं। शब्द महत्वपूर्ण हो सकते हैं परन्तु दुर्भाग्य से ये मात्र शब्द ही रह गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक ऐसी नई विश्व–व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसमें नैतिकता का अभाव है और उसमें न तो शांति और न ही अहिंसक विश्व की विश्वसनीय उम्मीद है। और हम अगले वर्ष संयुक्त राष्ट्र के 50 वें वर्ष में शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के पांच सिद्धांतों के 40 वे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता–वर्ष मना रहा है तथा शान्ति और नैतिक बल के प्रचारक महात्मा गांधी की 125 वीं जयन्ती भी मना रहा है जिनका संदेश हमेशा संगत है और रहेगा।

5. आज सार्वभौम सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक विकास का संवर्धन, मानवाधिकारों की सुरक्षा बहु–जातीय समाजों के बीच सद्भावना और सामाजिक एक–जुटता का संवर्धन, आतंकवाद, औषधि का अवैध व्यापार और युद्ध सामग्री का चोरी–छिपे अवैध व्यापार का मुकाबेला करना और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की रूपरेखा के अन्दर इसकी क्षमता बढाना, संघर्षों को रोकना, शांति बनाए रखना और कष्ट–निवारण शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की नई कार्यसूची इस दृष्टिकोण के अनुरूप बनाई जानी चाहिए जिसमें शांति और विकास को समान प्राथमिकता और व्यवहार दिया जाए। महासभा को अपनी सार्वभौम भागीदारी और अपने व्यापक आदेश से एक ऐसा ही व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए और उसे कार्य रूप में परिणत करके व्यावहारिक बनाना चाहिए।

6. महासचिव की कार्य सूचियों ने हमें यह स्मरण कराया है कि हमें किन–किन बातों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए यानी निरस्त्रीकरण, विकास और शांति पर। मैं इसे उस क्रम में रखता हूं क्योंकि सच्ची शांति केवल निरस्त्रीकरण और विकास के बाद ही आ सकती है। शीत युद्ध युद्ध नहीं था और न ही निश्चित क्रम से शांति ही। इसके रहते हमने अत्यधिक भयभीत रूप से यह देखा है कि गरीबी, बीमारी और दुख किस प्रकार शांति को प्रभावित करते हैं। ये हर समय मौजूद थे परन्तु शीत युद्ध के कारण इनकी ओर ध्यान नहीं गया। अतः शीत युद्धोपरान्त इस नए संदर्भ में शांति के साथ निरस्त्रीकरण और विकास का संबंध वास्तव में बहुत ही स्पष्ट हो जाता है।

7. हमें निस्त्रीकरण से शुरूआत करनी है। रूआंडा में कत्लेआम हिरोशिमा और नागासाकी के विनाश की 49 वीं वर्षगांठ में हुआ है। लगभग 50 वर्ष हमने सार्वभौम एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण की बजाए सामान्य और पूर्व समाप्ति की आशंका में व्यतीत किए। उन देशों ने, जिनके पास जीव–वैज्ञानिक और रासायनिक हथियार थे, सार्वभौम रूप से बाह्य वचनबद्धताओं के अन्तर्गत उन्हें त्याग दिया है। हमें अब एक युक्तियुक्त कदम आगे जाना चाहिए और सबसे बड़ी बुराई यानी सामूहिक विनाश के हथियारों को समाप्त करना चाहिए।

8. इससे पहले भी हमने नाभिकीय निरस्त्रीकरण के बारे में सार्वभौम रूप से विचार–विमर्श किया है, परन्तु अब चूंकि शीत युद्ध, जिससे ये अस्त्र उत्पन्न हुए, समाप्त हो गया है और विगत में जो शत्रु थे शांति के लिए है भागीदार बन गए हैं इसलिए निश्चय ही यह समय है जब ऐसी प्रणालियों के लिए सहमति हो, जो सार्वभौम हैं, व्यापक, सत्यापनीय और भेदभाव रहित हैं, और ऐसे उपायों पर सहमति हो जो विश्व को अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित बनाने में सहायक हों। एक अन्य अवसर तब मिलेगा जब नाभिकीय अप्रसार संधि पर अगले अप्रैल में समीक्षा की जाएगी। हमें उम्मीद है कि राज्य पक्षकार इस अवसर पर इस संधि को सार्वभौम निरस्त्रीकरण के लिए एक वास्तविक दस्तावेज का स्वरूप देंगे। नाभिकीय अप्रसार संधि के अतिरिक्त यह अनिवार्य है कि पूर्ण और सार्वभौम निरस्त्रीकरण

के विस्तृत क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर विचार किया जाए जिसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है यद्यपि यह अभी तक शब्दों में ही किया गया है।

9. विगत जून में काहिरा में भारत के सुझाव पर गुट–निरपेक्ष विदेश मंत्रियों ने यह प्रस्ताव किया कि निरस्त्रीकरण संबंधी चौथा विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। हमारे विचार से महासभा के लिए यह उचित समय और परिस्थितियां हैं कि वह आगामी वर्ष के इस विशेष अधिवेशन के लिये यथाशीघ्र योजना बना ले।

10. परन्तु सिर्फ निरस्त्रीकरण करना अपर्याप्त होगा। हम एक अन्य संकट की ओर अग्रसर हो रहे हैं जहां राष्ट्रों के बीच धन संबंधी विषमताओं से राज्यों के अन्दर हिंसक क्रान्ति भड़केगी यदि हम विकास संबंधी आवश्यकताओं की अवहेलना करते रहेंगे तो विश्व में विप्लव होगा। विकास की समस्याएं विश्व की समस्याएं हैं और इनका समाधान हम सबको करना चाहिए। हमें विकास संबंधी एक स्थायी कार्यसूची निर्धारित करनी चाहिए और इसके प्रति हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए और इसे कार्वान्वित करना चाहिए।

11. विश्व व्यापार संगठन को जो शीघ्र ही अस्तित्व में आ जाएगा, उनका संवर्धन करना चाहिए जिनकी हमें उम्मीद थी परन्तु "गैट" में अभी तक उनकी उपलब्धि नहीं हुई यानी–अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में भेदभाव न हो, आम राय हो और पारदर्शिता हो। हमें उम्मीद है कि बहुपक्षीय व्यापार बातचीत से हमारे देशों में और विश्व अर्थ–व्यवस्था में आर्थिक प्रगति प्रोत्साहित होगी। यदि सावधानी–पूर्वक बातचीत से हुई सर्वसम्मति, जिसके प्रति हम स्वयं माराकेश में वचनबद्ध हुए, नई शर्तों के लागू हो जाने से समाप्त हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। यदि देश अपनी व्यापार संबंधी शक्ति और द्विपक्षीय प्रभावों का प्रयोग उन करारों को कमजोर और विकृत करने के लिए करेंगे जिनके वे अभी–अभी पक्षकार बने हैं तो बहुपक्षीय व्यवस्था में आस्था डावांडोल हो जाएगी।

12. सामाजिक विकास संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन के सामाजिक एक–जुटता और उत्पादन–मूलक रोजगार के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता सहित गरीबी दूर करने के महत्वपूर्ण मसलों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं जिसके बिना हम व्यापक–आधारित स्वस्थिर सामाजिक एवं आर्थिक विकास नहीं कर पायेंगे जो शांति एवं सुरक्षा का एकमात्र गारंटीकर्त्ता है। यदि इस सम्मेलन को सफल बनाना है तो हमें उन अतिरिक्त संसाधनों के लिए वचनबद्धताओं को स्वीकार करना चाहिए जो विश्व में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रति समर्पित हैं। हमें उन नई अवधारणाओं द्वारा इस लक्ष्य से विपथ नहीं किया जाना चाहिए जिनपर आम राय न हो और जो विकास की मौलिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान न दें।

13. संयुक्त राष्ट्र को अपनी प्राथमिकताओं को भी पुनः व्यवस्थित करना चाहिए जिससे कि ऐसी चिन्ताजनक फैलती हुई प्रवृत्तियों का प्रतिकार किया जा सके जिन्हें हम आज उभरता हुआ देख रहे हैं; आज संसार में जरूरत इस बात की है कि राष्ट्र राज्य व्यवस्था को समर्थन बने जिस पर संयुक्त राष्ट्र की इमारत खड़ी की गई है। इस वर्ष जून में प्रधान मंत्री नरसिंह राव और राष्ट्रपति येत्सजिन संसार के दो सबसे बड़े बहुवादी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं; बहुवादी राज्यों की हितों की संरक्षा के संबंध में मास्को घोषणा जारी की थी। इस घोषणा में जिसे महासभा के एक दस्तावेज के रूप में परिचावित किया गया है रूस और भारत ने ऐसे सिद्धान्त सामने रखे हैं, कि जिन पर अगर अमल किया जाय तो हमारे विचार से संसार में अधिक समरसता आएगी।

14. इसी पृष्ठभूमि में इस सभा के समक्ष कुछ विचारार्थ सवाल उभरते हैं। शीतयुद्ध के 45 वर्षों की अवधि में सुरक्षा परिषद कुछ न कर पाने के लिए मजबूर थी। लेकिन जैसे ही शीतयुद्ध समाप्त हुआ; इसके कन्धों पर जबरदस्त काम आ गया। मानो निष्क्रियता की भरपाई के लिए वर्षों आगे चला गया हो। हमें विगत कुछ वर्षों के निर्णयों के परिणामों पर विचार करना चाहिए जिनके कारण संयुक्त राष्ट्र शान्ति सैनिकों को उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भेजना पड़ा है जिनका शान्ति के साथ गठजोड़ अपवित्र है।

15. नए सिद्धान्त उन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सशस्त्र हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराते हैं जो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है–कम से कम अभी तक तो नहीं। इन पहलकदमियों का उद्देश्य तो ठीक है, लेकिन ये समस्या को सही ढ़ंग से सुलझाती हों, ऐसा नहीं लगता। सबसे बड़ा मानवाधिकार है–जीने का अधिकार, भोजन तथा आश्रय का अधिकार जिसके बिना जीवन असंभव है। कुछ देशों की गरीबी इसे एक ऐसी समस्या बना देती है, जिसका समाधान सरल नहीं है। अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, जो बहुपक्षीय सशस्त्र हस्तक्षेप को उचित ठहराती हैं तो क्या उसी तर्क से संयुक्त राष्ट्र को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह राष्ट्रों या देशों के बीच न्यायोचित भागीदारी का सुनिश्चय करे।

16. गुट–निरपेक्ष आन्दोलन ने इस वर्ष काहिरा में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक में स्थायी महत्व की शांति स्थापित करने से सम्बद्ध कार्यवाहियों के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों का सुझाव दिया है। इससे पहले कि बल प्रयोग के उपायों पर विचार किया जाए, सघर्षगत पार्टियों को झगडों के निपटान के लिए सभी शांतिपूर्ण उपाय करने चाहिए। शांति स्थापना से सम्बद्ध कार्यवाहियों में इस चार्टर के सिद्धांत का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए विशेषकर, राज्यों की सम्प्रभुता, उनकी प्रादेशिक अखण्डता तथा उनके आन्तरिक मसलों में अहस्तक्षेप के प्रति पूर्ण सम्मान के सिद्धान्तों का शांति स्थापना से सम्बद्ध कार्यवाहियों पर केवल सम्बद्ध सदस्य देशों के अनुरोध पर ही विचार किया जाना चाहिए। शांति स्थापना से संबद्ध कार्यवाहियों के लिए संसाधन संयुक्त राष्ट्र की विकास सम्बन्धी गतिविधियों के संसाधनों की कीमत पर इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। ऐसी कार्यवाहियों को समाप्त किए जाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए जिनके बाद बहुत–सी घटनाएं घट चुकी हों अथवा जो अपने उद्देश्य के दृष्टिकोण से संगत न रह गई हो। इस बात का सुनिश्चय करना भी आवश्यक है कि शांति स्थापना से संबद्ध कार्यवाहियों तथा मानवीय सहायता सहित संयुक्त राष्ट्र की अन्य गतिविधियों के बीच हमेशा अन्तर रखा जाए। यद्यपि संघर्ष क्षेत्र स्तर पर इन गतिविधियों के मध्य समन्वय महत्वपूर्ण है, तथापि उनको समेकित करने से इन अलग–अलग गतिविधियों के आधारभूत उद्देश्य या प्रयोजन पूरी तरह से उलझ सकते हैं और उनको निष्प्रभावी बना सकते हैं।

17. शांति स्थापना के क्षेत्रीय स्तर पर कार्यवाही करने में विवेक और समझदारी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना क्षमता को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

18. संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना क्षमता को सुदृढ करने के लिए महासचिव की अपील के जवाब में हमने एवजी व्यवस्थाओं के लिए एक ब्रिगेड निर्धारित किया है जिसे तैनात किया जा रहा है।

19. यह सच है कि सुरक्षा परिषद् का कार्य और संयुक्त राष्ट्र में इसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इस कारण यह और भी आवश्यक हो जाता है कि परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करे और इसकी अधिकतम वैधता हो। संयुक्त राष्ट्र को एक ऐसी परिषद की आवश्यकता है जो प्रभावी हो लेकिन यह प्रभावी नहीं हो सकती अगर यह भावना उत्पन्न हो कि यह एक निहित विशेषाधिकार का प्रतिनिधित्व करती है और यह कि इसकी कार्यसूची इसके आम सदस्यों की कार्यसूची से भिन्न हो सकती है। लोकतन्त्र तथा उचित शासन जिसके लिए सभी सदस्य देशों से आग्रह किया जाता है–संयुक्त राष्ट्र की दहलीज पर आकर नहीं रूक सकती।

20. सुरक्षा परिषद का मौजूदा स्वरूप विश्व युद्ध के तुरन्त बाद के शक्ति सन्तुलन को दर्शाता है। तब से इस विश्व संगठन की सदस्यता कई गुना बढ़ गई है। शक्ति का विस्तार भी और अधिक हुआ है। परिषद की कार्यवाहियों को और अधिक वैधता, नैतिक अधिकार तथा राजनीतिक प्रभाव प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि परिषद की सदस्यता में विस्तार हो। इस विश्व संगठन के सार्वभौमिक स्वरूप को प्रतिबिम्बित करने के लिए विकासशील देशों को स्थायी सदस्यों की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। गैर स्थायी सदस्यों की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिए ताकि परिषद के कार्यों में भाग लेने के लिए सदस्य देशों को और अधिक अवसर प्रदान किए जा सकें।

21. स्थायी सदस्यों की श्रेणी का टुकडों–टुकडों में चयनात्मक विस्तार विवेकपूर्ण नहीं होगा। सुरक्षा परिषद एक निगमित बोर्ड नहीं है, जहां मतदान देने का अधिकार इक्विटी शेयर के आधार पर निर्धारित किया जाता है और न ही इसे ब्रेटन वुडस इन्स्टीट्यूशन जैसी संस्था माना जा सकता है जो समृद्ध देशों को प्रतिबिम्बित करता है। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रों की सम्प्रभु समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका प्रमुख उद्देश्य है– अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। इसका प्रतिबिम्बन परिषद के स्वरूप में होना चाहिए जो इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम होनी चाहिए। स्थायित्व तथा लचीलापना ना कि इष्टसिद्धि किसी भी प्रकार के विस्तार की समय–सीमा के निर्धारण का आधार होना चाहिए। जनसंख्या, अर्थव्यवस्था के स्वरूप, अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को कायम रखने तथा शांति स्थापना में योगदान, अथवा भावी क्षमताओं जैसे किसी भी मानदण्ड की दृष्टि से भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का पात्र है।

22. सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणालियों में सुधार किया जाना चाहिए ताकि उनमें और अधिक पारदर्शिता हो और वे अधिकांश सदस्य राज्यों की लोकतान्त्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकें। हमें उम्मीद है कि सुरक्षा परिषद के विस्तार से सम्बन्धित खुली सदस्यता वाला कार्य दल अगले वर्ष अपने विचार–विमर्शों के दौरान इन मुद्दों पर समुचित विचार करेगा।

23. मानवाधिकार आजकल चर्चा में है। भारतीय सभ्यता की गहरी मानविक परम्पराएं, जिनमें सहिष्णुता, सौहार्द, अहिंसा, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की उल्लंघनीयता शामिल है, हमारी संस्कृति के मूल आधार हैं। कई सदियों पूर्व एक भारतीय विद्वान ने लिखा था, "मानव सबसे श्रेष्ठ है। मानव सर्वोच्च सत्य है। मानव से ऊपर कोई नहीं है।" भारत में मानवाधिकार परम पावन है जिनकी गारन्टी एक धर्मनिरपेक्ष संविधान, एक स्वतन्त्र न्याय प्रणाली, एक स्वतंत्र प्रेस तथा बलपूर्वक अभिव्यक्त जनता के विचारों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। मानवाधिकारों के संवर्द्धन तथा संरक्षण के प्रति भारत की वचनबद्धता हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना से और सुदृढ़ हुई है, जिसने प्रभावकारी ढंग से कार्य करना आरम्भ कर दिया है तथा जिसके निष्कर्ष इसकी वार्षिक रिपोर्ट मे प्रकाशित हुए है। पारदर्शिता की अपनी नीति के अनुसार हम महत्वपूर्ण गैर सरकारी संगठनों के साथ निरन्तर विचार–विमर्श करते रहते हैं तथा उन्हें सम्बद्ध क्षेत्रों में जाने की अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। हमने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त को भी भारत आने के लिए आमंत्रित किया है।

24. यह सही है कि मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त्र करने के लिए विश्वव्यापी आधार पर काफी कुछ करना बाकी है। परन्तु इस समस्या को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उदाहरण के लिए हमें 9000 लाख लोगों के विकास की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है; उत्तर–पश्चिम और उत्तर–पूर्व में हमें नृशंस आतंकवादी गतिविधियों का सामना करना पड़ रहा है और इन आतंकवादी गतिविधियों को प्रायः विदेशों से समर्थन मिल रहा है तथा इन आतंकवादी गतिविधियों ने हजारों निर्दोष व्यक्तियों की जानें ही नहीं ली बल्कि इन्होंने भारत में ही हजारों की तादाद में लोगों को शरणार्थी बना दिया है और इन गतिविधियों से हमारी सम्प्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा हुआ है। हम इन समस्याओं का मुकाबला करेंगे और उन्हें परास्त कर देंगे। हम विदेशों में अपने मित्रों के समर्थन और सलाह का स्वागत करते हैं; लेकिन हम यह बात स्वीकार नहीं कर सकते कि सभी मानवाधिकार आतंकवादियों का विशेषाधिकार है। निर्दोष और निहत्थे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तो की ही जानी चाहिए; हमारा अनुरोध है कि इन लोगों के अधिकारों की अवहेलना करके मानवाधिकारों के प्रश्न को राजनीति से प्रेरित नारा नहीं बनाया जाना चाहिए।

25. चूंकि कुछ देश जानबूझकर आतंकवाद रूपी जहर फैला रहे हैं और हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो इस जहर की चपेट से बचा रहे, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वह एकजुट होकर इससे अपनी रक्षा करे। आतंकवाद बड़ी तीव्र गति से सामूहिक विनाश का माध्यम बनता जा रहा है। बहुत से देश इसके शिकार हुए हैं तथा कई देशों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। रासायनिक तथा जैविक हथियारों, जिन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए

हमने सहमति व्यक्त की है, की तुलना में पिछले दशकों में आतंकवाद ने अपेक्षाकृत बहुत अधिक लोगों की जानें लीं। जिस तरह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह निर्णय लिया था कि इन हथियारों को गैर- कानूनी करार देने के लिए एक अभिसमय सम्पन्न करने की आवश्यकता है ठीक उसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वह आतंकवाद का मुकाबला करने तथा उसका उन्मूलन करने के लिए अभिसमय सम्पन्न करने पर तत्काल बातचीत करे। हम महासभा से अनुरोध करते हैं कि वह इस दिशा में गम्भीरता से विचार शुरू करे; अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वह आतंकवाद के शिकार व्यक्तियों, जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आवश्यक सहायता भी मुहैया करे।

26. अध्यक्ष महोदय, 20वीं सदी के अन्तिम वर्षों में मानव समाज का भविष्य बुरी तरह.अधर में लटका हुआ है। क्या शीत युद्ध की समाप्ति से सहयोग, सर्वसम्मति और आपसी सम्मान के आधार पर कोई ऐसी सार्वभौमिक व्यवस्था की शुरूआत होगी जो अपेक्षाकृत स्थायी हो, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता और हितकल्याण की भावना हो, या विश्व पुनः वही विचारधारा अपना लेगा जो अराजकता को जन्म देती है तथा इस प्रकार वह प्रताड़न और प्रभुत्व जमाने की निरंकुश प्रवृत्ति का सहारा लेकर एक बार फिर शनैःशनैः विघटन और विनाश की ओर उग्रसर होगा। क्या हमें प्रभुत्व जमाने की ऐसी व्यवस्था पुनः अपनानी चाहिए जिसके परिणामतः पिछले दो सौ वर्षों से भी अधिक के दौरान कई युद्ध हुए? इन प्रश्नों का अभी भी कोई पर्याप्त उत्तर नहीं मिला है।

27. वर्षों पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मन में यह प्रश्न आया था कि ऐसी कसौटी क्या है जो मानव प्रयास का दिशा–निर्देश कर सके। भारत के करोड़ों असहाय लोगों की और से वर्षों संघर्ष करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे;

"मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूं। जब भी आप असमंजस की स्थिति में हों अथवा आप अहंभाव से अत्यधिक ग्रसित हों तो आपको इस युक्ति से काम लेना चाहिए अर्थात् ऐसे किसी सबसे अधिक निर्धन और निर्बल व्यक्ति का स्मरण करें जिसे आपने कभी देखा हो और अपने आप से पूछें कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं क्या उसका कोई लाभ उसे मिलेगा। क्या वह उससे लाभान्वित होगा? क्या उससे वह अपने जीवन और नियति पर काबू पा सकेगा"?

28. यदि कमजोर और अत्यधिक निस्सहाय व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करना हमारे समुदाय के सामर्थ्य का परिचायक है तो करोड़ों की तादाद में शरणार्थी, तथा संघर्ष, गरीबी, भुखमरी और बंचना जिससे विश्व के अनेक क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, आज इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि कुछ महत्वपूर्ण नैतिक आधार समाप्त हो चुके हैं। आज यदि संसार का भविष्य उत्तरोत्तर लालच और घृणा की जंजीर में जकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि इसका उद्धार करना है तो हमें अपने तौर–तरीकों और अपने उद्देश्यों का एक बार फिर अवलोकन करना होगा जिनसे हमारी नियति तय होती है। हमारा हित–कल्याण हमारे मूल्यों और सिद्धान्तों पर ही आधारित है। सच्चाई, दया, अनुकम्पा, अहिंसा और दूसरों के साथ अपने जैसा व्यवहार वे मूल्य हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और महात्मा गांधी तथा उनसे पूर्व अवतरित हुए संतों ने इन्हीं मूल्यों की शिक्षा ही नहीं दी बल्कि उन्होंने इन्हें स्वयं अपने जीवन में उतारा भी था। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ रूपी अपने इस महान सार्वभौमिक संगठन में इन मूल्यों को उतारना होगा जिसके प्रति हम सभी कृतसंकल्प हैं।

अध्यक्ष महोदय मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति

696. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री रतिलाल वर्मा :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री हरिन पाठक :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री काशीराम राणा :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति प्रतिवर्ष बदतर होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) बोर्डों की वर्तमान निराशाजनक वित्तीय स्थिति के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस क्षेत्र में कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). 17 राज्य बिजली बोर्डों में से मुख्यतः हरियाणा, पंजाब एवं मेघालय राज्य बिजली बोर्डों की स्थिति वर्ष प्रति वर्ष आधार पर बिगड़ती रही है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण मे देखा जा सकता है।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों की निराशाजनक वित्तीय स्थिति के मुख्य कारण ये हैं, कृषि क्षेत्र के लिए अवैज्ञानिक विद्युत टैरिफ संरचना, राज्य बिजली बोर्डों को राज्य सरकारों द्वारा ग्राम विद्युतीकरण आर्थिक सहायता का भुगतान न करना, ऋण का इक्विटी के रूप में परिवर्तन न किया जाना, संयंत्र भार अनुपात का निम्न स्तर, उच्च पारेषण एवं वितरण हानियां, ताप विद्युत स्टेशनों मे उच्च ईंधन खपत।

(घ) और (ङ). केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को उपर्युक्त क्षेत्र मे कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई है, लेकिन राज्य सरकारों को विद्युत मंत्रियों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों से ऐसे उपाय हाथ में लेने की सलाह दी गई है। इन उपायों में ये शामिल हैं, तर्कसंगत टैरिफ, ग्राम विद्युतीकरण, आर्थिक सहायता का नियमित भुगतान, संयंत्र भार अनुपात में सुधार, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी, मोटर के आधार पर बिजली की आपूर्ति, ऋण का इक्विटी में परिवर्तन आदि।

विवरण

खातों में प्रदान की गई ग्राम विद्युतीकरण आर्थिक सहायता को हिसाब में रखने के पश्चात राज्य बिजली बोर्डों का वार्षिक लाभ/हानि दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य बिजली बोर्ड का नाम	1990–91 *	1992–92 *	1992–93 *
1.	आन्ध्र प्रदेश	81.00	84.44	79.45
2.	बिहार	–178.89	–113.72	191.19
3.	गुजरात	100.33	70.85	89.79
4.	हरियाणा	–91.73	–206.80	–335.00
5.	हिमाचल प्रदेश	6.12	2.73	11.82
6.	कर्नाटक	21.30	24.30	32.21
7.	केरल	–21.70	–35.68	18.51
8.	मध्य प्रदेश	76.92	83.71	101.01
9.	महाराष्ट्र	48.45	125.19	272.00
10.	उड़ीसा	24.52	24.74	25.96
11.	पंजाब	–68.40	4.70	–118.53
12.	राजस्थान	–100.41	61.80	64.69
13.	तमिलनाडु	72.17	84.38	225.10
14.	उत्तर प्रदेश	45.64	67.10	136.31
15.	प. बंगाल	–102.62	–92.23	–28.35
16.	असम	–101.84	–225.50	–70.68
17.	मेघालय	–3.55	8.80	–5.96

* अनंतिम/लेखा परीक्षा न किया गया

स्वास्थ्य-रक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना

697. **श्री श्रीबल्लव पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य–रक्षा की परम्परागत पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने स्वास्थ्य–रक्षा की परम्परागत पद्धतियों की पहचान कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस पर हाल ही में दिल्ली में "इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज" द्वारा कोई संगोष्ठी आयोजित की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस चर्चा के क्या परिणाम/निष्कर्ष निकले तथा इस संबंध में सरकार ने क्या सिफारिश की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ग). सरकार ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं।

(घ) और (ङ). जी, हां। सरकार को इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा आयोजित किए गए सेमिनार की सिफारिशों की कोई औपचारिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

"मल्टीपल आपरेटर्स"

698. **श्री रूपचन्द पाल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दूरसंचार नीति में स्विच एरिया में कार्यरत मल्टीपल आपरेटरों की अभिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये आपरेटर भूमिगत केबल नेटवर्क के माध्यम से कार्य संचालन करेंगे; और

(ग) इस प्रणाली की कार्यकुशलता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को कार्यान्वित करने के संबंध में सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार बुनियादी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक दूरसंचार सर्किल में दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त, एक निजी सेवा प्रदत्त होगा।

(ख) यह लाइसेंस प्रचालक द्वारा प्रयोग की जाने वाली अनुमत्य प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेगा जो बेतार अथवा तार युक्त (भूमिगत केबिलों सहित) अथवा उसका सम्मिलित रूप हो सकती है।

(ग) दूरसंचार सेवाओं की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटर को, दूरसंचार प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों एवं मानदण्डों का पालन करना आवश्यक होगा।

तांबे के कनेक्टर्स की चोरी

699. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल स्थित मट्टाथूर माइक्रो स्टेशन से तांबे के कुछ बैटरी कनेक्टरों के चुराए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मट्टाथूर (केरल) में डुप्लीकेट कनेक्टर कुछ अन्य कंपनियों के माध्यम से तैयार कराए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस चोरी में शामिल व्यक्तियों के नाम क्या हैं और किन लोगों ने डुप्लीकेट सामग्री का निर्माण कराया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसके लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) 27 सें.मी. लम्बे, 5 सें.मी. चौड़ी और 0.4 सें.मी. मोटे तांबे के 44 अदद बैटरी कनेक्टरों के गायब होने का समाचार है जिसमें प्रत्येक कनेक्टर का अलग–अलग मूल्य 85 रू. है, जिसका योग 3740 रू. बैठता है। (तीन हजार, सात सौ चालीस रूपए मात्र)

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). मट्टाथूर माइक्रो स्टेशन पर तैनात विभागीय चौकीदार ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और चौकीदारों द्वारा अपनी लागत से गायब हुई सामग्री को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। उन्हें भविष्य में अत्यधिक सतर्क रहने की सख्त चेतावनी दी गई है।

राष्ट्रीय पावर ग्रिड निगम

700. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पावर ग्रिड निगम की स्थापना पर अनुमानित लागत कितनी आयेगी;

(ख) इस परियोजना को कितने समय में पूरा किया जायेगा;

(ग) क्या अनेक राज्यों में पहले से ही पावर ग्रिड काम कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का गठन किया जाना एक ऐसी संकल्पना है जिसमें विद्युत अंतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रिडों को अन्तः संबद्ध करना शामिल है। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. की स्थापना, निर्माण कार्य के साथ-साथ क्षेत्रों/राज्यों के पारेषण लिंकों का अन्तः संबद्ध कार्य किए जाने के लिए 5000 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक प्राधिकृत शेयर पूंजी से 1989 में की गई थी।

(ख) पारेषण लिंक्स स्थापित करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) और (घ). जी, हां। 5 क्षेत्रीय ग्रिड नामशः पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिड, जिनमें सभी राज्य शामिल हैं, देश में पहले से ही विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अस्पतालों का दर्जा बढ़ाया जाना

701. **डा. साक्षीजी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से राज्य में सेकेन्ड्री स्तर के अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में द्वितीयक स्तर के अस्पतालों का उन्नयन करने के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव भेजा था। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना की अपेक्षाओं के अनुसार एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

ट्रामवे

702. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ट्रामवे बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य बड़े शहरों में उपरोक्त परियोजना के कार्यान्वयन का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए वित्तीय सहायता कैसे उपलब्ध होगी; और

(ङ) इसके निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ और परिपूर्ण होने की सम्भावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के साथ परामर्श करके दिल्ली के 9 महत्वपूर्ण मार्गों पर तीव्र गति की ट्राम प्रणाली की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। तीव्र गति की ये ट्रामें उत्थापित पथों पर चलेंगी। भारतीय/विदेशी एजंसियों से, निर्माण, प्रचालन तथा हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) के आधार पर, प्रस्ताव मंगवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

(ग) तथा (घ). कुछेक राज्य सरकारों ने अपने-अपने महानगरों में तीव्र गति की ट्राम प्रणाली के निर्माण के प्रयोजनार्थ पूछ-ताछ की है। तथापि ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करना संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल यह नहीं बताया जा सकता कि निर्माण कार्य कब शुरू होगा।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोग की दर

703. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कुष्ठ रोग कुल जनसंख्या के अनुपात में, का प्रतिशत क्या-क्या है;

(ख) क्या इस बीमारी के उन्मूलन के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और इस वर्ष में सरकार को इसके लिए कोई विदेशी ऋण सहायता आदि प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उपयोग किए जाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) इस समय भारत में कुष्ठ रोगियों की व्याप्तता दर प्रति हजार 9.7 है।

(ख) और (ग). जी, हां। भारत सरकार ने सन् 2000 ईसवी तक कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लक्ष्य वाला एक राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ किया है।

(घ) और (ङ). विगत तीन वर्षों में डेनिडा, नोराड एवं सीडा से विदेशी सहायता प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन परियोजना के लिए विश्व बैंक से 85.0 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के एक करार पर चालू वर्ष में हस्ताक्षर हुए हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में चलाने, प्रशिक्षण देने व कार्मिक शक्ति में सुधार करने, अनुवीक्षण करने एवं इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करने हेतु विश्व बैंक सहायता के समुपयोजन के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है।

राज्यों में डाक और तार सेवाएं

704. **श्री के. प्रधानी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश डाक और दूरसंचार सेवाओं में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्यों में डाक और दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने और इनका आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). उत्तरोत्तर वार्षिक योजनाओं के माध्यम से देश में डाक व दूरसंचार सेवाओं में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य उन स्थानों पर संचार सुविधाओं का विस्तार करना है जहां वे उपलब्ध नहीं हैं और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के समावेश से मौजूदा सुविधाओं के स्तर को ऊंचा उठाना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) डाक विभाग और दूरसंचार विभाग से संबंधित ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

विवरण–I

डाक विभाग की प्लान स्कीमों में (क) डाक नेटवर्क का विस्तार (ख) 500 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों में लैटर बॉक्सों की आपूर्ति (ग) मेल प्रोसेसिंग का यंत्रीकरण और विलगन, तथा (घ) पोस्ट और मेल आफिसों का आधुनिकीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण शामिल हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में कुल संस्वीकृत डाकघरों/संस्वीकृति के लिए प्रस्तावित डाकघरों में से प्रथम दो वर्षों में संस्वीकृत डाकघरों का ब्यौरा तथा चालू वर्ष के लिए प्रस्तावित डाकघरों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

सर्किल का नाम	योजना के प्रथम दो वर्षों में संस्वीकृति डाकघर			1994–95 के लिए लक्ष्य		
	वि.उ. डाकघर	अ.वि. शाखा डाकघर	कुल	वि.उ. डाकघर	अ.वि.शा. डाकघर	कुल
उड़ीसा	12	82	94	4	4	8
मध्य प्रदेश	12	85	97	8	9	17
आंध्र प्रदेश	16	18	34	5	2	7
देश में कुल	231	1302	1533	130	80	210

लैटर बॉक्स उपलब्ध कराने के मामले में उड़ीसा के केवल 8130 तथा मध्य प्रदेश के 7989 गांवों को, जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक है, 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार अभी यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी थी। इन गांवों को भी 31.3.1996 तक कवर कर लिए जाने की आशा है। आन्ध्र प्रदेश में ऐसे सभी गांवों को पहले ही कवर किया जा चुका है।

मेल प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने के लिए यंत्रीकरण के साथ–साथ डाक परियात के विलगन पर भी बल दिया जा रहा है। अतः आंध्र प्रदेश में मैट्रो चैनल शुरू किया गया है जो हैदराबाद को देश के अन्य महानगरों से जोड़ता है जबकि राजधानी चैनल उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है जो इन राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ता है। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में बिजनेस चैनल बिजनेस मेल के निपटान के लिए शुरू किया गया है। स्पीड पोस्ट सुविधा उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में उपलब्ध है।

काउंटर प्रचालनों के लिए कम्प्यूटरों की आपूर्ति के माध्यम से डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए एक कार्यक्रम भी 1992–93 से शुरू किया गया है और अब तक उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सर्किलों में क्रमशः 40, 48 और 129 बहुउद्देशीय कांउटर मशीनें लगाई जा चुकी हैं। चुनिंदा डाकघरों के लिए, जिन्हें पहले ही बहुउद्देशीय कांउटर मशीनों की आपूर्ति की जा चुकी है, एक केन्द्रीभूत कार्यक्रम भी पहले से शुरू किया जा चुका है और उड़ीसा सर्किल में 2, आंध्र प्रदेश सर्किल में 5 तथा मध्य प्रदेश सर्किल में 2 डाकघरों को चालू वर्ष में, 53 डाकघरों, जिनका आधुनिकीकरण किया जाना है, के कुल लक्ष्य के अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, डाक तथा मेल आफिसों में उपस्कर के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्यक्रम भी कार्यान्वयनाधीन हैं, जो उड़ीसा में 10 तथा मध्य प्रदेश में 12 डाकघरों को कवर करते हैं।

विवरण–II

इन राज्यों में दूरसंचार सेवाओं को सुधारने और उन्हें आधुनिक बनाने के लिए किए गए उपाय :

दूरसंचार सेवाओं का आधुनिकीकरण निम्नलिखित उपायों द्वारा किया गया है :

(i) इलेक्ट्रोमेकैनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित करना।

(ii) माइक्रोवेव, यू.एच.एफ. और ऑप्टिकल फाइबर केबल पर बेहतर एस.टी.डी. सेवाओं के लिए विश्वसनीय प्रसारण माध्यम मुहैया कराना।

(iii) ग्राम पंचायतों और ग्रामों में पब्लिक टेलीफोन मुहैया कराना।

(iv) फॉल्ट रिपेयर सर्विस, टेलीफोन बिलिंग इत्यादि को कम्प्यूटरीकृत करना।

दिनांक 31.10.94 की स्थिति के अनुसार ब्यौरा

	ब्यौरा	उडीसा	आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश
1.	टेलीफोन एक्सचेंज	664	2032	2357
2.	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की प्रतिशतता	98.6	58.3	98.39
3.	एक्सचेंजें की क्षमता	172261	679921	635698
4.	डी.ई.एल.	127839	566615	468510

वर्ष 1994-95 के दौरान एक्सचेंज और डी.ई.एल. क्षमता में सुधार के लिए रखा गया लक्ष्य

	ब्यौरा	उड़ीसा	आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश
1.	एक्सचेंज की क्षमता	13370	141000	91400
2.	डी.ई.एल.	8000	82000	57000

वर्ष 1994–95 के दौरान राज्यों की दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने और उन्हें आधुनिक बनाने की दृष्टि से, छोटे और मध्यम दर्जे के एक्सचेंजों का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित उपस्कर आवंटित किए गए हैं।

उपस्कर की किस्म	उड़ीसा	आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश
1. 256 पी.सी.–डॉट	40	30	272
2. 512 पी.सी.–डॉट	–	3	8
3. 1000 लाइन सी–डॉट	–	10	9
4. 1.2के/1.4के सी–डॉट	–	13	10
5. लाइन मॉड्यूल I और II	4	19	13
6. एम.आई.एल.टी. 64पी	–	40	–
7. 128 पी.सी.–डॉट	–	25	–

8वीं योजना की आधुनिकीकरण योजना के अनुसार मार्च, 1997 तक सभी मैक्स–III और लाइन फाइन्डर टाइप एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगा दिए जाएंगे।

दिल्ली में डी.टी.सी. बसों का हटाया जाना

705. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न मार्गों पर चलने वाली डी.टी.सी. बसें हटा ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हटाई गई इन सेवाओं को पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). दि.प.नि. ने अपने बेड़े में बसों की कमी होने के कारण कुछ मार्गों से बसें हटा ली हैं।

(ग) से (ङ). बस सेवा में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है तथा जब भी अपेक्षित संख्या में बसें उपलब्ध होती हैं, यातायात के भार के आधार पर यह कार्य किया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

706 **श्री लाल बाबू राय :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री भीम सिंह पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के बल देने पर देश में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम कितने वर्षों तक लागू किया गया था और इसके क्या लक्ष्य थे;

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक क्या उपलब्धि रही है;

(घ) इस कार्यक्रम पर गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा कुछ राज्यों द्वारा इस कार्यक्रम को स्थगित करने के क्या कारण हैं;

(ङ) देश में प्रतिवर्ष मलेरिया के कितने नये मामलों का पता चलता है; और

(च) देश में मलेरिया का पूरी तरह उन्मूलन सुनिश्चत करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम देश से मलेरिया का उन्मूलन करने के मुख्य उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी सहायता से 1958 में शुरू किया गया था। तब से यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है।

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न उपायों को अपनाने से मलेरिया के रोगियों की संख्या जो 1976 में 6.47 मिलियन थी, से घटकर 1993 में 2.20 मिलियन रह गयी है।

(घ) केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मलेरिया कार्यक्रम पर निम्नलिखित राशि खर्च की है :

1991–92	72.38 करोड़ रू.
1992–93	77.80 करोड़ रू.
1993–94	91.90 करोड रू.

इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किसी राज्य सरकार द्वारा स्थगित नहीं किया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पता लगाए गए मलेरिया के रोगियों की संख्या इस प्रकार है :-

1991	2.11 मिलियन
1992	2.13 मिलियन
1993	2.24 मिलियन

(च) उठाए गए कदमों में शामिल हैं :-

- रोगी का शुरू में पता लगाने तथा उसका शीघ्र उपचार करने के लिए मौजूदा निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना।
- ग्रामीण स्तर पर औषधें उपलब्ध कराना।
- उपयुक्त कीटनाशकों के आवश्यकता आधारित चुनिंदा छिड़काव।
- जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया रोधी कार्यकलापों को तेज करना।
- प्रशिक्षित कार्मिकों का विकास।
- स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समुदायों की भागीदारी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान को फ्रांसीसी पनडुब्बियां

707. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री नरेश कुमार बालियान :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने "एक्सोसेट" प्रक्षेपास्त्रों से युक्त नई पनडुब्बियां प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने फ्रांस के साथ यह मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में फ्रांस की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ). पाकिस्तान ने 21 सितम्बर, 1994 को फ्रांस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत एस एम-39 एक्सोसेट मिसाईल से लैस तीन 90-वी-अगोस्ता क्लास पनडुब्बियां एक सहमत समय सीमा के अन्तर्गत पाकिस्तान को दी जाएंगी।

सरकार ने इस अत्याधुनिक हथियार प्रणाली के हस्तांतरण का इस क्षेत्र के सुरक्षा वातावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर अपनी गहरी चिन्ता से फ्रांस की सरकार को अवगत कराया है। फ्रांस का कहना है कि यह एक नितान्त वाणिज्यिक सौदा है।

सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध सभी गतिविधियों पर निरन्तर निगाह रखती है तथा इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु लाइसेंस

708. **श्री थाइल जॉन अंजलोज :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991, 1992, 1993, तथा 31.10.1994 तक कुल कितनी भारतीय एवं विदेशी कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) क्या लाइसेंस देने से पहले सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) गहरे समुद्र मत्स्यन के लिए भारतीय कंपनियों को दी गई अनुमति निम्नलिखित है :-

वर्ष	कंपनियों की संख्या	जलयानों की संख्या
1991	16	32
1992	26	118
1993	27	73
1994	13	32

(31.10.1994 की स्थिति के अनुसार)

भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गहन समुद्र मत्स्यन जलयान चलाने के लिए किसी विदेशी कंपनी को अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) और (ग). गहन समुद्र मत्स्यन केन्द्र सरकार का विषय है। यह राज्य सरकार का विषय नहीं है इसलिए अनुमति जारी करने से पहले राज्य सरकारों से विचार-विमर्श नहीं किया जाता। बहरहाल उन्हें जारी की गई अनुमति के बारे में सूचना दी जाती है। राज्य सरकारों को गहन समुद्र मत्स्यन नीतियों से भी समय-समय पर अवगत कराया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

709. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तथा वर्ष 1995-96 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु कुछ राज्यों के लिए विशेष धनराशि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन चुने गये राज्यों को वह धनराशि देने के लिए मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 1994–95 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अतिरिक्त निधियों के तौर पर 10 करोड़ रू. की राशि निर्धारित की गई है। वर्ष 1995–96 के लिए परिव्यय के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है। उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त आबंटन इस पूरे क्षेत्र के शीघ्र विकास के लिए किया गया है।

मेझिया ताप विद्युत परियोजना (डी.वी.सी.)

710. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर वैली कारपोरेशन के अंतर्गत मेझिया ताप विद्युत परियोजना पूरा किए जाने के लिए निर्धारित समय क्या है;

(ख) अब तक कितना अतिरिक्त समय लगा है और इस पर कितनी अधिक लागत आयी है; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और यह कब से शुरू हो जायेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) ताप विद्युत परियोजना को पूरा करने की मूल समय सूची के अनुसार इसे सितम्बर, 1992 में पूरा किया जाना था।

(ख) अब तक समयावधि और लागत में हुई अभिवृद्धि क्रमशः 27 महीने और 857 करोड़ रूपए है।

(ग) विलम्ब के लिए उत्तरदायी कारण निम्नवत है :–

(1) निर्बाध भूमि उपलब्ध न होना।

(2) निर्माण जल और विद्युत सप्लाई की सुविधा उपलब्ध न होना।

(3) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि. के उपस्कर से संबंधित ले–आऊट और लोडिंग संबंधी ब्यौरा देर से प्राप्त होना और राख–हैंडलिंग संयंत्र, नियंत्रण तथा इस्ट्रूमेंटेशन, सर्कुलेटिंग वाटर पम्प आदि से संबंधित निविदा विशिष्टियों को अंतिम रूप देने के लिए अपेक्षित सूचना/ब्यौरा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना।

(4) 9/91 से 12/93 तक दामोदर घाटी निगम की अत्यधिक चरमराई वित्तीय स्थिति होना।

(5) मैसर्स केरल इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा नियंत्रण तथा इंस्ट्रूमेंटेशन पैकेज की सप्लाई और उत्थापन [illegible] किया जाना।

(6) मेसर्स डिकॉन टाईलनिन और डी.वी.सी. के बीच उच्च न्यायालय में मामला होने के कारण स्टे आर्डर के क्रियान्वयन में विलम्ब होना।

परियोजना को पूरा करने की संशोधित तारीख दिसम्बर, 1996 है, तत्पश्चात् 1997 से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो जाएगा।

कलकत्ता पत्तन

711. **श्री चित्त बसु** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन को किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). कलकत्ता पत्तन न्यास में फिलहाल प्रचालन संबंधी अथवा श्रम संबंधी कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

चिकित्सा परिषद के नियम

712. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** अतारांकित प्रश्न संख्या 4487 जिसका उत्तर 25 अगस्त, 1994 को दिया गया था, के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद के नियमानुसार किसी व्यक्ति को किसी न किसी राज्य विशेष का अधिवासी होना अनिवार्य नहीं है;

(घ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के व्यक्तियों के संबंध में ही शर्तें लगाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) बढ़ते हुए दबाव के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद ने जनवरी, 1991 से चिकित्सा छात्रों को अन्य राज्यों से दिल्ली विश्वविद्यालय में माइग्रेशन की अनुमति न देने का निर्णय किया है।

(ग) से (ङ). भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने माइग्रेशन के लिए कोई आवासीय स्थिति निर्धारित नहीं की है। तथापि, कालेजों/विश्वविद्यालयों दोनों को, जहां से जहां को स्थानान्तरण/माइग्रेशन होता है, ऐसे माइग्रेशन के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सड़क निधि से राशि का आवंटन

713. **श्री हाराधन राय** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास गत तीन वर्षों के दौरान

केन्द्रीय सड़क निधि से राशि आवंटन हेतु भेजे गए प्रस्तावों का राज्य--वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत एवं अस्वीकृत प्रस्तावों का राज्य--वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों के राज्य--वार कारण क्या है; और

(घ) सरकार के पास इस समय कितने प्रस्ताव लम्बित हैं तथा इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) तथा (ख). विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ). संसद ने इस उपकर को 3.5 पैसे प्रतिलीटर से बढ़ाकर पेट्रोल की मूल कीमत का 5 प्रतिशत करने तथा डीजल को भी इसके कार्यक्षेत्र में शामिल करने के लिए केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने के संबंध में मई, 1988 में एक संकल्प पारित किया था। इस संकल्प को बजटगत कमियों के कारण अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

तथापि, स्कीमों को पुराने संकल्प के अनुसार परिकलित जमा होने वाली राशियों के आधार पर अनुमोदित किया जा रहा है। किसी भी ऐसे राज्य की कोई स्कीम लम्बित नहीं है जिसके पास 31.3.1995 तक बकाया राशि बची हो।

विवरण

1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन अनुमोदन के लिए राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव तथा निधियों की कमी के कारण अनुमोदित न किए गए प्रस्ताव व बताने वाला विवरण।

लाख रू.

राज्य का नाम	राज्य सरकार द्वारा भेजी गई स्कीमों की संख्या	अनुमानित लागत	के.स.नि. के अंतर्गत अनुमोदित स्कीमों की सं.	के.स.नि. के तहत अनुमोदित राशि	धन की कमी के कारण अनुमोदित न की गई स्कीमों की सं.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार ने वर्ष 1999 तक की अपनी जमा होने वाली राशियों का उपयोग कर लिया है।				
असम	7	94.00	5	50.00	2
अरूणाचल प्रदेश	स्कीमों की प्रतीक्षा है।				
बिहार	स्कीमों की प्रतीक्षा है।				
दिल्ली	10	1194.10	6	1065.25	4
दमन एवं द्वीप	1	3.53	1	2.64	शून्य
गोवा	3	340.00	1	24.60	2
गुजरात	9	1065.00	4	292.80	5
हरियाणा	2	130.00	2	123.27	शून्य
हिमाचल प्रदेश	2	48.41	1	24.00	1
जम्मू एवं कश्मीर	1	67.50	1	29.52	शून्य
कर्नाटक	6	350.00	4	235.00	2
केरल	10	650.00	2	168.50	8
मणिपुर	5	163.00	1	25.57	4
मिजोरम	स्कीमों की प्रतीक्षा है।				
मध्य प्रदेश	5	237.00	3	190.00	2
महाराष्ट्र	स्कीमों की प्रतीक्षा है।				
नागालैंड	1	60.00	1	53.81	शून्य
उड़ीसा	31	619.47	1	75.65	30
पंजाब	3	549.27	3	549.27	शून्य

1.	2.	3.	4.	5.	6.
राजस्थान	राज्य सरकार ने वर्ष 2000 तक जमा होने वाली अपनी राशियों का उपयोग कर लिया है।				
सिक्किम	1	86.85	1	39.17	शून्य
तमिलनाडु	7	449.00	7	449.00	शून्य
त्रिपुरा	5	754.00	1	25.66	4
उ.प्र.	राज्य सरकार ने वर्ष 2000 तक जमा होने वाली अपनी राशियों का उपयोग कर लिया है।				
पश्चिम बंगाल	1	325.00	1	155.27	शून्य
मेघालय	स्कीमों की प्रतीक्षा है।				
चन्डीगढ	स्कीमों की प्रतीक्षा है।				
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	स्कीमों की प्रतीक्षा है।				
दादर एवं नगर हवेली	स्कीमों की प्रतीक्षा है।				
पांडिचेरी	स्कीमों की प्रतीक्षा है।				

तम्बाकू के सेवन के कारण रोग

714. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**
श्री शरत पटनायक :
श्री मंजय लाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू के सेवन के कारण "मुख कैंसर" ह्रदधमनी वक्षरोग (कोरोनरी चेस्ट डिजीज) तथा क्रोनिक आब्सट्रक्टिव लंग" रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि के संबंध में सोलहवीं अन्तर्राष्ट्रीय कैंसर कांग्रेस में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा प्रस्तुत की गयी परियोजना पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कैंसर कांग्रेस ने भारत में कैंसर की रोकथाम हेतु कोई सिफारिशें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने तम्बाकू से उत्पन्न वार्षिक राजस्व सहित तम्बाकू से संबंधित रोग के रोगियों द्वारा उपचार पर किए गए व्यय को केन्द्रित करते हुए "भारत में तम्बाकू के आर्थिक पहलू" नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया है।

(ख) सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कैंसर उपचार सुविधाएं बढाने एवं तम्बाकू के इस्तेमाल के नुकसानदायक प्रभावों पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीमें पहले से ही शुरू की हैं।

(ग) और (घ). सरकार को कांग्रेस की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

विद्युत उत्पादन

715. **श्री अमरपाल सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिए उत्तरादायी कारक कौन से हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ङ) प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडु) : (क) से (ग). जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है। अप्रैल, 1994 से नवम्बर, 1994 के दौरान ऊर्जा उत्पादन (पिछले वर्ष में समान अवधि की तुलना में) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े मि.यू. में)

श्रेणी	वास्तविक	
	अप्रैल—नवम्बर, 1993	अप्रैल—नवम्बर, 1994
ताप	156138	164388
न्यूक्लीय	3660	3232
जल विद्युत	49995	58308
जोड़	209793	225929

(घ) और (ङ). अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

अखिल भारत	1991–92			1992–93			1993–94 (आंकड़े मि.यू. में)		
श्रेणी	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशत	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशत	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशत
ताप	211700	208551	98.5	229050	224485	98.0	243200	247757	101.8
न्यूक्लीय	6850	5561	81.2	7350	6748	91.8	6000	5399	89.9
ज. विद्युत	64900	72599	111.9	66300	69833	105.3	67500	70375	104.2
जोड़	283450	286711	101.2	302700	302066	99.5	316700	3235531	102.1

[हिन्दी]

विदेशों में भेजे जाने वाले रजिस्टर्ड पत्र

716. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 7 नवम्बर, 1994 को दिल्ली डाक सर्कल के नई दिल्ली विलगन कार्यालय में विदेशों में भेजे जा रहे 1482 रजिस्टर्ड पत्रों को रोका गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक पत्र पर इक्कीस रूपए के डाक–टिकट कम लगे हुए थे;

(घ) यदि हां, तो ये रजिस्टर्ड पत्र किस आधार पर भेजे जा रहे थे; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). दिनांक 07.11.94 को इन्द्रप्रस्थ एस्टेट डाकघर, नई दिल्ली में विदेशों को भेजी जाने वाली 1482 पंजीकृत डाक वस्तुओं की बुकिंग की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय डाक केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा 989 वस्तुओं को वजन में फर्क होने की वजह से प्रत्येक पर 21/–रू. के डाक–टिकटों की कमी के कारण रोक लिया गया था।

(घ) प्रेषक को सेंटर में बुलाया गया और कम डाक–टिकटें लगाकर उन्होंने जो त्रुटि की थी, उस त्रुटि को अतिरिक्त डाक–टिकटें लगाकर दूर किया गया और उन डाक वस्तुओं को बिना किसी विलंब के उनके गंतव्य स्थानों पर भेज दिया गया।

(ङ) इस मामले में दोषी पाये जाने वाले कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

कैंसर के उपचार के लिये औषधि गुणयुक्त पौधे

717. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कैंसर के उपचार के लिये किन्हीं औषधि गुणयुक्त पौधों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). **टैक्सस ब्रेविफोलिया** एक पादप है जिसके टैक्सॉल नामक रसायन से संभवतः वक्ष और गर्भाशय कैंसर का प्रभावी उपचार किए जाने की सूचना दी गई है। **कैथेरेंथस रोसियस, पोडोफिल्लम हमोडी** और **टैक्सस बैकेटा** जैसे कुछ अन्य पादपों के हेरिबेटिब्ज में कैंसर रोधी गुण पाए जाने की सूचना मिली है।

[अनुवाद]

विदेशों में दौरे पर गए शिष्टमंडल

718. **श्री हरिन पाठक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान मेजबान देशों के आमंत्रण पर अन्य देशों का दौरा करने वाले भारतीय शिष्टमंडलों का देश–वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव

719. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई की तुलना मे कितने प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में हैं;

(ख) राजस्थान को राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए मांगी गई धन–राशि के अनुपात में कितनी धनराशि दी जा रही है;

(ग) क्या यह धनराशि अन्य राज्यों को दी गई धनराशि की तुलना में कम है;

(घ) क्या इस धनराशि में वृद्धि करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 8.6 प्रतिशत

(ख) से (ङ). राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और मरम्मत के लिए निधियों की आवश्यकता की गणना, अनुमोदित मानदंडों तथा वर्तमान संगत दरों के आधार पर प्रति वर्ष की जाती है। तथापि, निधियों की वास्तविक उपलब्धता, आवश्यकता का 50–55 प्रतिशत है। चालू वर्ष में अब तक राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और मरम्मत के लिए 13.43 करोड़ रू. जारी किए गए हैं। आबंटन राशि में वृद्धि करना निधियों की सकल उपलब्धता में सुधार पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के स्टॉकयार्ड

720. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित कुल इस्पात में से कितने प्रतिशत लौह और इस्पात का वितरण स्टॉकयार्ड के माध्यम से किया जा रहा है;

(ख) 31.3.1992, 31.3.1993 31.3.1994 और 30.9.1994 तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण के स्टॉकयार्ड में कुल कितना स्टॉक था;

(ग) स्टॉकयार्ड द्वारा इस स्टॉक का निपटान औसतन कितनी अवधि में किया जाता है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान स्टॉकयार्डों द्वारा अर्जित आय का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सैल) और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि. (इस्को) के लोहे और इस्पात के उत्पादों की स्टॉकयार्डों के जरिए बिक्री की प्रतिशतता कच्चे लोहे के संबंध में 20 प्रतिशत से 36 प्रतिशत के बीच और विक्रेय इस्पात के संबंध में 60 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच रही है।

(ख) विभिन्न तारीखों को "सैल" और "इस्को" के स्टॉकयार्डों में कच्चे लोहे और विक्रेय इस्पात का कुल स्टॉक निम्नलिखित था :–

(हजार टन)

	"सैल"		"इस्को"	
	कच्चा लोहा	विक्रेय इस्पात	कच्चा लोहा	विक्रेय इस्पात
31.3.1992	3.5	233.7	–	4.7
31.3.1993	9.8	530.4	1.1	16.4
31.3.1994	16.6	419.7	2.5	8.8
30.9.1994(अनंतिम)	27.8	497.9	2.4	19.2

(ग) स्टॉकयार्डों से विभिन्न माल के स्टॉक के निपटान में लगने वाला समय निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करते हुए अलग–अलग रहता है :–

(1) पक्की बुकिंग के लिए प्राप्त माल के स्टॉक को शीघ्र निपटा दिया जाता है।

(2) प्रत्याशित मांग को पूरा करने/मौके पर ही बिक्री करने के लिए स्टॉकयार्ड में लाए गए स्टॉक के निपटान में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगता है।

(3) रैक खाली करने की सुविधा के लिए बुक की गई मात्राओं के अतिरिक्त संयंत्रों द्वारा प्रेषित माल के निपटान में भी अधिक समय लग सकता है।

(घ) स्टॉकयार्डों की आय और व्यय "सेल" के निगमित कार्यालय और इस्पात संयंत्रों द्वारा वहन किया जाता है। स्टॉकयार्डों के लिए लाभ और हानि खाता पृथक रूप से तैयार नहीं किया जाता। अतः स्टॉकयार्डों से बिक्री के जरिए अर्जित लाभ का ब्यौरा पृथक रूप से नहीं रखा जाता।

तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान "सेल" का निवल लाभ नीचे दिया गया है :–

	(करोड़ रूपए)
1991–92	367.3
1992–93	423.4
1993–94	545.3

[हिन्दी]

हीरे का अवैध खनन

721. **श्री सुकदेव पासवान** :

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में पन्ना में हीरे के अवैध खनन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में हो रहे हीरे के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार हीरा निकालने वाले आदिवासियों को पर्याप्त मुआवजा देती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने पन्ना में हीरे का गैर–कानूनी खनन किये जाने से इन्कार किया है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने रायपुर जिले के दक्षिण–पूर्वी हिस्से में गैरकानूनी खनन किये जाने की सूचना दी है जिसके लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त श्रमशक्ति तथा खनन–कर्मी लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है तथा उस क्षेत्र में और अधिक सतर्कता बरती जा रही है।

(घ) और (ङ). जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि निर्धारित पद्धति के अनुसार सतही हीरा खानों से प्राप्त हीरों को

नीलामी द्वारा बेचा जाता है। नीलामी के उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा हीरा लेने के बाद हीरा स्वामी (जिसको हीरा मिला है) को उच्चतम बोली की राशि का 80 प्रतिशत भाग आयकर यदि देय हो तो घटाकर दिया जाता है तथा उच्चतम बोली के शेष 20 प्रतिशत भाग को रायल्टी के रूप में राज्य सरकार के पास जमा कर दिया जाता है।

(च) भाग "घ" और "ङ" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में पी.सी.ओ. (सार्वजनिक टेलीफोन) केन्द्र

722. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में पी.सी.ओ. (सार्वजनिक टेलीफोन) केन्द्रों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनका आबंटन कब तक किया जाएगा;

(घ) क्या इस जिले में टेलीफोन सामान्यतया खराब पड़े रहते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एस.टी.डी. युक्त सार्वजनिक टेलीफोनों के आबंटन हेतु केवल 11 आवेदन पत्र विचाराधीन है क्योंकि उन पर एस.टी.डी. युक्त सार्वजनिक टेलीफोन आबंटन समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) आवेदन कर्त्ताओं को एस.टी.डी. युक्त सार्वजनिक टेलीफोन का आबंटन, उनकी पात्रता और 31.1.93 से पहले एस.टी.डी. युक्त टेलीफोन आबंटन समिति के अनुमोदन की शर्त के अध्यधीन तथा विभागीय औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात किया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सभी टेलीफोनों का नियमित परीक्षण, अनुरक्षण स्टाफ द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

गुजरात में टेलीफोन/टेलेक्स/फैक्स कनेक्शन

723. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1993-94 के दौरान कितने टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स कनेक्शन उपलब्ध कराए गए; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जानकारी इस प्रकार है :-

(1) टेलीफोन कनेक्शन	81486
(2) टेलेक्स कनेक्शन	शून्य
(3) फैक्स कनेक्शन	535

(ख) 1994-95 के दौरान दिए जाने हेतु प्रस्तावित कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :-

(1) टेलीफोन	80500
(2) टेलेक्स	40
(3) फैक्स	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

उड़ीसा में उपग्रह केन्द्र

724. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उडीसा में जिलेवार कितने उपग्रह केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है;

(ख) क्या इस उद्देश्य हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) उड़ीसा में स्थापना के लिए प्रस्तावित उपग्रह केन्द्रों का जिलावार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

जिले का नाम	उपग्रह केन्द्रों की संख्या
फूलबनी	2
सुन्दरगढ़	3
कटक	2
क्योंझर	2
जगतसिंहपुर	1
केन्द्रपाड़ा	1
भद्रक	1
बालासोर	1
ढेंकनाल	1
रायगढा	1

(ख) जी, हां।

(ग) उपग्रह केन्द्रों को 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए जाने की योजना है।

बोकारो इस्पात संयंत्र

725. **श्री सूरज मंडल** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोकारो इस्पात संयंत्र से लोहा, इस्पात और स्क्रैप की चोरी की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भ्रष्ट अधिकारियों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). बोकारो इस्पात संयंत्र से लोहे, इस्पात और स्क्रैप की चोरी के बारे में सरकार को समय-समय पर सूचना प्राप्त होती रहती है। अब तक जनवरी, 94 से नवम्बर, 94 के दौरान सूचित किए गए लोहे और इस्पात की सामग्री तथा स्क्रैप की चोरी का मूल्य लगभग 12.42 लाख रूपए है।

(ग) और (घ). मंत्रालय को चोरी और छिट-पुट चोरी से सबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जब कभी चोरी की शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनके संबंध में अनिवार्य रूप से जांच की जाती है और जहां आवश्यक होता है, वहां उचित कार्रवाई की जाती है।

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

726. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल न्यायाधीश, बस्ती ने टेलीफोन विभाग और संचार मंत्रालय के विभिन्न विभागों को अनेक लोगों को, जिनकी माता अथवा पिता की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई हो, अनुकम्पा के आधार पर रोजगार प्राप्त करने के लिए निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस फैसले को देखते हुए विभाग ने कितने मामलों का निपटारा किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों को कब तक निपटा दिया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ). सूचना क्षेत्रीय एककों से एकत्र की जा रही है और यथा-समय प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में दूरसंचार सुविधा

727. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

728. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़कों को चौड़ा करने की 1994-95 के दौरान पूरी की जाने वाली चालू योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर तथा विभिन्न अन्य ऐसी योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या ऐसी कुछ योजनाओं में विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) तथा (ख). सड़क चौड़ी करने की राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर 10 स्कीमें, रा.रा. 8ए, 8बी, 8सी और 15 में प्रत्येक पर एक-एक स्कीम को 1994-95 के दौरान पूरा करने का नियतन किया गया है। इनमें विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ). श्रमिकों तथा सामग्री की कमी और भारी मानसून के कारण ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति की वजह से रा.रा. 8 पर 2 स्कीमें पूरी करने में देरी हुई है।

राज्यों में नए डाकघर

729. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए डाकघर खोलने के लिए राज्य सरकारों की ओर से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार नए डाकघर खोलने के लिए प्रत्येक राज्य की ओर से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने नए डाकघर खोलने के लिए राज्यों से प्राप्त अनुरोधों को स्वीकार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने पोस्टकार्ड और राजस्व टिकटों की बिक्री से होने वाले भारी घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) टी.वी. के क्विज कार्यक्रमों आदि में हो रहे पोस्टकार्डों के दुरूपयोग को रोकने के लिए एक नई श्रेणी का पोस्टकार्ड जारी करने का प्रस्ताव है। राजस्व डाक टिकटें राज्य सरकार की ओर से डाकघरों के माध्यम से बेची जाती हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इनकी बिक्री पर उपयुक्त कमीशन का भुगतान करें।

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में संशोधन

730. **डा. पी. वल्लल पेरूमान** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में पोत परिवहन कम्पनियों से अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) एक समिति की सिफारिशों के आधार पर वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 21,42,45,51,412 और 414 को सन् 1993 में संशोधित कर दिया गया था, क्योंकि ये तात्कालिक स्वरूप की थी। सरकार का विचार है कि इस अधिनियम के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित कुछेक अन्य प्रावधानों में और संशोधन किया जाए, जैसे कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत बने कुछ नियमों को पूर्व प्रकाशित करने की आवश्यकता को समाप्त करना, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के कार्यकलापों को सीमित करना, भारतीय पोतों का पंजीकरण, किसी भारतीय जलयान के मास्टर के परिवर्तन की सूचना देना, अधिकारियों का प्रमाणीकरण, विभिन्न किस्म के पोतों के लिए कार्य मापमान निर्धारित करने से संबंधित शक्तियों आदि।

(ग) जी, हां।

(घ) पैरा (ख) में उल्लिखित प्रस्तावों में नौवहन कंपनियों के इस प्रकार के अनुरोध शामिल होंगे।

पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

731. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और मरम्मत कार्यों के लिए 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या असम और मेघालय को जोड़ने वाला अगिया से महेन्द्रगंज वाया सिंगीमारी राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37 जर्जर स्थिति में है; और

(ग) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और मरम्मत के लिए वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित की गई धनराशि इस प्रकार है :-

आबंटित धनराशि (लाख रू)

राज्य का नाम	1991–92	1992–93	1993–94
अरूणाचल प्रदेश	116.29	103.67	216.33
असम	1331.05	1452.57	1483.35
मणिपुर	167.41	191.22	199.69
मेघालय	225.44	208.88	263.04
नागालैंड	163.33	194.54	216.80
मिजोरम	183.46	166.38	520.38
त्रिपुरा	56.31	74.02	145.45

(ख) और (ग). अगिया से महेन्द्रगंज वाया सिंगीमारी सड़क एक राज्य सड़क है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग। इसलिए इस सड़क के सुधार के लिए असम और मेघालय की राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के प्राधिकृत औषधि विक्रेताओं द्वारा घटिया दवाओं की सप्लाई

732. **श्री सूर्य नारायण यादव** :
श्री केशरी लाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के प्राधिकृत विक्रेता दिल्ली की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों को घटिया दवाओं की सप्लाई कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन औषधालयों में दवाओं की गुणवत्ता का पता लगाने के लिये आकस्मिक निरीक्षण किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान कितने औषधालयों में ऐसे निरीक्षण किये गये हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों के कुछ प्रभारी अधिकारियों ने औषधि विक्रेताओं के विरूद्ध शिकायतें की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सभी इंडेंटिड औषधों की संबंधित औषधालयों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ऐसी औषधों के प्राप्त होने के समय जांच की जाती है

(घ) और (ङ). कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें लाभार्थियों को असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करने का आरोप लगाया गया है। इन शिकायतों की जांच–पड़ताल की जा रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

733. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक राज्य वार किन–किन राजमार्गों के निर्माण कार्य, को पूरा किया गया; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषकर गुजरात में, के निर्माण को शीघ्रता से पूरा करने हेतु क्या उपाय किए जाएंगे?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). देश में फिलहाल 77 राष्ट्रीय राजमार्ग है जिनकी कुल लम्बाई 34058 कि. मी. है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख–रखाव एक सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक परियोजना की पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात सघनता और वर्ष–दर–वर्ष निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रख कर वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर निर्माण कार्य शुरू किए जाते हैं। गुजरात सहित देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध निधियों के तहत यातायात योग्य स्थिति में रखे जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करना

734. **श्री रामनिहोर राय** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्वर्ण और अन्य मूल्यवान खनिजों के नए भण्डारों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने यहां पर स्थापित किए जाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) सोनभद्रा जिले में स्वर्ण तथा अन्य बहुमूल्य खनिजों के कोई भंडार नहीं मिले है। तथापि अमरिनिया, गुरमुर क्षेत्र में सोना मिलने के कुछ संकेत मिले हैं।

(ख) योजना आयोग ने सोनभद्रा जिले में स्वर्ण तथा बहुमूल्य धातुओं पर आधारित किसी औद्योगिक परियोजना की सिफारिश नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जहाजरानी क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश

735. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जहाजरानी क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गुजरात में पत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए मांगी गई विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त राज्य में जहाजरानी और पत्तनों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी केन्द्रीय धनराशि का आबंटन और उपयोग हुआ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय नौवहन उद्योग में सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी निवेश का प्रस्ताव और मात्रा के ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है।

(ग) गुजरात राज्य में पत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए कोई विदेशी सहायता नहीं मांगी गई है।

(घ) गुजरात में नौवहन और पत्तनों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय निधियों का आबंटन और उपयोग निम्न प्रकार है :–

	परिव्यय (करोड़ रू.)	खर्च
1992–93	40.00	11.24
1993–94	37.78	8.61
1994–95	30.00	23.18

(पूर्वानुमानित)

विवरण

भारतीय नौवहन उद्योग में सरकार द्वारा अनुमत विदेशी निवेश के प्रस्ताव और मात्रा

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	विदेशी निवेश का स्वरूप
1.	2.	3.
1.	मैसर्स जीपी शिपिंग कम्पनी लि., बम्बई	इस कम्पनी ने पोतों के अधिग्रहण का वित्त पोषण करने के लिए 40% इक्विटी शेयर पूंजी की सीमा तक इक्विटी भागीदारी के लिए मैसर्स ग्रेट सर्किल शिपिंग एजेंसी लि. के साथ विदेशी सहयोग करने का प्रस्ताव किया था। ग्रेट सर्किल शिपिंग एजेंसी, थाईलैंड में बसे एक अनिवासी भारतीय श्री कीर्ति जी शाह की अध्यक्षता में जी प्रेमजी कम्पनी समूह से संबंधित है।
2	मैसर्स सी स्पैन शिपिंग कम्पनी, बम्बई	मैसर्स गल्फमरीन मैन्टेनेंस एण्ड सर्विसेज, दुबई ने पोतों की अधिग्रहण लागत को पूरा करने के लिए नियंत्रक कम्पनी की इक्विटी भागीदारी में 51% शेयरों का निवेश करने का प्रस्ताव किया है।

1.	2.	3.
3.	मैसर्स रेडी फूड लिमिटेड, बंगलौर	इस कम्पनी को जर्मनी निवासी अनिवासी भारतीय श्री टी.वी. राजा रेडी द्वारा प्रोन्नत किया गया था। कम्पनी को एक पुराना रीफर कंटेनर जलयान खरीदने की अनुमति दी गई थी लेकिन कंपनी संभवतः ई. सी. बी. प्राप्त न कर पाने के कारण जलयान को नहीं खरीद सकी। बाद में कंपनी ने मोनाको स्थित वी शिप्स द्वारा 50% विदेशी इक्विटी भागीदारी से विदेश में एक संयुक्त उद्यम नौवहन कंपनी बनाकर जलयान खरीदने का प्रस्ताव किया।
4.	मैसर्स श्रेयास शिपिंग कंपनी लि., बम्बई।	अनिवासी भारतीयों के स्वामित्वाधीन इस कम्पनी को ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा प्रोन्नत किया गया था। संयुक्त उद्यम में 72% विदेशी इक्विटी भागीदारी है और संयुक्त उद्यम बनाने का प्रयोजन देश में कंटेनर सेवाएं प्रचालित करना है। कंपनी ने एक कंटनेर जलयान का अधिग्रहण कर लिया है और अभी दो जलयानों का अधिग्रहण किया जाना है।
5.	मैसर्स वैस्ट एशिया मैरीटाइम लि., मद्रास	इस कंपनी को मैसर्स एमिरेट्स ट्रैडिंग एजेंसी, दुबई द्वारा प्रोन्नत किया गया था जिसने अब अनिवासी भारतीयों के अपने साझीदारों द्वारा 9.00 मिलियन अमेरिकी डालर और 3300 मिलियन अमेरिकी डालर का अतिरिक्त निवेश करने का प्रस्ताव किया है ताकि कंपनी दो पुराने बल्क कैरियरों के अधिग्रहण का वित्त पोषण करने के लिए प्राधिकृत चुकता पूंजी में वृद्धि कर सके।
6.	मैसर्स सेममैक लि., मद्रास	मैसर्स सम्बावांग शिपयार्ड लि., सिंगापुर ने संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् मैसर्स सेममैक लि. की चुकता पूंजी में 50% की भागीदारी करने का प्रस्ताव किया था। इस संयुक्त उद्यम को सम्पूर्ण दायित्व-साधन विनियोग करके तथा सभी प्रकार के प्रक्रियात्मक उद्यागों का अनुरक्षण बंद करके और मानकीकरण तथा अंशाकन प्रयोगशाला, स्वचालित मरम्मत प्रणाली, जहाजों में सर्विसिंग, टेस्टिंग और रिफर्निशिंग कार्यों और अन्य संबंधित मरीन कार्यकलापों को स्थापित करके विशेष सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए गठित किया गया था।
7.	मैसर्स उगलैंड मैरीटाइम सर्विसेज लि., बम्बई	मैसर्स उगलैंड मैरीटाइम सर्विसेज ने 13 लाख रू. की प्राधिकृत और चुकता पूंजी (5.20 लाख रू. की विदेशी पूंजी और 7.80 लाख रू. की भारतीय पूंजी) से मैसर्स उगलैंड ब्रादर लि. (यू के) के साथ विदेशी सहयोग किया। कंपनी अपने ग्रुप के विदेशी भागीदार और अन्य सदस्यों के स्वामित्व में /प्रबंध के अधीन जहाजों के लिए कर्मी दल तैनात करने की सेवाओं, जहाज मरम्मत सेवाओं, तकनीकी निरीक्षण और जहाज संबंधी तकनीकी सेवाओं के कार्य कर रही है।
8.	मैसर्स मरीन मेनेजमैंट सर्विसेज(प्रा.) लिमिटेड, बम्बई	मैसर्स बी. टी. शिपिंग लिमिटेड, बरमूडा ने भारत में मरीन मनेजमेंट सर्विसेज (प्र.) लि., बम्बई के सहयोग से एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। उन्होंने नौवहन अथवा भारतीय पैट्रोलियम कंपनियों के लिए भारतीय शिपयार्डों को आर्डर देकर अथवा विदेश से जहाज अधिगृहीत करने अथवा भाड़े पर लेने/चार्टर करने के लिए प्रतिभा नौवहन कंपनी के नाम से एक नई कंपनी बनाने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि संयुक्त उद्यम के पास लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डालर की प्रारंभिक प्राधिकृत पूंजी होगी जिसमें से वी. टी. शिपिंग प्रस्तावित, सयुक्त उद्यम कंपनी की इक्विटी में अपने पूर्ण स्वामित्व की 8.25 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता का निवेश करेगा जो प्रत्यावर्तन के आधार पर अपेक्षित इक्विटी पूंजी के 100% के बराबर है। इक्विटी निवेश को उद्यम की प्रगति के आधार पर विभिन्न चरणों में निवेश करने का प्रस्ताव है।
9.	मैसर्स पानलपीना वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट (इंडिया) लि., दिल्ली	इस कंपनी ने भारत में फ्रेट फार्वर्डिंग कार्य करने के लिए मैसर्स पानलपीना वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट, स्विटजरलैंड के साथ विदेशी सहयोग वाली कंपनी बनाने का प्रस्ताव किया है। इक्विटी भागीदारी निम्न प्रकार है :- अनिवासी भारतीय-59.99%, विदेशी सहयोगी-40% और भारतीय फर्म-01%
10.	मैसर्स संघु जैट कार्गो, बम्बई	मैसर्स कोनकोर्ड फ्रेट सिस्टम्स लि. बाहमास ने समुद्र तथा वायु परिवहन के क्षेत्र में भारतीय कंपनी के साथ सहयोग करके भारत में एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम की विदेशी इक्विटी चुकता पूंजी का 50% होगी।
11.	मैसर्स हुसैनी फ्रेट इंडिया (प्रा.) लि., मद्रास	मैसर्स हुसैनी साउथ वैस्ट एशिया लिमिटेड, ब्रिटिश विरजीनिस, मैसर्स हुसैनी ट्रांसपोटेशन लि., श्री लंका और मैसर्स हुसैनी फ्रेट इंडिया (प्रा.) लि., मद्रास के बीच विदेशी सहयोग करने का प्रस्ताव किया गया है।
12.	मैसर्स होको एक्सप्रैस लि. हाग-कांग	विदेशी निवेश की 100% इक्विटी से भारत में एक कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह कंपनी इस समय यूरोप और अमेरिका के लिए वायुयान चार्टर करने का कार्य कर रही है। चूंकि कंपनी का प्राथमिक कार्य एयर कार्गो था इसलिए नागर विमानन मंत्रालय इस मामले से संबंधित था। तथापि, इस मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया गया है।

असम में फार्मेसी संस्थान

736. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी और सिल्चर के फार्मेसी संस्थान साथ-साथ ही शुरू किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या गुवाहाटी चिकित्सा कालेज से सम्बद्ध फार्मेसी संस्थान की परीक्षाएं नियमित रूप से ली जा रही हैं जबकि सिल्चर चिकित्सा कालेज से सम्बद्ध फार्मेसी संस्थान की वार्षिक परीक्षा 1992-93 से नहीं ली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार वार्षिक परीक्षा कब तक करवाने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). भारतीय फार्मेसी परिषद रिपोर्ट के अनुसार सिल्चर स्थित फार्मेसी संस्थान को डी. फार्मा पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षा विनियमों के अनुपालन न करने के कारण स्वीकृति नहीं दी गई। इसलिए परिषद ने तकनीकी शिक्षा निदेशालय, असम सरकार को परीक्षा आयोजित करने की स्वीकृति नहीं दी है।

भारत-पाक वार्ता

737. **श्री तारा सिंह :**
डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है, जैसाकि 26 अक्तूबर, 1994 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार कश्मीर मुद्दे का शिमला समझौता की भावना के अनुरूप समाधान करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (आर. एल. भाटिया) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में छपी इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) से (घ). सरकार पाकिस्तान को बराबर इस बात से अवगत कराती रही है कि वह दोनों देशों के बीच सभी अनसुलझे मसलों जिसमें जम्मू-काश्मीर से संबंधित मतभेद भी शामिल हैं, को शिमला समझौते की रूपरेखा के भीतर रह कर शान्तिपूर्ण ढंग से तथा द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए तैयार है। हमें इस बात से निराशा हुई है कि पाकिस्तान से अभी तक हमें कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

डाकघरों का आबंटन

738. **कुमारी फ्रिडा तोपनो :**
श्री बापू हरि चौरे :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में चालू वित्त वर्ष के दौरान 80 डाकघर खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). वर्ष 1994-95 के दौरान सरकार का 230 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, जिसमें से 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जायेंगे। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या का ब्यौरा

क्र.स.	सर्किल का नाम	शाखा डाकघर		कुल	विभागीय उपडाकघर		कुल
		जनजातीय क्षेत्र	अन्य क्षेत्र		जनजातीय क्षेत्र	अन्य क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	3	1	4	2	2	4
2.	आन्ध्र प्रदेश	–	2	2	–	5	5
3.	बिहार	4	6	10	3	6	9
4.	दिल्ली	–	–	–	–	6	6
5.	गुजरात	1	3	4	3	7	10
6.	हरियाणा	–	2	2	–	10	10
7.	हिमाचल प्रदेश	–	3	3	–	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–	–
9.	कर्नाटक	–	2	2	1	7	8
10.	केरल	–	2	2	–	10	10
11.	मध्य प्रदेश	2	7	9	3	5	8
12.	महाराष्ट्र	4	6	10	1	14	15
13.	उत्तर–पूर्व	3	1	4	3	1	4
14.	उड़ीसा	2	2	4	2	2	4
15.	पंजाब	–	2	2	–	5	5
16.	राजस्थान	1	4	5	2	6	8
17.	तमिलनाडु	–	2	2	–	5	5
18.	उत्तर प्रदेश	2	10	12	1	12	13
19.	पश्चिम बंगाल	1	2	3	1	3	4
	आरक्षित						20
	आरक्षित	23	57	80	22	108	150

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में उप-मार्ग (बाईपास) और पुल का निर्माण

739. **श्री राम बदन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मोहन सराय और मुगल सराय के बीच जी. टी. रोड पर बाईपास और वाराणसी में गंगा के ऊपर पुल के निर्माण–कार्य के पूरा होने में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो दोनों योजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी;

(ग) क्या मोहन सराय से चुनार घाट तक के 7 कि.मी. लम्बे मार्ग का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पूरा किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) दिसम्बर, 1996 तक।

(ग) और (घ). यद्यपि चुनार घाट मुख्य बाईपास पर नहीं पडता है, फिर भी, लगता है माननीय सदस्य इस बाईपास के प्रथम सात कि.मी. को शीघ्र पूरा करवाना चाहते हैं। 7 कि.मी. के इस खंड में रोड ओवर ब्रिज सहित निर्माण–कार्य प्रगति पर है तथा इसे और जल्दी पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

पारपत्रों का पुनर्नवीकरण

740. **श्री एन. डेनिस** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारपत्रों के पुनर्नवीकरण के लिए कितना समय लगता है; और

(ख) पारपत्रों के पुनर्नवीकरण में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ख). पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट के नवीकरण के लिए लिया जाने वाला समय कार्यालय–दर–कार्यालय अलग–अलग है जो कई बातों पर निर्भर है जिसमें कर्मचारियों की संख्या, आधारभूत सुविधायें आदि शामिल हैं।

कई पासपोर्ट कार्यालयों में एक्सप्रेस सेवा काउन्टर आरम्भ किए गए हैं जिनमें बम्बई, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद और त्रिवेन्द्रम शामिल हैं और जो एक ही दिन में पांच वर्षीय नवीकरण सेवा मुहैया करते हैं। यदि पासपोर्ट उसी कार्यालय ने जारी किया हो और आवेदनकर्त्ता स्वयं आकर आवेदन दे। यह सेवा अन्य पासपोर्ट कार्यालयों में चरणबद्ध तरीके से मुहैया की जाएगी।

नाविक रोजगार कार्यालय

741. **श्री पी.पी. कालियापेरूमल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में नाविक रोजगार कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं। मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 30.4.1992 के आदेश के परिणामस्वरूप मद्रास में नाविक रोजगार कार्यालय 23.4.1993 से खोला गया। मद्रास उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ के निर्णय के बाद, जिसमें न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा पहले दिए गए निर्णय को बदल दिया गया था, इसे अगस्त, 1994 में बन्द कर दिया गया।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सऊदी अरब के लिए वीजा

742. **श्री केशरी लाल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय लोगों को सऊदी अरब से वीजा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संबंधित देश से इस मामले पर चर्चा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ). भारत में प्लेग फैलने की हाल की घटना को देखते हुए सऊदी अरब की सरकार ने भारत को आने वाली उड़ानें आस्थगित कर दी थी। जो भारतीय कामगार तथा उनके परिवार के सदस्य पुनः प्रवेश के वैध वीजा के साथ छुट्टी लेकर भारत आए थे वे उडानों का संचालन रोक दिए गए जाने के कारण सऊदी अरब वापस नहीं जा सके थे। सऊदी अरब और भारत के बीच जब उड़ानें बहाल हुई तब तक बहुत से मामलों में सऊदी अरब प्राधिकारियों द्वारा जारी पुनः प्रवेश वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी। रियाद में स्थित हमारे राजदूतावास ने इस मामले को सऊदी विदेश मंत्रालय के साथ उठाया ताकि भारतीय कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को शीघ्रता से वीजा मिल सके। भारत में स्थित सऊदी मिशनों ने इन भारतीय कामगारों को पुनः प्रवेश वीजा जारी करने को तरजीह दी और पुनः प्रवेश वीजा जारी करने का कार्य समाप्त होने के बाद ही नये कामगारों को नये वीजा जारी किए।

[अनुवाद]

कर्नाटक में उपभोक्ता सेवा-केन्द्र

743. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर टेलीफोन्स और कर्नाटक टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कितने उपभोक्ता सेवा केन्द्र वर्तमान में कार्य कर रहे हैं;

(ख) मैसूर में ऐसे कितने केन्द्र हैं; और

(ग) कर्नाटक में 1994–95 के दौरान ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। बंगलौर दूरसंचार जिले में 12 ग्राहक सेवा केन्द्र हैं। कर्नाटक दूरसंचार सर्किल मे बंगलौर दूरसंचार जिला सहित कुल 75 ग्राहक सेवा केन्द्र हैं।

(ख) मैसूर दूरसचार जिले मे 04 ग्राहक सेवा केन्द्र हैं।

(ग) ग्राहक सेवा केन्द्रों की मौजूदा संख्या पर्याप्त है। 1994–95 के दौरान ज्योंही अधिक सेवा केन्द्र खोलने का औचित्य पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

टेट्रासाइक्लीन का उपयोग

744. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अक्तूबर, 1994 को "राष्ट्रीय सहारा" (दिल्ली संस्करण) में "टेट्रासाइक्लीन के अंधाधुंध प्रयोग से रक्त कैंसर का खतरा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या प्लेग विषाणु को कृत्रिम रूप से विकसित किया जा सकता है, जैसाकि कैंसर–विशेषज्ञ ने उल्लेख किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) चिकित्सा परिचर्या के अधीन टेट्रासाइक्लीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह औषध अनुसूची "ज" के अन्तर्गत है और इसलिए इसके अविवेकपूर्ण इस्तेमाल का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). प्लेग बेसिलस वाई पेस्टिस है। प्लेग का कोई विषाणु नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में पासपोर्ट कार्यालय

745. **श्री के. मुरलीधरन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक त्रिवेन्द्रम, एर्णाकुलम और कालीकट पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट के कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) इन कार्यालयों में प्रतिदिन कितने आवेदन पत्र निपटाये जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में और अधिक पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) त्रिवेन्द्रम, एर्णाकुलम तथा कालीकट में स्थित पासपोर्ट कार्यालयों में इस समय कुल बकाया, आवेदन पत्रों तथा एक महीने से अधिक की अवधि से बकाया पड़े आवेदनपत्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन पासपोर्ट कार्यालयों में औसतन प्रतिदिन क्रमशः 350,405 तथा 526 आवेदनपत्र निपटाये जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2.12.1994 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया आवेदन पत्रों तथा एक महीने से अधिक समय से बकाया पड़े आवेदन पत्रों की संख्या

	कुल बकाया	एक महीने से अधिक समय से बकाया पडे आवेदनपत्रों की संख्या
त्रिवेन्द्रम	8493	1590
कोचीन	9323	3813
कोझीकोड	38674	24440

सड़कों में सुधार के लिए विश्व बैंक से सहायता

746. **श्री पी. सी. चाको** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने विश्व बैंक–ऋण की सहायता से सुधारी जाने वाली सडकों की सूची प्रस्तुत की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राज्य सडकों की लगभग 2000 कि.मी. लम्बाई को लगभग 840 करोड़ रू. की अनुमानित लागत से चौड़ा किए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वित्त मंत्रालय के माध्यम से इन्हें विश्व बैंक ऋण सहायता हेतु संभावित रूप से प्रायोजित किए जाने के उद्देश्य से इनकी जांच की जा रही है।

गांवों में एस.टी.डी. सुविधाएं

747. **श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी गांवों में एस.टी.डी. सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी गांवो को एस.टी.डी. सुविधाओं से कब तक जोड दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के अनुसार, मार्च, 1997 तक सभी गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने हैं।

(ख) और (ग). आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में निम्नलिखित की परिकल्पना है :

– 1.4.97 तक सभी एक्सचेंजों की राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा प्रदान करना।

[हिन्दी]

तांबे का उत्पादन

748. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 और 1994–95 के दौरान देश में तांबे के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य कितना है;

(ख) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान मलांजखंड तांबा खान से तांबे के उत्पादन में हो रही कमी की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान देश में प्राथमिक तांबे के एकमात्र निर्माता, हिन्दुस्तान कापर लि. (एचसीएल) द्वारा परिष्कृत तांबे के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दर्शाया गया है

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य
1993–94	40,000 एम टी
1994–95	45,000 एम टी

(ख) और (ग). पिछले तीन वर्षों में सान्द्र के रूप में धातु के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां नीचे दर्शायी गयी हैं :

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धियां
1991–92	23,600 एम टी	24,613 एम टी
1992–93	22,000 एम टी	24,020 एम टी
1993–94	22,000 एम टी	23,732 एम टी

बिलासपुर के डाकघरों में बुनियादी सुविधाएं

749. **श्री खेलन राम जांगडे** :
श्री काशीराम राणा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बिलासपुर और गुजरात के सूरत जिले में कुल कितने डाकघर हैं;

(ख) इनमें से कितने डाकघरों में पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गई है;

(ग) क्या सरकार को इन डाकघरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सभी डाकघरों में कब तक ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में 79 विभागीय व 572 अतिरिक्त विभागीय डाकघर कार्य कर रहे हैं और गुजरात के सूरत जिले में 118 विभागीय व 518 अतिरिक्त विभागीय डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(ख) सूरत जिले में राज्य के लोक निर्माण विभाग के भवन में स्थित केवल एक ही विभागीय उप डाकघर अर्थात् सुबीर विभागीय उप डाकघर ऐसा है जिसमें बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जहां तक अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का संबंध है, इनके लिए मूल सुविधाओं सहित आवास की व्यवस्था स्वयं शाखा पोस्टमास्टर द्वारा की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित डाकघर में दो महीने के भीतर बिजली की आपूर्ति किए जाने की आशा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय

750. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के अत्यधिक व्यय को देखते हुए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह व्यय का एक उपयुक्त अंश का वहन करे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). सांविधानिक तौर पर भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सभी सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है और इस बारे में सारा व्यय भारत सरकार वहन करती है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में शाखा डाकघर

751. **श्री राम कापसे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थाणे जिले में शाखा/उप डाकघर खोलने संबंधी कितने आवेदन, कितने समय से सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) लंबित पड़े सभी आवेदनों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ठाणे जिले में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर/विभागीय उप-डाकघर खोलने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय में 14 आवेदन-पत्र लंबित पड़े हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है :-

लंबितता की अवधि	आवेदन पत्रों की संख्या
2 वर्ष से अधिक	3
1 से 2 वर्ष	4
6 माह से अधिक	4
1 से 6 माह	3

(ख) और (ग). डाकघर उत्तरोत्तर रूप से वार्षिक योजनाओं के तहत खोले जाते हैं, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों और योजना आयोग द्वारा योजना लक्ष्यों का आबंटन कर दिया गया हो। अतः, लंबित आवेदन-पत्रों का निपटान कब तक हो जाएगा, इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

हैदराबाद में कांसुलर कार्यालय

752. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद में कुछ विकसित देशों के कान्सुलर-कार्यालय स्थापित किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

753. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित करने के लिए राज्यों को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किन-किन राज्यों ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया है;

(ग) किन-किन राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अभी तक प्राथमिकता क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ). खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय राज्य सरकारों को, इन उद्योगों को

प्राथमिकता देने के बारे में सुझाव देता रहा है। राज्य सरकारों की खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का काम देखने वाली नोंडल एजेंसियों के साथ हाल ही में आयोजित की गई बैठक में यह पता चला कि अधिकांश राज्य इन उद्योगों को प्राथमिकता दे रहे हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे रहे हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त स्वास्थ्य योजनाएं

754. **श्री विजय एन. पाटील** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त कितनी स्वास्थ्य योजनाएं काम कर रही हैं;

(ख) 1993–94 के दौरान राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर निगरानी रखी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रगति और कमी देखने में आई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं और वर्ष 1993–94 के दौरान आबंटित रकम का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1993–94 के दौरान सारे देश में इन योजनाओं के अधीन लक्ष्य और प्राप्त की गई उपलब्धियां विवरण–II में दी गई हैं।

विवरण–I

1993-94 के दौरान प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को किए गये धन का राज्यवार आवंटन

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (1993–94)	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (1993–94)	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (1993–94)	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (1993–94)	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (1993–94)	परिवार कल्याण कार्यक्रम (1993–94)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	669.10	330.00	129.93	195.00	25.09	5650.30
2.	अरूणाचल प्रदेश	50.64	9.00	34.47	28.50	8.24	157.16
3.	असम	593.38	23.00	91.23	108.00	12.43	2127.81
4.	बिहार	100.41	200.00	124.52	193.00	16.69	5188.59
5.	गोआ	24.05	1.00	11.60	12.00	7.87	122.84
6.	गुजरात	1142.89	80.00	88.53	260.00	65.83	3740.57
7.	हरियाणा	104.51	13.00	124.29	87.00	33.36	1531.18
8.	हिमाचल प्रदेश	49.77	13.00	52.89	53.00	22.93	1409.82
9.	जम्मू और कश्मीर	150.44	5.00	74.53	55.00	37.32	1003.36
10.	कर्नाटक	361.47	180.00	129.17	111.00	53.08	3333.15
11.	केरल	37.96	135.00	155.17	72.00	16.19	2347.72
12.	मध्य प्रदेश	1011.17	204.00	152.08	330.00	62.29	6575.01
13.	महाराष्ट्र	960.59	135.00	183.18	348.00	166.69	6824.49
14.	मणिपुर	76.43	3.00	37.23	11.50	31.72	368.69
15.	मेघालय	20.20	6.50	13.12	11.50	21.98	257.31
16.	मिजोरम	64.20	6.50	7.55	11.50	31.73	164.88
17.	नागालैंड	114.53	4.50	18.67	11.50	30.00	213.89
18.	उड़ीसा	187.26	200.00	114.32	109.00	19.82	2824.57
19.	पंजाब	400.32	9.00	52.65	138.00	11.99	1915.42
20.	राजस्थान	604.01	41.00	112.30	148.00	47.64	5037.44

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	25.28	13.00	9.65	12.00	4.87	173.59
22.	तमिलनाडु	218.93	210.00	114.63	298.00	83.25	4530.30
23.	त्रिपुरा	230.35	10.00	16.17	21.00	32.72	316.83
24.	उत्तर प्रदेश	1058.70	285.00	276.61	434.00	27.58	16506.92
25.	पश्चिम बंगाल	234.41	150.00	88.23	235.00	22.86	5349.45
26.	पांडिचेरी	9.00	8.50	4.03	7.00	8.74	78.00
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	70.60	8.00	4.47	4.50	22.23	64.40
28.	चंडीगढ	38.78	1.00	3.84	6.50	22.70	123.40
29.	दमण व द्वीव	6.58	1.50	4.34	2.50	17.95	20.30
30.	दादर व नगर हवेली	18.28	1.00	3.37	14.00	17.95	21.30
31.	दिल्ली	16.29	1.00	10.91	70.00	48.70	773.50
32.	लक्षद्वीप	2.87	2.00	3.39	2.50	18.48	9.65

विवरण–II

वर्ष 1993-94 में समस्त देश के केन्द्रीय प्रायोजित मुख्य योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त उपलब्धियां

क्र.सं.	योजना का नाम	1993–94 लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	(लाखों में)	
	(i) जानपदिक रोग वैज्ञानिक पैरामीटर	1.9 < L 0.5	2.65
	ए.पी.आई (प्रति हजार) *	10%	9.32%
	ए.बी.ई.आर. (प्रतिशतता में) *		

* सन् 1990–2000 ई. की अवधि के लिए 1.9 से 0.5 तक निश्चित किया गया ए.पी.आई. का लक्ष्य

(ii) स्प्रे आपरेशन (लाखों में जनसंख्या)

वर्ष	चरण	छिडकाव के लिए तय की गई जनसंख्या (तकनीकी लक्ष्य)	%उपलब्धि तकनीकी लक्ष्य
1993	I	159.49	44.72
	II	159.49	41.57
	III	55.15	39.64

(iii) वर्ष 1993 के लिए जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी आंकड़े (लाखों में)

जांचे गए ब्लड स्मीयरों की संख्या 799.50

पता लगाए गए पाजिटिव रोगियों की सख्या 22.70

पता लगाए गए पी फील्सीपेरम रोगियों की संख्या 8.70

कृपया नोट करें :–

ए.पी.आई.–वार्षिक परजीव घटना

ए.बी.ई.आर.–वार्षिक रक्त परीक्षण दर।

क्र.सं.	योजना का नाम	1993–94 लक्ष्य	उपलब्धियां
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	(लाखों में)	
	पता लगाए गए नए रोगी	2.65	4.94
	उपचार में लाए गए रोगी	·2.65	4.86
	इलाज के बाद छुट्टी दिए गए रोगी	5.25	7.19
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	(लाखों में)	
	पता लगाए गए नए रोगी	18.00	11.80
	जिनके थूक की जांच की गई	34.00.	24.44
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	(लाखों में)	
	किए गए मोतियाबिंद के आपरेशन	24.30	19.13
5.	परिवार कल्याण		
	डी.पी.टी.	247.90	222.13
	पोलियो	247.90	223.15
	बी.सी.जी.	247.90	231.42
	बंध्यीकरण	51.83	44.71
	आई.यू.डी.	73.30	59.71
	प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता	193.45	72.91
	खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता	50.04	41.98

6. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अब तक के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई है :-

	घटक	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धियां
1.	कार्यक्रम प्रबंध	राज्य एड्स सेल की स्थापना (सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में)	सभी 26 राज्यों और 6 संघ राज्यक्षेत्रों के लिए मंजूरी जारी की गई
2.	निगरानी और क्लिनिकल	सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 62 निगरानी केन्द्रों की स्थापना	100 प्रतिशत, 24 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को पहले ही स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी दे दी गई है।
3.	रक्त निरापदता		516 मंजूर किए गए
	(i) रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण	608	(92 को 1995-96 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा)
	(ii) जोनल रक्त जांच केन्द्रों की स्थापना	150	100 प्रतिशत
	(iii) रक्त घटक पृथकीकरण सुविधाओं की स्थापना	31	31 मंजूर किए गए
	(iv) यौन संचारित रोग नियंत्रण यौन संचारित रोग क्लिनिकों के सुदृढीकरण	372	100 प्रतिशत

मोबाइल टेलीफोन नैटवर्क

755. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों में सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू करने के लिए अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सेवा कब तक शुरू कर दी जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) आठ पंजीकृत भारतीय कम्पनियों, अर्थात् चार महानगरों क्रमशः बंबई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास, प्रत्येक में दो-दो कम्पनियों को सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालन के लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं। लाइसेंस नवम्बर, 94 में जारी किए गए थे। लाइसेंसों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) लाइसेंस धारकों को लाइसेंस जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर सेवा प्रदान करनी होगी।

विवरण

उन कम्पनियों की सूची जिन्हें सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	नगर
1.	मै. हचिसन मैक्स टेलकॉम, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019.	बम्बई
2.	मै. बी पी एल सिस्टम्स एण्ड प्राजेक्ट्स लि., 1/1, पैलेस रोड, बगलौर-560 001.	बम्बई
3.	मै. भारती सैल्यूलर लि., 15वां तल, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019.	दिल्ली
4.	मै. स्टर्लिंग सैल्यूलर लि., 19, कैथेड्रल गार्डन रोड, नगमबक्कम, मद्रास-600 034.	दिल्ली
5.	मै. ऊषा मार्टिन टेलीकॉम लि., 503, हेमकुण्ड चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019.	कलकत्ता
6.	मै. इण्डियन टेलीकॉम प्रा. लि., 13वां तल, हेमकुण्ड टावर, 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110 019.	कलकत्ता
7.	मै. स्काईसैल कम्यूनिकेशन प्रा. लि., सरदार मोहन सिंह भवन, कर्नाट लेन, नई दिल्ली-110 001	मद्रास
8.	मै. मोबाइल टेलीकॉम सर्विस लि., एन-83, प्रताप भवन, प्रथम तल, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली-110 001.	मद्रास

सी-डॉट स्विचिज़

756. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सी--डॉट स्विचिज़ का विकास राष्ट्र हेतु नेशनल स्विच के रूप में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). सी--डॉट द्वारा डिजाइन किए गए स्विच पहले से ही देश के राष्ट्रीय नेटवर्क में काम कर रहे हैं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय कैंसर संस्थान

757. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक स्थापित क्षेत्रीय कैंसर संस्थानों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या ऐसा कोई संस्थान उत्तर भारत में कार्यरत है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार का विचार राज्य में ऐसा कोई संस्थान खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च). कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों पर क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई है।

विवरण

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची

1. किदवई स्मारक आन्कोलॉजी संस्थान, बेंगलूर।
2. गुजरात कैंसर व अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद।
3. कैंसर अस्पताल व अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर।
4. कैंसर संस्थान, मद्रास।
5. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम।
6. आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान व उपचार सोसायटी केन्द्र, कटक।
7. डा. बी. बरूवा, कैंसर संस्थान, गुवाहाटी।
8. चितरजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता।
9. संस्थान रोटरी कैंसर अस्पताल, (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) नई दिल्ली।
10. टाटा स्मारक अस्पताल, बम्बई।
11. कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद।

[अनुवाद]

केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद

758. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय होम्यौपैथिक परिषद, नई दिल्ली भारत में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के संबंध में एक सांविधिक निकाय है;

(ख) केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद के लक्ष्य और मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) यह परिषद अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति में किस हद तक सफल रहा है;

(घ) सरकार द्वारा इस परिषद को दिए जाने वाली वार्षिक अनुदान और अन्य प्रकार के सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुदानों का दुरुपयोग नहीं हो परिषद पर अपना नियंत्रण रखने हेतु क्या तरीके और प्रणाली अपनाती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद, अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अंतर्गत स्थापित एक निगमित निकाय है।

(ख) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के निम्नलिखित लक्ष्य एवं मुख्य कार्य हैं :--

(i) देश में होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं उनसे संबंधित मामलों के लिए केन्द्रीय रजिस्टर रखना।

(ii) होम्योपैथी में शिक्षा के एकरूप मानक निर्धारित करना एवं उन्हें बनाए रखमा।

(iii) विश्वविद्यालय बोर्ड अथवा चिकित्सा संस्था द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा अर्हता को मान्यता देने एवं मान्यता वापस लेने की सिफारिश करना;

(iv) होम्योपैथी में चिकित्सा अर्हता की मान्यता के लिए पारस्परिकता की एक स्कीम की व्यवस्था करने के लिए किसी राज्य अथवा भारत के बाहर किसी देश में प्राधिकरणों से बातचीत करना।

(v) यह सुनिश्चित करने के लिए कालेज निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं, केन्द्रीय परिषद होम्योपैथी के मेडिकल कालेजों का निरीक्षण जारी रखना।

(ग) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद ने होम्योपैथिक शिक्षा में एकरूपता प्राप्त करने के लिए देश में स्नातकपूर्व होम्योपैथिक शिक्षा के लिए शैक्षिक विनियम लागू किए हैं। ये मानक 1983 से होम्योपैथी

केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अधीन विनियमों के रूप में लागू किए गए हैं।

केन्द्रीय परिषद ने होम्योपैथी में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए न्यूनतम मानक भी निर्धारित किए हैं।

केन्द्रीय परिषद ने कुछेक राज्यों के होम्योपैथिक चिकित्सकों के नामों का एक केन्द्रीय रजिस्टर पहले ही प्रकाशित किया है। होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर के प्रथम परिशिष्ट का कार्य प्रकाशन हेतु लगभग तैयार है।

(घ) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के लिए वित्तीय वर्ष 1994–95 के दौरान 42.00 लाख रूपये (योजना) और 25.00 लाख रूपये (योजनेत्तर) के बजट का प्रावधान है।

(ङ) परिषद के वार्षिक लेखे का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियमित अंकेक्षण किया जा रहा है तथा अब तक दुर्विनियोजन का कोई उदाहरण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं बताया गया है।

ब्रिटेन के संसदीय शिष्टमण्डल की जम्मू और कश्मीर की यात्रा

759. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के छः सदस्यीय संसदीय शिष्टमण्डल ने राज्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए सितम्बर, 1994 के दौरान जम्मू और कश्मीर की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो यात्रा के दौरान कश्मीर समस्या में पाकिस्तानी हाथ होने के संबंध में उनकी राय क्या थी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) ब्रिटेन के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 27–29 सितम्बर, 1994 तक जम्मू–कश्मीर की यात्रा की थी।

(ख) नई दिल्ली में 30 सितम्बर को जारी वक्तव्य में ब्रिटेन के इन संसद सदस्यों ने अन्य बातों के साथ–साथ यह अपील की कि हिंसा तथा हिंसक तौर–तरीकों को समाप्त किया जाए, और जम्मू–कश्मीर में उग्रवाद को बाहरी समर्थन देना बन्द हो। लन्दन वापसी पर समाचार पत्रों को दी गई अपनी टिप्पणी में ब्रिटेन के सांसदों ने यह भी कहा कि उग्रवादियों के पास पर्याप्त तादाद में पहुंचे अत्याधुनिक हथियारों को देखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कश्मीर में व्याप्त आतंकवाद में पाकिस्तान का हाथ है।

आंध्र प्रदेश में अपोलो अस्पताल में एच.आई.वी. के मामलों की सूचना

760. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में अपोलो अस्पताल में चालू वर्ष के दौरान एचआईवी पॉजिटिव के कुछ मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने एड्स के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं तथा इसको फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो राज्य में एड्स की रोकथाम करने के लिए केंद्रीय सरकार अथवा विश्व बैंक से कोई सहायता मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य में एड्स की रोकथाम के लिए कोई ठोस कार्यक्रम शुरू किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). इस समय एच आई वी/एड्स के नियन्त्रण के लिए आंध्र प्रदेश सहित देश में केन्द्र–प्रायोजित स्कीम के रूप में एक व्यापक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम विश्व बैंक से 222.6 करोड़ रूपये के उदार शर्तों पर लिए गए ऋण और विश्व बैंक से तकनीकी सहायता द्वारा चलाई जा रही है। वर्ष 1992–93 और 1993–94 के दौरान राज्य सरकार को क्रमशः 70.49 लाख और 25.09 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई थी। वर्ष 1994–95 के दौरान 172.18 लाख रूपये का परियोजनागत परिव्यय था जिसमे से अब तक 141.18 लाख रूपये प्रदान किए गए हैं। एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यनीतियों में अधिक जोखिमपूर्ण व्यवहार करने वाले वर्ग और आम जनता के बीच जनजागरूकता पैदा करना, रक्त निरापदता और रक्त एवं रक्त उत्पादों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, यौन संचरित रोग नियंत्रण, रोग के निदान और निगरानी के लिए बेहतर सुविधाएं, एच आई वी/एड्स रोगियों का क्लीनिकल उपचार शामिल है।

कुष्ठ रोगी

761. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम में शामिल स्वयं सेवी संगठन की नवम्बर, 1994 को नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक बैठक में कुष्ठ रोगियों के प्रति पक्षपात पूर्ण कानूनों से जुड़े मुद्दों पर विचार–विमर्श हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कुष्ठ रोगियों की हालत में सुधार लाने के लिए बैठक में किन–किन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया और क्या–क्या सुझाव दिए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार कुष्ठ रोगियों के प्रति पक्षपात–पूर्ण कुछ कानूनों को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सरकार ने पहले ही लैपर्स अधिनियम, 1898 को निरस्त कर दिया है। इस मंत्रालय ने विभिन्न विवाह अधिनियमों के अंतर्गत तलाक के लिए एक आधार के रूप में कुष्ठ को हटाने का भी समर्थन किया है।

विद्युत उत्पादन क्षमता

762. **श्री राम नाईक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र मे कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है,

(ख) महाराष्ट्र मे बिजली की अधिकतम माग कितनी है;

(ग) "एनरॉन" की डाभोल परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(घ) "एनरॉन" परियोजना को अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हेतु स्वीकृति देने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) 31.3.94 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में विद्युत की कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 9338.72 मे.वा. थी।

(ख) अप्रैल, 94 से अक्तूबर, 94 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र की विद्युत सम्बन्धी अधिकतम माग 8105 मे.वा. थी।

(ग) "एनरान" डाभोल संयुक्त साइकिल गैस टरबाइन (सी सी जी टी) की विद्युत उत्पादन क्षमता 2015 मे.वा. (चरण-I मे 695 मे.वा. और चरण-II मे 1320 मे.वा.) है।

(घ) महाराष्ट्र की विद्युत सम्बन्धी प्रत्याशित आवश्यकता को पूरा करने के लिये "एनरॉन" परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

खनिजों के लिए रायल्टी दर

763. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिजों की रायल्टी दर कब निर्धारित की गई थी;

(ख) राज्य में खनन से प्राप्त प्रत्येक खनिज के लिए खनिज-वार निर्धारित रायल्टी दर क्या है;

(ग) किन-किन प्रमुख खनिजों की रायल्टी दरों की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) प्रमुख खनिजो की रायल्टी की वर्तमान दर 17.2.1992 को अधिसूचित की गयी थी।

(ख) दिनाक 17.2.1992 को जारी अधिसूचना की एक प्रति जिसमे खनिजवार रायल्टी दरो का विवरण दिया गया था, दिनाक 9.3.1992 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी।

(ग) खान और खनिज (विनियमन और विकास अधिनियम) 1957 के प्रावधानो के अनुसार 17.2.1995 के बाद ही रायल्टी की दरों मे बढ़ोत्तरी सभव है।

(घ) रायल्टी की दरों में संशोधन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

केरल के परियारम, कन्नानूर में मेडिकल कालेज स्थापित करना

764. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने केरल के परियारम, कन्नानूर में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत एक मेडिकल कालेज खोलने की मंजूरी दे दी है,

(ख) यदि हां, तो अनुमति की शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नही, तो अनुमति न देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा भेजे गए विशेषज्ञ दल ने उस स्थल का दौरा करने के बाद कोई सिफारिश की है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 के अनुसार केन्द्रीय सरकार की पूर्व-अनुमति के बिना कोई व्यक्ति मेडिकल कालेज नही खोल सकता। सरकार को एकेडेमी ऑफ मेडिकल साइसेज, परियारम, कन्नानूर, केरल द्वारा प्रस्तुत स्कीम पर आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशें निरीक्षण रिपोर्टों के साथ प्राप्त हुई है। निरीक्षण रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चलता है कि इस समय वहा पर भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित संरचनात्मक सुविधाएं नहीं है जिनमें भवन, उपस्कर, 300 पलगों वाला कार्य कर रहा अस्पताल और नैदानिक सामग्री शामिल हैं।

हथियारों का अवैध व्यापार

765. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहित कुछ अन्य विकासशील देशों ने संयुक्त राष्ट्र से हथियारों के अन्तर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार को समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हा, तो अवैध हथियारो के व्यापार की प्रकृति, मात्रा और कार्यप्रणाली संबंधी विशेषताएं क्या है जिसे समाप्त करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) सदस्य देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और संयुक्त राष्ट्र मे इस विषय पर क्या सहमति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग) कोलम्बिया ने 31 अक्तूबर को निर्णय का एक प्रारूप प्रस्तुत किया जिसमें 1995 के संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र मे 'अन्तर्राष्ट्रीय अवैध हथियार व्यापार' शीर्षक से एक मद को शामिल किए जाने का अनुरोध किया गया। उसके बाद कोलम्बिया ने अपना यह प्रस्ताव वापिस ले लिया। (विवरण-I के रूप मे प्रति संलग्न है)

माली ने "छोटे हथियारों के अवैध व्यापार को रोकने तथा उनके एकत्रित करने के लिए राज्यों को सहायता", नामक एक संकल्प प्रस्तुत किया (विवरण–II के रूप में प्रति संलग्न) जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति द्वारा आम सभा से पारित कर लिया गया है। इस संकल्प का मुख्य केन्द्र संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सलाहकार मिशन द्वारा छोटे हथियारों का अवैध परिचालन को नियन्त्रित करने तथा सहारो–सहेलियन क्षेत्र में उनको एकत्रित करने के लिए किए गए उनके प्रयासों से संबद्ध है।

विवरण–I

संयुक्त राष्ट्र ए

महासभा	विवरण सीमित ए/सी.1/49/एंल.6 31 अक्तूबर, 1994 अंग्रेजी मूल : स्पेनिश

49वा अधिवेशन
प्रथम समिति
कार्य सूची मद 62 (एफ)

सामान्य तथा सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण; अन्तर्राष्ट्रीय, अवैध हथियार व्यापार
कोलम्बिया; निर्णय का प्रारूप
अन्तर्राष्ट्रीय अवैध हथियार व्यापार

महासभा, 'अन्तर्राष्ट्रीय हथियार हस्तान्तरण' नामक 16 दिसम्बर, 1993 के अपने संकल्प 48/75 एफ जिसे बिना मतदान के पारित किया गया, बिना मत के पारित "निरस्त्रीकरण आयोग की रिपोर्ट", नामक 16 दिसम्बर, 1993 के 48/77 ए और इसके साथ ही महासभा के 49वें सत्र के अधिकारिक रिकार्ड में उल्लिखित निरस्त्रीकरण आयोग की रिपोर्ट के परिशिष्ट संख्या 42 (ए/49/42) का स्मरण करते हुए **इसके** 50वें सत्र की अन्तरिम कार्यसूची में 'अन्तर्राष्ट्रीय अवैध हथियार व्यापार', नामक मद शामिल किए जाने का **निर्णय** करती है।

विवरण–II

संयुक्त राष्ट्र ए

महासभा	विवरण सीमित ए/सी.1/49/ एल.30/रैव. 9 17 नवम्बर, 1994 अंग्रेजी मूल फ्रांसीसी

49वा सत्र
प्रथम समिति
कार्य सूची
मद 62 (ख), (च), (ज) तथा (झ)

सामान्य तथा सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण; निरस्त्रीकरण तथा विकास के बीच सम्बन्ध; अन्तर्राष्ट्रीय अवैध हथियार व्यापार; परम्परागत हथियारों के अवैध हस्तान्तरण और प्रयोग को नियन्त्रित करने से सम्बद्ध उपाय; क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरों पर परम्परागत हथियार नियन्त्रण :

बुर्कीना फासो, कोत दिवुआर, गिनी, गिनी बिसाऊ, माली, मोरितानियां, नाईजर एवं सेनेगल, संशोधित संकल्प प्रारूपः छोटे हथियारों के अवैध व्यापार को रोकने एवं उन्हें एकत्रित करने के लिए राज्यों को सहायता :

महासभा,

6 दिसम्बर, 1991 के अपने संकल्प 46/36 एच, 9 दिसम्बर, 1992 के संकल्प 47/52 जी तथा 47/52 जे और 16 दिसम्बर, 1993 के संकल्प संख्या 48/75 एच तथा 48/75 जे का **स्मरण करते हुए,**

इस बात पर **विचार करते हुए** कि विश्व भर में छोटे हथियारों की भारी संख्या में परिचालन, विकास को अवरूद्ध करता है तथा बढ़ती हुई असुरक्षा का कारण है,

इस बात पर भी **विचार करते हुए** कि छोटे हथियारों का अवैध अन्तर्राष्ट्रीय हस्तान्तरण तथा अनेक देशों में उनका संग्रह जनसंख्या के लिए तथा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं और राष्ट्रों में अस्थिरता पैदा करते हैं,

छोटे हथियारों को इकट्ठा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सहायता से सम्बद्ध माली के अनुरोध के सम्बन्ध में महासचिव के वक्तव्य को **आधार बनाते हुए,**

माली में तथा सहारो–सहेलियन उपक्षेत्र के अन्य प्रभावित राज्यों में छोटे हथियारों के अवैध परिचालन से उत्पन्न असुरक्षा तथा उससे सम्बद्ध अपराधो के विस्तार पर गम्भीर रूप से **चिन्तित होते हुए,**

छोटे हथियारों के अवैध परिचालन को रोकने तथा उनको इकट्ठा करने का सुनिश्चय करने के सर्वोत्तम तरीके अध्ययन करने के उद्देश्य से महासचिव द्वारा माली भेजे गए संयुक्त राष्ट्र सलाहकार मिशन के प्रथम निष्कर्षों पर **गौर करते हुए,**

संयुक्त राष्ट्र सलाहकार मिशन को अपने यहां बुलाने में इस उपक्षेत्र के अन्य राज्यो द्वारा प्रदर्शित **रूचि पर भी गौर करते हुए,**

बंजुल, अल्जीरिया, बोगाको मे इस उपक्षेत्र के राज्यों में हुई बैठकों में सुरक्षा को सुदृढ करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए की गई कार्यवाहियो तथा सुझावों पर **गौर करते हुए,**

1. सहारो–सहेलियन उपक्षेत्र के प्रभावित राज्यों मे छोटे हथियारो के अवैध परिचालन और उनको एकत्रित करने के प्रश्न के सम्बन्ध मे माली द्वारा की गयी पहल का **स्वागत करती है;**

2. इस पहल को लागू करने मे महासचिव द्वारा की गयी कार्यवाही का भी स्वागत करती है;

3. माली की सरकार को उसके द्वारा सलाहकार मिशन को दी गयी मदद के लिए धन्यवाद देती है तथा इस मिशन को बुलाने के

लिए इस उपक्षेत्र के अन्य राज्यों की घोषित तत्परता का स्वागत करती है;

4. महासचिव को 16 दिसम्बर, 1985 के संकल्प 40/181 एच के संगत प्रावधानों के संदर्भ में उनके द्वारा की गयी कार्यवाही के लिए बधाई देती है तथा अफ्रीका में शांति एवं लोकतन्त्र से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र केन्द्र के समर्थन से तथा अफ्रीकी एकता संगठन के निकट सहयोग से अनुरोध करने वाले प्रभावित राज्यों में छोटे हथियारों के अवैध परिचालन को नियन्त्रित करने और उनका संग्रह सुनिश्चित करने में अपने प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है;

5. छोटे हथियारों के अवैध परिचालन को रोकने, विशेषकर, इस प्रकार के हथियारों का अवैध व्यापार नियन्त्रित करके राष्ट्रीय नियन्त्रण उपायों को लागू करने के लिए सदस्य राज्यों को आमन्त्रित करती है;

6. प्रभावित देशों द्वारा छोटे हथियारों के अवैध परिचालन को रोकने के लिए जो उनके विकास को अवरूद्ध कर सकते हैं, प्रयासों को उचित समर्थन प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भी आमन्त्रित करती है;

7. महासचिव से अनुरोध करती है कि वे इस सम्बन्ध में इसके 50वें सत्र में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

कर्नाटक को खनन पट्टा दिया जाना

766. डा. राम चन्द्र डोम : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार को खनन पट्टा दिए जाने और विजयनगर स्टील लिमिटेड एवं के.एस.आई.डी.सी. के विस्तार का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने की कब तक संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). कर्नाटक सरकार ने मैसर्स विजयनगर स्टील लि. के पक्ष में खनन पट्टा देने तथा मैसर्स केएसआईडीसी के पक्ष में कुछ क्षेत्र आरक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति मांगी है। राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र पट्टा देने के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि पहले ही इसका मैसर्स एनएमडीसी को पट्टा दिया हुआ है।

विदेशी निवेश

767. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 और 1 अप्रैल, 1994 तक खनन उद्योग में कितना विदेशी निवेश किया गया था;

(ख) क्या सरकार को इस क्षेत्र में और अधिक विदेशी निवेशों के प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो उन अयस्कों और खनिजों का ब्यौरा क्या है, जिनमें विदेशी निवेश किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश की अनुमति देने तथा विदेशी भागीदारी की सीमा तकनीकी शुल्कों आदि के अलावा इक्विटी 50 प्रतिशत से कम करने का है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 की घोषणा के बाद सरकार को विदेशी निवेश के लिये अब तक केवल एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है। संभावित विदेशी निवेशकों द्वारा जिन खनिजों में रूचि दिखाई है वे मुख्य रूप से सोना, हीरा, लौह अयस्क और आधारभूत धातु हैं।

(घ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार विदेशी साम्य पूंजी आमतौर पर 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी, तथापि यह सीमा किसी खनिज प्रक्रिया उद्योग की कैप्टिव खानों पर लागू नहीं होगी। मामला-दर-मामला के आधार पर बढ़ी हुई साम्य पूंजी धारिता पर भी विचार किया जा सकता है।

पाकिस्तान के प्रशिक्षण शिविर

768. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री रामपाल सिंह :
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान की आई.एस.आई. संस्था द्वारा उग्रवादी तत्वों को प्रशिक्षण देने के लिए नए प्रशिक्षण शिविर चलाए जाने के बारे में हाल ही की रिपोर्टों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर पाकिस्तान के साथ चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ). सरकार को यह जानकारी है कि जम्मू-कश्मीर में कार्यरत उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तथा पाकिस्तान में स्थित इलाकों में कुछ अतिरिक्त शिविर स्थापित किए हैं। भारत के खिलाफ विध्वंश और आतंकवाद को पाकिस्तान का समर्थन एक तथ्यपरक बात है और यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस संबंध में पाकिस्तान का आचरण न तो अच्छी प्रतिवेशिता के ही अनुकूल है और न ही इस देश में शान्ति और स्थायित्व के।

सरकार कई अवसरों पर तथा विभिन्न स्तरों पर पाकिस्तान से पुरजोर अनुरोध करती रही है कि वह विध्वंश और आतंकवाद को

समर्थन देना बन्द करे। आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा दिए जा रहे समर्थन का प्रतिकार करने तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है।

विदेशी विद्युत कंपनियों के लिए प्रति गारंटी

769\. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री सुदर्शन रायचौधरी :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री पी. कुमारासामी :
श्री मनोरंजन भक्त :
डा. सुधीर राय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को प्रति गारंटी देने के लिए अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या विदेशी विद्युत कंपनियां राज्य सरकारों से भी गारंटी मांग रही हैं;

(ग) क्या सभी विदेशी विद्युत कंपनियों ने सीमित गारंटियां स्वीकार कर ली हैं;

(घ) विदेशी कंपनियों को गारंटीशुदा इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभ किस आधार पर निर्धारित किया गया है; और

(ङ) इस गारंटी योजना के अन्तर्गत विदेशी कंपनियों की कितनी विद्युत परियोजना स्थापित की जायेंगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). विदेशी निवेश की दृष्टि से प्रारम्भ में स्वीकृत की गई 9 परियोजनाओं में से आठ परियोजनाओं के मामले में, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भुगतान किए जाने के दायित्व के लिए राज्य द्वारा दी गई गारंटी हेतु विद्युत उत्पादन कम्पनियों को भारत सरकार द्वारा प्रति--गारंटी दिए जाने का निर्णय लिया गया था। डाभोल विद्युत परियोजना के मामलों में प्रति–गारंटी के लिए समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

(घ) विद्युत की अत्यधिक कमी और सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधनो की चरमराई स्थिति के संदर्भ में विद्युत उत्पादन और वितरण संबंधी क्षमता अभिवृद्धि के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाये जाने हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 और भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 में अक्तूबर, 1991 में अपेक्षित वैधानिक संशोधन किए गए थे। जिनके द्वारा निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कम्पनियों के लिए अनुमति प्रदान की गई थी।

इन संशोधनों में अन्य बातों के साथ–साथ विद्युत प्रदाय अधिनियम में जोडी गई धारा 43 ए शामिल है, जिसमें यह प्रावधान है कि प्रचालनात्मक मानदण्डों और समुचित लाभांश हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जा सकेगी, जिसके आधार पर विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा टैरिफ का निर्धारण किया जा सकेगा। समुचित लाभांश के बारे में लाइसेंसधारियों के लिए इक्विटी पर लाभांश हेतु 16 प्रतिशत का मानक स्तर (बैंच मार्क) निर्धारित किया गया था।

(ङ) इक्विटी पर लाभांश से संबंधित उपरोक्त प्रावधान 30.3.1992 के पश्चात् सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में स्थापित की गई विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा स्थापित की गई सभी परियोजनाओं पर समान रूप से लागू है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

770\. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :**
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री एम. रमन्ना राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर हो रहे सरकारी व्यय को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करने जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले व्यय में वृद्धि करने हेतु निर्णय पर पुनर्विचार करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). यह प्रश्न नहीं उठता ।

खानें बन्द करना

771\. **डा. लाल बहादुर रावल :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में राज्यवार जिन विभिन्न खानों में खनन कार्य चल रहा है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) मार्च, 1994 से अगस्त, 1994 तक राज्यवार इन खानों से कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बंद की गई खानों के नाम क्या हैं और वे कहां–कहां स्थित हैं; और

(घ) इनको बन्द करने के क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) देश में मुख्य खनिजों के संबंध में चालू खानों की संख्या राज्यवार दी गई है :–

राज्य	चालू खानो की संख्या
आंध्र प्रदेश	375
अरूणाचल प्रदेश	1
असम	3
बिहार	193
गोआ	70
गुजरात	521
हरियाणा	53
हिमाचल प्रदेश	32
जम्मू व कश्मीर	4
कर्नाटक	284
केरल	43
मध्य प्रदेश	445
महाराष्ट्र	103
मणिपुर	1
मेघालय	2
उडीसा	254
राजस्थान	713
सिक्किम	1
तमिलनाडु	129
उत्तर प्रदेश	52
पश्चिम बंगाल	19

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). आई.बी.एम. में प्राप्त परित्याग नोटिस के आधार पर, 1991-92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान बंद की गई खानो की सूची और उनके बन्द करने के कारण नीचे दिये गए है:–

खनिज	खान का नाम राज्य/जिला/ गांव	बंद होने के कारण
1	2	3
1991-92		
एस्बेस्टौस	लक्ष्मीनाराण आंध्र प्रदेश, खान–1 कडापह/इप्पतला	खनिज का समापन
चाइनाक्ले	डुमुरिया उड़ीसा/ मयूराहंज डुमुरिया	लागू नहीं
फैलसाइट	एम.एल. न. 1366 कर्नाटक मैसरू/मैटागाली	अलाभप्रद कार्यकलाप और मजदूरो की कमी
फैलसाइट	एम.एल. न. 478 कर्नाटक/मैसेर/मैटागाली	–वही–
ग्रेफाइट	मनासोटी बिहार पलामू/मनासोटी	लागू नहीं
काइनाइट	नवारगांव–2 महाराष्ट्र भनडारा/ नवागांव	खनिज का समापन
लाइमस्टोन	रामाकृष्णा सीमेंट आंध्र प्रदेश गंटूर/मरहेरला	– वही–
मैग्नीज अयस्क	तराली, एम.एल. नं. 1021 कर्नाटक उत्तर कनैरा/तराली	पट्टा समाप्ति
क्वार्ट्ज और फलैस्पर	सीवानमलाई तमिलनाडु पेरियार/सीवानमलाई	अलाभप्रद कार्यकलाप
वाइटक्ले	पी.चन्द्रा शेखर राय आंध्र प्रदेश अदीलाबाद/ रल्लापट और रामपुर	पर्याप्त आदेश नहीं
1992-93		
आयरन अयस्क	बिहार बिहार पश्चिम सिंहभूम मरालगढ़	वैन अधिनियम (निर्मा) 1980 के अधीन अनुमति नहीं
लाइमकनकर	पडाहनतुपल्ली–5 आंध्र प्रदेश विजयानगरम/पाली	ख़निजों का समापन
लाइमकनकर	कंचागमाडम–1 आंध्र प्रदेश विजयानगरम/ कुंचागमाडम	– वही–
मैग्नीज अयस्क	टरेला कर्नाटक नार्थ कनारा तरेली और करनाजोडिया	पट्टा 14.2.93 को समाप्त
क्वार्ट्ज	लक्ष्मीपुरम आंध्र प्रदेश कृष्णा/लक्ष्मीपुरम	खनिजों का समापन और अलाभप्रद कार्यकलाप
सिलिमेनाइट	नॉनस्टोइन मेघालय वेस्ट क्यसी हिल सोनापहाड़	पट्टा समाप्ति के कारण

1	2	3
1993-94		
एस्बेस्टैस	लक्ष्मीनारायण खान–2 आंध्र प्रदेश कडापाह/इप्पाला	रोक पूरी हो जाएगी
बालक्ले	बीसीसी/मध राजस्थान बीकानेर/मुध	पट्टा 1.1.94 को समाप्त

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में विद्युत की स्थिति

772. **श्री गुरुदास कामत :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में विद्युत की स्थिति खराब हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में विद्युत की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). अप्रैल, 94 से नवम्बर, 94 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर में ऊर्जा की कमी 15.4 प्रतिशत थी तथा व्यस्ततमकालीन कमी 29.4 प्रतिशत थी। कश्मीर क्षेत्र में अधिकांश कमी शीतकाल के महीनों के दौरान विशेषकर, जल विद्युत स्टेशनों से कम स्थानीय उत्पादन के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, कश्मीर घाटी में उत्पादन में कमी का अन्य महत्वपूर्ण कारण अपर्याप्त पारेषण व्यवस्था है।

शीतकाल के महीनों के दौरान रात–दिन तथा ग्रीष्म ऋतु के महीनों मे व्यस्ततमकालीन अवधि के दौरान पम्पोर स्टेशन में अधिष्ठापित पाच गैस टरबाइनों (प्रत्येक 25 मे.वा.) का प्रचालन करके कश्मीर घाटी में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। परन्तु, आर्थिक कारणों से इन गैस टरबाइनों को केवल शीतकाल के महीनों में प्रातः तथा शाम के व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान ही प्रचालित किया जा रहा है। एक 220 के.वी. डी.सी. किशनपुर–पम्पोर पोरषण लाइन विद्युत विकास विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार के निर्माणाधीन है। मई/जून, 1995 तक लाइन के पूरा होने की संभावना है। इसके पूरा होने पर यह लाइन केंद्रीय क्षेत्र किशनपुर उप केन्द्र (एस/एस) से अतिरिक्त विद्युत का अंतरण करके अपेक्षित पारेषण सुविधाएं प्रदान कर सकेंगी, ताकि कश्मीर घाटी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, 400 के.वी. एकल सर्किट (एस/सी) चमेरा–किशनपुर लाइन भी केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन विद्युत ग्रिड द्वारा निर्माणाधीन है, जिससे जम्मू व कश्मीर प्रणाली को विद्युत का अतरण किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

जलपोतों का आधुनिकीकरण

773. **श्री काशीराम राणा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पुराने जलपोतों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). भारतीय नौवहन उद्योग, निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में, पुराने जहाजों के आधुनिकीकरण के लिए यथोचित उपाय करता रहा है पिछले लगभग तीन वर्षों में जहाज उद्योग ने 86 जलयान खरीदे हैं। जिनमें से 40 जलयान नवनिर्मित हैं। इसके अतिरिक्त इस अवधि में पुराने और गैर–किफायती होने के कारण अनेक जहाज स्क्रैप किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय जहाजों की औसत आयु घट कर 13 वर्ष हो गई है जबकि 1991–92 में यह 14 वर्ष थी और अंतर्राष्ट्रीय औसत आयु 17 वर्ष है।

[अनुवाद]

केरल में टेलीफोन

774. **प्रो. के.वी. थामस :**
श्री थाइल जॉन अंजलोज :
श्री ए. चार्ल्स :
श्री के. मुरलीधरन :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में टेलीफोन कनेक्शन पाने के लिए इस समय जिलावार और श्रेणीवार कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं;

(ख) अब तक राज्यवार और श्रेणीवार कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं;

(ग) 1994–95 के अंत तक कितने व्यक्तियों को टेलीफोम कनेक्शन दे दिए जाएंगे;

(घ) शेष व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) राज्य में टेलीफोन विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31.10.94 की स्थिति के अनुसार, श्रेणीवार प्रतीक्षा–सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

ओ वाई टी	विशेष	सामान्य
25503	10500	300148

(ख) अप्रैल, 94 से अक्तूबर, 94 तक जिन व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए गए उनकी श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है :

ओ वाई टी	विशेष	सामान्य
6761	2375	18832

(ग) वार्षिक योजना 1994-95 में 79,000 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की परिकल्पना है।

(घ) 8 वी पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष व्यक्तियों को टेलीफोन प्रदान करने के उद्देश्य से मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार और नए एक्सचेज खोलने के उपाय किए जा रहे हैं।

(ङ) 1994-95 में केरल सर्किल में दूरसंचार के अनंतिम विस्तार कार्यक्रम में 70000 लाइनों की वृद्धि करना शामिल है। 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान केरल में 3,90,600 सीधी एक्सचेंज लाइनों की वृद्धि किए जाने की योजना है।

नई स्विचिंग लाइनें

775. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री पी. कुमारासामी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या "डाट" ने 17 लाख नई स्विच लाइनों के लिए निविदा जारी की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी बड़ी बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनियों ने निविदाएं [illegible]

(घ) क्या ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां पट्टे पर दिए गए टेंडर [illegible] भुगतान की दशा में निविदा की शर्तें पूरी करने पर सहमत [illegible]

(ङ) क्या "सी-डाट" भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) डिजीटल स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर की 1.7 मिलियन लाइनें प्राप्त करने के लिए दिनांक 21 फरवरी, 1994 को एक खुली निविदा सं. 117-01/94- एम.एम.डी. जारी की गई थी। निविदा 26.9.94 को खोली गई थी।

(ग) जी, नहीं। भारत में उपस्कर विनिर्माण के लिए पंजीकृत कंपनियों तथा विदेशी सहयोग की कंपनी के मामले में, विनिर्माण की बाबत आर.बी.आई. से अनुमति प्राप्त कंपनियों ने निविदा में भाग लिया था।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एड्स कार्यक्रम संबंधी विश्व बैंक का दल

776. **श्री सी.के. कुप्पुस्वामी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के निगरानीदल ने एड्स नियंत्रण कार्यक्रम संबंधी अपनी हाल ही की रिपोर्ट में चोरी-छिपे ब्लड बैंकों के संचालन को रोकने और रक्त चढ़ाने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक के पर्यवेक्षी दल द्वारा की गई टिप्पणियों को औषध नियंत्रक भारत तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के स्वास्थ्य सचिवों के ध्यान में लाया गया है तथा उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उपयुक्त कार्यवाही के लिए इन टिप्पणियों पर ध्यान दें।

[हिन्दी]

दुग्ध प्रसंस्करण के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

777. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुग्ध उत्पाद निर्माण क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों के लिए देश के उद्यमियों तथा विदेशी कपनियों को जुलाई, 1993 से लाइसेंस जारी किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में जुलाई, 1991 से अब तक स्थापित किए गए दुग्ध उत्पाद निर्माण एककों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). सरकार की उदारीकृत औद्योगिक नीति के अनुसार दुग्ध उत्पादों का निर्माण करने के लिए किसी लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होती है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

जुलाई, 1991 से अब तक स्थापित किए गए दुग्ध उत्पाद निर्माण एककों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.स	राज्य का नाम	एककों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	गुजरात	1
3.	हरियाणा	5
4.	मध्य प्रदेश	1
5.	महाराष्ट्र	3
6.	पंजाब	5
7.	राजस्थान	1
8.	उत्तर प्रदेश	6
	[illegible]	23

[अनुवाद]

संक्रामक रोग

778. **श्री भेरू लाल मीणा :**
श्री कृपासिन्धु भोई :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :
श्री मंजय लाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों की राय के अनुसार हाल ही में देश के अनेक भागों में फैले प्लेग तथा मलेरिया रोगों के पश्चात् संक्रामक रोगों, विशेषकर "डेंगू" बुखार के फैलने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन रोगों को फैलने से रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) सरकार को ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं पर राजसहायता

779. **श्री विजय कुमार यादव :**
श्री मोहन रावले :
श्री नवल किशोर राय :
श्री साइमन मरांडी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेकरी वालों को सस्ती दरों पर गेहूं उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माडर्न फूड इंडस्ट्रीज ने ब्रेड के बिक्री मूल्य में कमी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ब्रेड का कम किया गया बिक्री मूल्य सरकार द्वारा प्रदान की गई राजसहायता के अनुरूप है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रेड आदि के निर्माताओं को केन्द्रीय निर्गम मूल्य की अपेक्षा 1,000 रू. प्रति टन कम दर पर गेहूं इस शर्त के अध्याधीन जारी किया जाएगा कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि 800 ग्रा. की डबलरोटी के दाम में 50 पैसे और 400 ग्रा. की डबलरोटी के दाम मे 25 पैसे की कमी का लाभ उपभोक्ताओं को एक साल तक मिले।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) ब्रेड का कम किया गया बिक्री मूल्य ब्रेड निर्माताओ को रियायती दर पर गेहूं जारी करने की स्कीम में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तो की सीमा में है। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्माण की सामान्य लागत, योजना की समय सीमा, अन्य कच्चे माल की लागत आदि को ध्यान में रखकर तैयार किए गए है।

विवरण

पुराने और संशोधित मूल्य

केन्द्र	किस्म	संशोधन पूर्व	संशोधित	उपभोक्ता मूल्यों की प्रभावी तारीख
1	2	3	4	5
अहमदाबाद	100 ग्राम स्पेशल	1.75	1.70	22.10.94
	200 ग्रा. स्पेशल	3.00	2.90	
	400 ग्रा. स्पेशल	5.00	4.75	
	600 ग्रा. स्पेशल	7.90	6.65	
	400 ग्रा. वाइट	5.00	4.75	
	400 ग्रा. स्वीट	5.00	4.75	
	400 ग्रा. लाडी	5.00	4.75	
	100 ग्रा. बीग वाइट	1.75	1.75	
बंगलौर	400 ग्रा वाइट	5.50	5.25	24.10.94
	800 ग्रा. वाइट	10.50	10.50	
	400 ग्रा. स्पेशल	6.75	5.50	
	400 ग्रा. मिल्क	6.00	5.75	
	400 ग्रा. स्वीट	6.00	5.75	
	200 ग्रा. स्वीट	3.25	3.10	
	200 ग्रा. फ्रूटी	4.50	4.25	
	4×50 ग्रा. बन	3.50	3.40	
बम्बई	400 ग्रा. डब्लयू एस.बी.	4.25	4.00	25.10.94
	800 ग्रा. वाइट	8.25	7.75	
	400ग्रा. स्वीट	4.50	4.25	
	400 ग्रा. ब्राउन	5.00	4.75	
	200 ग्रा. फ्रूटी	3.50	3.40	
	200 ग्रा. बन	2.50	2.30	
कलकत्ता	400 ग्रा. स्लाइस्ड ब्रेड	4.50	4.25	25.10.94
	400 ग्रा. प्लेन	4.40	4.15	
	200 ग्रा. स्लाइस्ड	2.25	2.15	
	400 ग्रा. लोंग लॉफ	4.75	4.50	

1	2	3	4	5
	200 ग्रा. फ्रूटी	4.30	4.20	
	200 ग्रा. मिल्की	3.25	3.15	
चंडीगढ़	400 ग्रा. सेंडविच	4.50	4.25	25.10.94
	800 ग्रा. सेडविच	8.50	8.00	
	400 ग्रा. स्पेशल	5.00	4.75	
कोचीन	400 ग्रा. वाइट	4.75	4.50	23.10.94
	800 ग्रा. वाइट	8.50	8.00	
	400 ग्रा. कैलाली	5.00	4.75	
	600 ग्रा. फेमली पैक	7.60	7.20	
	400 ग्रा. स्वीट	5.25	5.00	
	400 ग्रा. मिल्क	5.50	5.25	
	200 ग्रा. फ्रूटी	3.75	3.60	
	200 ग्रा. बन	3.50	3.40	
दिल्ली	400 ग्रा. वाइट	4.00	3.75	15.10.94
	800 ग्रा. वाइट	7.00	6.50	
	800 ग्रा. गंगा	6.00	5.50	
	400 ग्रा. ब्राउन	5.00	4.75	
	200 ग्रा. फ्रूटी	4.00	3.90	
हैदराबाद	400 ग्रा. वाइट	5.00	4.75	25.10.94
	500 ग्रा. स्पेशल	5.00	4.75	
	200 ग्रा. मिल्की	3.00	2.90	
	400 ग्रा. मिल्की	6.00	5.75	
	200 ग्रा. फ्रूटी	4.50	4.40	
	100 ग्रा. फ्रूटी	2.25	2.20	
	800 ग्रा. स्पेशल	10.00	9.50	
इंदौर	200 ग्रा. वाइट	2.15	2.00	25.10.94
	400 ग्रा. वाइट	4.15	3.90	
	800 ग्रा. वाइट	7.95	7.45	
	400 ग्रा. स्वीट	4.95	4.70	
	200 ग्रा. फ्रूटी	3.50	3.40	
जयपुर	200ग्रा. वाइट	2.25	2.10	24.10.94
	350 ग्रा. वाइट	4.50	4.00	
	700 ग्रा. वाइट	8.00	7.50	
	800 ग्रा. वाइट	9.00	8.00	
	400 ग्रा. वाइट	4.80	4.50	
	200 ग्रा. फ्रूटी	4.00	3.75	
कानपुर	200 ग्रा. वाइट	2.50	2.25	25.10.94
	400 ग्रा. वाइट	4.40	4.00	

1	2	3	4	5
	800 ग्रा. वाइट	8.00	7.50	
	200 ग्रा. बन	3.50	3.25	
	400 ग्रा. पाव	5.50	5.25	
	200 ग्रा. फ्रूटी	4.00	3.75	
मद्रास	400 ग्रा. वाइट सेंडविच	4.50	4.25	15.10.94
	400 ग्रा. स्वीट	5.30	5.00	
	400 ग्रा. स्पेशल	4.80	4.50	
	200 ग्रा. फ्रूटी	4.00	3.85	
	200 ग्रा. बन	2.00	1.80	
रांची	200 ग्रा. वाइट	2.40	2.25	25.10.94
	400 ग्रा. वाइट	4.60	4.35	
	800 ग्रा. वाइट	8.95	8.45	
	200 ग्रा. स्पेशल	2.65	2.50	
	400 ग्रा. स्पेशल	5.20	4.95	
	800 ग्रा. स्पेशल	9.75	9.25	
	200 ग्रा. फ्रूटी	4.00	3.90	

[हिन्दी]

सड़क दुर्घटनाएं

780. श्री पंकज चौधरी :
श्री फूलचंद वर्मा :
श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह माह के दौरान महानगरों में कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इन सडक दुर्घटनाओं में वित्तीय हानि कितनी हुई और कितने व्यक्ति मारे गए;

(ग) इस संबंध में कितने लोगों को दण्डित किया गया; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या को न्यूनतम करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीफोन के बकाया बिल

781. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993–94 के दौरान टेलीफोन के बकाया बिलों में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की तुलना में 1993–94 के दौरान टेलीफोन के बकाया बिलों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस बकाया राशि की वसूली के लिये कोई कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) कितने मामलों मे मुकदमा चल रहा है तथा इन मामलो मे कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों की तुलना में 1993–94 के दौरान टेलीफोन बिलों की बकाया राशि में हुई वृद्धि इस प्रकार है :–

वर्ष	वर्ष में 31 मार्च को बकाया राशि	31.3.94 को बकाया राशि	वृद्धि
1990–91	482	1158	676
1991–92	663	1158	495
1992–93	906	1158	252

(ग) बिल जारी करना और बिलों की वसूली एक सतत प्रक्रिया है और टेलीफोन बिलों के बकाए की वसूली की पद्धतियां विधिवत् निर्धारित की गई हैं। बिल संबंधी विवादों/न्यायालय के मामलों को तेजी से निपटाया जाता है। अन्य मामलों मे वसूली पत्राचार/निजी दौरे और कानूनी तरीके से की जाती है।

(घ) जानकारी मंगवाई गई है और इसे सभा–पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली में विद्युत की मांग

782. श्री गुमान मल लोढा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान दिल्ली में आम उपभोक्ताओं की विद्युत मांग को पूरा करती है;

(ख) दिल्ली में विद्युत की वार्षिक मांग कितनी है;

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान इस मांग को पूरा करने के लिये प्रति वर्ष अन्य स्रोतों से कितनी विद्युत प्राप्त करता है;

(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अपने अन्य स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिये 1993–94 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की; और

(ङ) विद्युत आपूर्ति से इसे विभिन्न संस्थानों और उपभोक्ताओं से कितनी धनराशि प्राप्त हुई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। डेसू दिल्ली की विद्युत संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करने में कुल मिलाकर सक्षम है।

(ख) वर्ष 1993–94 के दौरान दिल्ली में विद्युत की आवश्यकता 11045 मिलियन यूनिट थी। वर्ष 1994–95 हेतु दिल्ली में विद्युत की प्रत्याशित आवश्यकता 12000 मि.यू. है।

(ग) दिल्ली अपने लिये विद्युत आवश्यकता की पूर्ति अपने स्वंय के विद्युत उत्पादन और अन्य स्रोतों से विद्युत की खरीद करके करती है। वर्ष 1993–94 के दौरान डेसू ने कुल 10753 मि.यू. विद्युत प्राप्त की, जिसका ब्यौरा निम्नवत है :–

(1) डेसू का स्वंय का विद्युत उत्पादन : 2108 मि.यू.

(2) अन्य स्रोतों से क्रय की गई विद्युत : 8645 मि.यू.

(घ) विद्युत की खरीद समेत वर्ष 1993–94 के दौरान डेसू द्वारा विद्युत उत्पादन पर किया गया खर्च लगभग 1238 करोड रूपये था।

(ङ) वर्ष 1993–94 के दौरान डेसू द्वारा विभिन्न संस्थाओं और उपभोक्ताओं से राजस्व की वसूली लगभग 969 करोड रूपये थी।

[अनुवाद]

होम्योपैथिक दवाइयों को लोकप्रिय बनाना

783. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथिक दवाइयों को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार कोई दीर्घकालीन उपाय अपना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ग). होम्योपैथिक दवाइयों की लोकप्रियता अच्छी किस्म की दवाइयों की आसानी से उपलब्धता, इनके विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए अर्हक चिकित्सकों की उपलब्धता तथा सतत अनुसंधान पर निर्भर करती है। स्वीकार्य मानदण्ड तैयार कर तथा उन्हें लागू करके होम्योपैथिक दवाइयों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। होम्योपैथिक परिषद को स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर होम्योपैथी शिक्षा के लिए स्वीकार्य मानदण्ड निर्धारित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है ताकि स्वीकार्य अर्हताओं वाले चिकित्सक उपलब्ध हो सकें। भारत सरकार ने होम्योपैथी में शिक्षा तथा अनुसंधान उपलब्ध करने के लिए देश में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान स्थापित किया है। 1978 मे स्थापित केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंस्थान परिषद भी अपनी विभिन्न इकाइयों के माध्यम से होम्योपैथी अनुसंधान क्रियाकलापों में लगी हुई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

784. श्री राजवीर सिंह :
डा. रमेश चन्द्र तोमर :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये गत तीन वर्षों

के दौरान पंजीकृत किये गये व्यक्तियों की जिला–वार संख्या कितनी है;

(ख) जिला–वार उनमें से कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिये गये और कितने व्यक्ति अभी प्रतीक्षा–सूची में हैं; और

(ग) इन प्रतीक्षारत व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मानदेय

785. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य–वार दिए जाने वाले मानदेय की वर्तमान दर क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना की समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) प्रतिमाह 50/- रूपये

(ख) और (ग). ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना की समय–समय पर समीक्षा कर इस मामले पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

दिल्ली में हेप्टाइटिस रोग का फैलना

786. **श्री रमेश चेन्नित्तला** :
श्री कै.जी. शिवप्पा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में पीलिया रोग से पीडित व्यक्तियों की संख्या मे विशेष रूप से चालू वर्ष के दौरान अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कई चिकित्सकों को हाल ही के महीनों में पीलिया रोग हो गया था; और

(घ) यदि हा तो इस रोग की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) अंतिम उपलब्ध सांख्यिकी के आधार पर ऐसी कोई वृद्धि नोट नहीं की गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कुछ कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को यकृतशोथ हुआ।

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने स्वच्छ पेय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17

787. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) जराप से पत्रादेवी खण्ड पर कार्य कब से आरम्भ होने वाला है;

(ग) क्या इसके लिए वित्तीय आवंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खरेतपाटन के निकट मोड हटाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो कब तक;

(छ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 को सीमा सडक विकास बोर्ड को सौंपने का विचार है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का आबंटन राज्य–वार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग वार। तथापि, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और केरल राज्यों जिनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग 17 गुजरता है, को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गई निधियां इस प्रकार हैं:–

(लाख रूपए)

वर्ष	महाराष्ट्र	गोवा	कर्नाटक	केरल
1991–92	3358.00	930.00	1775.00	4120.00
1992–93	3280.00	850.00	1880.00	1400.00
1993–94	3080.00	570.00	2900.00	3087.00

(ख) से (घ). अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि जराप से पत्रादेवी खंड पर कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा।

(ङ) और (च). जी, नहीं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) ये कार्य संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों के माध्यम से करवाए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल की टेलीफोन डायरेक्टरी

788. **श्री अमल दत्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल दूरसंचार मंडल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन की क्या स्थिति है;

(ख) इनका प्रकाशन कब किया गया था और प्रत्येक डायरेक्टरी में कब तक की सूचना शामिल की गई है;

(ग) विद्यमान नियमों, जिनके अंतर्गत नई डायरेक्टरी का प्रकाशन किया जाना आपेक्षित है, का ब्यौरा क्या है, और

(घ) कितनी डायरेक्टरियों के मामले में इन नियमों का पालन नहीं किया गया है और प्रत्येक मामले मे इसका क्या औचित्य है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) तथा (ख). पश्चिम बंगाल दूर-संचार सर्किल द्वारा समविष्ट क्षेत्रों हेतु टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है, जिसमें प्रकाशन की तारीख और वह तारीख शामिल है जिस तक सूचना उसमें अद्यतन की गई है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

(घ) टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन मे किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। डायरेक्टरियों की छपाई में मुद्रकों के कारण विलंब हुआ है।

विवरण-I

एस.एस.ए का नाम	पिछली टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन का महीना	जिस तारीख तक सूचना अद्यतन की गई है
1. आसनसोल	सितम्बर, 1994	31.8.94
2. कलकत्ता शहर	सितम्बर, 1994	31.8.94
3. जलपाइगुड़ी	दिसम्बर, 1992	31.12.92
4. कृष्ण नगर	मार्च, 1993	30.11.92
5. खड़गपुर	फरवरी, 1993	22.2.93
6. बरहामपुर	नवम्बर, 1992	30.9.92
7. माल्दा	दिसम्बर, 1992	31.12.92
8. बांकुरा	अक्तूबर, 1992	31.10.92
9. पोर्ट ब्लेयर	अक्तूबर, 1992	31.8.92
10. सिलीगुड़ी	मई, 1993	31.12.92
11. गंगटोक	जून, 1993	30.6.93

विवरण-II

"टेलीफोन डाइरेक्टरियों का प्रकाशन-टेलीफोन जिलों के संबंध में नीति की पुररीक्षा" विषय पर दूरसंचार विभाग द्वारा सभी महाप्रबंधक टेलीफोन और सभी जिला प्रबंधक टेलीफोन को प्रेषित 12 जून, 1986 के पत्र संख्या 1-14/86 पी.एच.बी. की प्रतिलिपि।

प्रत्येक टेलीफोन जिले और प्रत्येक टेलीफोन/तार प्रभाग के लिए वार्षिक आधार पर टेलीफोन डाइरेक्टरियो के प्रकाशन की मूलभूत नीति 1969 में बनाई गई थी और इसमें समय-समय पर कुछ संशोधन किए गए हैं। अब, महाप्रबंधकों को प्रत्येक मौन स्विचन क्षेत्र के लिए समेकित टेलीफोन डाइरेक्टरियां प्रकाशित करने का प्राधिकार दिया गया है।

2. आमतौर पर टेलीफोन डाइरेक्टरियों को निर्धारित समय में प्रकाशित करना संभव नहीं होता है। उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा के अलावा यह कार्य समाचार पत्रों और संसद दोनों मे कड़ी आलोचना का विषय रहा है। इससे डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा-"197" पर भी भारी बोझ रहा है।

3. डाइरेक्टरियों को विलम्ब से प्रकाशित करने के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण रहे हैं:-

- पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा कागज की आपूर्ति संबंधी, दर संविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब;
- विज्ञापन आदि को अंतिम रूप देने में विलम्ब;
- विनिर्माताओं द्वारा कागज की आपूर्ति मे विलम्ब;
- घटिया कागज की आपूर्ति; और
- कम्प्यूटरीकृत कम्पोजिंग, प्रशिक्षित कार्मिक का अभाव जैसे अपर्याप्त संसाधनों के कारण मुद्रणालयों में मुद्रण संबंधी विलम्ब,

4. हाल ही में, टेलीफोन डाइरेक्टरियों की छपाई का सम्पूर्ण कार्य करने और कागज की आपूर्ति और विज्ञापन एकत्र करने के संबंध में निजी पार्टियों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ पार्टियों से बातचीत भी की गई और ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी टेलीफोन प्रणालियों मे विज्ञापन से प्राप्त राजस्व से न केवल डाइरेक्टरियों की छपाई की कुल लागत पूर्ति होगी बल्कि कुछ बचत भी होगी जिसे विभाग को उपलब्ध कराया जा सकता है।

5. दूरसंचार बोर्ड ने पहले पेश आई परेशानियों और अब प्राप्त प्रस्ताओं के प्रकाश में इस मामले पर विचार किया। अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी टेलीफोन जिलों के लिए एक नयी नीति अपनायी जाए। जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होंगी :-

(i) टेलीफोन डाइरेक्टरी वर्ष में एक बार छपाई जाएगी,

(ii) मुद्रण, जिल्दसाजी, कागज की आपूर्ति, विज्ञापन और डाइरेक्टरियों का पर्याप्त संख्या में वितरण करने के संबंध में व्यापक ठेकों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएं। निविदा सूचनाओं मे ठेके की सामान्य शर्तों और विनिर्देशनों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए और साथ ही अनुबंध में दी गई शर्तों के अनुसार विलम्ब और घटिया निष्पादन के लिए दण्ड सबंधी धाराएं भी रखी जाए;

(iii) महानगरों और प्रमुख जिलों के लिए पांच संस्करणों की और छोटे जिलों के लिए तीन संस्करणो की और छोटे जिलों के लिए तीन संस्करणों की निविदाएं आमंत्रित की जाएं;

(iv) टेलीफोन डाइरेक्टरी मे छपने वाले विज्ञापन शालीनता एव सुरूचि परक मानदण्डों के अनुरूप होने चाहिए और किसी रूप में अभद्र और अप्रिय नहीं होने चाहिए।

6. हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषा में डाइरेक्टरी छापने के लिए अपनायी जा रही परम्परा जारी रहनी चाहिए।

7. जहां डायरेक्टरी के लिए संविदा संबंधी प्रक्रिया चालू हो, उन

मामलो में बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए, अपर वर्णित प्रक्रिया अपनाने का समय महाप्रबंधक द्वारा तय किया जाएगा।

ह./-

(प्रदीप कुमार)

निदेशक फोन्स (ई)

निजी पार्टियों द्वारा मुद्रण कागज की आपूर्ति, जिल्दसाजी सहित टेलीफोन डाइरेक्टरियों का प्रकाशन

संविदा की सामान्य शर्तें

1. डाइरेक्टरी प्रति वर्ष प्रकाशित की जाएगी।

2. विभाग ठेकेदार को मैगनेटिक कम्प्यूटर टेप/हार्ड डिस्क अथवा टाइप/छपी हुई सामग्री के रूप में डाइरेक्टरी की पाण्डुलिपि प्रदान करेगा।

3. ठेकेदार एक पूर्ण कार्य के तौर पर डाइरेक्टरी के प्रकाशन का प्रबंध करेगा जिसमें अनुमोदित क्वालिटी के कागज की प्राप्ति, छपाई, जिल्दसाजी और विभाग को निर्धारित संख्या में प्रतियों की निःशुल्क आपूर्ति शामिल है।

4. संकलन, छपाई, जिल्दसाजी और तैयार डाइरेक्टरियों की आपूर्ति का सम्पूर्ण कार्य अनुबंधित समय सारिणी के भीतर पूरा किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए,

(i) विभाग प्रति वर्ष एक अनुबंधित तारीख तक एक पूर्ण पाण्डुलिपि उपलब्ध करायेगा।

(ii) विभाग, प्रकाशन की तारीख से दो महीने पहले डाइरेक्टरी में प्रविष्टियों को शामिल करने और उनमें परिवर्तन करने से संबंधित एक अद्यतन अनुपूरक सूची उपलब्ध कराएगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इन्हें डाइरेक्टरी में विधिवत शामिल किया गया है।

(iii) ठेकेदार, सकलन, छपाई, जिल्दसाजी और डाइरेक्टरी की आपूर्ति संबंधी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए विस्तृत चार्ट प्रदान करेगा ताकि कार्य की प्रगति पर उचित नजर रखी जा सके।

5. छपाई का काम विभाग द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार किया जाएगा। इसमें, सूचना परक पृष्ठ, स्लोगन्स, वर्गीकृत सूची मोटे अक्षरों की प्रवष्टियां आदि जैसे विवरणों की व्यवस्था के अलावा कागज की किस्म और गुणवत्ता, ले-आउट, टाइप का आकार आदि शामिल होंगे।

6. छपाई के लिए सफेद और रंगीन कागज 48 जी.एस. एम. का होगा। कागज का आकार समय-समय पर यथा संशोधित आई.एस. 1848-1981 के ए 4 आकार का होगा और डाइरेक्टरी का आकार नीचे लिखे अनुसार होगा :

बिना छटाई (अनट्रिम्ड) का आकार	210 मिमी. × 297 मिमी.
छंटा हुआ (ट्रिम्ड) आकार	200 मिमी. × 287 मिमी.
मुद्रित सामग्री का आकार	180 मिमी. × 267 मिमी.

"वर्गीकृत गाइड" के लिए छपाई का पीला कागज हल्के रंग का होगा। आवरण का कागज पतले कार्टन बोर्ड अथवा 130 जी.एस.एम. का बाक्स बोर्ड का होगा, जो एक तरफ से चमकीला होगा।

डाइरेक्टरी के खण्डो की संख्या महाप्रबधक के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।

अतिरिक्त पृष्ठों (फ्लाई-लीव्स) के लिए 90 जी.एस.एम. का कार्ट्रिज कागज का प्रयोग किया जाएगा। ठेकेदार सबंधित महाप्रबंधक के अनुमोदन से किसी अन्य किस्म के कागज का प्रयोग कर सकता है लेकिन वह ऊपर विनिर्दिष्ट कागज से घटिया किस्म का नहीं होना चाहिए।

7. डाइरेक्टरियों की वर्ण--क्रमानुसार प्रविष्टियों की सूची 6 पॉइण्ट टाइप में छापी जाएगी।

8. सूचनापरक पृष्ठों, वर्ण क्रमानुसार सूची, स्लोगन्स, वर्गीकृत सूचियां और मोटे अक्षरों वाली प्रविष्टियों आदि संबंधी विवरण इस कार्यालय के 14.10.76 के पत्र संख्या 1-15/72 पी एच बी (1) के अनुबंध (ख) में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार होंगे।

9. ठेकेदार को, निजी तथा अन्य पार्टियों से विज्ञापन प्राप्त करने की अनुमति होगी। इन्हें या तो पीले पृष्ठों में अथवा डाइरेक्टरी के वर्णानुक्रम भाग में छापा जा सकता है। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि डाइरेक्टरी में छपे विज्ञापन शालीनता एवं सुरूचिपरक मानदण्डों के अनुसार हैं और किसी भी तरह से अभद्र और अप्रिय नहीं हों।

10. ठेकेदार सभी विज्ञापनदाताओं को यह स्पष्ट तौर पर बताएगा कि विभाग, विज्ञापनदाता और ठेकेदार के किसी भी करार में पक्षकार नहीं है।

11. ठेकेदार, उसे दी गई पाण्डुलिपि के अनुसार छपाई की शुद्धता के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा, विभाग, जैसा भी जरूरी समझे । कार्य की प्रगति के दौरान अपने विभागीय कर्मचारियो के माध्यम से ऐसी जांच-पडताल करने के लिए स्वतंत्र होगा, ठेकेदार ऐसे कर्मचारियों को सब प्रकार की सहायता और सूचना उपलब्ध कराएगा।

12. ठेकेदार कतिपय विनिर्दिष्ट स्थानों (टेलीफोन एक्सचेंज) में विभाग को डाइरेक्टरियों की निर्धारित प्रतिया निःशुल्क सौंपेगा। निःशुल्क प्रतियों की संख्या, चालू टेलीफोनों (केन्द्रों) की संख्या, दो अंकों के प्रकाशन के बीच की अवधि के दौरान, प्रत्याशित विस्तार और विभाग के प्रयोग के लिए कुछ मानार्थ प्रतियों के आधार पर विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

13. उपभोक्ताओं को डाइरेक्टरियों के वितरण की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाएंगी।

14. उपभोक्ताओं से, उन्हें नई प्रति देते हुए पुरानी डाइरेक्टरी की प्रतियां विभाग वापिस ले लेगा। इस प्रकार वापिस ली गई पुरानी प्रतिया ठेकेदार को सौंप दी जाएंगी।

15. टेलीफोन डाइरेक्टरी की प्रतियों की निर्धारित संख्या की निःशुल्क आपूर्ति के अलावा ठेकेदार विभाग को, विज्ञापनों से उसके द्वारा अर्जित राजस्व का एक अनुबंधित प्रतिशत का भुगतान करेगा जिसकी एक अनुबधित न्यूनतम राशि होगी। राजस्व के प्रतिशत और प्रमाणीकरण की पद्धति निविदा बोलियों के आधार पर परस्पर तय की जाएगी।

16. यदि, ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर डाइरेक्टरियों की अपेक्षित संख्या में आपूर्ति नहीं कर पाता है तो उसे विभाग को प्रति सप्ताह के विलम्ब के लिए, उसके द्वारा विज्ञापनों से अर्जित राजस्व का ५० प्रतिशत दण्ड स्वरूप देना होगा।

पाकिस्तान, आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश

789. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश घोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नए अभियान की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने यह स्पष्ट करने के लिए सभी राष्ट्रों को शिष्टमंडल भेजे हैं, कि पाकिस्तान भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोगों को भेजकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है; और

(ग) यदि हां, तो भारत, अमरीका और जर्मनी सहित सभी प्रमुख राष्ट्रों को पाकिस्तान की गतिविधियों के बारे में विश्वास दिलाने में कहां तक सफल रहा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) तथा (ख). जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी देश विशेष को "आतंकवाद का प्रायोजक राज्य" घोषित किया जाय। तथापि, भारत सरकार ने सभी प्रमुख देशो को प्रतिनिधिमण्डल भेजे हैं ताकि इन देशों को इस बात से अवगत कराया जा सके कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को दुष्प्रेरित कर रहा है।

(ग) अमरीका तथा जर्मनी सहित प्रमुख देशों में भारत सरकार के प्रयासों से भारत की इस चिन्ता के प्रति जागरूकता और सहानुभूति का माहौल कायम करने में मदद मिली है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।

[हिन्दी]

रेडक्रास द्वारा रक्त की आपूर्ति से मना किया जाना

790. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अक्तूबर, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रेडक्रास डिनाईज ब्लड टू ब्रिटन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है : और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाए किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ख). भारतीय रेडक्रास सोसायटी, नई दिल्ली, द्वारा रक्त बिम्वाणु न देने के बारे में "द टाइम्स" के दक्षिण एशिया सम्वाददाता श्री क्रिस्ट्रोफर थॉमस से 31 अक्तूबर, 1994 को मिली एक शिकायत पर सोसायटी के महासचिव ने शिकायत की छानबीन करने के लिए भूतपूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डा. पी.पी. गोयल की अध्यक्षता में एक–सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया है। आयोग द्वारा 5 दिसम्बर, 1994 को महासचिव को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

छोटी माता

791. **श्री के.जी. शिवप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटी माता पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस बीमारी का देश से उन्मूलन करने हेतु कोई विशेष योजनाएं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ग). छोटी माता घातक रोग नहीं है और "सेल्फ लिमिटिंग वायरल एक्सैन्थीमेट्स रोग का एक हल्का रूप है। कोई विशिष्ट निवारक उपाय उपलब्ध नहीं है और देश से इस रोग का उन्मूलन करने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

[हिन्दी]

संक्रमण के कारण शिशुओं की मौतें

792. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री राजेश कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न अस्पतालों में संक्रमण के कारण शिशुओं की मौत हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में शिशुओं को संक्रमण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). अस्पताल में भरती शिशुओं के मृत्यु होने के आम कारण अतिसार रोग, तीव्र श्वसनी संक्रमण, मेनिन्जाइटिस, इन्सेफलाइटिस, सेप्टिसीमिया और टेटनस जैसे संक्रमण हैं।

(ग) डिप्थीरिया, कुकुरखासी, क्षय रोग, पोलियोमाइलिटिस, द्वारा और टेटनस के नियंत्रण के लिए टीकाकरण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अतिसार रोगों के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ओ आर एस) पैकेट व्यापक रूप से उपलब्ध कराए गए हैं। छोटी–छोटी बीमारियों के उपचार के लिए परा चिकित्सा कार्मिको को प्रशिक्षित किया जाता है। अनिवार्य औषधें और वैक्सीन अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रो में उपलब्ध हैं। सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों में तेजी लाई गई है।

बिहार में पुल का निर्माण

793. **श्री ब्रह्मानंद मंडल :**
श्री मंजय लाल :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 नवम्बर, 1994 के पटना से प्रकाशित "हिन्दुस्तान" में "पुल आंदोलन के समर्थन में पूरे शहर में धरना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). संभवतः दिनांक 8 नवम्बर, 1994 को पटना से प्रकाशित "हिन्दुस्तान" में दिया गया समाचार बिहार में मुंगेर में गंगा नदी पर सड़क–व–रेल पुल के निर्माण के बारे मे जनता की मांग के बारे में है। तथापि, प्रस्तावित पुल, निर्माण के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड पर नहीं पडेगा बल्कि यह राज्य सड़क नेटवर्क का एक भाग होगा। अतः इसके लिए राज्य सरकार तथा रेल विभाग जिम्मेदार है। यह मंत्रालय तो मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सडकों तथा उन पर बने पुलों के लिए जिम्मेदार है।

[अनुवाद]

जनसंख्या वृद्धि

794. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या देश में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए 11 जुलाई, 1994 को विश्व जनसंख्या दिवस पर कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ख). विश्व जनसंख्या दिवस छोटे परिवार के मानदण्ड के बारे में जागरूकता बढाने के लिए बनाया जाता है। इस दृष्टि से विश्व जनसंख्या दिवस पर निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए गए थे :

(एक) परिवार कल्याण विभाग द्वारा विशेष तौर पर तैयार किए गए 0.75 रूपये और 1.00 रूपये मूल्य के डाक टिकट भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए। इन डाक टिकटों के माध्यम से छोटे परिवार के मानदण्ड तथा पुरूष के दायित्व पर प्रकाश डाला गया है।

(दो) मनोरंजन आधारित 90 मिनट की "मेरी प्यारी निम्मो" नामक एक फीचर फिल्म औपचारिक रूप से केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा जारी की गई। यह फिल्म छोटे परिवारों तथा बच्चों के जन्म में अन्तराल रखने की भावना को बढ़ावा देती है।

(तीन) देश भर के प्रमुख समाचार–पत्रों में अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में एक विश्व जनसंख्या दिवस परिशिष्ट निकाला गया।

(चार) परिवार कल्याण विभाग ने कवि सम्मेलन आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की साहित्य कला परिषद को धन उपलब्ध कराया जिसमें जाने–माने कवियों ने जनसंख्या के महत्व पर अपना योगदान दिया।

(पांच) वाणिज्य और उद्योग मंडलों, स्वैच्छिक संगठनों, स्कूलों, कालेजों और अन्य संस्थानों ने इस दिन को मनाया ताकि जनसंख्या संबंधी मुद्दों के बारे में ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

(छः) राज्य सरकारों के जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रश्न मंचों, निबन्ध और चित्रकला प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों इत्यादि के आयोजन करने जैसे बहुविध कार्यकलाप चलाए।

[हिन्दी]

भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनाए जाने हेतु चीन का समर्थन

795. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता संख्या को बढ़ाए जाने की स्थिति में भारत ने इसका स्थाई सदस्य बनाए जाने से अपने दावे के समर्थन में चीन से समर्थन मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीनी सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग). "सुरक्षा परिषद में उचित प्रतिनिधित्व तथा उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि करने के प्रश्न" पर गठित संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यदल इस समय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए किसी देश विशेष की उम्मीदवारी पर विचार नहीं कर रहा है। इसलिए भारत के लिए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु चीन का समर्थन मांगने का प्रश्न अभी नहीं उठता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

796. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक कितने एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया गया है;

(ग) राज्य में ऐसे कितने एक्सचेंज हैं जिनका आधुनिकीकरण अभी किया जाना है;

(घ) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण में विलम्ब किया जा रहा है; और

(ङ) राज्य के सभी एक्सचेंजों का कब तक आधुनिकीकरण कर दिया जायेगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं। आधुनिकीकरण कार्यक्रम जारी है।

(ख) (i) महाराष्ट्र में – 1838, और

(ii) आंध्र प्रदेश में – 1184 एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया गया है।

(ग) (i) महाराष्ट्र में अभी –2146, और

(ii) आंध्र प्रदेश में –848 एक्सचेंजों का अभी आधुनिकीकरण किया जाना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) आठवीं योजना के उद्देश्यों के अनुसार/लाइन फाइंडर किस्म के कम तथा मध्यम क्षमता के सभी एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण मार्च, 1997 तक कर दिया जाएगा, बशर्ते निधि उपलब्ध हो। अन्य एक्सचेंजों को, उनके उपयोग की मियाद समाप्त होते ही आधुनिक बना दिया जाएगा।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड

797. **श्री श्याम बिहारी मिश्र :**
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एच.आइ.एल.) ने अपने डी.डी.टी. संयंत्रों में काम बन्द कर दिया है और 2,600 श्रमिकों में से 1500 की छंटनी करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार चमत्कारिक परिणामों का दावा करके महंगे सिन्थेटिक पाइरिथोइड्स का उपयोग करने पर विचार कर रही है, जिसका मूल्य डी.डी.टी. से पांच गुणा अधिक है और जिसमें कम समय में वेक्टर प्रतिरोधकता का जोखिम भी बना रहता है;

(घ) क्या राजस्थान और देश के अन्य भागों में डी.डी.टी. की पूर्ति न किये जाने के कारण मलेरिया रोग फैल गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वेक्टर नियंत्रण उपायों की प्रभावोत्पादकता का आवधिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है तथा विशेषज्ञों की विशिष्ट सलाह पर नवीनतर कीटनाशियों का चलन आरम्भ किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नही उठता।

[हिन्दी]

होम्योपैथिक औषधि विक्रेताओं से ज्ञापन

798. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को होम्योपैथिक औषधि विक्रेताओं, उपभोक्ताओं और चिकित्सकों से कोई ज्ञापन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). विभिन्न संघों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें सरकार से 22 फरवरी, 1994 की राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 108(ङ) को वापस लेने का अनुरोध किया गया है जिसके तहत सरकार ने औषध प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के मौजूदा नियम 106(क) में संशोधन किया है और नियम 106(ख) जोड़ा है। उपर्युक्त संशोधन द्वारा सरकार ने 12 प्रतिशत वी/वी से अधिक इथाइल एल्कोहल युक्त विभिन्न होम्योपैथिक दवाइयों की पैकिंग के आकार में एकरूपता रखने की बात कही है।

(ग) चूंकि कुछ समादेश–याचिकाएं अभी भी विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित पड़ी हैं, इसलिए यह मामला न्यायालय मे विचाराधीन है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के लिए धन का आवंटन

799. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर उपयोग हेतु गत तीन वर्षों के दौरान पुलों पर कितना पथ कर वसूल किया गया;

(ख) क्या उपरोक्त उद्देश्य हेतु राज्य सरकार को यह राशि आवंटित कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यह राशि कब तक आवंटित और जारी कर दी जाएगी;

(ङ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के अहमदाबाद मुम्बई खण्ड हेतु विशेष धनराशि आवंटित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह राशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों में गुजरात में पुलों पर एकत्र किए गए पथ कर की राशि इस प्रकार है :--

वर्ष	एकत्र की गई राशि (लाख रू.)
1991–92	287.56
1992–93	356.48
1993–94	496.27

(ख) से (घ). पुल शुल्क निधि में से गुजरात सहित किसी भी राज्य को पात्र राशि आबंटित करना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि पुल शुल्क के जरिए प्राप्त समस्त राजस्व उपलब्ध नहीं करवाया जाता। एक निश्चित समय निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

(ङ) और (च). विकास कार्यों के लिए निधियां राज्य–वार आबंटित की जाती हैं न कि कार्य–वार।

इस्पात संयंत्रों में घाटा

800. श्री गोपीनाथ गजपति :
श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात संयंत्र भारी घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन संयंत्रों को हुए घाटे का संयंत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एककों की रूग्णता के क्या कारण हैं; और

(घ) इन संयत्रों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 1993–94 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) को 545.37 करोड़ रूपये का रिकार्ड लाभ हुआ। तथापि, "सेल" की दो इकाइयों नामतः दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और मिश्र इस्पात संयंत्र को हानि हुई। "सेल" की सहायक कम्पनी इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि. और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र) को भी हानि हुई।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान उपर्युक्त इस्पात संयंत्रों को हुई वर्ष–वार हानि को नीचे दर्शाया गया है :–

(करोड़ रूपए).

	वर्ष 1993–94	1992–93	1991–92
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	(–) 212.57	(–) 132.92	(–) 90.32
मिश्र इस्पात संयंत्र	(–) 14.23	(+) 4.78	(+) 4.32
विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र	(–) 572.66	(–) 568.29	(–) 986.93
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं.	(–) 76.19	(–) 58.96	(–) 22.29

(ग) उपर्युक्त इस्पात संयंत्रों को हुई हानि के कारणों को नीचे दर्शाया गया है :–

1. **दुर्गापुर इस्पात संयंत्र**
   – पुराना और अप्रचलित संयंत्र तथा उपस्कर
   – ऊर्जा सघनता और पुरानी प्रौद्योगिकी

2. **मिश्र इस्पात संयंत्र**
   – मांग में मन्दी के कारण कम उत्पादन
   – देश में और देश के बाहर अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्यों की कम वसूली

3. **इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी**
   – अप्रचलित प्रौद्योगिकी
   – पुराना संयंत्र और उपस्कर
   – पुरानी प्रचालन पद्धतियां
   – अधिशेष जनशक्ति
   – अपेक्षित मात्रा में पूंजी लगाने का अभाव

4. **विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र**
   – ब्याज और मूल्य ह्रास के लिए तुलनात्मक रूप से भारी पूंजी प्रभार
   – प्रारम्भिक काल की समस्याएं
   – आदानों की लागत में वृद्धि
   – बाजार में मन्दी का रूख
   – कतिपय अप्रत्याशित सम्भारिकी समस्याएं दक्षता–अन्तर, इस्पात गलनशाला का प्रचालन कार्य शुरू करने के पारिणामस्वरूप इस्पात गलनशाला में अतिरिक्त सुविधाओं के लिए अपर्यात्मक स्वचालन और आवश्यकता।

(घ) उपर्युक्त इस्पात संयंत्रों के निष्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

1. **दुर्गापुर इस्पात संयंत्र**
   – मौजूदा सुविधाओं का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन।

- उत्पादन में वृद्धि।
- बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद–मिश्र में सुधार।
- तकनीकी–आर्थिक प्राचलों में सुधार।
- ऊर्जा खपत में कमी।
- उत्पोत्पादों के उत्पादन में सुधार और अपशिष्ट तथा गौण उत्क्षेपों की अच्छी प्राप्ति।
- अच्छी क्वालिटी के इस्पात के उत्पादन में वृद्धि।
- निजी विद्युत का इष्टतम उत्पादन।
- बजटीय नियंत्रण प्रणाली का प्रभावशाली रूप से कार्यान्वयन।

2. **मिश्र इस्पात संयंत्र**

- उत्पाद–मिश्र में सुधार करना और बाजारोन्मुखी मूल्य वर्धित मदें बनाना।
- उत्पादकता में सुधार करना।
- ऊर्जा संरक्षण उपाय लागू करना।
- लागत–नियंत्रण तथा लागत कम करने के उपायों पर बल देना।

3. **इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को)**

- रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की शर्तों के अनुसार "इस्को" एक रूग्ण औद्योगिक कम्पनी बन गई तथा कम्पनी के निदेशक मंडल ने अधिनियम की धारा 15 के तहत अपेक्षितानुसार कंपनी के संबंध में अपनाए जाने वाले उपायों को निर्धारित करने के लिए इसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेज दिया है। अतः "इस्को" के आधुनिकीकरण के लिए शुरु की जाने वाली कोई भी योजना इस संबंध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के आदेशों के अनुरूप होगी।

4. **विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र**

- उच्च पूंजीगत प्रभारों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार ने कम्पनी की पूंजीगत पुनर्संरचना कार्य को अनुमोदित कर दिया है।
- वर्ष 1996–97 तक शत प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक और मध्यम कालिक उपाय किए जा रहे हैं।
- निवल वसूली में सुधार करने के लिए उत्पादन लागत को कम करने पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है।
- उच्च मूल्य वर्धित मदों का और अधिक उत्पादन करने के लिए उत्पादन मिश्र का इष्टतमीकरण
- संयंत्र के प्रचालन में वी.एस.पी. के कार्मिकों को विदेशों में और वी.एस.पी. में प्रशिक्षण देने के लिए तथा स्थिरीकरण काल अवधि को कम करने और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में तकनीकी सहायता देने के लिए विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त करना।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में उपयोग में न लाई गई सहायता राशि

801. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री जगमीत सिंह बराड़ :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अक्तूबर, 1994 के "बिजनैस स्टेन्डर्ड" में "ह्यूज अनयूटिलाइज्ड एंड इन पावर सैक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सहायता राशि के पूर्ण उपयोग हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). जी, हां। तथापि, अक्टूबर, 1994 के अंत तक विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता को अप्रयुक्त राशि 20,365.10 करोड़ रूपये थी।

(ग) केन्द्रीय सरकार विदेशी सहायता के उपयोग को बढाने की दृष्टि से परियोजना क्रियान्वयन में आने वाली विभिन्न अड़चनों को दूर करने के विचार से विदेशी सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाओं की प्रगति को गहराई से मॉनीटरिंग कर रही है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं की लागत

802. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पूंजी निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं की लागत अत्यधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसकी तुलना में देश में विश्व बैंक और एशियाई बैंक द्वारा वित्त पोषित विद्युत परियोजनाओं की लागत कितनी है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) सी सी एफ आई, विद्युत परियोजनाओं की लागत का अनुमोदन नहीं करता है। विद्युत परियोजनाओं के लागत अनुमानों (100 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाले) की जांच और अनुमोदन का कार्य, परियोजनाओं को तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करते समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

बिहार और मध्य प्रदेश में बाई-पासों का निर्माण

८03. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री खेलन राम जांगडे :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और मध्य प्रदेश में प्रस्तावित और निर्माणाधीन बाइपासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है; और

(ग) इन बाइपासों के कब तक पूरा हो जाने और चालू हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) आठवीं योजना अवधि के दौरान किसी बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है और न ही बिहार में किसी बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। तथापि, आठवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में चार बाईपासों के निर्माण का प्रस्ताव है। इनमें से जबलपुर बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा है।

(ख) सभी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों तथा बाईपासों के लिए निधियों का आबंटन राज्यवार किया जाता है।

(ग) जबलपुर बाईपास का निर्माण कार्य मार्च, 1997 तक पूरा हो जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश में शेष प्रस्तावित बाईपासों का निर्माण अभी शुरू होना है, अतः अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि ये कब तक पूरे कर लिए जाएंगे।

[अनुवाद]

दूरसंचार विकास के लिए धन

804. श्री पी.सी. थामस : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992–93, 1993–94 और 1994–95 में दूरसंचार विकास के लिए आबंटित धन का सर्कल–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जनसंख्या के अनुपात में टेलीफोनों की मांग का सर्कलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक सर्कल की मांग को पूरा करने के लिए इनकी धनराशि का आबंटन बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) तथा (घ). उपलब्ध संसाधनों, बजट में स्वीकृत निधि और प्रत्येक सर्किल में कार्यक्रम शुरू करने के आधार पर, बजट संबंधी समीक्षा की विभिन्न अवस्थाओं में निधियों, के आबंटन में वृद्धि की जाती है।

विवरण–I

क्र.सं. सर्किल का नाम	आबंटित निधियां		
	1992–93	1993–94	1994–95
1. आन्ध्र दूरसंचार	267.73	298.00	455.00
2. असम दूरसंचार	34.78	45.00	70.00
3. बिहार दूरसंचार	110.00	149.81	190.00
4. गुजरात दूरसंचार	303.69	345.19	435.00
5. हरियाणा दूरसंचार	125.22	110.00	105.00
6. हिमालच प्रदेश दूरसंचार	29.80	50.00	86.00
7. जम्मू तथा कश्मीर दूरसंचार	18.18	25.28	25.00
8. कर्नाटक दूरसंचार	212.00	240.00	371.00
9. केरल दूरसंचार	296.00	271.11	280.00
10. मध्य प्रदेश दूरसंचार	267.10	264.94	340.00
11. महाराष्ट्र दूरसंचार	305.00	442.00	475.00
12. उत्तर–पूर्व दूरसंचार	40.11	39.99	38.00
13. उड़ीसा दूरसंचार	70.00	103.05	94.00
14. पंजाब दूरसंचार	149.99	203.39	330.00
15. राजस्थान दूरसंचार	162.00	213.22	310.00
16. तमिलनाडु दूरसंचार	196.46	309.05	320.00
17. उत्तर प्रदेश दूरसंचार	280.08	447.57	481.00
18. पश्चिम बंगाल दूरसंचार	48.01	66.81	110.00
19. कलकत्ता फोन्स	87.99	115.15	125.00
20. मद्रास फोन्स	137.80	112.50	147.00
21. जी.एम.पी. बंबई	90.94	180.00	172.59
22. जी.एम.पी. कलकत्ता	87.02	141.78	155.30
23. जी.एम.पी. नई दिल्ली	117.00	205.00	205.00
24. जी.एम.पी. मद्रास	123.00	167.14	167.95
25. अन्य अनुषंगी यूनिटें	75.01	104.38	127.16
कुल	3634.91	4650.36	5615.00

विवरण—II

1.4.1994 की स्थिति के अनुसार, प्रति 1000 की जनसंख्या पर टेलीफोनों की सर्किल-वार मांग।

सर्किल का नाम	1.4.94 की स्थिति के अनुसार प्रति 1000 की जनसंख्या पर टेलीफोनों की मांग
आन्ध्र प्रदेश	10
असम	4
बिहार	3
गुजरात	21
हरियाणा	16
हिमाचल प्रदेश	15
जम्मू तथा कश्मीर	8
कर्नाटक	15
केरल	26
मध्य प्रदेश	8
महाराष्ट्र	12
उत्तर—पूर्व	6
उड़ीसा	4
पंजाब	25
राजस्थान	11
तमिलनाडु	12
उत्तर प्रदेश	5
पश्चिम बंगाल	2
कलकत्ता टेलीफोन जिला	35
मद्रास टेलीफोन जिला	87

गैसयुक्त जल के प्रयोग के दुष्परिणाम

805. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैस युक्त जल के उन विभिन्न ब्रांडों (विदेशी और घरेलू) का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान अध्ययन किया गया है जिससे बच्चों में घबराहट, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी के साथ दांत भी विलम्ब से निकलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनके क्या परिणाम निकले और यदि कोई दुष्परिणाम सामने आये है तो उन्हें समाप्त करने और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सड़कों की मरम्मत हेतु विश्व बैंक सहायता

806. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलो के टूटे—फूटे राजमार्गों और सड़कों की मरम्मत हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक इन सड़कों की मरम्मत हेतु मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह सहायता राशि कब तक उपलब्ध हो जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). भारत सरकार मुख्यतः देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख—रखाव के लिए जिम्मेदार है और राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें अनिवार्यतः उत्तरदायी हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के रख—रखाव और मरम्मत के लिए निधियां मानदंडों के अनुसार आवश्यकता तथा उपलब्ध समग्र निधियों को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष मध्य प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों को प्रदान की जाती हैं। चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ अब तक 13.48 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है।

(ग) और (घ). राज्य के विभिन्न जिलों के क्षतिग्रस्त राजमार्गों तथा सड़कों की मरम्मत के लिए विश्व बैंक की सहायता लेने हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय तंत्रिका-विज्ञान अकादमी

807. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय तान्त्रिका—विज्ञान अकादमी से 1995 से आरम्भ होने वाले दशक को "मस्तिष्क दशक" घोषित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनधिकृत टेलीफोन

808. **श्री जगमीत सिंह बराड़** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटियाला, दिल्ली और मुम्बई में अनधिकृत टेलीफोनों के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अनधिकृत टेलीफोनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) ये शिकायतें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैरकानूनी रूप से एसटीडी/आईएसडी काल करने के लिए टेलीफोन लाइनों के विपथन और टेलीफोनों के अनधिकृत रूप से इस्तेमाल करने से संबंधित हैं।

(ग) टेलीफोनों के अमधिकृत रूप से इस्तेमाल करने को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है :

(एक) एसटीडी/आईएसडी उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों से सेवा प्रदान करना।

(दो) अतिरिक्त नंबरों पर मीटर रीडिंग मॉनीटर करना।

(तीन) कैबिनेटों/खम्भों/डी पी बक्सों को ताला लगाना।

(चार) सतर्कता द्वारा आकस्मिक जांच बढ़ाना।

[हिन्दी]

सफदरजंग अस्पताल में ह्रदयरोगियों के लिए सुविधाएं

809. डा. साक्षीजी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ह्रदयरोगियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अस्पताल में ऐसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये सभी सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (घ). सफदरजंग अस्पताल में टी.एम.टी., ईको कार्डियोग्राफी तथा कार्डियो–थोसिस सर्जरी जैसी सीमित सुविधाएं उपलब्ध है।

चिकित्सा अनुसंधान के लिए आबंटन

810. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान स्वास्थ्य पर खर्च किए गए कुल राशि का कितना प्रतिशत चिकित्सा अनुसंधान पर खर्च किया गया;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वास्थ्य पर खर्च की जाने वाली कुल राशि का कितना प्रतिशत चिकत्सा अनुसंधान पर खर्च किया जाएगा;

(ग) 1980 से और गत तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में प्राप्त विभिन्न उपलब्धियां क्या हैं; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान चिकित्सा अनुसंधान के संबंध में प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). स्वास्थ्य क्षेत्र तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए छठी तथा सातवीं योजनाओं के दौरान केन्द्रीय प्लान व्यय तथा आठवीं योजना के दौरान परिव्यय नीचे दिया गया है :–

(करोड रूपये में)

	स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल	भा.आयु.अ. परि.	स्वास्थ्य क्षेत्र के कुल परि–व्यय में से भा. आयु.अ.परि. के परिव्यय का प्रतिशत
	रू.	रू.	
छठी योजना व्यय	603.88	47.98	7%
सातवीं योजना व्यय	971.63	141.48	14.5%
आठवीं योजना परिव्यय	1800.00	125.0	6.9%

स्वास्थ्य क्षेत्र की अन्य संस्थाओं जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी आदि द्वारा भी अनुसंधान क्रियाकलाप किए जाते है लेकिन उनके कुल बजट आबंटनों में से अनुसंधान परिव्यय को अलग नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ). आठवीं योजना की मुख्य उपलब्धियां तथा योजनाओं में अन्य बातों के साथ–साथ संचारी तथा गैर–संचारी रोगों के नियंत्रण की नई तथा सुरक्षित विधियों का पता लगाना, परिवार नियोजन के तरीकों तथा गर्भ निरोधकों पर अनुसंधान, जच्चा–बच्चा स्वास्थ्य में सुधार, तथा जहां कहीं प्रभावकारी पाई जाएं परम्परागत चिकित्सा पद्धतियां अपनाना शामिल है।

कुछेक मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई है :–

– क्षय रोगियों के लिए अल्पावधि उपचार का विकास

– उच्च जोखिम वाले समूहों में संक्रमण के पूर्वानुमान के लिए एच आई वी संक्रमण हेतु राष्ट्रीय सीरम – निगरानी कार्यक्रम की स्थापना।

– मलेरिया नियंत्रण के नए जैव पर्यावरणिक उपाय

– पुरूषों और महिलाओं में अधिकतर पाए जाने वाले कैंसरों के निर्धारण के लिए कैंसर का पंजीकरण, जैसे पुरूषों में तम्बाकू के प्रयोग से होने वाली मुख गुहा और महिलाओं में होने वाला गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जो कि देश मे सूचित सभी कैंसरों में तीसरे स्थान पर है।

– भोपाल गैस रिसाव की जांच और इसका लोगों पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव।

– गैर शल्य चिकित्सीय विधियों से नालव्रण सहित पारम्परिक औषधियों में अनुसंधान।

– वैज्ञानिक अध्ययनों और मूल आयुर्वेदिक विधियों के आधार पर भारत में औषधीय पादपों पर विश्व कोश का प्रकाशन।

– गर्भनिरोधक युक्तियों पर नैदानिक और प्रचालन अनुसंधान जैसे कापर–टी, मुख सेव्य गर्भनिरोधक, इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली औषधियां और इम्पलान्ट, पुरूष गर्भनिरोधकों पर अनुसंधान।

विदेशो से भारतीयों की वापसी

811. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1992 से आज तक कितने भारतीयों को विदेशों से निष्कासित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विदेशो से कितने व्यथित भारतीयों को स्वदेश वापस भेजा गया; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने ऐसे भारतीय नागरिकों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आदिवासी क्षेत्रों के लिए चल स्वास्थ्य केन्द्र

812. **श्री के. प्रधानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में आदिवासी क्षेत्रों के लिए चल स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उडीसा में इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार के चल स्वास्थ्य केन्द्रों को धनराशि प्रदान किए जाने की वर्तमान पद्धति क्या है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी जेलों में बंद भारतीय

813. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1994 तक विभिन्न देशों में कैद भारतीयों की देश–वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उनकी शीघ्र रिहाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या यह आरोप सच है कि भारतीय मिशन इस मामले में निष्ठापूर्वक प्रयास नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इस संबंध में क्या कदम उठायेगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ). भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी के बारे में सूचना प्राप्त होने पर हमारे मिशन कोंसली सेवाएं देने के लिए तत्काल कार्रवाई करते है और कोंसली अधिकारी बन्दियों के पास इस बात का सुनिश्चय करने के लिए जाते हैं कि उनकी गिरफ्तारी किन आधारो पर और किन परिस्थितियों में हुई। भारतीय मिशन ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करवाने और अन्ततः बन्दियों की शीघ्र रिहाई करवाने के लिए इन मामलों को स्थानीय प्राधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से उठाते हैं। जेल के प्राधिकारियों के साथ नियमित बैठकों के अतिरिक्त इन मामलों को आवश्यकतानुसार संबद्ध विदेशी कार्यालयों के साथ भी उठाया जाता है। तथापि, बहुत सी सरकारें न्यायालय द्वारा दी गई कैद की सजा की अवधि की समीक्षा के अनुरोधों पर विचार नहीं करतीं। सामान्यतः बन्दियों को उनकी सजा की अवधि पूरी होने के बाद ही रिहा किया जाता है। भारतीय मिशन इस बात का सुनिश्चय करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं कि बन्दियों को, जब कभी आवश्यक हो, कारगर कानूनी सहायता उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 को चौड़ा किया जाना

814. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 के अलवाये शेरतलाई खंड को चौडा करने और इसे 4 लेनों में बदलने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) केरल में रा. रा. 47 के अलवई–शेरतलै खंड को चौडा करके 4 लेन बनाने का कार्य मार्च, 1994 में सौंपा गया था और यह अब शुरू किया जा चुका है।

(ख) वर्ष 1994–95 के दौरान इस परियोजना के लिए 12.00 करोड़ रू. की राशि निधारित की गई है।

(ग) सितम्बर, 1997.

नए टेलीफोन कनेक्शन

815. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1994 तक विभिन्न राज्यों में नए टेलीफोन कनेक्शनों की मांग एवं अधिष्ठापित क्षमता में कितना अंतर था;

(ख) तत्संबंधी राज्य–वार, विशेषरूप से महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष तथा आने वाले दो वर्षों में इस अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों में लंबित कुल मांग (प्रतीक्षा–सूची) 26,81,696 है।

(ख) महाराष्ट्र में एम.टी.एन.एल., बंबई सहित, अपूर्त कुल मांग 3,45,168 है। राज्यवार प्रतीक्षा सूची सलंग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दूरसंचार विभाग की वार्षिक योजना, 1994–95 में, देश में 14 लाख नए टेलीफोन कनैक्शन देने की परिकल्पना की गई है। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति; 1994 में, महाराष्ट्र सहित समूचे देश में 1.4.97 से मांगते ही टेलीफोन देने की परिकल्पना है।

विवरण

अनुबंध

31.10.94 की स्थिति के अनुसार राज्यवार प्रतीक्षा-सूची।

क्र.सं.	राज्य	प्रतीक्षा–सूची
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	148433
2.	असम	15177
3.	बिहार	38298
4.	गुजरात	228197
5.	हरियाणा	68328
6.	हिमाचल प्रदेश	19293
7.	जम्मू व कश्मीर	21458
8.	कर्नाटक	149593
9.	केरल	336151
10.	मध्य प्रदेश	62985
11.	महाराष्ट्र	345168
12.	गोवा	18348
13.	मिजोरम	1207
14.	अरूणाचल प्रदेश	64
15.	मणिपुर	1449
16.	त्रिपुरा	2301
17.	नागालैंड	316
18.	मेघालय	775
19.	उड़ीसा	7893
20.	पंजाब	215468
21.	राजस्थान	183863
22.	तमिलनाडु	335492
23.	उत्तर प्रदेश	134196
24.	पश्चिम बंगाल	84602
25.	सिक्किम	415
26.	दिल्ली	242226
	जोड़	2681696

[हिन्दी]

दिल्ली में गैर–ओ.वाई.टी. के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन

816. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–1994 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गैर–ओ.वाई.टी. विशेष श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन के लिए कुल कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं; और

(ग) बचे हुए व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक प्रदान कर दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1993 तथा 1994 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लि. दिल्ली के क्षेत्राधिकार में गैर–ओ वाई टी विशेष श्रेणी के टेलीफोन कनेक्शनों हेतु पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 2389 तथा 2237 है।

(ख) वर्ष 1993 तथा 1994 के दौरान गैर ओ वाई टी विशेष श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत कुल 4626 आवेदकों में से, 4193 आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं।

(ग) शेष व्यक्तियों को मार्च, 95 तक टेलीफोन दे दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

हुगली पर पुल का निर्माण

817. श्री चित्त बसु : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक की सहायता से हुगली पर दूसरे पुल का निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय यह प्रस्ताव किस अवस्था में है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उड़ीसा में ब्लड बैंक

818. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उडीसा में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में कहां–कहां और कितने ब्लड बैंक कार्यरत हैं;

(ख) ऐसे कितने ब्लड बैंकों में एड्स का पता लगाने वाला उपकरण उपलब्ध है; और

(ग) सभी ब्लड बैंकों द्वारा एड्स का पता लगाने वाला उपकरण के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) उड़ीसा में 53 रक्त बैंक है जो विवरण–I में दर्शाए गए हैं। इनमें से 17 रक्त बैंक, जो आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, संलग्न विवरण–II में दर्शाए गए हैं।

(ख) और (ग). सभी रक्त बैंकों को चिकित्सा कालेज बर्ला, कटक और ब्रहरामपुर में स्थित आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्रों में संपर्क व्यवस्था प्रदान की गई है। आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्रों को सभी अपेक्षित परीक्षण सुविधाओं से पूरी तरह से सज्जित किया जाता है।

विवरण-I
उड़ीसा में रक्त बैंकों की सूची

क्र.सं.	रक्त बैंक का नाम (सरकारी और रेडक्रास)	स्थान
1	2	3
1.	जिला मुख्यालय अस्पताल	बालासौर
2.	जिला मुख्यालय अस्पताल	भद्रक
3.	जिला मुख्यालय अस्पताल	बोलांगीर
4.	केन्द्रीय रेडक्रास रक्त बैंक	कटक
5.	जिला मुख्यालय अस्पताल	जाजपुर
6.	जिला मुख्यालय अस्पताल	केन्द्रपाडा
7.	जिला मुख्यालय अस्पताल	ढेनकनाल
8.	जिला मुख्यालय अस्पताल	अंगूल
9.	जयपुर रोड अस्पताल	जाजपुर
10.	उप मंडलीय अस्पताल, तलचर	अंगूल
11.	उप मंडलीय अस्पताल, कामाक्षय नगर	ढेकनाल
12.	एमकेसीजी चिकित्सा अस्पताल	बरहमपुर
13.	उप मंडलीय अस्पताल, भंजनगर	गंजम
14.	उप मंडलीय अस्पताल, छत्तरपुर	गजम
15.	जिला मुख्यालय अस्पताल	गजापति
16.	जिला मुख्यालय अस्पताल	क्योंझर
17.	उप मंडलीय अस्पताल, आनन्दपुर	क्योंझर
18.	जिला मुख्यालय अस्पताल	कोरापुर
19.	जिला मुख्यालय अस्पताल	रायगढ
20	उप मंडलीय अस्पताल, जेपुर	कोरापुट
21.	जिला मुख्यालय अस्पताल, भवानीपटना	कालाहांडी
22.	जिला मुख्यालय अस्पताल, बारिपद	मयूरभंज
23.	उप मंडलीय अस्पताल, रायरंगापुर	मयूरभंज
24.	उप मंडलीय अस्पताल, उदाला	मयूरभंज
25.	उप मंडलीय अस्पताल, कारंजिया	मयूरभंज
26.	जिला मुख्यालय अस्पताल	पुरी
27.	म्युनिसिपल अस्पताल	भुवनेश्वर
28.	केपिटल अस्पताल	भुवनेश्वर
29.	जिला मुख्यालय अस्पताल	नयागढ
30	जिला मुख्यालय अस्पताल	खुर्दा
31.	जिला मुख्यालय अस्पताल	फुलबनी
32.	उप मंडलीय अस्पताल, बौद्ध	फुलबनी
33.	जिला मुख्यालय अस्पताल	सुन्दरगढ
34.	राजकीय अस्पताल, राउरकेला	सुन्दरगढ
35.	वी एस एस चिकित्सा अस्पताल, वर्ला	सम्बलपुर
36.	जिला मुख्यालय अस्पताल	बाडगढ
37.	उप मंडलीय अस्पताल	कुचिन्दा
38.	उप मंडलीय अस्पताल	झारसुगुदा
39.	जिला मुख्यालय अस्पताल	सम्बलपुर
40.	उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्ता	बालासौर
41.	उप मंडलीय अस्पताल, अथागढ	कटक
42.	नीलगिरी अस्पताल,	बालासोर
43.	जिला मुख्यालय अस्पताल	नवापाडा
44.	हीराकट अस्पताल	पारादीप
सार्वजनिक क्षेत्र के रक्त बैंक		
1.	रक्ताधान सेवा, आई.जी.एच.	राउरकेला
2.	पारादीप अस्पताल	पारादीप
3.	एचएआई–अस्पताल, सोनापेडा	कोरापुट
4.	रक्त बैंक, केन्द्रीय अस्पताल, जोडा	क्योंझर
5.	एन ए एल सी ओ अस्पताल, दमनजोडी	कोरापुट
6.	टाटा अस्पताल, बेलपहाड	सम्बलपुर
7.	क्षेत्रीय अस्पताल, एस सी ई लि.	ब्रजराजनगर
8.	नाल्को रक्त बैंक, नेल्को नगर	अनुगुल
प्राइवेट सैक्टर ब्लड बैंक		
1.	जगन्नाथ रक्ताधान केन्द्र	भुवनेश्वर

विवरण-II

आदिवासी क्षेत्रों में स्थित उड़ीसा में रक्त बैंकों की सूची

क्र.सं.	रक्त बैंक का नाम	स्थान
1.	जिला मुख्यालय अस्पताल	क्योंझर
2.	उप मंडलीय अस्पताल, आनन्दपुर	क्योंझर
3.	जिला मुख्यालय अस्पताल	कोरापुट
4.	जिला मुख्यालय अस्पताल	रायगढ
5.	जिला मुख्यालय अस्पताल	जयपुर
6.	जिला मुख्यालय अस्पताल	भवानीपटना
7.	जिला मुख्यालय अस्पताल	बारीपद
8.	उप मंडलीय अस्पताल	राईरंगपुर
9.	उप मंडलीय अस्पताल, उदाला	मयूरभंज
10.	उप मंडलीय अस्पताल, कारांजिया	मयूरभंज
11.	जिला मुख्यालय अस्पताल	फुलबनी
12.	जिला मुख्यालय अस्पताल	बौद्ध
13.	जिला मुख्यालय अस्पताल	सुन्दरगढ
14.	जिला मुख्यालय अस्पताल	नवापारा
15.	उप मंडलीय अस्पताल, सुनाबेड़ा	कोरापुट
16.	उप मंडलीय अस्पताल, दमनजोडी	कोरापुट
17.	उप मंडलीय अस्पताल, जोड़ा	क्योंझर

[अनुवाद]

खेतड़ी कॉपर काम्प्लेक्स

819. **श्री चेतन पी.एस. चौहान** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच.सी.एल.) ने खेतड़ी कॉपर काम्प्लेक्स के विस्तार के किए जाने संबंधी प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना विस्तार के प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है;

(घ) क्या परियोजना की अनुमानित लागत में काफी वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान कॉपर लि. (एच सी एल) ने खेतड़ी कॉपर काम्प्लेक्स में प्रगालक और शोधनशाला की वर्तमान क्षमता को 31,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1,00,000 टन प्रतिवर्ष करने के बारे में एक प्रस्ताव रखा है।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने के लिए एच.सी.एल. के प्रस्ताव को प्रथम चरण की मंजूरी दे दी गई है। मूल इंजीनियरिंग पैकेज तैयार करने के लिये कम्पनी ने अब आशय पत्र दे दिया है।

(घ) खेतड़ी विस्तार निश्चित लागत अनुमान डी पी आर के तैयार होने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) परियोजना के 1998 के मध्य तक कार्यान्वित होने की आशा है।

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम

820. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन नियत लक्ष्य से पीछे है;

(ख) यदि हां, तो उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, के बकाया लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारियों की कमी और आवासों, चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों, चिकित्सा विशेषज्ञों, चिकित्सा उपकरणों तथा दवाईयों जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली के कार्यकरण को बेहतर बनाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख)

	लक्ष्य 31.3.95 तक	उपलब्धियां 30.9.94 तक
एस.सी.	135549	131471
पी.एच.सी.	22898	21172
सी.एच.सी.	2773	2326

(ग) **जनशक्ति की स्थिति**

	अपेक्षित (30.9.94 तक)	विद्यमान (30.9.94 तक)
एम पी डब्ल्यू (एम)	131471	61619
ए एन एम	131471	129069
एम ओ (पी एच सी)	21172	23802
स्पेसिलिस्ट	9304	2514

निर्मित भवन
(30.9.1994 तक)

	अपेक्षित	विद्यमान*
एस सी	131471	74075
पी एच सी	21172	14653
सी एच सी	2326	2110

* निर्माणाधीन भवन शामिल हैं।

दवाएं तथा उपकरण

केन्द्र सरकार प्रतिवर्ष प्रति उपकेन्द्र 2000 रूपये की दर से दवाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए उपकरण तथा दवाएं "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) केन्द्र सरकार नियमित रूप से राज्य सरकारों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत पूर्ण धनराशि का उपयोग करने की सलाह देती है ताकि उपलब्ध कराई गई सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

गौण इस्पात उद्योग

821. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग संबंधी संसद की स्थाई समिति लघु इस्पात संयंत्रों को अर्थक्षम बनाए जाने हेतु की गई सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने गौण इस्पात क्षेत्र की "ब्लैंकिट रिवाईवल पैकेज" नहीं देने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो गौण इस्पात क्षेत्र पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग). विभागों से संबद्ध उद्योग संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशों के अनुसरण में लघु इस्पात संयंत्रों की स्थिति का पता लगाने के लिए इस्पात मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों की जांच करने और सरकार के संसाधनों की स्थिति और वित्तीय संस्थाओं तथा इस प्रकार की अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त उपचारात्मक और अन्य उपायों का सुझाव देने के लिए एक मूल्यांकन समिति का गठन किया था। हालांकि कोई ठोस पुनरूद्धार पैकेज नहीं सुझाया गया है, फिर भी परियोजना आयात पर सीमा शुल्क को 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने, पूंजीगत माल के लिए "माडवेट" लागू करना, ब्याज दर में कमी करने और इस्पात स्क्रैप के आयात शुल्क को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने जैसे उपायों से इस्पात संयंत्रों जिनमें लघु इस्पात संयंत्र भी शामिल हैं, के समग्र निष्पादन में सुधार होने की आशा है।

रेडियो पेजिंग सेवाएं

822. **श्री शरत पटनायक** :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार रेडियो पेजिंग सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए किन–किन शहरों को चुना गया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी, हां। 27 प्रमुख शहरों में रेडियो पेजिंग सेवा प्रचालन के लिए विभाग ने पंजीकृत भारतीय कम्पनियों को पहले ही लाइसेंस जारी कर दिए हैं। चुनिंदा शहरों के नामों सहित लाइसेंस–धारकों की सूची के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। दूसरे चरण में शेष भारत में भी उक्त सेवा शुरू की जाएगी जिसके लिए पहले ही निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।

विवरण

रेडियो पेजिंग सेवाओं के लिए लाइसेंस-धारकों की सूची। **अनुबंध**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	महानगर
1	2	3
1.	मै. पेज प्वाइंट सर्विसिज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 29, बैंक स्ट्रीट फोर्ट, बम्बई–400023	बंबई, बंगलोर
2.	मै. मेट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, अनिल चैम्बरस (क्राऊन मिल के निकट), अंधेरी कुर्ला रोड, साकीमोका, बम्बई–400072	पुणे, वडोदरा, राजकोट, सूरत
3.	मै. टेलीसिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 23/1, X1 वां मेन रोड, पोस्ट ऑफिस के नजदीक, वसंत नगर, बंगलोर–560052	मद्रास, बंगलोर, इर्नाकुलम, कोयम्बटूर, त्रिवेन्द्रम, मदुरै
4.	मै. ईजीकाल कम्यूनिकेशनस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, एल बी/5 अंसल भवन, 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001	कलकत्ता, हैदराबाद, नागपुर, इंदौर, भोपाल विशाखापत्तनम, पटना।

1	2	3
5.	मै. माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, 1202, चिरंजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019	बंबई, कलकत्ता, वडोदरा राजकोट, अहमदाबाद, सूरत।
6.	मै. ए बी सी कम्यूनिकेशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 44 बी, नरीमन भवन, नरीमन प्वाइंट, बम्बई–400021	दिल्ली, कानपरु जयपुर, चंडीगढ़, वाराणसी, लुधियाना, अमृतसर।
7.	मै. ऊषा मार्टिन टेलेकम लिमिटेड, 16, कम्यूनिटि सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली–110017	मदुरै, राजकोट, एर्नाकुलम, इंदौर, कोयम्बटूर, विशाखापतनम
8.	मै. बी पी एल सिस्टम एंड प्रोजक्टस लिमिटेड, 64 चर्च स्ट्रीट, बंगलोर	एर्नाकुलम, त्रिवेन्द्रम
9.	मै. हुचीरान मैक्स टेलकम, 12वां फ्लोर, देविका टावरे, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110065	अहमदाबाद, बंगलोर, पुणे, वडोदरा, चंडीगढ़, हैदराबाद, लुधियाना
10.	मै. मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, 505, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली	दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद
11.	मै. मोदी टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड, 12, फ्रैंड्स कालोनी, नई दिल्ली–110065	मद्रास, कानपुर, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, इंदौर, वाराणसी।
12.	मै. आई एक्स एल पेजिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 11 ए, आत्माराम हाउस, टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली–110001	बंबई, मद्रास, दिल्ली कलकत्ता, हैदराबाद, बंगलोर, अहमदाबाद कानपुर, लखनऊ, पुणे।

[हिन्दी]

दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए पेटेंट

823. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्लभ जडी बूटियों को पेटेंट करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा और संख्या क्या है; और

(ख) सरकार का इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). पेटेन्ट्स एक्ट, 1970 के अन्तर्गत "जड़ी बूटियां" अपने में पेटेन्ट योग्य मदें नहीं हैं।

गुजरात और राजस्थान की विद्युत परियोजनाएं

824. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** :
श्री दिलीप भाई संघाणी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और राजस्थान को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कितने मेगावाट अतिरिक्त विद्युत का आबंटन किया जा रहा है;

(ख) क्या इन राज्यों की कुछ विद्युत परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पडी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक राज्य, जिसमें 1994–95 के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ायी जायेगी, में विद्युत संयंत्रों के नाम क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) एन.टी.पी.सी. के विद्युत केन्द्रों से गुजरात को कोई अतिरिक्त विद्युत आबंटित नहीं की गई है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा राजस्थान को एन.टी.पी.सी. के विद्युत केन्द्रों से निम्नलिखित अतिरिक्त विद्युत का आबंटन कराया गया है:–

(1) उत्तरी क्षेत्र में एन.टी.पी.सी. द्वारा उत्पादित विद्युत के अनाबंटित हिस्से में से 378.5 मेगावाट।

(2) अन्ता गैस टरबाइन केन्द्र की एक यूनिट का सम्पूर्ण विद्युत उत्पादन (88 मे.वा.)

(ख) से (घ). जी, हां। गुजरात और राजस्थान की कुछ विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) के जांचाधीन हैं। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न स्वीकृतियां और निवेश सुनिश्चित करने तथा के.वि.प्रा. द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरणों को प्रस्तुत करने के बाद के.वि.प्रा. द्वारा परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक रूप से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(ङ) वर्ष 1994–95 हेतु राज्य–वार विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1994-95 हेतु विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

क्षेत्र	राज्य	क्रियान्वयन एजेंसी	यूनिट का नाम	यूनिट सं.	प्रकार	यूनिट की क्षमता (मेवा)	चालू करने का प्रत्याशित समय
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र						
सीएस	जे एंड के	एनएचपीसी	सलाल–2	3	ज.वि.	115.00	1/95
एसएस	जे एंड के	जेकेपीडीसी	कारगिल	1	ज.वि.	1.25	1/95
एसएस	जे एंड के	जेकेपीडीसी	कारगिल	2	ज.वि.	1.25	2/95
एसएस	जे एंड के	जेकेपीडीसी	कारगिल	3	ज.वि.	1.25	3/95
एसएस	जे एंड के	जेकेपीडीसी	पम्पोर जीटी	4	ताप	25.00	10/94
एसएस	दिल्ली	डेसू	आईपी डब्ल्यू एच	1	ताप	34.00	1/95
एसएस	राजस्थान	आरएसईबी	रामगढ जीटी	1	ताप	3.00	5/94
एसएस	राजस्थान	आरएसईबी	रामगढ जीटी	2	ताप	35.50	12/94
एसएस	उ.प्र.	यूपीएसईबी	अनपारा "बी"	5	ताप	500.00	7/94
			उप–जोड : उ. क्षेत्र			716.25	
पश्चिमी क्षेत्र							
एसएस	म.प्र.	एमपीईबी	हसदेओ बांगो	2	ज.वि.	40.00	8/94
एसएस	म.प्र.	एमपीईबी	हसदेओ बांगो	3	ज.वि.	40.00	11/94
सीएस	गुजरात	एनटीपीसी	गंधार सीसीजीटी	3	ताप	131.00	7/94
पिएस	महाराष्ट्र	टीईसी	ट्राम्बे सीसी एसटी	1	ताप	60.00	10/94
पिएस	महाराष्ट्र	बीएसईएस	दहानू	1	ताप	250.00	10/94
पिएस	महाराष्ट्र	बीएसईएस	दहानू	2	ताप	250.00	3/95
एसएस	महाराष्ट्र	एमएसईबी	भीरा पीएसएस	1	ज.वि.	150.00	3/95
एसएस	महाराष्ट्र	एमएसईबी	सूर्या	1	ज.वि.	6.00	3/95
एसएस	महाराष्ट्र	एमएसईबी	माणिकदोह	1	ज.वि.	6.00	3/95
एसएस	महाराष्ट्र	एमएसईबी	डिमे	1	ज.वि.	5.00	3/95
एसएस	महाराष्ट्र	एमएसईबी	उराण डब्ल्यू एच	2	ज.वि.	120.00	3/94
सीएस	गुजरात	एनपीसीएल	ककरापाड	2	न्यूक्लोथ	220.00	9/94
			उप–जोड : प. क्षेत्र			1278.00	
	दक्षिणी क्षेत्र						
एसएस	आंध्र प्रदेश	एपीएसईबी	अपर सिलेरू	2	ज.वि.	60	2/95
एसएस	आंध्र प्रदेश	एपीएसईबी	रायलसीमा	2	ताप	210.00	9/94
एसएस	आंध्र प्रदेश	एपीएसईबी	विजयवाडा	6	ताप	210.00	3/95
एसएस	कर्नाटक	केपीसीएल	रायपूर	4	ताप	210.00	10/94
एसएस	तमिलनाडु	टीएनईबी	उ. मद्रास	1	ताप	210.00	10/94
एसएस	तमिलनाडु	टीएनईबी	उ. मद्रास	2	ताप	210.00	3/95
एसएस	तमिलनाडु	टीएनईबी	बेसिन ब्रिज जीटी	1	ताप	30.00	2/95
एसएस	केरल	केएसईबी	कल्लाडा	1	ज.वि.	7.50	8/94
			उप जोड : द. क्षेत्र			1147.50	

1	2	3	4	5	6	7	8
	पूर्वी क्षेत्र						
सीएस	बिहार	एनटीसी	कहलगांव	3	ताप	210.00	3/95
एसएस	बिहार	टीवीएनएल	तेनुघाट–1	1	ताप	210.00	4/95
एसएस	बिहार	बीएचपीसी	पूर्वी गंडक नहर	1	ज.वि	5.00	7/94
एसएस	बिहार	बीएचपीसी	पूर्वी गंडक नहर	2	ज.वि	5.00	8/94
एसएस	बिहार	बीएचपीसी	पूर्वी गंडक नहर	3	ज.वि	5.00	9/94
एसएस	उडीसा	ओपीजीसी	इब घाटी	1	ताप	210.00	4/94
एसएस	उडीसा	ओपीजीसी	इब घाटी	2	ताप	210.00	12/94
एसएस	उडीसा	एनटीपीसी	तलचेर	1	ताप	500.00	8/94
सीएस	प. बंगाल	डीबीसी	मेजिया	1	ताप	210.00	2/95
एसएस	प. बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसी	रामम–2	1	ज.वि.	12.50	2/95
एसएस	प. बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसी	रामम–2	2	ज.वि.	120.50	3/95
			उप–जोड़ : पूर्वी क्षेत्र :			1590.00	
	उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र						
सीएस	असम	नीपको	कैथलगुड़ी जीटी	1	ताप	33.50	1/95
सीएस	असम	नीपको	कैथलगुड़ी जीटी	2	ताप	33.50	2/95
एसएस	असम	एएसईबी	लाकबा जीटी–2	7	ताप	20.00	10/94
			उप जोड़ : उ. पूर्वी क्षेत्र :			87.00	
			जोड़ : अखिल भारत :			4818.75	

[अनुवाद]

लोहे तथा इस्पात का उत्पादन

825. **श्री जगत बीर सिंह द्रोण** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991–92, 1992–93, 1993–94 और चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध (अप्रैल–सितम्बर, 1994) के दौरान एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा लोहे और इस्पात का श्रेणी–वार कितना उत्पादन किया गया;

(ख) वर्ष 1991–92, 1992–93, 1993–94 और अप्रैल से सितम्बर, 1994 के दौरान लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा लोहे और इस्पात का कुल कितना उत्पादन किया गया; और

(ग) वर्ष 1991–92, 1992–93, 1993–94 और अप्रैल से सितम्बर, 1994 के दौरान "रिरोलिंग मिलों" द्वारा कुल कितना उत्पादन किया गया?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1991–92, 1992–93, 1993–94 और अप्रैल सितम्बर, 94 के दौरान एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित कच्चे लोहे और विक्रेय इस्पात का श्रेणीवार उत्पादन निम्नानुसार है :–

श्रेणी	1991–92,	1992–93,	1993–94	अप्रैल सितम्बर, 94
कच्चा लोहा	1485	1679	1977	1024
सेमीज	2626	2924	3215	1549
बार तथा राड	1646	1723	1877	1086
स्ट्रक्चरल	872	997	963	475
रेलवे सामग्री	500	501	543	254
प्लेट	1765	1627	1566	721
एच आर क्वायल/स्केल्प	1376	1726	1960	1096
एच आर शीट	367	376	380	168
सी आर शीट/क्वायल	923	898	905	460
जी पी/जी सी शीट	276	295	290	139
इलेक्ट्रिकल शीट	90	87	88	41
टिन प्लेट	27	44	50	18
टी एम बी पी	26	46	65	17
पाइप	89	94	81	4
कुल इस्पात :	10583	11338	11983	6068

(ख) 1991–92, 1992–93, 1993–94 और अप्रैल–सितम्बर 94 के दौरान लघु इस्पात संयंत्रों (विद्युत चाप भट्टी इकाइयां) का विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है :–

(दस लाख टन)

1991–92	1992–93	1993–94 (अनन्तिम)	1994–95 (अप्रैल–सितम्बर) (अनन्तिम)
3.30	2.98	2.50	1.60

(ग) 1991–92, 1992–93, 1993–94 और अप्रैल–सितम्बर, 94 के दौरान पुनर्बेलन [illegible] का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है :–

(दस लाख टन)

1991–92	1992–93	1993–94 (अनन्तिम)	1994–95 (अप्रैल–सितम्बर) (अनन्तिम)
5.60	5.38	4.99	3.16

आयुर्वेदिक कालेज

826. **श्री सुकदेव पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में कितने आयुर्वेदिक कालेज चलाए जा रहे हैं और इन कालेजों में प्रतिवर्ष प्रवेश पाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी है;

(ख) देश में कितने पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं;

(ग) क्या देश तथा विदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना बनाई गई है अथवा बनाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) देश में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित 46 सरकारी आयुर्वेदिक कालेज हैं। इन कालेजों में हर वर्ष लगभग 3418 छात्रों (अभ्यर्थियों) को दाखिला दिया जाता है।

(ख) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कुल संख्या 1,71,971 है।

(ग) और (घ): देश में उपचार की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत चलाई जा रही योजनाएं इस प्रकार हैं :–

(1) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के मौजूदा स्नातकपूर्व कालेजों के सुधार तथा सुदृढ़ीकरण की योजना।

(2) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के शिक्षकों, चिकित्सकों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं तथा औषध निरीक्षकों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी में प्रयोग होने वाले औषधीय पादपों के विकास तथा खेती के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करने की योजना।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक दवाओं का निर्यात

827. **श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आयुर्वेदिक दवाओं के निर्यात की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो आयुर्वेदिक दवाओं के पंजीकरण तथा इसके निर्यात के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है; और

(ग) दिल्ली में पंजीकृत की गई आयुर्वेदिक दवाओं और जिन दवाओं के निर्यात के लिए लाइसेंस दिये गये हैं उनका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करने के लिए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के लाइसेंस दिया जाता है। आयुर्वेदिक औषधों के निर्माण के लिए किसी और लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में चूना पत्थर के भण्डार

828. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चूने पत्थर के अनुमानतः कितने भण्डार हैं, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खानों से राज्यवार कितनी मात्रा में चूना पत्थर निकाला गया?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). 1.4.90 की उड़ीसा मे चूना पत्थर के कुल अनुमानित निक्षेप 1,212,142 हजार टन के थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा से निकाले गए चूना पत्थरों की कुल मात्रा निम्न प्रकार है :–

(आंकड़े हजार टनों)

1991–92	1992–93	1993
2089	2005	

गुजरात में कुष्ठ रोगियों की संख्या

829. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कुष्ठ रोगियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्य में सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए उपलब्ध सुविधाओं के अलावा अलग से कुष्ठ निवारण केन्द्र भी हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य में ऐसे कितने केन्द्र किन–किन स्थानों पर है;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन केन्द्रों के लिए कितनी सहायता स्वीकृत की है और अब तक कितनी धनराशि दी है; और

(ङ) सरकार ने इन रोगियों को मुफ्त में क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, अक्तूबर, 1994 के अन्त तक कुष्ठ रोगियों की कुल संख्या 15,621 थी।

(ख) और (ग). जी हां। इस राज्य में 442 केन्द्र/एकक कार्य कर रहे हैं। उनके नामों सहित इन एककों के सही स्थान का प्रबोधन केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

(घ) 30 लाख रूपये (नकद सहायता) के आबंटन के मुकाबले अब तक 15 लाख रूपये विमुक्त किये जा चुके हैं। कुष्ठ–रोधी पर्याप्त औषधों की भी आपूर्ति की गई है।

(ङ) सभी रागियों के लिए कुष्ठ–रोधी उपचार निःशुल्क उपलब्ध हैं।

सड़क द्वारा म्यांमार जाने की सुविधा

830. **श्री मंजय लाल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दशकों पहले भारत आ चुके भारतीय नागरिकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हे म्यांमार मे अपने संबंधियों से मिलने के लिए सडक मार्ग द्वारा वहां जाने की सुविधा दी जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को म्यांमार जाने में उन्हें होने वाली विभिन्न कठिनाइयों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें सड़क मार्ग से जिसके द्वारा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की सम्भावना है, म्यांमार जाने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (घ). सरकार को बर्मा विस्थापित व्यक्ति एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि उन्हें अपने रिस्तेदारों से मिलने के लिए सडक मार्ग से म्यांमार की यात्रा करने की सुविधा दी जाए। इस अभ्यावेदन में सुझाव भी दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं – म्यांमार को सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल भेजना तथा दोनो देशों के बीच सीमावर्ती व्यापार में उन्हें शामिल करना। इस समय संबंधित अधिकारी इन सुझावों पर विचार कर रहे हैं

मच्छर प्रतिरोधक

831. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मच्छर प्रतिरोधकों का परीक्षण कराया है,

(ख) क्या सरकार को जापानी तकनीक से निर्मित मच्छर प्रतिरोधकों के भारत में अति लोकप्रिय होने की जानकारी है;

(ग) क्या उक्त मच्छर प्रतिरोधक का मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में परीक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) यह परीक्षण कब तक कराया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (च). विषाक्तता विज्ञान संबंधी मूल्यांकन करने के पश्चात कीटनाशकों का क्या क्रमिनाशकों अथवा प्रतिरोधकों के रूप में प्रयोग किया जाये का अनुमोदन कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत गठित की गई एक पंजीकरण समिति द्वारा करवाया जाना अपेक्षित होता है। क्रीमों, मैटों इत्यादि जैसे सभी प्रकार के मच्छर प्रतिरोधक भारत में लोकप्रिय हैं।

कैंसर केन्द्र

832. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में कार्यरत वर्तमान कैंसर केन्द्र केवल 20 प्रतिशत कैंसर रोगियों का उपचार कर पाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले शेष 80 प्रतिशत रोगियों की समस्या के निदान हेतु जिला केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (घ). देश में कैंसर रोगियो का उपचार करने के लिए 124 कैंसर केन्द्र रेडियो थिरेपी की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जला स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, जिला परियोजनाओं की एक योजना है जिसमें आरम्भ में ही कैंसर का पता लगाने तथा दर्द से राहत के उपाय किए जाते हैं अभी तक 26 जिलों को सहायता उपलब्ध कराई गई है।

प्राकृतिक आपदा के मामले में स्वास्थ्य क्षेत्र प्रबंधन

833. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के मामले में स्वास्थ्य क्षेत्र प्रबंधन के लिए तैयार की गई एक समान नीति का प्रचार–प्रसार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के मामले मे स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए किन–किन संस्थाओं की पहचान की गई है और ये कहां–कहां स्थित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ग). जी, हां। प्राकृतिक आपदाओं के चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य प्रभाव को कम करने के लिए एक साझी कार्यनीति अपनाने के उद्देश्य से भारत सरकार (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) ने एक प्रासंगिक योजना तैयार की है। इस कार्यनीति में प्रभावित लोगों की चिकित्सा तथा जन–स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को तत्काल पूरा करने के उद्देश्य से राहत तथा पुनर्वास के विभिन्न उपाय शामिल है।

रोग नियंत्रण, स्वास्थ्य शिक्षा, निदान तथा प्रबंध और प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित संस्थानों की विशेषताओं का उपयोग किया जाएगा :–

1. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली
2. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी।
3. अखिल भारतीय स्वच्छता विज्ञान तथा जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता
4. भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद
5. सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान, अहमदाबाद।
6. राष्ट्रीय पर्यावरणिक इंजीनियरिंग तथा अनुसंधान संस्थान, नागपुर
7. केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, कोटला रोड, नई दिल्ली।

तमिलनाडु में एड्स के मामले

834. **डा. पी. वल्लल पेरूमान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान एड्स (एच.आई. वी. पॉजिटिव) के कितने मामलों का पता चला है; और

(ख) तमिलनाडु में "एड्स नियंत्रण कार्यक्रम" के अंतर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) 1991 से नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान तमिलनाडु राज्य से एड्स के 237 तथा एच. आई. वी. पॉजीटिव के 1625 रोगी होने की सूचना दी गई।

(ख) तमिलनाडु में 81 रक्त बैंक, 13 आंचलिक परीक्षण केन्द्र, 3 निगरानी केन्द्र, 2 अनुसंधान केन्द्र तथा 38 एस.टी.डी. क्लीनिक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दो स्थानों पर रक्त घटक को अलग करने की सुविधाएं भी स्थापित की जा रही हैं। एच. आई.वी./एड्स के बारे में सूचना तथा जानकारी देने के लिए एक बहु–माध्यम सूचना, शिक्षा और संचार अभियान चलाया गया है। इसके साथ ही इस रोग के अधिक खतरे वाले लोगों के लिए विशिष्ट मध्यस्थता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

प्रमुख पत्तनों पर पड़े स्टॉक

835. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी आयतकों द्वारा ठेके पर मंगाया गया डी ए पी की बहुत बड़ी मात्रा कांडला और न्हवा शीवा पत्तन से दूर समुद्र में रूकी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो समुद्र के बीच रूकी पड़ी डी ए पी की मात्रा और उसका मूल्य क्या है;

(ग) स्टॉक को जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस समस्या को हल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाएं जाएंगे?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में स्वास्थ्य रक्षा

836. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात को स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ 1993–94 के दौरान और 1994–95 में अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं और 1993–94 और 1994–95 के लिए इन योजनाओं के लिए धन आबंटन का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(लाख रूपये में)

		93–94	94–95
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	502.00	811.80
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	34.69	85.00
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	276.00	282 [illegible]
4.	राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	88.53	[illegible]
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	65.83	[illegible]
6.	परिवार कल्याण कार्यक्रम	8362.13	[illegible]

उपर्युक्त के अतिरिक्त हाल ही में प्लेग के फैलने

राज्य को लगभग 1.84 करोड़ रूपये के टेट्रासाइक्लिन (250 मिलीग्राम) के तीन करोड कप्सूल और धूमनीकरण के लिए 20 लाख रूपये की "... सामग्री" तथा कुछ शैक्षणिक सामग्री भी प्रदान की गई।

विद्युत परियोजनाएं

837. श्री तारा सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 नवम्बर, 1994 के "स्टेट्समैन" में "डाउट्स ओवर बायोबिलिटी ऑफ पॉवर प्रोजैक्ट्स" शीर्षक से प्रका... समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) "डाउट्स ओवर बायोबिलिटी ऑफ पॉवर प्रोजैक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार इंदिरा गांधी विकास अनुसधान संस्थान द्वारा तैयार किए गए एक मसौदा परिचर्चा पत्र पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि यदि पाइप लाइन में निजी विद्युत परियोजनाओं को एनरॉन के समान प्रति-गारंटी दी जाती है तो भारत सरकार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है।

(ग) इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, बम्बई में परिचर्चा पत्र में आरोपित टिप्पणियों की विद्युत मंत्रालय द्वारा जांच की गई तथा पाया गया कि यह कुछ पूर्वानुमानों पर आधारित है, जो अवास्तविक है तथा जिनके परिणामस्वरूप उच्च स्फीतकारी प्रति-गारंटी राशि प्रदर्शित हुई है। परिचर्चा पत्र में यह परिकल्पना की गई है कि कुल 20,000 मेगावाट की परियोजनाओं के करीब 10 बिलियन अमेरीकी डालर प्रतिवर्ष की प्रति-गारंटी प्रदान की जायेगी, जो देश के जी.डी.पी. के 3 प्रतिशत के बराबर है। 20,000 मेगावाट के परिकल्पित आंकड़ों की तुलना में सरकार ने केवल 4808 मेगावाट की क्षमता के लिए 8 परियोजनाओं के लिए प्रति-गारंटी प्रदान करना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। एनरॉन को प्रदान की गई प्रति-गारंटी कार्य-क्षेत्र एवं अवधि, दोनों के हिसाब से सीमित गारंटी है तथा वृद्धि के प्रावधान के साथ 1500 करोड़ रूपये की वार्षिक गारंटी सीमा की व्यवस्था की गई है। अन्य 7 परियोजनाओं, जिनके लिए प्रति गारंटी प्रदान करने की सहमति है, के संबंध में भुगतान की राशि कुल 7403 करोड़ रूपये होगी। अतः इन सभी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार का दायित्व केवल 8903 करोड़ रूपये (2.8 बिलियन) होने की आशा है। यदि हम परिचर्चा पत्र के 3 प्रतिशत के जी.डी.पी. के साथ इसकी तुलना करें तो यह जी.डी.पी. का केवल 0.8 प्रतिशत होगी। अन्य भ्रामक कल्पना यह है कि राज्य बिजली बोर्ड एवं राज्य निजी विद्युत कंपनियों को अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने में हर समय चूक करेंगे, जो केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुभव के विपरीत हैं, क्योंकि ये उपक्रम, राज्य बिजली बोर्डो को प्रचुर मात्रा में बिजली बेच रहे हैं। इस बात पर बल दिए जाने की आवश्यकता है कि प्रति गारंटी वास्तव में केन्द्रीय सरकार को इतनी अधिक सीमा तक वित्तीय दायित्वों को स्पष्ट नहीं करती है, क्योंकि स्कीम में पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं, विशेषकर भारतीय रिर्जव बैंक के साथ राज्यों के लेखा में केन्द्रीय सरकार का डेबिट डालने का अधिकार, जिसमें कि केन्द्र से राज्यों को देय अन्तरण को क्रेडिट किया जाता है। प्रति-गारंटी के वास्वत में प्रवर्तित होने की संभावना अत्यंत क्षीण है। प्रति-गारंटियों को केवल विश्वास बढ़ाने वाला उपाय माना गया है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इनकी वजह से केन्द्रीय सरकार के लिए कोई वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नये इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

838. श्री राम बदन :
डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज शुरू किये गये;

(ख) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में 1994-95 के दौरान नये इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और उनकी क्षमता कितनी है; और

(घ) उन पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन

839. श्री हरिन पाठक :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के प्रमुख शहरों में 31 अक्तूबर, 1994 तक टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा-सूची में प्रतीक्षारत लोगों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1992-93 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने लोगों का पंजीकरण किया गया था;

(ग) उनमें से कितने लोगों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया, और

(घ) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1,11,101.

(ग) 40,655

(घ) 1994–95 के दौरान 80,500 नये टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में गुजरात सहित समूचे देश में 1.4.97 से मांगते ही व्यावहारिक रूप से टेलीफोन देना परिकल्पित है।

विवरण

31 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार, गुजरात के प्रमुख शहरों में टेलीफोन कनेक्शनों की जिलावार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	नगर	जिला	प्रतीक्षा सूची
1.	अहमदाबाद	अहमदाबाद	53570
2.	गांधीनगर	गांधीनगर	1523
3.	वडोदरा	वडोदरा	26678
4.	सूरत	सूरत	38406
5.	राजकोट	राजकोट	10298
6.	भावनगर	भावनगर	9655
7.	जामनगर	जामनगर	3769
8.	महेसाना	महेसाना	4013
9.	आनन्द	खेड़ा	995
10.	नड़ियाड	खेड़ा	1681
11.	भडौच	भड़ौच	2148
12.	जूनागढ़	जूनागढ़	1881
13.	पोरबन्दर	जूनागढ	1299
14.	अमरेली	अमरेली	1167
15.	बलसाड़	बलसाड़	1557

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

840. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा दिल्ली में कुछ स्थानों पर टेलीफोन सुविधा प्रदान की गयी है जिसे केवल 4–5 माह के बाद ही चालू किया गया और जब टेलीफोन चालू नहीं हुए थे, उन महीनों का किराया भी लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ग) सरकार ने इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). सामान्यतया, उपभोक्ता के परिसर में टेलीफोन संस्थापित किए जाने के तुरन्त बाद उन्हें चालू कर दिया जाता है। तथापित, बडी संख्या में टेलीफोन रिलीज होने के मामले में उसमें निहित काम की मात्रा के आधार पर, एक्सचेंज के चालू होने से पूर्व ही उपभोक्ता के परिसर में फिटिंग कर दी जाती है, ताकि एक्सचेंज के चालू होने के तुरंत बाद टेलीफोन काम करना शुरू कर दें। ऐसे मामले में कुछ समय का अंतराल हो सकता है। ऐसे मामलों में टेलीफोन चालू होने की तारीख से ही किराया वसूल किया जाता है। कुछ मामलों में, जहां टेलीफोन चालू करने और प्रभार वसूल करने की तारीख में यदि कोई विसंगित हो, तो उनमें इस ओर एम.टी.एन.एल. के प्राधिकारियों का ध्यान दिलाने पर उपयुक्त छूट दी जाती है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परीक्षण योजनाएं

841. **श्री शंकरसिंह वाघेला** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात में किसी विद्युत पारेषण योजना को अब तक स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि नियत की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). जी, हां। आठवीं योजना के दौरान चालू की गई/चालू किए जाने के लिए लक्षित परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत
क.	**केन्द्रीय क्षेत्र**	(करोड रूपए)
1.	कवास पारेषण परियोजना	22.63
2.	काकरापाड़ा पारेषण परियोजना	52.46
3.	गांधार पारेषण परियोजना	230.08
ख.	**राज्य क्षेत्र**	
1.	सरदार सरोबर एन ई सी से जुड़ी पारेषण प्रणाली (5×50+6×200 मे.वा.)	127.90
2.	व्यास 220 के. वी. स्कीम	12.15
3.	गुजरात की शंट प्रतिपूर्ति	30.10
4.	गुजरात की नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम	73.58

केन्द्रीय सड़क निधि से उत्तर प्रदेश को आबंटन

842. **डा. रमेश चन्द तोमर** :
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री राजवीर सिंह

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान केन्द्रीय सडक निधि से उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि में इस निधि से किन–किन परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जायेगा;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक कितनी परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं;

(घ) इस निधि का आबंटन किस रूप में किया जायेगा; और

(ङ) 1994–95 के दौरान कितनी धनराशि जारी की जायेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश को के. स. नि. के तहत आबंटित राशि इस प्रकार है :–

वर्ष	राशि (लाख रू.)	परियोजनाओं के नाम
1991–92	शून्य	शून्य
1992–93	शून्य	शून्य
1993-94	334.00	अलीनगर–इंदौर–मझवाड़ा मधुबन सड़क का सुदृढ़ीकरण

(घ) राज्य द्वारा अनुमोदित स्कीमों की कुल लागत, पहले जारी की गई कुल निधियां, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता राज्य द्वारा अनुमानित अपेक्षा और बजट प्रावधान की उपलब्धता को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष एक–मुफ्त निधियां आबंटित की जाती हैं।

(ङ) शून्य।

विद्युत परियोजना

843. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 और 1994–95 के दौरान मंजूर की गई ताप और जल विद्युत परियोजनाओं का स्थानवार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है और इनकी लागत, क्षमता, समय–सारणी के साथ–साथ इन परियोजनाओं की प्रमुख बातों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं योजना के दौरान विद्युत की राज्य–वार अनुमानित मांग और उत्पादन कितना होगा और इसकी पूर्ति हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में किए गए वायदों/विदेशी निवेश हेतु विचाराधीन प्रस्तावों/सहायता संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो कि मंजूरी हेतु विचाराधीन हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष 1993–94 एवं 1994–95 के दौरान अनुमोदित विद्युत परियोजनाओं का विवरण निम्नवत है :–

परियोजनाएं	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का समय	अनुमनित लागत (रू. लाख में)
1	2	3	4	5
1. ताप विद्युत परियोजनाएं				
पंजाब				
1. जी एन डी टी पी, भटिंडा	5	210	6/97	114200
चरण–III	6	210	12/97	
राजस्थान				
2. रामगढ़ जी. टी. विस्तार	1	33.5	1/95	12083
आन्ध्र प्रदेश				
3. रायलसीमा	1	210	*	127300
चरण–II	2	210	*	
4 कोठगुडम	1	250	*	138460
चरण–V	2.	250	*	
केरल				
5. ब्रह्मपुरम	1	20	1/96	
डी जी सिटस	2	20	2/96	
	3	20	3/96	28100
	4	20	4/96	
	5	20	5/96	

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल				
5. बक्रेश्वर–टी पी पी	1	210	4/99	250430
	2	210	10/99	(यूनिट 1 व 2 के लिए)
		210	12/98	149548 (यूनिट 3,4 एवं 5 के लिए)
त्रिपुरा				
7. रोखिया जी टी	1	४		
	2	8		6000
8. अगरतला गैस टर्बाइन	4	84	8 माह के अन्दर	273.85
II. जल विद्युत				
1. उत्तर प्रदेश :				
टिहरी	2	250	97–98	3391.40
	2	250	98–99	
2. असम				
कोपिली	2	50	96.97	111

(ख) 14 वीं विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आठवीं योजना में प्रत्येक योजना वर्ष के अन्त में अर्थात 1996–97 में देश में 30537.7 मेगावाट अतिरिक्त लम्बित विद्युत वृद्धि की राज्यवार अनुमानित मांग सलंग्न विवरण–I में दी गई है।

इसके अतिरिक्त देश में विद्युत उपलब्धता में सुधार करने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनमें ये शामिल हैं :–

1. नए विद्युत उत्पादन क्षमता कार्यक्रम को चालू करने में गति लाना,
2. विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना,
3. पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना,
4. स्वस्थ मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों का क्रियान्वयन,
5. अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में ऊर्जा अंतरण के प्रबन्ध करना, और
6. विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देना

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने तथा उनकी हानियों को कम करने की दृष्टि से राज्य सरकारों को समय–समय पर यह सलाह दी गई है कि वे टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने, ग्रामीण विद्युतीकरण सब्सीडी का नियमित रूप से भुगतान करने, संयंत्र भार अनुपात में सुधार लाने तथा पारेषण एवं वितरण हानियों का कम करने के लिए उपाय करें।

(घ) विदेशी वित्तीय सहायता से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न वितरण–II में दिया गया है।

विदेशी निवेशकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं एफ आई पी बी/सी सी एफ आई द्वारा विचाराधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न–IIII में दिया गया है।

विभिन्न निजी निवेशकों द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में दर्शाई गई रूचि का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत एवं अनुमोदन के लिए विचाराधीन परियोजनाओं का विवरण निम्नवत है :

स्कीम का नाम	राज्य/जिला	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रूपए)
गोपालपुर	मध्य प्रदेश/जबलपुर	2×12.5	112.10
मरहीखेड़ा *	मध्य प्रदेश/शिवपुरी	2×20.0	106.94
ओमकरेश्वर *	मध्य प्रदेश/खण्डवा–खड़गोप	8×65.0	1216.95

* स्कीमों को पहले ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

विवरण-I

***1996-97 में विद्युत की प्रत्याशित आपूर्ति (आठवीं योजना में 30537.7 मे.वा. की संमकालित किए जाने का कार्यक्रम)**

क्षेत्र/राज्य/संघशासित राज्य	व्यस्ततम–कालीन मांग	व्यस्ततम–कालीन उपलब्धता	ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा की उपलब्धता
1	2	3	4	5
हरियाणा	3058	1657	15183	11254
हिमाचल प्रदेश	683	508	3254	2831
जम्मू एवं कश्मीर	1202	817	5836	7317

1	2	3	4	5
पंजाब	*4482*	*3168*	*23851*	*21488*
राजस्थान	*3851*	*1980*	*22232*	*12463*
उत्तर प्रदेश	8263	5793	43957	38712
चंडीगढ	162	63	859	436
दिल्ली	2532	2148	14416	16275
जोड़ (उ. क्षेत्र)	24234	16968	129587	114188
गुजरात	5487	3802	33645	27645
मध्य प्रदेश	4634	4278	28104	26251
महाराष्ट्र	9202	8322	58036	52613
गोवा	185	236	932	1960
दादर एवं नगर हवेली	48	7	313	54
दमन एवं दीव	31	6	130	50
जोड (प. क्षेत्र)	19587	17111	121159	112417
आंध्र प्रदेश	6001	4162	35062	24375
कर्नाटक	4201	3459	24188	20228
केरल	2330	1758	11893	8322
तमिलनाडु	5351	4071	30528	27786
पांडिचेरी	267	94	1519	770
जोड (प. क्षेत्र)	18150	13892	103191	84173
बिहार	2388	1480	12190	10767
उडीसा	2495	2359	14919	11856
पश्चिम बंगाल	3229	2473	17159	18605
डी.वी.सी.	2106	2215	11670	15446
सिक्किम	36	51	72	290
जोड़ (पू. क्षेत्र)	10254	8828	56011	59125
अरूणाचल प्रदेश	64	69	199	340
असम	875	913	4264	5619
मणिपुर	120	72	426	391
मेघालय	92	222	454	659
मिजोरम	76	38	193	198
नागालैण्ड	53	70	200	372
त्रिपुरा	108	101	432	492
जोड (उ. प. क्षेत्र)	1338	1587	6169	8601
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	39.	15	140	105
लक्षद्वीप	4	3	17	18
अखिल भारतीय	73656	58403	416274	378626

टिप्पणी : मांग चौदहवें विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार है।

विवरण-II

विदेशी निवेश/सहायता के अर्न्तगत क्रियान्वनाधीन परियोजनाएं

परियोजना का नाम	वित्त पोशक
ताप विद्युत परियोजनाएं	
बेसिन ब्रिज जी टी	ओ ई सी एफ
कथलगुडी सी जी सी टी	ओ ई सी एफ
गांधार सी जी सी टी	ओ ई सी एफ
उरान डब्ल्यू एच आर	जर्मनी
कहलगांव	यू एस एस आर (न्यू रसिया)
रायल सीमा	ए डी बी
उत्तरी मद्रास	ए डी बी
बज-बज (प्राईवेट)	ए डी बी/आई एफ सी/सी डी सी
चन्द्रपुर यूनिट-7	वर्ल्ड बैंक
दहान	आई बी आर डी/वर्ल्ड बैंक
ट्राम्बे सी जी सी टी	आई बी आर डी/आई एफ सी/सी एच बी (स्विस ऋण) विदेश मुद्रा ऋण
तलचेर चरण-I	वर्ल्ड बैंक
जल विद्युत परियोजनाएं	
नाथपाझकरी	वर्ल्ड बैंक
कोपना चरण-IV	वर्ल्ड बैंक
लोअर परियार	वर्ल्ड बैंक
पश्चिमी यमुना नहर	ओ ई सी एफ
उज्जैनी	ओ ई सी एफ
घाटघर पी एस एस	ओ ई सी एफ
श्रीसेलम एल बी पी एच	ओ ई सी एफ
पूर्वी गंडक नहर	ओ ई सी एफ
तिस्ता केनाल जल प्रपात	ओ ई सी एफ
लोवर बोरपानी	ओ ई सी एफ
चमेरा चरण-I	सी आई डी ए/ई डी सी
दुलहस्ती	फ्रांसिसी संघ
उडी	स्वीडिश

विवरण–III

निजी क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रवर्तक
1.	काकीनाडा जी बी पी पी/ए पी (208 मेवा.)	स्पेक्ट्रम पावर
2.	जेगरूपाडू जी बी पी पी/ए पी (235 मे. वा.)	जी वी के इन्डस्ट्रीज
3.	विशाखापत्तनम टी पी एस/ए पी (1000 मे. वा.)	अशोक लैलेण्ड/नेशनल पावर
4.	दभोल टी पी एस/महाराष्ट्र (645 मे. वा.)	एनरान
5.	इब घाटी टी पी एस/उड़ीसा (420 मे. वा.)	ए ई एस ट्रासपावर
6.	जीरो यूनिट एल एल सी/तमिलनाडु (250 मे. वा.)	एस टी पावर सिस्टम
7.	मंगलौर टी पी एस/कर्नाटक (1000 मे. वा.)	कोजेट्रिक्स
8.	भद्रावती टी पी एस/महाराष्ट्र (1000 मे. वा.)	इस्पात एलायस
९.	पगुथान सी सी जी टी/गुजरात (655 मे. वा.)	जी टी ई सी/सीमेन्स

विवरण IV

निजी क्षेत्र कंपनियों द्वारा प्रकट की गई रूचि का ब्यौरा

(1.9.94 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना/राज्य का नाम	विदेशी/भारतीय	क्षमता (मे.वा.)	अन्तिम लागत अनुमान (करोड रू. में)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
क.	**नई विद्युत परियोजनाएं**				
1.	जेगुरूपाडू जीबीपीपी/(गोदावरी) आंध्र प्रदेश	विदेशी (एन आर आई)	235.00	873.00	जीवीके इंडस्ट्रीज, यूएसए
2.	काकीनाडा जी बी पी पी/(गोदावरी)	विदेशी (एनआरआई)	208.00	772.87	स्पैक्ट्रम टैक्नोलॉजिस, यूएस ए/ जया फुड्स एंड एनटीपीसी
3.	विशाखापत्तनम टी पी एस/आंध्र प्रदेश	विदेशी भारतीय संयुक्त उपक्रम	1000.00 (2×500) (कोयला)	5817.60	अशोक लैलैण्ड एंड नैशनल पावर, यू. के.
4.	कृष्णापत्तनम टी पी एस/आंध्र प्रदेश		1000.00 (2×500) (कोयला)	3500.00	बोली के अधीन परियोजना
5.	रामागुंडम टी पी एस/आंध्र प्रदेश		500.00 (2×250) (कोयला)	1750.00	परियोजना बोली के अधीन
	जोड : आंध्र प्रदेश :		2943.00	12713.47	
6.	कामेंग एच इ पी/अरूणाचल प्रदेश	भारतीय/विदेशी	600.00 (ज.वि.)	1800.00	इंटरकोर्प. इंडस्ट्रीज लि./स्नोवी माउटेन्स इंजी. (आस्ट्रेलिया)
7.	खारसंग जी बी पी पी/अरूणाचल प्रदेश	विदेशी/भारतीय सयुक्त उपक्रम	48.00	223.00 (गैस)	इंटरकोर्प. इडस्ट्रीज लि./स्नोवी माउटेन्स इंजी. (आस्ट्रेलिया)
8.	कारबी लांगपी एच ई पी/(लोअर बारापानी) असम	विदेश (ज.वि.)	100.00	350.00	भारत हाइड्रो पॉवर कोर्प./सुभाष प्रोजेक्ट्स एड मार्केटिंग लि.

1	2	3	4	5	6
9	अमगुड़ी जी बी पी पी/असम	विदेशी	360.00 (गैस)	1280.00	नार्दन इंजीनियरिंग इन्क., यू एस ए/ आगरा इंडस्ट्रीज
10.	आदमतिल्ला ओपन साइकल/असम	भारतीय	15.00 (गैस)	52.50	डी एल एफ पावर लि.
11.	बशकंडी ओपन साइकल/असम	भारतीय	22.50 (गैस)	78.75	डी एल एफ पावर कंपनी लि.
	जोड : असम		497.50	1761.25	
12.	चांडिल टी पी एस/बिहार	भारतीय	500.00 (2×250) (कोयला)	1750.00	आर पी जी एंटरप्राइजेज
	जोड़ : बिहार		500.00	1750.00	
13.	बवाना जी बी पी पी/दिल्ली	विदेशी	800.00 (गैस)	2000.00	परियोजना बोली के अधीन
	जोड : दिल्ली		800.00	2000.00	
14.	पगुथान जी बी पी पी/	विदेशी/भारतीय संयुक्त उपक्रम	654.70 (गैस)	2298.14	गुजरात टोरैंट एनर्जी कारपोरेशन लि./सिमन्स जर्मनी
15.	लिग्नाइट आधारित टी पी एस/गुजरात	विदेशी	250.00 (लिग्नाइट)	875.00	आइजनबर्ग ग्रुप ऑफ कं., इजरायल
	जोड : गुजरात		904.70	3173.14	
16.	युमनानगर टी पी एस/हरियाणा	विदेशी	1000.00 (4×250) (कोयला)	3500.00	आइजनबर्ग ग्रुप ऑफ कं., इजरायल
17.	हिसार टी पी एस/हरियाणा		500.00 (4×250) (कोयला)	1750.00	परियोजना बोली के अधीन
	जोड़ : हरियाणा		1500.00	5250.00	
18.	ऊहल–3 एच ई पी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	70.00 (3×23.4) (ज. विद्युत)	245.00	बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि., दिल्ली
19.	बासपा इच ई पी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	300.00 (ज. विद्युत)	867.70	जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि.
20.	हिब्रा एच ई पी/हिमाचल प्रदेश	विदेशी	231.00 (ज. विद्युत)	708.50	हारजा इंजीनियरिंग कं., यू एस ए
21.	धामवाड़ी एच ई पी/हिमाचल प्रदेश	विदेशी	70.00 (ज. विद्युत)	245.00	हारजा इंजीनियरिंग कं., यू एस ए
22.	करछम–वांगटू/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	900.00 (ज. विद्युत)	315.50	जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि.
23.	नेओगल एच ई पी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	12.00 (ज. विद्युत)	42.00	ओम पावर कारपोरेशन, नई दिल्ली
24	एलेन–दुहंगन एच ई पी/ हिमाचल प्रदेश	भारतीय	192.00 (ज. विद्युत)	672.00	राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि.
25	मलाना एच ई पी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	86.00 (ज. विद्युत)	301.00	राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि.
	जोड़ : हिमाचल प्रदेश		1861.00	6231.20	

1	2	3	4	5	6
26.	मंगलौर टी पी एस/ कर्नाटक	विदेशी	1000.00 (कोयला)	5088.00	कोजैन्ट्रिक्स इन्क., यू एस ए
27.	मंगलौर टी पी एस/ कर्नाटक	भारतीय/विदेशी	300.00 (कोयला)	1050.00	जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि./नेशनल पावर (यू. के.)
28.	अलमती डैम एच ई पी/ कर्नाटक	विदेशी/भारतीय संयुक्त उपक्रम	600.00 (ज. विद्युत)	1900.00	एशिया पावर कं. लि. (टाप्को) यू एस ए. कर्नाटक पावर कारपोरेशन
29.	हॉसपैट टीपीएस/कर्नाटक	विदेशी	500.00 (1×500) (कोयला)	2240.00	हॉक इंटरनैशनल लि. यू एस ए
30.	रायचूर चरण-5 टी पी एस/कर्नाटक	विदेशी/भारतीय संयुक्त उपक्रम	500.00 (2×250) (कोयला)	1750.00	पब्लिक पॉवर इन्ट., इन्क. (नार्थ ईस्ट एनर्जी) यू एस ए. कर्नाटक पावर कारपोरेशन
31.	हॉसपैट टी पी एस/कर्नाटक	विदेशी/भारतीय	300.00 (कोयला)	840.70	जिंदल ग्रुप/ट्रैक्टबैल एस. ए., बेल्जियम
	जोड़ : कर्नाटक		3200.00	12868.70	
32.	थीकारीपुर टी पी पी/केरल	भारतीय	420.00 (2×210) (कोयला)	1480.00	बी पी एल ग्रुप
33.	कुथुंगल एच ई पी/केरल	भारतीय	20.00 (ज. विद्युत)	70.00	इंडसिल इलैक्ट्रोस्मैल्टस लि.
34.	बुथाथानकेट्टू एच ई पी/केरल	भारतीय	16.00 (ज.विद्युत)	56.00	सिल्कल मैटलरजिक (प्रा.)लि.
35.	उलंकल एच ई पी/केरल	भारतीय	6.00 (ज. विद्युत)	21.00	ट्रावंकोर इलैक्ट्रो कैमिकल इंडस्ट्रीज लि.
36.	करीक्कयम एच ई पी/केरल	भारतीय	12.00 (ज. विद्युत)	42.00	ट्रावंकोर इलैक्ट्रो कैमिकल इंडस्ट्रीज लि.
37.	बारापोल एच ई पी/केरल	भारतीय	9.00 (ज.विद्युत)	31.50	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसेज (प्रा.) लि.
38.	छाथानकोट्टूनाडा-2/केरल	भारतीय	7.00 (ज. विद्युत)	24.50	आईडियल प्रोजैक्ट्स इंड सर्विसेज (प्रा.) लि.
39.	अनाक्कयम एच ई पी/केरल	भारतीय	8.00 (ज. विद्युत)	28.00	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसेज (प्रा.)लि.
40.	छेमूबूक्काडावू-2/केरल	भारतीय	9.00 (ज. विद्युत)	31.50	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसेज (प्रा.) लि.,
41.	पालछुरम एच ई पी/केरल	भारतीय	3.50 (ज. विद्युत)	12.25	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसेज (प्रा.) लि.
42.	विलांगिड एच ई पी/केरल	भारतीय	7.00 (ज. वि.)	24.50	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसेज (प्रा.) लि.
43.	प. कल्लार एच ई पी/केरल	भारतीय	5.00 (ज. विद्युत)	17.50	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसेज (प्रा.) लि.
	जोड़ : केरल		522.50	1838.75	

1	2	3	4	5	6
44.	पेंच टी पी एस/मध्य प्रदेश	भारतीय	500.00 (2×250)(कोयला)	1470.00	सोरोस फंड मैनेजमेंट यू. एस. ए.
45.	महेश्वर एच ई पी/मध्य प्रदेश	भारतीय	400.00 (10×40) (जल विद्युत)	1073.00	एस. कुमार्स
46.	कोरबा प. विस्तार यू–5एवं 6 टीपीएस/ मध्य प्रदेश	भारतीय	420.00 (2×210) (कोयला)	1470.00	मुकन्द लि.
47.	भिलाई कोपरेटिव टी पी एस/मध्य प्रदेश	विदेशी/भारतीय संयुक्त उपक्रम	500.00 (कोयला)	1750.00	स्टील ओथ्रटी ऑफ इंडिया लि.
48.	तबा एच ई पी/मध्य प्रदेश	विदेशी/भारतीय	12.00 (जल विद्युत)	42.00	एच ई जी लि.
49.	राईगढ टी पी एस/मध्य प्रदेश		1000.00 (कोयला)	3500.00	बोली के अधीन परियोजनाएं
50.	बीना टी पी एस/मध्य प्रदेश		1000.00 (कोयला)	3500.00	बोली के अधीन परियोजनाएं
51.	बीरसिंहपुर टी पी एस/मध्य प्रदेश		500.00 (कोयला)	1750.00	बोली के अधीन परियोजनाएं
52.	कोरबा पश्चिम टी पी एस/मध्य प्रदेश		500.00 (कोयला)	1750.00	बोली के अधीन परियोजनाएं
53.	द्वि–ईंधन नाफ्था आधारित परियोजना/ मध्य प्रदेश		200.00 (गैस)	700.00	बोली के अधीन परियोजनाएं
54.	कोरबा पश्चिम टी पी एस/मध्य प्रदेश		250.00 (गैस)	875.00	बोली के अधीन परियोजनाएं
	जोड़ : मध्य प्रदेश		5282.00	17880.00	
55.	दभोल सी सी जी टी (एल एन जी)/ महाराष्ट्र	विदेशी	2015.00 (एल.एन जी)	9051.27	एनरोन पावर डवलपमेंट कारपो. एण्ड जन इलैक्ट्रिक कारपो यू एस ए बोर्ड एंड बंचल यू एस ए
56.	खापरखेड़ा टी पी एस/यूनिट 5 एवं 6/ महाराष्ट्र	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1226.00	एरान्को लाईन शिपिंग कम्पनी (माल्टा/सिंगापुर) आर आर एसोसिएट्स
57.	भिवपुरी पी एस एस/महाराष्ट्र	भारतीय	90.00	315.00	टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी
58.	खापरखेडा टी पी एस/यूनिट 3 एवं 4/ महाराष्ट्र		500.00 (2×250) (कोयला)	1750.00	बोली के अधीन परियोजना
59.	नागाथौन जीबीपीपी/महाराष्ट्र		410.00 (गैस)	1435.00	बोली के अधीन परियोजना
60.	भदरावती टीपीएस/महाराष्ट्र	विदेशी/भारतीय संयुक्त उपक्रम	100.00 (कोयला)	5235.00	इस्पात एलायज लि./ईसीजीडी, यू के/ई डी एफ, फ्रांस
	जोड : महाराष्ट्र		4515.00	19012.27	
61.	कमलांगा (धनकनाल टी पी एस) उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1750.00	इन्टरनैशनल इक्विटी पार्टनर्स, एलपी, यूएसए
62.	इब घाटी टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	420.00 (कोयला) (2×210)	1993.63	ए ई एस कारपोरेशन, यू एस ए
63.	इब घाटी टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	3000.00 (कोयला)	10500.00	आइजनवर्ग ग्रुप ऑफ कम्पनीज, यू.एस.ए.

1	2	3	4	5	6
64.	डुबरी टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी/भारतीय	500.00 (2×250) (कोयला)	1750.00	कलिंगा पावर कारपोरेशन/नार्थ ईस्ट एनर्जी/उड़ीसा सरकार
65.	लापांगा टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1750.00	पायनीयर एनर्जी इन्क. यूएसए/ ड्यूक इंजीनियरिंग सर्विसेज
66.	नारज टीपीएस/उड़ीसा	भारतीय	1000.00 (2×250) (कोयला)	3500.00	इस्पात एलायज लि. कलकत्ता
67.	बोमलाई टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	1000.00 (2××250) (कोयला)	3500.00	गलेक्सी पावर कम्पनी, यूएसए
68.	हिरमा टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	3000.00 (2×250) (कोयला)	10500.00	आइजनवर्ग ग्रुप ऑफ कम्पनीज, इजराइल
69.	बोमलाई एचईपी/उड़ीसा	विदेशी	120.00 (जल विद्युत)	103.49	एलएमजेड रसिया
70.	हीराकुण्ड बी एचईपी/उड़ीसा	भारतीय	208.00 (जल विद्युत)	728.00	जे.के. कारपोरेशन लि.
71.	चिपलिमा एचईपी/उड़ीसा	भारतीय	200.00 (जल विद्युत)	700.00	जे.के. कारपोरेशन लि.
72.	शिलंदी डेम टौ, उड़ीसा	भारतीय	7.00 (जल विद्युत)	15.91	कलन्गा पावर कोरपोरेशन
	जोड़		10455.00	36791.03	
73.	बरसिंगसर टीपीएस/राजस्थान		240.00 (2×120) (लिग्नाईट)	840.00	बोली के अधीन परियोजना
74.	चितौड़गढ़ टीपीएस/राजस्थान	भारतीय	500.00 (1×500) (कोयला)	1750.00	सेंटरी टेक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि.
	जोड़ : राजस्थान		740.00	2590.00	
75.	कुड्डालूर टीपीएस/तमिलनाडु	विदेशी	1000.00 (2×500) (कोयला)	3500.00	इन्टरनैशनल कन्ट्राक्टिंग एण्ड कारपोरेशन, यूएसए
76.	पिल्लईपैस्मलनैल्लूर सी सी जी टी/	विदेशी	300.00 (2×100+1×100) (गैस)	854.00	डायना विजन ऑफ रेड्डी ग्रुप माकोवस्की एसोसिएटस, यूएसए
77.	जीरो यूनिट (एनएलसी)/तमिलनाडु	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	250.00 (1×250) (लिग्नाईट)	1325.11	एसटी पावर सिस्टम्स इन्क. यूएसए
78.	श्रीमुसनम लिग्नाईट टीपीएस/तमिलनाडु	भारतीय	250.00 (1×250) (लिग्नाईट)	875.00	टीआईसीएपीसीओ (जीएम स्वामी एसोसिएटस)
79.	जामाकोण्डम लिग्नाईट टीपीएस/तमिलनाडु	भारतीय/	1500.00 (3×500) लिग्नाईट)	4500.00	जामाकोण्डम लिग्नाईट पावर कारपोरेशन लि. (टीडको,) मक्नेल्ली भारत लि. एण्ड सिमेन्स, जर्मनी
80.	तूतीकोरिन IV टीपीएस/तमिलनाडु	विदेशी	500.00 (कोयला)	1750.00	पर्सटेकन एशियन प्रिन्टर, मलेशिया/ तेनागा नेशनल बरहद, मलेशिया
	जोड़ : तमिलनाडु		3800.00	12804.11	
81.	विष्णुप्रयाग एचईपी/उत्तर प्रदेश	भारतीय	360.00 (3×120) (जल विद्युत)	1260.00	जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि.
82.	रोसा टीपीएस/उत्तर प्रदेश	विदेशी/भारतीय	750.00 (3×250) (कोयला)	2625.00	इंडो-गल्फ फर्टिलाईजर्स एण्ड केमिकल्स/पावर जीईएन. यू.के.

1	2	3	4	5	6
83.	जवाहरपुर टीपीएस/उत्तर प्रदेश	विदेशी	750.00 (3×250) (कोयला)	2625.00	पसिफिक इलेक्ट्रीक पावर देव. कम्पनी., कनाडा
84.	मैनरी बाली--II एचईपी/उत्तर प्रदेश		304.00 (जल विद्युत)	1064.00	बोली के अधीन परियोजना
85.	श्रीनगर एचईपी/उत्तर प्रदेश		330.00 (जल विद्युत)	1089.00	बोली के अधीन परियोजना
86.	पाला मैनरी एच ई पी/उत्तर प्रदेश		416.00 (जल विद्युत)	1456.00	बोली के अधीन परियोजना
87.	तपोवन विष्णुघाट एचईपी/उत्तर प्रदेश		360.00 (जल विद्युत)	1260.00	बोली के अधीन परियोजना
	जोड़ : उत्तर प्रदेश		3270.00	11379.00	
88.	सागरदीघी टी पी एस/पं. बंगाल	विदेशी/भारतीय संयुक्त उपक्रम	1000.00	5120.00	डेवलपमेंट कन्सलटेंट प्राइवेट लि. सी एम एस कारपोरेशन एण्ड डब्ल्यू वी एस ई पी
89.	डान्कुनी जी बी पी पी/पं. बंगाल	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	20.00	70.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजीज यू एस ए
90.	गौरीपुर टी पी एस/पं. बंगाल	भारतीय	135.00 (कोयला)	472.50	बिरला तकनीकी सेवाएं
91.	बालागढ़ टी पी एस/पं. बंगाल	भारतीय	500.00 (2×250) (कोयला)	1750.00	सी ई एस सी लि. कलकत्ता
92.	बाकेश्वर टी पी एस/पं. बंगाल	विदेशी/भारतीय संयुक्त उपक्रम	420.00 (2×210) (कोयला)	1920.00	डवलपमैंड कन्सलंटेंट्स प्रा. लि., इंडिया कुज्जैन कम्पनी एण्ड सी एम एस जनरेशन यू एस ए
	जोड : पश्चिम बंगाल		2075.00	9332.50	
93.	विद्युत परियोजनाओं के ग्रुप	विदेशी	10000.00	35000.00	कंसोलिडेटिड इलैक्ट्रिक पावर एशिया लि. हांगकांग
	जोड़–उत्तरी क्षेत्र		8171.00	27450.20	
	जोड–पश्चिमी क्षेत्र		10781.70	40065.41	
	जोड–दक्षिणी क्षेत्र		10465.50	40225.03	
	जोड–पूर्वी क्षेत्र		13030.00	47773.53	
	जोड–उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र		1145.50	3784.25	
	जोड सम्पूर्ण भारत :		53513.70	194298.42	
II.	**नवीकरण एवं आधुनकीकरण संबंधी प्रस्ताव**				
1.	तलचेर टी पी एस/उडीसा	विदेशी	460.00 (4×60 + 2×210)		कम्युनिटी एनर्जी आर्ल्टरनेटिवज (सी ई ए) आई एन सी, यूएसए
III.	**वितरण संबंधी प्रस्ताव**				
1.	कटक विद्युत सर्कल/उडीसा	भारतीय			इस्पात एलायज लि., कलकत्ता
2.	भुवनेश्वर विद्युत सर्कल/उडीसा	भारतीय			आर पी जी एंटरप्राईजर्स, कलकत्ता

दवाओं का स्थानीय बाजार से खरीद संबंधी प्रावधान

844. श्री केशरी लाल :
श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में दवाओं के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्थानीय बाजार से दवा खरीदने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकृत केमिस्ट इन दवाओं का भुगतान करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस भुगतान के लिए कोई अवधि अथवा समय सीमा निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत अधिकृत केमिस्ट उपभोक्ताओं को परेशानी में डाल देते हैं और क्या इस संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी सेवाओं को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

डाक विभाग पर जुर्माना

845. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 नवम्बर, 1994 के "दैनिक जागरण" में "उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग पर जुर्माना किया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ख) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 16.4.92 को मायापुरी डाकघर, नई दिल्ली, में लखनऊ के लिए बुक की गई स्पीड पोस्ट वस्तु सं. 36–081 के वितरण में विलंब के बारे में 63–ए, जनकपुरी, नई दिल्ली की निवासी श्रीमती इन्दु जैन ने उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम तीसहजारी दिल्ली–54 में अपनी शिकायत दायर की थी। उक्त वस्तु का वितरण 20.4.92 को कर दिया गया था। फोरम ने दिनांक 11.11.94 को इस मामले में यह निर्णय दिया कि डाक विभाग 60 दिनों के भीतर 1029/– रूपए के मुआवजे का भुगतान करे।

(ग) निर्णय की प्रति डाक विभाग को दिनांक 02.12.1994 को प्राप्त हो चुकी है।

वारापूझा पुल

846. श्री पी.सी. चाको : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर पेरियार नदी के ऊपर वारापूझा पुल के संबंध में कुछ प्रस्ताव भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) तथा (ख), जी, हां। केरल सरकार ने वारापूझा पुल और पहुंच मार्गों के लिए 34 करोड रू. की राशि का एक संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया है।

(ग) तथा (घ). संशोधित प्राक्कलन पर मंत्रालय मे विचार किया जा रहा है।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाना

847. श्री के. मुरलीधरन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन एक्सचेंज का दर्जा बढाने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं; और

(ख) कालीकट दूरसंचार मंडल के अन्तर्गत कितने टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों का उन्नयन करने की दृष्टि से उपस्कर और अन्य संसाधन उपलब्ध होने पर एम ए एक्स–III, एल/एफ किस्म के एम ए एक्स–II और मियाद समाप्त इलेक्ट्रो–मैकेनिकल टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने का मानदंड अपनाया गया है।

(ख) कालीकट गौण स्विचन क्षेत्र में, 5 एक्सचेंजों को उन्नत करने का प्रस्ताव है। इन्हें 8वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान उन्नत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में हैजे और गेस्ट्रो-आंत्रशोथ के मामले

848. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में हैजे और गेस्ट्रो–आंत्रशोथ से पीडित रोगियों की संख्या में गत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस राज्य में इन रोगों से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान की है; और

(घ) इन रोगों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हज यात्रा

849. **श्री दिलीप भाई संघाणी :**
प्रो. के.वी. थामस :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री मार्ग से हज की यात्रा पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हज यात्रियों ने समुद्री मार्ग से हज की यात्रा पुनः शुरू करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान समुद्री मार्ग से हज की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की तुलना में वायु मार्ग से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा प्रत्येक हज यात्री को कितनी राजसहायता दी और आगामी वर्ष के दौरान कितनी राशि व्यय किए जाने का विचार है;

(च) क्या सरकार का विचार यात्रियों को दी जाने वाली राजसहायता संबंधी समूची योजना की समीक्षा के लिए वायु मार्ग से हज यात्रा करने वालों को भुगतान की जाने वाली राजसहायता की वर्तमान राशि में कटौती करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) सरकार ने निर्णय लिया है कि हज, 1995 से सभी हज यात्रियों को हवाई जहाज से ले जाया जाएगा और हज यात्रा समुद्री जहाज से नहीं होगी।

(ख) समुद्री जहाज से हज यात्रा बंद करने के कारण नीचे लिखे अनुसार हैं :–

1. समुद्री जहाज से हज यात्रा की सुविधा अपेक्षाकृत बहुत ही कम भारतीय हज यात्रियों के लिए उपलब्ध थी।
2. हाजियों के समुद्री अरब में पहुंचने और वहां से प्रस्थान करने के सम्बन्ध में सऊदी अरब प्राधिकारियों द्वारा तय समय सीमा का पालन समुद्री मार्ग से हज यात्रा करने वाले यात्रियों के मामले में कठिन था।
3. सऊदी प्राधिकारी हवाई मार्ग से हज की यात्रा को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने वायुयान से आने वाले सभी यात्रियों की देखरेख के लिए आधारभूत सुविधाओं का प्रबन्ध किया हुआ है।
4. समुद्री जहाज से जाने वाले यात्रियों की सऊदी अरब में अपेक्षाकृत अधिक अवधि के लिए रूकना होता है। हज, 1994 के दौरान समुद्री मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को सऊदी अरब में 65 दिन रूकना पड़ा था जबकि हवाई मार्ग से जाने वाले यात्रियों को 45 दिन। सऊदी अरब में मंहगाई को देखते हुए बहुत से यात्रियों को धन की कमी का सामना करना पड़ा।
5. 1994 तक भारत उन चार देशों में से एक था जो अपने यात्रियों को समुद्री मार्ग से भी भेजते थे। हज, 1995 के लिए सऊदी अरब के केवल दो पड़ोसी देश ही अर्थात मिस्र और सूडान अपने यात्रियों को समुद्री मार्ग से भेजेंगे।
6. 1994 हज के दौरान समुद्री मार्ग से हज यात्रा के मामले में सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रति यात्री 32,000 रूपए का व्यय वहन करना पड़ा जबकि उसे हवाई मार्ग से जाने वाले यात्रियों पर 5000 रूपए के व्यय का वहन करना पड़ा था। सरकार का यह विचार है कि हज पर होने वाले व्यय का उपयोग सभी हाजियों के लिए हज यात्रा की स्थितियां सुधारने के लिए किया जा सकता है।

(ग) और (घ). सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें समुद्री मार्ग से यात्रा जारी रखने की मांग की गई है तथा बहुत से पक्षों ने समुद्री मार्ग से हज यात्रा को समाप्त करने के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया है। तथापि, सरकार का यह निर्णय कि आइन्दा सभी हाजियों को हवाई मार्ग से ले जाया जाएगा, बरकरार है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय हज समिति द्वारा किए गए प्रबन्धों के अधीन जिन हाजियों ने हज किया उनकी संख्या और वायुयान तथा समुद्री जहाज से जाने वाले प्रत्येक हाजी पर सरकार द्वारा वहन किया गया, व्यय नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :–

वर्ष	हाजियों की संख्या	प्रति हाजी पर हुआ सरकार का व्यय (रूपयों में)
हवाई यात्रा पर		
1992	22,527	4,056
1993	22,740	4,800
1994	23,310	5,000
समुद्री यात्रा पर		
1992	4,723	10,735
1993	4,562	24,700
1994	4,650	32,000

(च) और (छ). हाजियों से वसूल किए जाने वाले हज किराये और सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले खर्च की राशि के बारे में निर्णय हज यात्रा के नजदीक किसी समय लिया जाएगा।

डी.टी.सी. बस सेवा समाप्त करना

850. श्री प्रेम चन्द राम : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से जुड़े हुए गांवों से डी.टी.सी. बस सेवा समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन बसों को पुनः चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ङ). बसों के बेड़े में हुई समग्र कमी के कारण गावों सहित विभिन्न क्षेत्रों की दि.प.नि. सेवाओं में कटौती की गई है। इन सेवाओं को सुदृढ़ करना/बहाल करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा यह कार्य यातायात–भार और बसों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

वियतनाम को सहायता

851. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वियतनाम को स्वर्ण खनन परियोजना लगाने में उसे सहायता देने का है;

(ख) कितनी सहायता दिये जाने का विचार है; और

(ग) समझौते का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) वियतनाम में स्वर्ण संयंत्र स्थापित करने के लिए उस देश को मदद देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

एशिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग की सदस्यता

852. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **विदेश मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग संगठन के निर्माण पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है;

(ख) क्या भारत, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने गत तीन वर्षों के दौरान अपने व्यापार अवरोधों को अधिकांश अन्य देशों–जिनमें कुछ विकसित देश भी शामिल हैं–की तुलना में काफी तेज गति से समाप्त किया है, अपने मामले की और अधिक पुरजोर वकालत करके एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग संगठन में प्रवेश पाने का प्रयास कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या भारत ने पिछली बार गठित एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग संगठन की बैठक में भाग लिया था; और

(ङ.) यदि हां, तो उसे क्या कार्य सौंपा गया और उसने क्या भूमिका अदा की थी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग). भारत ने "एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग" की गतिविधियों में शामिल होने में अपनी दिलचस्पी औपचारिक रूप से जताई है। कोरिया गणराज्य की राजधानी सियोल में "एपेक" की मंत्रिस्तरीय बैठक से ठीक पहले अक्तूबर 1991 में "एपेक" अर्थव्यवस्थाओं को इस बात से अवगत करा दिया गया था।

2. नवम्बर, 1993 में सीटल में आयोजित "एपेक" मंत्रिस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 1997 तक "एपेक" की नई सदस्यता पर बंदिश लगा दी जाय। इसकी वजह से अब उक्त समय तक "एपेक" में भारत का प्रवेश नहीं हो पाएगा।

3. सदस्य के रूप में प्रवेश जब तक नहीं हो पाता तब तक के लिए भारत ने "एपेक" कार्यकारी दल की, प्राथमिक रूचि की गतिविधियों में शरीक होने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। बोगोर (इंडोनेशिया) में नवम्बर, 1994 में आयोजित "एपेक" मंत्रिस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "एपेक" के वरिष्ठ अधिकारियों से यह कहा जाए कि वे 1995 में मंत्रिस्तरीय बैठक में "एपेक" कार्यकारी दल के गैर सदस्यों की भागीदारी के मानदंड और सिद्धांत प्रस्तुत करें। अतः "एपेक" कार्यकारी दलों में भारत तथा अन्य गैर सदस्यों की भागीदारी के सवाल पर इस निर्णय के बाद ही विचार किया जाएगा।

4. इस बीच भारत व्यापार, पूंजी निवेश तथा प्रौद्योगिकी सहयोग के क्षेत्रों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से "एपेक" अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने सम्पर्क बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। भारत ने "एपेक" अर्थव्यवस्थाओं को इस बात से भी अवगत कराया है कि भारत के आर्थिक सुधार, आधारिक संरचना का विकास, विशाल मंडी तथा तीव्र विकास की क्षमता के सन्दर्भ में "एपेक" में भारत की साझेदारी से क्या पारस्परिक लाभ होंगे। कतिपय "एपेक" अर्थव्यवस्थाओं की ओर से इस बात के संकेत मिले हैं कि "एपेक" में भारत की भागीदारी के सवाल पर जब निर्णय होगा तो वे भारत की भागीदारी का समर्थन करेंगी।

5. अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था की बढती हुई शक्ति तथा एक मंडी के रूप में इसका बढता हुआ महत्व और एक ओर भारत और आसियान तथा दूसरी ओर भारत और "एपेक" के अन्य सदस्यों के बीच सुदृढ होते हुए संबंध अन्ततः "एपेक" में भारत की सदस्यता की दिशा में सहायक होंगे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वित्तीय सहायता

853. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों एवं 1993–94 के दौरान मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) वित्तीय सहायता में से प्रतिवर्ष कितनी वास्तविक राशि खर्च की गई; और

(ग) आवंटित राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु निगरानी व्यवस्था क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) तथा (ख). वर्ष 1993–94 सहित पिछले–चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव के लिए किया गया आबंटन/खर्च निम्न प्रकार है :–

वर्ष	विकास		रखरखाव	
	(लाख रू.)			
	आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च
1990–91	1850.00	1918.34	1046.09	1174.41
1991–92	1850.00	2012.36	1195.69	1618.89
1992–93	1915.00	2504.84	1213.25	1534.03
1993-94	1850.00	2094.74	1316.28	1718.06

(ग) विकास और रख–रखाव के लिए खर्च के आवधिक ब्यौरे राज्य के लो. नि. वि. द्वारा मंत्रालय को भेजे जाते हैं और निधियों के आबंटन तथा उपयोग पर निगरानी रखने के लिए आवधिक समीक्षात्मक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

[अनुवाद]

फ्लूरोसिस का उन्मूलन

854. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लूरोसिस बीमारी के फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए देश में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की कुल सख्या कितनी है; और

(ग) देश मे फ्लूरोसिस बीमारी के समग्र उन्मूलन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी सांख्यिकी से पता चला है कि देश के 15 राज्यों में फ्लूरोसिस स्थानिकमारी रोग है और यह पीने के पानी में फ्लूयोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण होता है। रोगियों की सही संख्या का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत "फ्लूरोसिस की रोकथाम" के बारे में एक उप–मिशन चलाया है जिसमें पीने के स्वच्छ पानी की आपूर्ति और स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में फ्लूयोराइडहरण संयंत्र लगाने पर जोर देने की व्यवस्था है।

केरल में नए टेलीफोन एक्सचेंज

855. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994–95 के दौरान केरल में कोई नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल में अब तक खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में टेलीफोन एक्सचेंज की विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए जिला–वार क्या योजना बनाई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा सलंग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) अभी तक कोई कार्य नहीं चल रहा है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

पैरा (क) वर्ष 1994-95 दौरान केरल में खोले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंज

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	उपस्कर की किस्म	क्षमता
1	2	3	4
	जिला एलेप्पी		
1.	पाथिरापल्ली	सी–डॉट आरएएक्स	368 लाइनें
2.	अरथुंगल	सी–डॉट आरएएक्स	369 लाइनें
	जिला कोजीकोड		
3.	पालेरी	–वही–	368 लाइनें
4.	थेम्पानोड	–वही–	184 लाइनें
5.	आरईसी कालीकट	–वही–	184 लाइनें
	जिला एर्नाकुलम		
6.	मूथा–कुन्नम	–वही–	368 लाइनें
7.	सिरोमुलंगाराम	–वही–	368 लाइनें
8.	आलन्जद	–वही–	368 लाइनें
9.	इडावानाक्काडू	–वही–	368 लाइनें
10.	मंजापरा	–वही–	368 लाइनें

1	2	3	4
11.	वाइपिन	–वही–	368 लाइनें
12.	स्वराज	–वही–	184 लाइनें
13.	काठीपाड़ा	–वही–	184 लाइनें
जिला कोट्टयम			
14.	वालावूर	–वही–	184 लाइनें
जिला त्रिचूर			
15.	मूरकानाद	–वही–	368 लाइनें
जिला त्रिवेन्द्रम		–	
16.	इदावा	–वही–	368 लाइनें
जिला पाथानामथिट्टा			
17.	वल्लिकोड	–वही–	184 लाइनें
कुल जोड़			5152 लाइनें

विवरण-II

पैरा (घ) केरल में विस्तार/आधुनिकीकरण किए जाने वाले एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	लाइनों की संख्या
1	2	3	4
1.	त्रिवेन्द्रम	15	19848
2.	क्विलोन	15	5436
3.	पाथनमथिट्टा	13	7760
4.	एलेप्पी	9	5960
5.	कोट्टायम	18	15160
6.	एर्नाकुलम	18	25328
7.	इदुक्की	7	3184
8.	त्रिचूर	10	13320
9.	पालघाट	11	7944
10.	मालप्पुरम	17	10568
11.	कोझीकोड	18	12272
12.	वायनाड	5	2160
13.	कन्नानूर	20	17312
14.	कासर गोड	6	1800
	कुल जोड़	182	148052

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशक

856. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत उत्पादन क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृत विदेशी निवेश के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके लिए सरकार के साथ किन–किन शर्तों पर सहमति हुई है;

(ग) भारतीय सहयोगकर्ताओं, यदि कोई हो, के नाम क्या हैं; और

(घ) विद्युत उत्पादन की शुरूआत के लिए निर्धारित समय–सीमा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) अब तक 12 विद्युत परियोजनाओं को विदेशी निवेश की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) परियोजनाओं को विदेशी निवेश के दृष्टिकोण से स्वीकृति प्रदान करने पर विदेशी निवेशकर्ताओं को अपनी विद्युत परियोजनाओं के लिए अपेक्षित विभिन्न सांविधिक एवं गैर–सांविधिक स्वीकृतियों से संबंधित कार्रवाई करने में सहायता मिलती है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) संबंधित विद्युत उत्पादक कंपनियों द्वारा वित्तीय समापन प्राप्त किये जाने के बाद ही इन परियोजनाओं को शुरू करने की संभावित तिथि का पता चल सकेगा।

विवरण

विदेशी निवेश की दृष्टि से स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम/राज्य	विदेशी प्रवर्तक	भारतीय प्रवर्तक	अनंतिम लागत (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
1.	गोदावरी जीबीपीपी/आंध्र प्रदेश (208 मेवा)	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजी, यूएसए	बम्बीनो ग्रुप, एनटीपीसी	772.87
2.	जेगुरूपाडू जीबीपीपी/आंध्र प्रदेश (235 मेवा)	जीवीके, यूएसए	एपीएसईबी	873.00
3.	दभोल टीपीएस/महाराष्ट्र (2015 मेवा)	एनरॉन, बैक्थैल जीई, यूएसए	—	9052.00

1	2	3	4	5
4.	जीरो यूनिट एनएलसी/तमिलनाडु (250 मेवा)	एमटी पावर, सीएमएस एनएलसी, जैन., यूएसए	तमिलनाडु–सरकार	1325.11
5.	इब घाटी/उड़ीसा (420 मेवा)	एईएस ट्रांस पावर, यूएसए	उड़ीसा सरकार	1993.63
6.	मंगलौर टीपीएस/कर्नाटक (1000 मेवा)	कोजैन्ट्रिक्स, यूएसए	---	5088.00
7.	विशाखापत्तनम टीपीएस/(1000 मेवा) आंध्र प्रदेश	नैशनल पावर, यूके	अशोक ले–लैण्ड	5817.60
8.	पगुथान जीबीपीपी/गुजरात (655 मेवा)	सिमन्स, जर्मनी	जीटीईसी	2298.14
9.	भद्रावती टीपीएस/महाराष्ट्र (1000 मेवा)	ईसीजीडी, यूके, ईडीएफ, फ्रांस	इस्पात एलौयस.	5235.00
10.	हॉसपैट टीपीएस/कर्नाटक (240 मेवा)	ट्रैक्टबैल एसए ऑफ बेल्जियम	जिंदल आर्ग.	942.00
11.	सागरदीघि टीपीएस/प. बंगाल (1000 मेवा)	सीएमएस जैन. कुलजीयन कारपो., यूएसए	डब्ल्यू.बी.पी. डी.सी.एल. डैव. कंसलटैंट्स लि.	5120.00
12.	बक्रेश्वर टीपीएस/प. बंगाल (420 मेवा)	–वही–	–वही–	1920.00

12.00 बजे मध्यान्ह

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तोड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप अनुमति दें तभी कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता नहीं हूं आप क्या कहना चाहते हैं इसलिए मुझे अनुमति देनां बड़ा मुश्किल है।

श्री अटल बिहार वाजपेयी (लखनऊ) : वे यही तो बताना चाहते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : यह ठीक बात है।...**(व्यवधान)**... अध्यक्ष जी, मैं चीनी घोटाले के बारे में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं,...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हम इसे थोडी देर बाद भी ले सकते हैं। मेरे पास और भी मुद्दे हैं। मेरे विचार में सरकार कुछ वक्तव्य आदि देने पर भी सहमत हो गई है।

अब श्री राम नाईक 75 लाख मछुआरों के आंदोलन पर बोलेंगे और उसके पश्चात मैं मुम्बई के लिए चलने वाली इन्द्रायणी एक्सप्रैस वाली घटना पर श्री अन्ना जोशी को बोलने की अनुमति दूंगा।

12.01 म.प.

गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाइसेंस प्रदान करने के विरूद्ध मछुआरों के आन्दोलन के बारे में

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के जो तटवर्ती राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल तक, इनमें से 75 लाख मछुआरों की एक गंभीर समस्या है। गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने के जो बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं उसके विरोध में सारे देश के मछुआरे गए एक साल से आन्दोलन कर रहे हैं। उन्होंने 4 फरवरी को सारे देश में मछली बंद आंदोलन किया, बाद में 3 मार्च को एक विशाल प्रदर्शन यहां संसद के सामने किया। 4 मार्च को और बाद में 8 मार्च को प्रधान मंत्री जी के साथ भी इस बारे में बातचीत हुई लेकिन उसमें से कोई फैसला नहीं निकला। इसलिए 23 और 24 नवम्बर को उन्होंने दो दिन का मछली बंद आंदोलन किया।

अध्यक्ष जी, जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, जापान आदि ऐसे देश भी अपने गहरे समुद्र में अभी मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और हमारे यहां से जो फिशिंग बेड, मेरीन रिसोर्सेस की रक्षा करने की बजाए उनको बड़े पैमाने पर लाइसेंस दे रहे हैं इसके कारण मेरीन इकोलॉजी पर बडा गहरा असर हो रहा है। इससे छोटे–छोटे मछुआरों को भी समुद्र में से मछली मिलना बंद हो गया है और उसके कारण 75 लाख मछुआरे बेरोजगार हो जाएंगे, इससे एक बड़ी गंभीर समस्या बन रही है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो सारी मल्टीनेशनल कम्पनीज हैं उनको सौ प्रतिशत एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जा रही है जिसके कारण देश में जो मछली खाने वाले लोग हैं उनको मछली नहीं मिल रही है, इस प्रकार की हालत हुई है। आज देश में लगभग 30 करोड़ लोग मछली खाते हैं उनको मछली नहीं मिल रही है इसलिए मछलियों के जो दाम हैं वे भी बढ़ने लगे हैं इस कारण से सारे देश में एक गंभीर समस्या पैदा हो रही है।

मैं मांग करता हूं कि इस गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, पालिसी को रिकंसीडर कीजिए। दूसरी मेरी मांग यह है कि इस प्रकार के जो लाइसेंस दिए गए हैं, वे रद्द करने चाहिए। तीसरी मेरी मांग यह है कि कोई भी नये लाइसेंस नहीं देने चाहिए। साथ ही साथ यह आंदोलन कोई

राजनीतिक पार्टी का नहीं है नेशनल फिशरिज फोरम यह आंदोलन चला रही है उनके साथ सरकार को बातचीत करनी चाहिए। इसके संबंध में सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में प्रधान मंत्री जी को सदन में आकर एक वक्तव्य देना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है और वह वक्तव्य जल्दी से जल्दी आना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, पिछले सप्ताह इस विषय को सभा में उठाने के लिए मैंने पीठासीन अधिकारी की अनुमति ली थी। मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य का पूर्ण समर्थन करता हूं। इससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले परंपरागत मछुआरे गंभीर रूप से प्रभावित हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिये गये लाइसेंस रद्द किये जाने चाहिये। कोई भी नया लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिये । दो दिन पहले मैंने माननीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री तरुण गगोई से मुलाकात की थी और उन्हें एक अभ्यावेदन दिया था और सभा में एक वक्तव्य देने का अनुरोध भी किया था। यह एक गंभीर स्थिति है जिससे 75 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। अतः मैं अपने पूर्व वक्ता का समर्थन करता हूं। हम वक्तव्य चाहते हैं। सभी लाइसेंसों को रद्द किया जाना चाहिये।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : महोदय, मैं इस सम्बन्ध में सरकार से एक वक्तव्य चाहता हूं।

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, यह एक अति गंभीर मामला है। इससे लाखों मछुआरे प्रभावित हैं। सरकार को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार अवश्य करना चाहिये । अगर बहुराष्ट्रिकों को पहले ही लाइसेंस दिये जा चुके है, तो इन्हें सामान्य तौर पर हमारे देश के और विशेष रूप से तमिलनाडु के मछुआरों के हित में रद्द किया जाना चाहिये।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : महोदय, यह एक बहुत ही व्यापक विषय है। इसका हमारे देश के लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ता है और हमारा मत्स्य खजाना भी नष्ट किया जा रहा है। लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं और सारा समुद्र तटीय क्षेत्र वास्तव में परेशान है और इस बात पर वहां के लोगों में उग्र प्रतिक्रिया होगी। कोई भी देश अपने यहां मछली पकड़ने और उन्हें परिस्कृत करने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस पर तुरन्त रोक लगाई जानी चाहिये। इस बारे में तत्काल कदम उठाये जाने चाहिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : उपाध्यक्षजी, श्री राम नाईक ने सदन में बहुत गम्भीर समस्या को उठाया है। इससे पहले भी यहां इस बात की मांग की गई थी कि जिन विदेशी कंपनीज को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का लाइसेंस दिया गया है, उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाये। क्योंकि आज लाखों मछुआरे इस कारण बेकार हो गये हैं और भुखमरी की स्थिति में पहुंच गये हैं। हमारे गुजरात में हजारों मछुआरे इस वजह से बेकार हो गये हैं। सदन में जो इस बारे में मांग की गई है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार तुरंत उनका लाइसेंस रद्द करे और मंत्रीजी यहां बयान देकर हमें बतायें कि इस बारे में सरकार क्या करना चाहती है?

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर) : महोदय, मैं श्री राम नाईक द्वारा अभिव्यक्त विचारों का पूर्ण समर्थन करता हूं। विदेशी कंपनियों को हमारे देश की आर्थिक पूंजी का बेरोकटोक शोषण करने की अनुमति दे दी गई है। यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। ये मछलियों को परिष्कृत करके यहां से दूर ले जा रहे हैं। वे कोई कर अदा नहीं कर रहे हैं। सरकार को किसी प्रकार से लाभ नहीं हो रहा है। हमारे लाखों परंपरागत मछुआरे भारी संकट का सामना कर रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि सरकार जारी किये गये सभी लाइसेंसों को तत्काल रद्द कर दे। मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार संसद में आकर एक वक्तव्य दे। कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिये और इस प्रकार के विदेशी जहाजों के लिए दिए गए लाइसेंस तुरन्त रद्द किये जाने चाहिये। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सभा में आकर नीतिगत परिवर्तन के लिए एक वक्तव्य दे।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम नाईक ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। यह केवल कुछेक लोगों का ही प्रश्न नहीं है बल्कि इसमें वह सारा समुदाय शामिल है जिनकी जीविका का आधार शताब्दियों से यह धन्धा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार एक काल्पनिक दुनियां बसाने के चक्कर में एक आत्मघाती नीति का पालन कर रही है। मैं नहीं जानता कि यह कब अपनी नींद से जागेगी हालांकि लोग इसे अपने-अपने कार्यों से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों और विशेषकर गरीब मछुआरों को इन बहुराष्ट्रिकों का शिकार क्यों बनाया जाये? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई उच्च प्रौद्योगिकी अथवा ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बात है जिससे कि बहुराष्ट्रिकों को आमंत्रित किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि लोग पूर्ण रूप से हतोत्साहित हो गये हैं। मालूम नहीं कि इस राजनीति और इस राष्ट्र का क्या होगा। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आप सरकार को यह वक्तव्य देने के लिए राजी कर लेंगे कि मत्स्य के क्षेत्र में बहुराष्ट्रिकों को आमंत्रित करने की क्या मजबूरी थी। क्या हमारे मछुआरे समस्या का सामना नहीं कर सकते? क्या यह सिर्फ इसलिए किया गया है कि हम कुछ विदेशी मुद्रा अथवा डॉलर चाहते हैं? क्या ये डॉलर समाज को उस तनाव से बचा लेंगे जो प्रतिदिन इसमें बढ़ रहा है।

अभी-अभी मेरे मित्र श्री सुख राम जी अब तक प्रत्येक क्षेत्र की भांति संचार क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी पर बोल रहे थे। मेरे अन्य मित्र भी यहां उपस्थित हैं वह हैं ऊर्जा मंत्री, जो इस देश में ऊर्जा के उत्पादन के लिए बहुराष्ट्रिकों को 16.5 प्रतिशत लाभ प्रदान करने की गारंटी दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने अपनी सोचने-समझने की शक्ति पूर्ण रूप से गवां दी है। भारत सरकार का न तो कोई दृष्टिकोण है और न ही कोई कार्यक्रम। उन्हें बस एक नारा मिल गया है, वह नारा उन्हें बहुराष्ट्रिकों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दिया है और वह उन सभी नीतियों का पालन यह कहते हुए कर रही है कि उसे इस देश के सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है। इस पर राष्ट्रीय सहमति है और और उस राष्ट्रीय सहमति का कल ही प्रदर्शन हो चुका है। मैं नहीं जानता कि यह राष्ट्रीय सहमति कब तक इसे यह आत्मघाती नीति अपनाने की अनुमति देती रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और श्री राम नाईक ने महान सेवा की है। यह हमारे आत्मनिर्भर होने का प्रश्न नहीं है। भगवान इस सरकार को सदबुद्धि दे कि वह स्वयं आत्मघाती न बनें और सारे राष्ट्र को हाहाकारी करने के लिए मजबूर न करें। मुझे आशा है कि लोग इसका विरोध करेंगे और मैं यह मुद्दा उठाने के लिए श्री राम नाईक को बधाई देता हूं। **(व्यवधान)**

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : महोदय, यह सारे भारतीय मछुआरों की सामूहिक आवाज है। हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र के 10 प्रतिशत क्षेत्र में 90 प्रतिशत मछलियां उपलब्ध हैं। उसका अवशोषण विदेशियों द्वारा किया जा रहा है और हमारे गरीब मछुआरे बहुराष्ट्रिकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं।

यह हमारे समुद्र को विदेशियों को बेचने जैसा है। अतः, उन्हें पहले से दिये जा चुके लाइसेंस को तत्काल रद्द किया जाना चाहिये और आगे कोई लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिये। सरकार को हमारे भारतीय मछुआरों को बचाने के लिए अवश्य आगे आना चाहिये।

यहां तक कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी हजारों मछुआरे भूख–हड़ताल पर चले गये हैं। अतः, यह एक गंभीर मामला है और सरकार को भारतीय मछुआरों को बचाने के लिए तुरन्त आगे आना चाहिये। ....**(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपने मंत्रियों को कहिये कि वे सही आचरण करना सीखें। अगर कुछ कहना है और फिर उस पर उन्हें कुछ बोलना है तो उन्हें पहले अपने स्थान पर खड़े होना चाहिये और फिर सदस्यों को बताना चाहिये ... **(व्यवधान)**

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : महोदय, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं बहुराष्ट्रिकों को किसी चीज की गारंटी नहीं दे रहा हूं। ....**(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : जी नहीं, आपने खडे होकर यह कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं .... **(व्यवधान)** महोदय, मैं मंत्री जी की इस तरह की बातें सहन करने वाला नहीं हूं ..... **(व्यवधान)**

श्री एन.के.पी. साल्वे : अगर श्री चन्द्र शेखर जी ने उसे इस प्रकार से समझ लिया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। मैंने जो कुछ कहा था वह यही था कि मैं किसी लाभ की गारंटी नहीं दे रहा हूं। बात सिर्फ इतनी सी थी। .... **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत द्वेष नहीं रखता। मेरे इस नीतिगत मामले पर व्यक्तिगत मतभेद हैं। मंत्री महोदय को हरेक को यह चुनौती नहीं देनी चाहिए कि "आप सच नहीं बोल रहे हैं, आप तथ्य नहीं बता रहे हैं"। मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा है जिसके बारे में मैं संतुष्ट नहीं हूं और मैं श्री साल्वे से कहता हूं कि वे अपनी सीमाओं को जानें और उन्हीं तक सीमित रहें। ... **(व्यवधान)**

श्री एन.के.पी. साल्वे : जब मैंने यह कहा कि मैं किसी लाभ की गारंटी नहीं दे रहा हूं तो मैं अपनी सीमाओं में ही था। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी; मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वह सच नहीं बोल रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वे इस देश के प्रधान मंत्री रह चुके हैं तथा वे एक वरिष्ठ संसदविद हैं। मैंने कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया है। मैंने केवल इतना ही कहा था कि मैंने किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी अथवा किसी व्यक्ति को कुछ लौटाने का वचन नहीं दिया था। मुझे खेद है कि उन्होंने मेरी बात को गलत समझा।..... **(व्यवधान)** महोदय, मुझे खेद है..... **(व्यवधान)** इस विषय पर किसी दिन चर्चा करवाई जा सकती है। मैं इस प्रश्न पर इस समय चर्चा नहीं करना चाहता। **(व्यवधान)** मैं केवल स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। .....**(व्यवधान)** क्योंकि बिना किसी दुर्भावना के की गई एक टिप्पणी के कारण सभा के एक माननीय सदस्य नाराज हो गये हैं, इसलिए मैं उनसे क्षमा याचना करता हूं। मैंने आमने–सामने केवल इतना ही कहा है कि मैंने किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी अथवा व्यक्ति को कुछ लौटाने का वायदा नहीं किया है।...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि माननीय मंत्री पुनः गलत वक्तव्य दे रहे हैं। मैं आमने–सामने कभी बात नहीं करता। उन्होंने यह कहा था कि वे वक्तव्य देने के लिए खडे हो रहे हैं। केवल तभी मैंने कहा था, "खड़े होकर यह वक्तव्य दीजिए कि आप गलत कह रहे हैं।" **(व्यवधान)**

श्री एन.के.पी. साल्वे: मैंने खडे होकर यह वक्तव्य दिया है। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, माननीय मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। मानसून सत्र में चर्चा के दौरान इन्होंने ऊर्जा विषय पर उत्तर देते हुए कहा था कि काऊंटर गारंटी दी जा रही है तथा कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है।**(व्यवधान)**

श्री एन.के.पी. साल्वे : महोदय, माननीय सदस्य कुछ नहीं समझते हैं। काऊंटर गारंटी कुछ लौटाने के लिए नहीं दी जाती है। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : तो किसलिए दी जाती है?

श्री एन.के.पी. साल्वे : इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : आप पहले ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काऊंटर गारंटी दे चुके हैं ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, काऊंटर गारंटी केन्द्रीय सरकार द्वारा ऊर्जा उत्पादन इकाइयों के मामले में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी गई है तथा उन्होंने स्वयं कहा है कि ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि जब माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर बोल रहे थे तो ऊर्जा मंत्री ने कुछ टिप्पणी की थी। यह मामला अब साफ हो गया है। हम मछली पालन के विषय पर आते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मंत्री जी गलत वक्तव्य दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शोभनाद्रीश्वर राव को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। वे ये कहेंगे कि यह समझौता महाराष्ट्र सरकार के साथ हुआ है .... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह मामला हमारे समक्ष चर्चा का विषय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, वे एक तकनीकी उत्तर देकर इससे बचने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए वे सदन को गुमराह कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शोभनाद्रीश्वर राव को बोलने के लिए कहा है । वे बोलने के लिए खडे हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मंत्री जी का वक्तव्य सदन को गुमराह करने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित समय नहीं है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने केवल श्री शोभनाद्रीश्वर राव को बोलने की अनुमति दी है। **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाडा) : महोदय, मैं श्री राम नाईक द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन करता हूं। मै अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री चन्द्र शेखर जी ने पहले ही इस मुद्दे को उचित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर दिया है। हमारे तटीय क्षेत्रों में भी मछुआरों की रोजी–रोटी खतरे में पड रही है क्योंकि सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति दे दी है। हमारे गरीब मछुआरे मछली पकड़कर इसे बेचकर अपना जेवन निर्वाह करने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं जानते। केन्द्र सरकार की वर्तमान नीति इन गरीब मछुआरों की रोजी–रोटी को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। हमारा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस संबंध में वक्तव्य दें कि क्या सरकार इस वर्तमान नीति पर, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसन्न करने के लिए बनाई गई है, पुनर्विचार करने को सहमत है। माननीय मंत्री इस बात का खंडन कर रहे हैं कि सरकार ने कोई गारंटी दी है। परन्तु कुछ मामलों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा कुछ मामलों में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ पहले ही समझौते हो चुके हैं। यह केवल 16 प्रतिशत ही नहीं है बल्कि टैक्स काटकर यह राशि 25 प्रतिशत है और सरकार उन्हें काऊन्टर गारंटी भी दे रही है। अब देश के हितों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास बेचिए मत। आपको इस देश के लोगों के हितों को बेचने का कोई अधिकार नहीं है।

हमारा सरकार से निवेदन है कि वह समुद्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मछली पकड़ने का लाइसेंस देने की वर्तमान नीति पर तुरन्त पुनर्विचार करे। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : महोदय, मेरे सहयोगी श्री राम नाईक ने जो मुद्दा उठाया है उसका इस सदन में बैठे सभी वर्गों के प्रतिनिधियों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर समर्थन किया है। यह मामला पहले भी उठाया जा चुका है। मुझे याद है जब गुजरात से मछुआरों का एक प्रतिनिधिमंडल हमें यहां मिलने आया था तो हमने यह मामला इस सदन में उठाया था परन्तु दुर्भाग्यवश सरकार ने धन संबंधी मामलों में सोच–विचार बंद कर दी है और वह यह पूर्व कल्पना करके आगे बढ रहे हैं कि जो नीति वे अपना रहे हैं उस संबंध में आम जनमत है। इस चुनाव के दौरान कर्नाटक में जब मैं चुनाव अभियान पर था तो मछुआरों का एक दल इस संबंध में मुझे मिला था। वे अपने विनाश की कल्पना कर रहे थे। उनका यह कहना था कि सरकार का बहुराष्ट्रीय कंपनियों को गहरे समुद्र में मछली पकडने का आमंत्रण देना उनके विनाश का कारण बनेगा। उनका यह कहना था कि हम जोकि छोटे लोग हैं लगभग तीन लाख लोग मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। कर्नाटक में 325 से लेकर 350 किलोमीटर तक तटीय क्षेत्र है। दुर्भाग्यवश सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है। इस सदन में व्यक्त किए गए विचारों के अतिरिक्त मैं यह चाहूंगा कि सरकार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में दिए गए निर्णय की ओर ध्यान दे, इसका यह भी एक कारण है। लोगों की भावनाओं के अनुरूप तथा इस सदन की भावना के अनुरूप मैं भारत सरकार से यह चाहता हूं कि वित्त मंत्री अथवा वाणिज्य मंत्री इस सदन में आकर श्री राम नाईक द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में वक्तव्य दें तथा यह कहें कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इस प्रकार गहरे समुद्र में मछली पकडने की अनुमति नहीं देंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं श्री राम नाईक द्वारा उठाए गए मुद्दे का पूर्ण समर्थन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं उड़ीसा में लगभग साढे चार सौ किलोमीटर का समुद्र तट है और लाखों मछुआरे इस पर निर्भर है। हमने समाचार–पत्रों में समाचार पढे हैं आज पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र के सारे मछुआरे उद्वेलित हैं परन्तु सरकार यह बात मानने को तैयार नहीं है कि अगर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज आते हैं तो मछुआरे पूरी तरह से मछली पकडने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए जो भी लाइसेंस दिए जा चुके हैं उन्हें तुरन्त रद्द किया जाए। भविष्य में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा किसी बडी भारतीय कंपनियों को लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। जो भी मछली पकडने वाले बड़े जहाज समुद्र में लाना चाहते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा सरकार को तुरन्त आज ही यह वक्तव्य देना चाहिए कि वे इस नीति को बदलने जा रहे हैं। उन्हें इसके पश्चात कोई लाइसेंस जारी नहीं करना चाहिए तथा जो भी लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पुश्तैनी धंधे पर जिन्दगी गुजारने वाले मछुआरों की संख्या में देश में बहुत बडी है। इनके पास अपने जीवन–यापन के लिए सिवाय मछली मारने के और कोई साधन नहीं है। न इनके पास जमीन है, न कोई नौकरी है और न कोई दूसरा व्यवसाय है। मछली पकडना और उसी से जीवन–यापन करना इनका धंधा है। सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की जो परमीशन विदेशी कंपनियों को दी है, उससे बडा अन्याय और दुष्कार्य और कोई नहीं हो सकता है। इससे ऐसा लगता है कि उनके मुंह की रोटी को छीनने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। मछुआरों में यह भय फैल रहा है कि अब वे अपना जीवन–यापन कैसे करेंगे। हम क्या करें और उन इलाकों में इसके कारण हिंसा

बढ़ रही है और नक्सलवाद पनप रहा है। सरकार की यह कार्रवाई नक्सलवाद को बढ़ाने में योगदान दे रही है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि यह जो परमीशन दी है, इसे तुरन्त वापस ले।

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य वक्ताओं को भी अपने विचार प्रकट करने हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री राम नाईक से सहमत हूं। लाखों मछुआरे अपने जीवन की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। महोदय, आप जानते हैं कि लगभग एक करोड़ मछुआरे लगभग पांच करोड़ व्यक्तियों के साथ, जिनकी देश में अनुसूचित जाति में सबसे बड़ी संख्या है, हड़ताल पर हैं। हम रोज यहां समाज के दलित और कमजोर वर्गों के कल्याण की बात करते हैं। सरकार प्रतियोगिता की बात करती है। लेकिन मछुआरे जो देश में सबसे अधिक गरीब व्यक्ति हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कैसे प्रतियोगिता कर सकते हैं? यह पागलपन है। उनके बारे में कोई योजना नहीं बनाई गई है। यह केवल विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष आत्मसमर्पण और गरीब लोगों का भाग्य बेचना है। हम विदेशी नौकाओं को आने की अनुमति देने संबंधी नीति का विरोध करते है। हम मांग करते हैं कि सभी लाइसेंस रद्द किए जाएं और भविष्य में कोई भी लाइसेंस जारी न किया जाए। गरीब मछुआरों को संरक्षण दिया जाए ताकि इस देश में वे स्वयं अपना जीविकोपार्जन कर सकें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिन मित्रों ने मछुआरों के बारे में बोला है, मैं उनके विचारों से सहमत हूं। इस संबंध में मैं दो बातें कहना चाहती हूं। न तो इस क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी चाहिए और न ही ऐसा है कि हमारे मछुआरे विदेशी मुद्रा नहीं अर्जित कर सकते हैं। वे विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। सरकार किस आधार पर गहरे समुद्र में विदेशी नौकाओं को मछली पकड़ने की अनुमति देकर मछुआरों के लिए कठिनाइयां पैदा कर रही है? मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि इस प्रकार की नीति से ही हाल के चुनावों में उनकी हार हुई है और मुझे आशा है कि वे तत्काल इस नीति में परिवर्तन करेंगे।

श्री ऑस्कर फर्नान्डीज (उदीपी) : महोदय, मैं भी तटीय कर्नाटक का रहने वाला हूं। मछुआरों को यह आशंका है कि विदेशी नौकाओं को अनुमति देने से उन्हें मछलियां नहीं मिलेंगी। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सभा मे एक वक्तव्य दे कि सरकार की क्या मंशा है और वह योजना को कैसे लागू कर रही है। हमें विदेशी नौकाओं को अपने जलमार्ग में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और उन्हें दिए गए लाइसेंस वापिस ले लेने चाहिए। हमें विदेशी नौकाओं को अपने जलमार्ग में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, नई अर्थ नीति बड़ी अनर्थ नीति साबित हो रही है। हर मंत्रालय, हर मंत्री इस होड़ में लग गए है कि कितनी शीघ्रता से अपनी राष्ट्रीय सम्पत्ति का अपहरण करवा दें। एक तरफ 75 लाख मछुआरों का मामला है, दूसरी तरफ गहरे समुद्र में मत्स्य मारने का कार्य विदेशी कंपनियों को देकर हमारे दूरगामी राष्ट्रीय हित पर चोट बढ़ रही है, राष्ट्रीय सम्पत्ति का अपहरण हो रहा है और पृष्ठभूमि में सदन एकमत है। इसलिए सरकार को आदेश दें कि वह बयान दे और इस नीति में परिवर्तन करे। नए लाइसेंस देने बन्द करे, पुराने लाइसेंस रद्द करे। यह राष्ट्रीय हित में है, किसी दल का मामला नहीं है।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं आपके ध्यान में इस प्रश्न का एक अन्य पहलू भी लाना चाहता हूं। हमारे देश में यह कानून और ऐसा प्रावधान भी है कि देश के मछुआरे अपनी स्वदेशी नौकाओं द्वारा समुद्र तट से पांच किलोमीटर दूर तक मछली पकड़ सकते हैं। यह क्षेत्र देश के मछुआरों के लिए आरक्षित होता है और वे स्वदेशी नौकाओं का उपयोग करते हैं। अब ऐसा पता चला है कि विदेशी नौकाओं को उस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जा रही है जो निर्धन मछुआरों के लिए आरक्षित है और उसमें वे स्वदेशी नौकाओं का प्रयोग करते हैं न केवल गहरे समुद्र में, बल्कि छोटी नौकाओं को भी समुद्र में आने की अनुमति दे दी गई और इससे गरीब नागरिकों को जीविकोपार्जन के अवसर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए, मेरे विचार से स्थानीय मछुआरों को समुद्र तट से पांच किलोमीटर के क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति होनी चाहिए और उस क्षेत्र में किसी भी छोटी, बड़ी या मध्यम नौका जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मेरे विचार से सरकार को इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री के.पी. रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि इस देश में विपक्षी दलों की सहमति से कामगर वर्गों के अनेक व्यवसायों को निहित स्वार्थ के कारण खतरे में डाल दिया गया है। नौ वर्ष पहले जनता दल सरकार ने नौकाओं की प्रणाली शुरू की थी। पहले मछुआरे गहरे समुद्र में मछली पकड़ते थे। जनता दल सरकार ने एक नई नीति शुरू की कि प्रत्येक उद्यमकर्ता को ऋण के रूप में एक करोड़ रुपया दिया जाएगा और उद्यमकर्ता स्वयं पांच लाख रुपये देगा। यह योजना तत्कालीन जनता दल द्वारा शुरू की गई थी। उस समय मैं विधायक था और हमने इसका पुरजोर विरोध किया था लेकिन अन्य किसी ने भी इसके विरोध में कुछ नहीं कहा।

[हिन्दी]

यह लोग उल्लू बनाने और बदनाम करने में बहुत माहिर हैं।

[अनुवाद]

अब उन्होंने यह नौकाएं देश के निहित स्वार्थों वाले व्यक्तियों को क्यों दे दी हैं? सैकड़ों, हजारों नौकाओं के साथ-साथ एक करोड़ रुपये का निःशुल्क ऋण दिया गया था। उस समय क्या उन्होंने यह सोचा था कि देश के मछुआरे इस राशि का भुगतान कैसे कर सकते हैं? यहां तक कि 10,000 रुपये के ऋण का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कांग्रेस या जनता दल की सरकार ने ऐसा नहीं किया बल्कि यह अगली सीट पर बैठने वालों का

गठबंधन है जिसने कामगारों के व्यवसायों को छीन लिया है। इस देश ने यह देखा है कि जब तक अगली सीटों पर बैठने वालों का सत्तारूढ दल से गठबंधन नहीं होता है तब तक इस देश में कुछ नहीं किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, राम निवास मिर्धा जी यहां उपस्थित हैं। वह जानते हैं कि सरकार को उत्तर देने के लिए तैयार करना कितना कठिन है। जब तक आप इस बात पर जोर न दे कि उनकी ओर से वक्तव्य होना चाहिए ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : निर्मल जी श्री थामस बोल रहे हैं। उनके बाद तीन या चार सदस्यों को बोलना है तत्पश्चात माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

श्री पी.सी. थामस : निर्मल जी कृपया मुझे बोलने दीजिए। मैं बोल रहा हूं। महोदय, मैं इस सभा के अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करता हूं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मछुआरे इस देश के सबसे निर्धन व्यक्ति हैं और आधे वर्ष वह गरीबी में रहते हैं। जब मौसम खराब होता है तब भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता है। इसलिए हमें यह देखना है कि इससे संबंधित नीति बिलकुल स्पष्ट हो । मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पर वक्तव्य दे और इस पहलू के बारे में नीति स्पष्ट करे। इस सरकार का यह दायित्व है कि वह देखे कि इस देश को लाखों गरीब मछुआरे और करोड़ों लोग जो उन पर निर्भर हैं, की ठीक से देखभाल हो। इसलिए मैं अपने दल, केरल कांग्रेस दल, की ओर से अन्य सभी सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करता हूं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, श्री राम नाईक द्वारा उठाया गया मामला पूरे देश में तात्कालिक महत्व का मामला है। मैं यह नहीं समझ पाया कि सरकार हमारे समुद्र तटों का सार्वभौमिकीकरण क्यों कर रही है। जैसा कि मेरे अन्य मित्रों ने बताया है कि इससे हमारे लाखों मछुआरे प्रभावित हो रहे हैं। केरल में जो कि बहुत बड़ा तटीय क्षेत्र है, मछुआरे जैसा कि मेरे मित्र श्री थामस ने बताया है, को आधा वर्ष भुखमरी का सामना करना पड़ता है। क्या उन्हें पूरे वर्ष भूखा रहना होगा? अभी भी उन्हें मछलियां नहीं मिलती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार मछुआरों को इस बात की गारंटी देने के लिए क्या कदम उठा रही है कि उन्हें मछलियां अवश्य मिलेंगी। उन्होंने लाइसेंस जारी किए हैं और वह अभी भी लाइसेंस जारी कर रही है। क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह यह देखे कि देश के मछुआरों के हितों की रक्षा हो? क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वह देखे कि इस देश के मछुआरों को मछलियां अवश्य मिलें।

आप समाज के अत्यधिक दलित व्यक्तियों के हितों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? महोदय, विदेशी मुद्रा अर्जित करने और उदार नीति अपनाने के नाम पर क्या हमारे अपने लोगों का नुकसान नहीं होगा? जहां तक हमारे राष्ट्रीय हितों और मछुआरों के हितों का संबंध है, यह एक गलत नीति है। सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और सभा को यह बताना चाहिए कि हमारे मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं। इस संबंध में मेरे अन्य मित्रों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से मैं पूर्णतः सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के तटवर्ती इलाकों में परम्परागत तरीके से मछुआरे समुदाय के लोग मछली पकड़ने का काम करते आ रहे हैं। सरकार की तरफ से मछलियां पकड़ने का काम विदेशी कंपनियों को देने का जो ऐलान किया गया है, उसको लेकर मछुआरे समुदाय के लोगों में व्यापक असन्तोष है। अतः सरकार को अपना ऐलान वापस लेना चाहिये। उत्तर प्रदेश में मछलियां पकड़ने का व्यवसाय मछुआरे समुदाय के लोगों के ही हाथ में है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार ने इस सम्बन्ध में जो नीति बनायी हुई है, उसी के समान पूरे देश में ऐसी नीति लागू की जानी चाहिये। मछुआरे समुदाय के लोग जो कि गरीबी और परेशानी के शिकार हैं, उसे दूर किया जाये।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थामस (एरणाकुलम) : महोदय, एक मछुआरा परिवार से होने के कारण मैं सरकार द्वारा 200 विदेशी मत्स्य नौकाओं को लाइसेंस देने के निर्णय का विरोध करता हूं जिससे इस देश की संपूर्ण मछली संपदा बाहर चली जाएगी। सरकार के इस निर्णय के विरूद्ध दलगत भावना से ऊपर उठकर पूरे देश के तटीय क्षेत्र में तीव्र आंदोलन चल रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अब तक जारी किए गए सभी लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिए जाएं और मछुआरों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए ताकि मछुआरों के पक्ष में निर्णय लिया जाए, उनके विरूद्ध नहीं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : महोदय, मैं इस माननीय सभा के सदस्यों की भावनाओं और व्यक्त किए गए विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दे।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार ने विदेशी कंपनियों को लाइसेंस देने का जो नियम बनाया है, वह देश के मछुआरों को बहुत आघात पहुंचाने का काम कर रहा है। इस देश में मछुआरों की संख्या एक करोड़ के लगभग है। उनका एक ही काम मछली पकड़ना और साधारण जिन्दगी व्यतीत करना है। वे लोग भूमिहीन हैं। उनके पास एक इंच जमीन भी नहीं है और दूसरा कोई रोजगार भी नहीं है। भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के नियम बना देना देशद्रोह का काम है। इसलिये मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि विदेशी कंपनियों को लाइसेंस देने की बात वह जल्द से जल्द वापस ले। जिस तरह से बिहार मे मछली पकड़ने के लिये लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है, उसी तरह से देश के दूसरे हिस्सों में भी इसको लागू किया जाये।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक प्वाइंट कहना चाहता हूं। देश के विभिन्न मछुआरों के संगठनों

के ज्ञापन हमें भी प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने अपनी दैनिक स्थिति का चित्रण किया है। जबसे मल्टी नैशनल के द्वारा, बड़े-बड़े जहाजों के द्वारा मछली पकड़ने का काम शुरू हुआ, उनसे उनका जीवन अत्यंत संकटमय और दुखमय हो गया है। इसलिये राम नाईक जी ने जो बात रखी, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मल्टी-नैशनल्स को मछली पकड़ने के क्षेत्र से बहिष्कृत किया जाये और तुरन्त इसके प्रभाव से बंद किया जाये। अतः में मैं इतना ही कहना चाहता हूं :

"गरीब को मत सता, गरीब रो देगा

सुनेगा उसकी खुदा, तो तुम्हें जड़ से खोद देगा।"

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, इस विषय विशेष के बारे में सभा के सभी वर्गों द्वारा व्यक्त विचारों को हमने नोट किया है। विपक्ष के नेता ने ठीक ही कहा है और मैं भी तब वहीं उपस्थित था, कि तटीय क्षेत्रों में इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। मेरे माननीय मित्र श्री ओस्कार फर्नान्डीज ने भी यही कहा है। मैं इस माननीय सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हम संबंधित मंत्री से अनुरोध करेंगे कि वह इस बारे में सभा के समक्ष वक्तव्य दें और यदि इस पर चर्चा करानी होगी तो यह आप पर अथवा माननीय अध्यक्ष महोदय पर निर्भर करेगा। हम इस बारे में मंत्री जी को आज बता देंगे और उन्हें वक्तव्य देने के लिए अनुरोध करेंगे। समय के बारे में निर्णय अध्यक्ष महोदय अथवा उपाध्यक्ष महोदय द्वारा लिया जाएगा। **(व्यवधान)** मंत्री महोदय कल वक्तव्य देंगे।

12.41 म.प.

बम्बई जाने वाली इंद्रायणी एक्सप्रैस रेलगाड़ी का बिना इंजन चालक के चलना

श्री अन्ना जोशी : महोदय, सितम्बर के अंतिम सप्ताह में बम्बई जाने वाली इंद्रायणी एक्सप्रैस रेलगाड़ी मंकी हिल्स से करजांट रेलवे स्टेशन तक 13 किलोमीटर की दूरी तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इंजन ड्राइवर और उसके सहयोगियों के बिना चली। इस गाड़ी में इंजन कर्मचारी और नियंत्रण कर्मचारी नहीं थे। यह गाडी रेल यात्रियों के जीवन को खतरे में डालती हुई अपनी साधारण गति से दुगनी गति से घाटों से होकर गुजरी। मध्य रेलवे में विशेष रूप से बम्बई-पुणे रेलवे लाइन पर इस तरह की आपराधिक लापरवाही की घटनाएं आए दिन हो रही हैं जिससे रेल परिवहन की नित्यचर्या बाधित होती है और यात्रियों को कठिनाई होती है जिसके परिणामस्वरूप जान और करोडों रूपए की संपत्ति का नुकसान होता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें, मामले की गंभीरता से जांच करें। मध्य रेलवे की स्थिति सुधारने के लिए प्रबंध करें और साथ ही ऐसे सभी मामलों की जांच करवाएं और दोषी व्यक्तियों को सजा दें।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, इन्द्रायणी एक्सप्रैस के साथ जो घटना हुई वह बहुत ही गंभीर घटना है। यह इस देश की और यहां तक कि विश्व की भी सबसे भयानक त्रासदी हो सकती थी। इस गाड़ी से सैकडों यात्री यात्रा कर रहे थे और लगभग 40 किलोमीटर तक इस गाडी में कोई ड्राइवर, कोई गार्ड या अन्य कर्मचारी नहीं था। यह गाडी ठाकुरवाड़ी से करजाट स्टेशन की तरफ बहुत तेज गति से अपने आप चल रही थी, यह एक बहुत गंभीर बात है।

हाल ही में बम्बई में उप नगरीय रेल गाड़ियों को बाधा पहुंचाने की बहुत सी घटनाएं हुई। पिछले चार महीनों के दौरान, व्यावहारिक रूप से हर सप्ताह वहां पर ऐसी घटनाएं हुई हैं और कोई भी गंभीर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

जहां तक इस घटना का संबंध है, रेलवे ने अभी तथ्यों के बारे में नहीं बताया है। उन्होंने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। यह एक दैवीय चमत्कार था कि दुर्घटना नहीं हुई, अन्यथा सैकड़ों लोग मर गए होते। अन्ततः जंजीर खींचने और अन्य कई उपकरणों से करजाट पर गाड़ी रूकी और उस स्टेशन पर हर एक ने राहत की सांस ली। यह एक बहुत ही गंभीर बात है और रेल मंत्रालय को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और यह तथ्य उजागर करने चाहिए कि यह सब कैसे हुआ और वे कौन से उपाय करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे (ठाणे) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंद्रायणी एक्सप्रैस घाटी में बगैर ड्राइवर के चली और यह भारत की सबसे भंयकर त्रासदी हो गई होती क्योंकि यह बहुत खतरनाक जगह है। दूसरी बात जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि रेलगाड़ी के पाचवें डिब्बे में आग लग गई थी। करजाट स्टेशन पर जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि पांचवे डिब्बे में एक भी यात्री नहीं था। उसमें कोई सामान भी नहीं बचा था यह सब 5 दिसम्बर को हुआ और जहां तक कि बिना ड्राइवर, गार्ड, सहायक ड्राइवर के गाड़ी चलने का संबंध है इसमें कुछ बुरी दशा थी और उसी वक्त उसी गाड़ी के अलग-अलग डिब्बे में आग लग गई थी। यह आज तक की सबसे भंयकर त्रासदी हो गई होती लेकिन ईश्वर की कृपा से उन्हें करजाट रेलवे स्टेशन पर बचा लिया गया।

मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और इन्द्रायणी एक्सप्रैस गाड़ी के साथ हुई घटना की जांच के बारे में तत्काल वक्तव्य दें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात जोशी जी ने कही है, मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से बतलाना चाहिए कि बिना ड्राइवर और गार्ड के गाड़ी चलती रही। ... **(व्यवधान)**... मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई दुख की बात नहीं हो सकती है। इन मुद्दों पर भी सरकार चुप्पी साधे हुए है हमको तो आश्चर्य लगता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले में आपको सरकार को निर्देश देने चाहिए क्योंकि यह कोई मामूली चीज

नहीं है। यह ठीक है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन यदि एक्सीडेंट हो जाता तो कितने लोग मारे जाते, ऐसा क्यों हुआ?..(**व्यवधान**).. अगर फाटक खुला रहता है तो उसके लिए आप किसी को सस्पेंड करते हैं, डिसचार्ज करते हैं और यहां बिना ड्राइवर के गाड़ी चलती रही तो क्या इसके लिए सरकार से, मंत्री जी से जवाब नहीं मांगा जाएगा, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। यह कोई मामूली चीज नहीं है। होम मिनिस्टर तो चले गए हैं, यह सिर्फ रेलवे मिनिस्ट्री का मामला नहीं है इसमें होम मिनिस्ट्री की भी जवाबदेही होनी चाहिए, भारत सरकार को भी इस पर जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज तक जितने भी एक्सीडेंट हुए उन सब में से यह बहुत सीरियस मामला है कि बिना ड्राइवर और गार्ड के गाड़ी चल पड़ी। इसके लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है? मंत्री जी को सदन में आ करके स्टेटमेंट देनी चाहिए नहीं तो आपको मंत्री जी को निर्देश देना चाहिए, कि वे वहां आकर स्टेटमेंट दें, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : इन्द्रायणी एक्सप्रैस के बारे में श्री अन्ना जोशी जी द्वारा उठाए गए प्रश्न की मैं सराहना करती हूं। सौभाग्य से ईश्वर की कृपा से लोगों को बचा लिया गया। इन्द्रायणी एक्सप्रैस की तरह पिछले महीने चक्रधरपुर रेल दुर्घटना भी हुई। रेल मंत्री जी ने उस जगह का दौरा किया था। उसके बाद किसी विस्तार में गए बगैर और किसी छानबीन के बगैर उन्होंने कहा "चक्रधरपुर रेल दुर्घटना के लिए उनका मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है।" आप यह बात समझेंगे कि दुर्घटना के बाद दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को भी हर तरह से परेशान किया गया। उन्हें अभी तक रेल मंत्रालय से कोई सहयोग नहीं मिला है। वे कहते हैं कि कानून और व्यवस्था की यह स्थिति है। अतः इन सभी मामलों पर राज्य सरकार गौर करेगी"।

उसके बाद मैंने यह मामला रात को 12 बजे के लगभग रेल मंत्रालय के साथ उठाया क्योंकि दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों ने मुझसे कहा कि " हमें हर तरह से परेशान किया जा रहा है। हमें मृत्यु का प्रमाण-पत्र और मृतकों के शव नहीं मिल रहे हैं। रेल विभाग भी हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा है।" आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रेल मंत्रालय ने कहा है कि "वह जिम्मेदार नहीं है"। जी.आर.पी. के लोग भी पीड़ितों को मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर सके हैं। ये बातें हो रही हैं।

अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार को इन्द्रायणी एक्सप्रैस और चक्रधरपुर रेल दुर्घटना के मामलों की जांच करनी चाहिए तथा वक्तव्य देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा न हो और दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों के परिवारों को उचित समय पर मुआवजा और मृत्यु प्रमाण-पत्र मिलने चाहिए।

मैं समझती हूं कि यह एक गंभीर मामला है। लाखों लोग हर रोज रेल गाड़ियों से यात्रा करते हैं। उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। रेल मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए और इस मामले की तुरन्त जांच करवानी चाहिए, दोषी लोगों को दण्डित किया जाना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को ठीक समय पर उचित ढंग से मुआवजा दिया जाए ताकि इस तरह की बातें भविष्य में न होने पाए।.....(**व्यवधान**)......

श्री राम विलास पासवान : सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वासनिक जी क्या सरकार इस बारे में कुछ कहना चाहती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, इन्द्रायणी एक्सप्रैस घटना के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट की गई भावनाओं को मैं माननीय रेल मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा ताकि वास्तविक स्थिति के बारे में सदन में वक्तव्य दिया जा सके।

कुमारी ममता बनर्जी : चक्रधरपुर एक्सप्रैस घटना के बारे में भी वक्तव्य दिया जाना चाहिए। यह बहुत ही गंभीर मामला है। जिसे सदन के बाहर उठाया गया है। उदाहरण के लिए चक्रधरपुर एक्सप्रैस की घटना को लीजिए। इन वक्तव्यों से पता चलता है कि रेल विभाग को इससे कुछ लेना-देना नहीं है और ये जो सब बातें हुई हैं वह रेल व्यवस्था से अलग है। ऐसी बातें समाचार-पत्रों में छपी हैं। अतः प्रश्न यह है कि उन्हें महाराष्ट्र में घटित हुई अविश्वसनीय घटना और चक्रधरपुर एक्सप्रेस के साथ हुई घटना दोनों के बारे में वक्तव्य देने के लिए यहां आना चाहिए था। इस बात से इन्कार करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें यह बताना चाहिए कि रेल विभाग इसकी जिम्मेदार कैसे है और वह क्या मुआवजा दे रहा है।

12.54 म.प.

[हिन्दी]

चीनी आयात के बारे में ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखने के बारे में

श्री जसवंत सिंह (चित्तौडगढ) : उपाध्यक्ष जी, मैं चीनी घोटाले के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इस साल के फरवरी और मार्च महीने में यह स्पष्ट हो गया कि देश में चीनी की भारी कमी है। इसीलिए मार्च महीने में आयात नीति में परिवर्तन किया गया और चीनी का आयात भी शुरू कर दिया गया। मैं सारे विवरण मे नही जाना चाहता। इससे जुडे हुए कई सवाल और समस्याएं पैदा हुई हैं। बाहर से मांग हुई कि इसमें धोखाधडी हो रही है क्योंकि बाहर 200-250 डालर्स प्रति टन चीनी मिल रही थी और सरकार 350-400 डालर्स प्रति टन चीनी का आयात कर रही थी। साथ ही यह भी कहा गया कि इसमें कई बडे-बड़े लोग जुड़े हैं, राजनीतिज्ञ हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जो एक प्रकार से लूट मचाये हुए हैं। जब यह मांग प्रधान मंत्री के दफ्तर मे केन्द्रित होने लगी तो प्रधान मंत्री ने मात्र औपचारिकता के नाम पर जांच के आदेश दे दिये। मैं आपकी अनुमति से उस आर्डर के दो-तीन वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

यह प्रधान मंत्री कार्यालय से जारी आदेश की एक प्रति है :–

"तथ्यों का पता लगाने तथा त्रुटियों के लिए प्रथमदृष्टिया जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए प्राथमिक प्रशासनिक जांच करवाने का निर्णय लिया गया है।"

पहला बातें, रिपोर्ट की जांच करने और उत्पादन इत्यादि के बारे में ठीक–ठीक भविष्यवाणी करने के लिए उठाए कदमों के बारे में, दूसरी बात, निजी व्यापारियों द्वारा संविदा के ब्यौरों की निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए उठाए गए कदम और तीसरी बात आकस्मिक योजनाओं की प्रचुरता हो, के बारे में रिपोर्ट थी।

[हिन्दी]

यह उद्धृत करना इसलिए आवश्यक हो गया कि यह कोई प्राइवेट प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर की आंतरिक जांच नहीं थी। अगर प्रधान मंत्री अपनी प्रशासनिक मशीनरी की जांच के लिए चंद अधिकारियों को बिठा देते कि गलती कहां हुई है यह देखो, तो वह अन्य बात थी। जब जनता में मांग उठी तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने पब्लिक इंक्वायरी की बात कही। यह भी प्रशासनिक जांच ही थी। हमारी मांग थी कि पब्लिक इंक्वायरी को स्पष्ट किया जाये। यह एक पब्लिक इंक्वायरी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी बातों को दबा दिया जाये। इसमें कई और मुद्दे भी उठे हैं। मंत्री जी पर आरोप लगे हैं। मंत्रीजी जब विदेश दौरे पर से लौटे तो उन्होंने अपने अधिकारियों, सचिव पर दोष लगा दिया। सचिव मंत्री पर दोष लगाने लगे। कुछ ऐसा वातावरण पैदा किया जैसे कि शायद सब आपस में आरोप–प्रत्यारोप लगा रहे हों, इसमें कहीं कोई अंगुली प्रधान मंत्री के दफ्तर पर भी उठती है।

यह एक गंभीर मामला है। पीछे भूतपूर्व कैबिनेट सैक्रेटरी ने एक टीवी प्रोग्राम में बताया कि यह घोटाला 500–550 करोड़ का न होकर 2500 करोड़ का है। ये भूतपूर्व कैबिनेट सैक्रेटरी उन दिनों पदस्थ थे। इस तरह से पब्लिक बयान दिया तो मामला और गंभीर हो जाता है। इससे पहले सी.ए.जी. के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश ने इस मामले पर जो रिपोर्ट सरकार को दी है, उसपर संसद का अधिकार बनता है कि यहां पर चर्चा हो। यह नहीं कि बाहर उसको उद्धृत किया जाये, अखबारों में आये, मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी उसपर अपने विचार और विवाद प्रकट करते रहें लेकिन सदन ही ऐसा बच जाये कि यहां पर चर्चा न हो। यहां पर सरकार कुछ करने को तैयार नहीं, इसपर बयान न दे, हम लोगों को चर्चा न करने दें तो यह सब हमें स्वीकार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी चार मांगे हैं–इससे पूर्व चीनी का घोटाला हो चुका है, सीबीआई ने जांच की है, उस बारे में सरकार उसकी पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुये सदन में बयान दे। दूसरी मांग यह है कि श्री ज्ञान प्रकाश जी की रिपोर्ट इस सदन के सभापटल पर रखे। तीसरा, ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट और चीनी प्रकरण को लेकर हुई बयानीबाजी के संदर्भ में सरकार एक विस्तृत बयान दे और चौथी मांग यह है कि सारा घोटाला जो 500-550 करोड़ रूपये का है या 2500 करोड़ रूपये का हुआ है, सदन में इस घोटाले पर चर्चा करने का अवसर सरकार प्रदान करे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र की बैठक शुरू होने से पहले अध्यक्ष महोदय ने सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलायी थी जिसमें इस बात को रखा गया था। यह मसला न केवल राष्ट्रीय मसला था अपितु पिछले 3–4 महीनों में आम जनता को इस करोड़ों रूपये के स्कैंडल के चलते 20 रूपये किलो चीनी खरीदनी पड़ी थी और यह सब सरकार की गलत नीति के कारण हुआ। इस गलत नीति के कारण 2–3 विभागों–खाद्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और प्रधान मंत्री कार्यालय में आपस में खींचातानी चलती रही। यहां तक कि उस समय के कैबिनेट सैक्रेटरी और खाद्य सचिव में आपस में खींचातानी हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि समय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का भाव 225–250 डालर प्रति टन था, सरकार द्वारा समय पर निर्णय न लिये जाने से वही चीनी 400–425 डालर प्रति टन के हिसाब से खरीदी और इसप्रकार सरकार का करोड़ों रूपया यूं ही चला गया। इस प्रकार विदेशी व्यापारियों ने भारत को चीनी बेची लेकिन सबसे खतरनाक बात यह हुई कि सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाये गये। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि इस सदन में बहस भी उस समय की गयी थी और सदन में पूरी चर्चा करने के बाद यह मांग की गयी थी कि इसकी ज्युडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये और यह सब इसलिये कहा गया था क्योंकि इस रिपोर्ट ने प्रधान मंत्री के कार्यालय को अपनी लपेट में ले लिया था।

1.00 म.प.

प्रधान मंत्री कहीं दौरा कर रहे थे। उन तक यह बात पहुंचाई गई कि यह स्थिति पैदा हो गई है, देश में संकट पैदा हो गया है, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और कहा जाता है कि प्रधान मंत्री जो कहीं दौरे पर थे, उन्होंने वहां से स्वयं निर्णय लिया कि इसमें और विलंब करने से यह मसला और ज्यादा खतरनाक होगा, चीनी की कीमत बढ़ेगी और आम जनता को कष्ट भी होगा। चूंकि इसमें तीन चार मंत्रालय, मंत्री और अफसरों के एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप और आपस में खींचातानी की वजह से देश को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और मैंने उस दिन भी कहा था कि एक चीनी का मसला नही है। चीनी का, बोफोर्स का, सिक्यूरिटी स्कैम का, तेल का, ये चार–पांच जो बड़े मसले हैं जिनमें हजारों करोड़ों रूपया देश का गया है और सब भ्रष्टाचार से संबंध रखते हैं। सब पर पर्दा डाला जा रहा है। उस दिन लीडर्स मीटिंग में हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था और वाजपेयी जी को भी याद होगा कि उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट हम पेश नहीं करेंगे। हमने जोर देकर कहा कि अगर आप रिपोर्ट पेश नही करेंगे तो फिर इनक्वायरी किस बात की हुई? फिर उन्होंने कहा कि मैं इसको देख लूंगा कि वह रिपोर्ट पेश की जा सकती है या नहीं। मैं इस बात की मांग करता हूं कि चूंकि वह रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, सरकार तत्काल उस रिपोर्ट को पेश करे और सारे तथ्य सामने आने चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि सिर्फ रिपोर्ट ही पेश न करें, उस पर सदन में बहस करने का मौका भी मिलना चाहिए। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी भी किसी पर फिक्स की होगी। सरकार ने उस रिपोर्ट को पेश करने के बाद क्या किसी के ऊपर जिम्मेदारी फिक्स की या नहीं? क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं और यह बात और गंभीर हो जाती है, सिर्फ इतना ही नहीं कि एक जमाने के कैबिनेट सचिव ने यह कहा कि इसमें ढाई

हजार करोड़ रूपये का मामला है। उन्होंने मंत्री का नाम लेकर कहा कि श्री कल्पनाथ राय जी जिम्मेदार हैं और उनकी वजह से सारी गडबड़ हुई है। सार्वजनिक रूप से तत्कालीन अधिकारी और एक मंत्री का नाम लेकर उनके ऊपर जिम्मेदारी दी तो यह और भी गंभीर मामला हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार को इस वक्त निर्देश दें। संसदीय कार्य मंत्री यहां नहीं हैं। सदन की स्थिति यह है और सरकार की जिम्मेदारी इतनी है कि तीन चार संसदीय कार्य मंत्री हैं और यहां कोई नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मल्लिकार्जुन जी यहां है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मल्लिकार्जुन जी किसी से बात कर रहे हैं। हमने उनको नहीं देखा। संसदीय मंत्री जी हैं तो आप सरकार को आदेश दें कि यह रिपोर्ट सदन में इसी सत्र में पेश की जाए और उस पर बहस की जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं इस मामले को उठाना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ बोलने में तकलीफ है और इसलिए मैने प्रारंभ में मुंह नहीं खोला। श्री जसवंत सिंह जी और श्री चन्द्रजीत यादव ने इस प्रश्न को बडी स्पष्टता के साथ सदन के सामने रख दिया है। शुगर का घोटाला अपनी जगह है। उसकी सदन में चर्चा हो चुकी है। निष्पत्ति कोई नहीं निकली। मांग की गई कि जांच की जाए। अदालती जांच की मांग थी, सरकार ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जनमत के दबाव में, हमलोगों के कहने पर प्रधान मंत्री ने भूतपूर्व सी. एण्ड ए.जी को जांच का काम सौंपा। उसके बारे में प्रधान मंत्री के सचिवालय से एक प्रेस नोट निकाला गया। यह जांच कोई प्राइवेट जांच नही थी। यह स्वान्तः सुखाय नहीं थी कि प्रधान मंत्री ने अपने संतोष के लिए श्री ज्ञान प्रकाश को कहा कि आप जरा तथ्यों का पता लगा लें और मुझे बता दें या कान में बता दें या किसी प्राइवेट तरीके से बता दें। यह स्थिति नहीं थी।

यह प्रधान मंत्री के सचिवालय का प्रेस नोट है। एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी थी, यह ठीक है। प्रिलीमिनरी थी, यह भी ठीक है। और शायद प्रिलीमिनरी के पीछे भाव यह था कि इसमें यदि प्राइमाफेसी केस बनेगा, तो उसके बाद इसमें विस्तृत जांच की जाएगी।

अब उस रिपोर्ट को सदन के सामने नहीं रखा जा रहा है। प्रकाश में नहीं लाया जा रहा है। किस लिए? किसको बचाने की कोशिश हो रही है? यह संदेह होना स्वाभाविक है। शासन में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। खुलापन चाहिए। दुनिया भर में यह चर्चा हो रही है। एक स्कैंडल हुआ। अरबों रूपये के वारे-न्यारे हुए, यह चर्चा हो रही है। मंत्री, उनके सचिव आपस में लड रहे हैं। पुराने कैबिनेट सैक्रेटरी ने गम्भीर आरोप लगाए हैं।

अब रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। इस पर पर्दा डालने का कोई सवाल पैदा नहीं होता और हम सरकार को इस सवाल पर पर्दा डालने भी नहीं देना चाहते हैं। सदन के सामने रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश होनी चाहिए या सरकार आकर बताए कि रिपोर्ट पेश करने में क्या कठिनाई है? क्या राष्ट्रीय हितों पर आंच आने वाली है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पडने वाली है? कौन से ऐसे तथ्य हैं ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट में जो सदन के सामने नहीं रखे जा सकते? रिपोर्ट सदन के सामने नहीं रखी जा सकती है, लेकिन अखबारों में छप सकती है। पूरी की पूरी रिपोर्ट अखबारों में छप रही है और हम पार्लियामेंट के मैम्बर यहां बुद्धू बने बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमें रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए और अखबार वाले कह रहे हैं कि रिपोर्ट तो हमने छाप दी, पढ़ लीजिए। मगर हमें सरकार की रिपोर्ट चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटा मामला नहीं है। यह मामला बहुत बढ़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि एक-दो दिन के भीतर रिपोर्ट सभा के पटल पर रख दी जाए, फिर सदन तय करेगा कि क्या करना है। और यदि आवश्यक होगा, तो हम सरकार से जवाब पूछेंगे। मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की अगर कोई भूमिका बनती है, तो उसके आधार पर चलेंगे। मगर सदन का अधिकार है कि सरकार ने जो जांच करवाई है, उसकी रिपोर्ट से सदन अवगत हो और हम इस आधार पर बल दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : निर्मल जी, एक बजकर दस मिनट हो चुके हैं। पहले ही देर हो चुकी है।

...**(व्यवधान)**...

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। हमें देर हो रही है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : चीनी घोटाले के बारे में जो प्रश्न उठाया गया है उस पर सरकार किसी प्रकार से पर्दा डालने का प्रयास कर रही है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : किसी तरह से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से पर्दा डाल रही है।

श्री श्रीकान्त जेना : सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद ही मंत्रिमंडलीय सचिव ने दूरदर्शन पर जाकर राष्ट्र को बताया कि इस सारे घोटाले में लगभग 2,500 करोड रूपये शामिल है। जब हमने इस मामले पर पिछले सत्र में चर्चा की थी तो सरकार ने कहा था, "जी, हां। जांच की जा रही है और इसकी रिपोर्ट संसद को दे दी जायेगी"। अध्यक्ष महोदय के साथ सभी दलों के नेताओं की बैठक में जब हमने इस मामले को उठाया तो सरकार ने फिर कहा, "हम ऐसा नहीं कर सकते; हम इस पर विचार करेंगे कि रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाये या नहीं।"

1989 के चीनी घोटाले के विषय में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की एक अन्य रिपोर्ट प्रधान मंत्री के पास अभी भी पड़ी हुई है। प्रधान मंत्री महोदय उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उसमें एक मंत्री को अभियोगी ठहराया है। मंत्री जी भी वहीं हैं, और प्रधान मंत्री महोदय भी वहीं हैं और चीनी घोटाले की रिपोर्ट प्रधान मंत्री जी के पास पडी है। एक अन्य रिपोर्ट ज्ञान प्रकाश समिति की है। वह भी प्रधान मंत्री जी के पास पडी हुई है। इस देश के लोग जानना चाहते हैं कि चीनी घोटाले का क्या हुआ। 2,500 करोड रूपया कोई छोटी-मोटी धनराशि नहीं है। वर्षाकालीन सत्र के

दौरान इस मुद्दे पर हमलोग काफी उत्तेजित हुए थे। इस शीतकालीन सत्र तक कुछ भी नहीं किया गया है। यह मात्र औपचारिकता ही नहीं है कि विपक्ष इसे सिर्फ रिकॉर्ड के लिए उठायेगा और न तो प्रधान मंत्री, न संसदीय कार्य मंत्री और न संबंधित मंत्री इसका कोई जवाब देगा। यह एक गंभीर मामला है। हम इसे आज ही चाहते हैं। कल या परसों यह एक गंभीर मामला बन जायेगा क्योंकि सरकार इस सभा में यह रिपोर्ट पेश नहीं कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : निर्मल जी देर हो रही है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें इस मुद्दे पर अपनी भावनायें अभिव्यक्त करनी हैं, अन्यथा लोग कहेंगे कि जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी, उस समय आप क्या कर रहे थे। और इसीलिए हमें इस विषय पर अपनी बात कहनी है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक झूठी कहानी है। इसका एक पहलू सरकार की अकर्मण्यता है अर्थात मंत्रालय और नौकरशाही के बीच संबंधों को दर्शाता है। इस सारे प्रकरण का दूसरा पहलू यह है कि यह आर्थिक नीति के कार्यान्वयन को भी दर्शाता है। मैं आपको इसकी याद दिलाना चाहता हूं। निजी क्षेत्र को चीनी के आयात के लिए खुला लाइसेंस प्रदान किया गया जबकि उसी दौरान सरकारी क्षेत्र को इसके लिए इनकार कर दिया गया। नई आर्थिक नीति का यही सार है जिसकी झलक हमें यहां देखने को मिलती है। इसका तीसरा पहलू यह है कि इससे एक लाख करोड़ नहीं जैसा कि शेयर घोटालों में हुआ था, बल्कि जैसा कि आम तौर पर होता है, बहुत बडी आय हुई है। अनुमान यह है कि इसका हिस्सा न केवल अंतर्राष्ट्रीय चीनी निर्माता संघ को मिला है बल्कि यह घरेलू उत्पादकों और सरकार तक भी पहुंचा है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आश्चर्यजनक परिणाम आने के महत्वपूर्ण कारणों में से एक प्रधान मंत्री के कार्यालय अथवा स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा कार्यवाही न करना भी है। वह इस पर रिपोर्ट को लेकर बेठे हुए हैं। निःसंदेह इस पर मत-वैभिन्नय है कि इस रिपोर्ट में दोषी कौन है और यह रिपोर्ट संसद के सामने पेश की जानी चाहिये या नहीं। मेरा एक अनुरोध है वह रिपोर्ट संसद में पेश की जाये अथवा......

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बडी मेहरबानी होगी अगर....

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मुझे दो वाक्य और बोलने हैं। एक पूर्व मंत्रीमंडलीय सचिव ने खुला वक्तव्य दिया है। चाहे जो भी हो, हम चाहते हैं कि इसकी जांच पडताल करने के लिए एक और संयुक्त संसदीय समिति गठित की जानी चाहिये। वहां इन सभी लोगो को गवाहों के रूप में बुलाया जाना चाहिये और हमें अपनी रिपोर्ट पेश करनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, मैं इसपर कुछ कहना तो नहीं चाहता था लेकिन यह सीधा करप्शन का मामला है और पी. एम.ओ., कल्पनाथ राय और सारे मंत्री इसमें फंसे हुए हैं। वे इस मामले को हश-अप करना चाहेंगे। जिस दिन हाउस में ए.टी.आर. पर बात चली थी, उस दिन मैंने अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि आप इसे लें। उन्होंने कहा था कि इसे बाद में लेंगे। लीडर ऑफ औपोजीशन ने दो दिन का समय दिया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप मंत्री जी से कहिए कि कल इसे सदन में रखें। यह बहुत गंभीर मामला है।..**(व्यवधान)**

कर्नाटक में सरकार चली गई क्योंकि वहां मेन मुद्दा करप्शन का था और यही करप्शन इनको आगे भी ले डूबेगा।..**(व्यवधान)** ये डूबें तो डूबें लेकिन हमको देश की चिन्ता है कि ये देश को क्यों डुबो रहे हैं। इसमें पी.एम.ओ. से लेकर मंत्री तक फंसे हुए हैं इसलिए हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। आप मंत्री जी से कल जवाब देने के लिए कहिए और यदि जवाब नहीं दिया जाएगा तो करप्शन के मामले में हम किसी भी दूरी तक जा सकते हैं, यह मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हालांकि एक-दो सदस्य बोलने के बहुत इच्छुक हैं, लेकिन समय की कमी के कारण मुझे अगला विषय लेना पड़ रहा है। कृपया आप इसके लिए मुझे क्षमा करें।

अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे

1.14 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

1. (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. : 6525/94]

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा मारमागाओ गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (मर्चेन्ट नेवी में अभियान्त्रिक अधिकारियों की परीक्षा) संशोधन नियम, 1994 जो 4 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 738 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 6526/94]

(2) (एक) मारमागाओ गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मारमागाओ गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 6527/94]

(3) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6528/94]

(4) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6529/94]

(5) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास, के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6530/94]

(6) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6531/94]

(7) (एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6532/94]

(8) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6533/94]

(9) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6534/94]

(10) (एक) मारमुगाव पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) मारमुगाव पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6535/94]

(11) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6536/94]

(12) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6537/94]

(13) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6538/94]

(14) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1993–94 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6539/94]

(ख) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1993–94 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6540/94]

(ग) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन के वर्ष 1993–94 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6541/94]

(घ) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1993–94 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6542/94]

(ङ) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6543/94]

(च) (एक) मारमागाओ पत्तन न्यास के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मारमागाओ पत्तन न्यास के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6544/94]

(छ) (एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1993–94 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6545/94]

खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1994 तथा नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन।

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :–

(1) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम 1994, जो 27 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 724 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6546/94]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6547/94]

(दो) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6548/94]

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1990-91 तथा वर्ष 1991-92 आदि के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1995 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) :–

(क) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1990–91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1990–91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6549/94]

(ख) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1991–92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1991–92 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6550/94]

विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी रंगय्या नायडू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6551/94]

(3) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1994–95 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6552/94]

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण के बारे में सरकार द्वारा विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण के बारे में सरकार द्वारा विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6553/94]

(2) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6554/94]

(3) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बड़ोदरा के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बड़ोदरा के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6555/94]

(4) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6556/94]

(5) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, (पंजाब विश्वविद्यालय), चंडीगढ के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, (पंजाब विश्वविद्यालय), चंडीगढ के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6557/94]

(6) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6558/94]

(7) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6559/94]

(8) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तमिलनाडु के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तमिलनाडु के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6560/94]

(9) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6561/94]

(10) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6562/94]

(11) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6563/94]

(12) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, (ग्रामीण तथा औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र), चंडीगढ़ के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, (ग्रामीण तथा औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र), चंडीगढ़ के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6564/94]

(13) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6565/94]

(14) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6566/94]

(15) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6567/94]

(16) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6568/94]

(17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कलकत्ता के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कलकत्ता के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6569/94]

(19) (एक) लाला राम सरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एण्ड एलाईड डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला राम सरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एण्ड एलाईड डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6570/94]

1.14½ म.प.

लोक लेखा समिति

छिहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 'दूरदर्शन वाणिज्यक सेवा' संबंधी चौथे प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का छिहतरवां प्रतिवेदन) (हिन्दी तथा अंग्रेजी) प्रस्तुत करता हूं।

1.15 म.प.

भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) संशोधन विधेयक *

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री तरुण गगोई : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

1.15½ म.प.

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली संशोधन विधेयक *

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है :

> "कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.15 म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.16 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2.15 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

---

* दिनांक 12 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 2 में प्रकाशित।

2.25 म.प.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.25 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खान श्रमिकों के लाभ के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की आवश्यकता

कुमारी सुशीला तिरिया (मयूरभंज) : उपाध्यक्ष महोदय, उडीसा राज्य के क्योंझर और मयूरभंज जिलों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक उप–क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खान मजदूरों की मांग न्यायोचित है, क्योंकि ये दोनों जिले पहाडों और वनों से घिरे हुए हैं तथा यहां प्राकृतिक संपदा वन खनिज आदि भी बहुत अधिक हैं। यद्यपि सरकार को इन स्रोतों से बहुत अधिक रायल्टी मिलती रही है, तब भी कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण उक्त दोनों जिलो के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और आदिवासी निर्धन खान मजदूरों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहा है।

मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करती हूं कि वह क्योंझर और मयूरभंज के 75,000 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और आदिवासी निर्धन अशिक्षित खान मजदूरों के कल्याण हेतु एक विशेष मामले के रूप में इन दोनों जिलों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक उप–कार्यालय खोले।

(दो) तमिलनाडु में यूरिया की समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री पी.पी. कालियापेरुमल (कुड्डालोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार का ध्यान नियम 377 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

देश में यूरिया की कुल खपत एवं प्रति हैक्टेयर खपत हर वर्ष बढ़ती जा रही है। देश में यूरिया की मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच काफी अन्तर है। देश के विभिन्न भागों से यूरिया की कमी होने की खबरें मिली हैं। तमिलनाडु में इसकी आपूर्ति बहुत कम है जबकि मांग बहुत अधिक है।

चूंकि यूरिया नियंत्रित उर्वरक है और इसकी आपूर्ति अधिकृत डीलरों के माध्यमों से की जाती है, इसलिए सरकार के नियंत्रण के बावजूद इसकी बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। यूरिया की जमाखोरी की जा रही है और इस प्रकार डीलर यूरिया की कृत्रिम कमी भी बनाये हुये हैं। तमिलनाडु में यूरिया 171.50 रूपये प्रति 50 किलोग्राम की बोरी के नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है। यह 215 रूपये प्रति 50 किलोग्राम की बोरी के हिसाब से बिक रहा है। इसके अलावा किसानों को यूरिया लेने के लिए अन्य उर्वरक भी खरीदने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा यूरिया का बिक्री

मूल्य 20 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। इन सभी कारणों से तमिलनाडु के विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तुरन्त यूरिया की आपूर्ति करके तथा राज्य सरकार को तमिलनाडु में यूरिया की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश देकर तमिलनाडु को यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करे।

(तीन) उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर और ललितपुर क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, झांसी–ललितपुर संसदीय क्षेत्र में ललितपुर और मऊरानीपुर में औद्योगिक विकास की बहुत संभावनायें हैं। यदि उन संभावनाओं को विकसित किया जाए, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड के जो चारों ओर के जिले हैं, उन सभी का तेजी से औद्योगिक विकास हो सकेगा। ये दोनों ऐसे जिले हैं, जो बिजली, सडक, पानी और रेलवे इत्यादि को आवागमन की पूर्ण सुविधा प्रदान करते हैं। यहां पर भूमि भी काफी अधिक और आसानी से उपलब्ध हो सकती है। यदि इस ओर सरकार विशेष कार्यवाही करती है, तो बुन्देलखंड व विंध्य क्षेत्र का आर्थिक विकास बडी मजबूती और तेजी से हो सकता है।

भारत सरकार ने समय–समय पर बड़े उद्योगों को मऊरानीपुर और ललितपुर में स्थापित करने की बात सदन में कही है, परन्तु इस पर आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि विंध्य व बुन्देलखंड के आर्थिक विकास के लिए मऊरानीपुर और ललितपुर में भारत सरकार उद्योगों को शीघ्र स्थापित करे और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाये।

[अनुवाद]

(चार) इलाहाबाद स्थित भारत पम्प एण्ड कम्प्रेशर लिमिटेड के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए समुचित वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद में स्थित भारत पम्प एंड कम्प्रेसर लि. (बी.पी.सी.एल.) कार्यरत है जो कि देश–विदेश में महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है। पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, न्युक्लियर पावर, ओ.एन.जी.सी., इंडियन ऑयल कारपोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भारत पम्प एंड कम्प्रेसर द्वारा निर्मित अधिकांश पम्प तथा कम्प्रेसर्स कार्यरत हैं। कंपनी द्वारा निर्मित सामान की तकनीक बहुत ही उच्च स्तर की है। विदेशों में भी यह कंपनी अपनी गुणवत्ता स्थापित कर चुकी है। अभी हाल ही में भारत पम्प एंड कम्प्रेसर्स लि. ने अल्जीरिया को दस करोड़ रूपये का सामान निर्यात किया। आई.सी.आई.सी.आई., जोकि बी.आई.एफ.आर. का आपरेटिंग संस्था है उसने भी इस कंपनी को चलने हेतु उपयुक्त पाया है तथा सहायता हेतु अपनी संस्तुति की है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि देश के विकास में बी.पी.सी.एल की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए तथा इसमें कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए इस कंपनी को शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान कर इसका पुनरूद्धार किया जाये।

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा के देवगढ़ जिले में तिलिय बानी खण्ड को जनजातीय विकास अभिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उडीसा के देवगढ़ जिले में तिलिय बानी खण्ड बहुत ही पिछडा हुआ है और इस खण्ड में आदिवासियों का प्रतिशत भी बहुत अधिक है। परन्तु यह खेद की बात है कि यद्यपि आसपास के खण्डों को उसी स्थिति में जनजातीय विकास अभिकरण खण्डों के रूप में घोषित कर दिया गया है। परन्तु इस खण्ड को उक्त लाभ नहीं मिल रहे हैं जिसके कारण लोगों में असन्तोष फैला हुआ है।

अतः केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस तिलिय बानी खण्ड को शीघ्र ही जनजातीय विकास अभिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाये। इससे उपेक्षित क्षेत्र को विकास का अवसर मिलेगा जहां पर जनजातीय जनसंख्या की बाहुल्यता है।

(छः) उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत वन भूमि से विस्थापित थारू आदिवासियों को वैकल्पिक भूमि प्रदान करने की आवश्यकता

डा. जी.एल. कनौजिया (खीरी) : थारू आदिवासी जो सदियों से वनों में रह रहे हैं, वे वन अब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत आ गये हैं, इसलिए उन आदिवासियों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। वन अधिनियम सन् 1972 के बाद पारित किया गया था, जबकि ये लोग उन वनों में बहुत लम्बे समय से रह रहे हैं और अब इस समय ये 22 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत इकट्ठे रहते हैं। बेलापससुवा के निकट गोलबूजी ग्राम पंचायत जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है, के लोगों को वहां से बलपूर्वक बेदखल किया जा रहा है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि यदि थारू आदिवासियों को बेदखल किया जाता है, तो इन्हें वैकल्पिक भूमि और न्यूनतम देय आवास ऋण प्रदान किया जाये ताकि ये लोग बेघर और बेसहारा न रहें।

2.35 म.प.

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प

और

विशेष संरक्षा ग्रुप (दूसरा संशोधन) विधेयक

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 16 नवम्बर, 1994 को प्रख्यापित

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 12) का निरनुमोदन करती है।"

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्रीय देश के अंदर संसद का अपना महत्व होता है। कोई भी इस प्रकार का महत्वपूर्ण संशोधन या अधिनियम में किसी प्रकार का परिवर्तन संसद के माध्यम से होना चाहिए। कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जिसके हाथों में देश की बागडोर है, यह संसद के महत्व को निरंतर कम करती चली जा रही है। अगर संशोधन लाना अत्यन्त आवश्यक था तो 25 अगस्त को ही लाना चाहिए था जब पिछला अधिवेशन संसद का सम्पन्न हुआ था। इनको अगर अपने नेताओं की चिंता होती या स्वर्गीय प्रधान मंत्री के परिवार की चिंता होती तो पहले ही इस प्रकार का संशोधन लाया जा सकता था। हमारे आलोचना करने के बावजूद भी यह सरकार समय पर कदम नहीं उठाती है और जब समय चला जाता है तब अध्यादेशों का सहारा लेकर, संशोधन करके अधिनियम संसद के सामने पेश करती है कि अब इस अधिनियम को पारित किया जाए। मैं सरकार की इस प्रवृत्ति की घोर निंदा करता हूं।

हमारे संविधान निर्माताओं ने और लोकतंत्र के जितने महान व्यक्ति हुए हैं उन सभी ने जैसे मावलंकर जी व पंडित जवाहर लाल जी ने कहा था कि अध्यादेश तो तभी लाना चाहिए जब देश के किसी राज्य में वह कानून की दृष्टि से जरूरी हो अथवा आपातकाल की स्थिति पैदा हो गयी हो या किसी अपरिहार्य कार्य से अध्यादेश लाना जरूरी हो। अन्यथा सरकार को दूरदर्शिता का परिचय देते हुए समय से पूर्व ही उन कानूनों के अंदर जहां संशोधनों की आवश्यकता होती है संशोधन लाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ समय से वह लोग जिनके हाथ में देश की बागडोर है संसद का और हमारी संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन करते चले जा रहे हैं। किसी भी निर्णय की घोषणा संसद के बाहर हो जाती है या महामहिम राष्ट्रपति जी का सहारा लेकर अध्यादेश जारी कर दिया जाता है और बाद में संसद के अंदर वह चीज आती है। सरकार फिर अपनी मजबूरी प्रकट करती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार की अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति की निंदा करता हूं।

नम्बर दो, यह कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं था। इसमें जो कारण दिया गया है कि एक दिसम्बर को सोनिया जी और उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा का पांच साल का जो समय था वह खत्म होने वाला था और उसे दस साल तक बढ़ाना आवश्यक था। अगर ऐसी बात थी तो 25 अगस्त को भी उनको इस बात का पता था। एस. पी.जी. के माननीय गृह मंत्री जी यहां विराजमान हैं उन्होंने इसका गठन करते समय हमारे जितने भी वी.वी.आई.पीज या प्रधान मंत्री हैं या थे या प्रधान मंत्री रह चुके हैं उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया था, तो उनके आई.जी., डी.आई.जी. या उनके अधिकारी उनके ध्यान में यह बात ले आते या उनके गृह सचिव जी का यह काम था कि समयावधि खत्म होने वाली है और अभी अधिवेशन चल रहा है तो संसद के अंदर इसे पहले लाया जाये। परन्तु उस समय तो लाए नहीं और बाद में जब एक दिसम्बर को यह अवधि समाप्त होने वाली थी और सात दिसम्बर से संसद का अधिवेशन शुरू होने वाला था, यह सरकार पहले अध्यादेश ले आई। यह प्रवृत्ति गलत है और यह एक प्रकार से हमारी शक्तियों का अवमूल्यन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूरदर्शिता का परिचय देते हुए पहले यह करना चाहिए था।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एस.पी.जी. का गठन 1988 में जिस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था और जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया था, क्या उनकी पूर्ति हो रही है? समाचार-पत्रों में छपता रहता है कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाने की सोच रहे हैं। क्योंकि उनके लिए एस.पी.जी. का सुरक्षा घेरा एक समस्या बन गया है। उन्हें लगता है कि मैं इन्हीं से घिरा रहता हूं और ये लोग साये की तरह, भूत की तरह मेरे साथ लगे रहते हैं। इस पर भी सरकार को सोचना होगा। सरकार चाहती है कि प्रधान मंत्री की, पूर्व प्रधान मंत्रियों की और अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा होनी चाहिए। लोक सभा के पिछले चुनाव में हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए दक्षिण भारत में श्रीपेरूम्बुदूर नामक स्थान पर गये थे। वहां पर एक बम दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। इसमें सरकार की ओर से या अन्य लोगों की ओर से क्या-क्या खामियां रहीं, इसके लिए वर्मा आयोग और जैन आयोग का गठन किया गया। इनकी कुछ रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, बाकी पर काम चल रहा है। लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल सका है कि सरकार की ओर से क्या खामी रही। इसके बारे में संसद को जानकारी होनी चाहिए।

हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी जो इस समय चण्डीगढ़ के पी.जी. आई अस्पताल में मौत से संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ भी इसी तरह की दुर्घटना हुई। उनकी सुरक्षा में जो लोग थे उनकी कार ज्ञानीजी की कार से आगे निकल गई और पीछे से पूर्व राष्ट्रपति जी की कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे यह दुर्घटना हुई। वहां पर एस. पी.जी. के लोग क्या कर रहे थे? इस बारे में संसद में कई माननीय सदस्य अपनी चिंता प्रकट कर चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा संसद को और जनता को इस बात से अवगत नहीं कराया गया कि यह कैसे हुआ, क्या यह मात्र दुर्घटना थी या कोई साजिश थी? ऐसे ही एस.पी.जी. के जवानों और अधिकारियों के बारे में छपता रहता है कि कोई जवान नशे में था और उसके हथियार से गोली चल गई या प्रधान मंत्री निवास के पिछवाड़े इन्हीं लोगों द्वारा गोली चलाई गई या कहीं पर किसी अन्य हथियार से धुआं व्याप्त हो गया। इन लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, ये लोग दिन-रात नेताओं के साथ रहते हैं, फिर भी इस तरह की घटनायें हो जाती हैं, जिसके कारण एस.पी.जी. की आलोचना होती रहती है। सरकार जो अधिनियम ला रही है, मैं प्रार्थना करूंगा कि इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए वह इस बारे में भी सोचे।

हमारे अर्धसैन्य बल हैं, जैसे बी.एस.एफ. है, सी.आर.पी.एफ. है, सी.आई.एस.एफ. है, आई.टी.बी.पी. है, एस.पी.जी. है इन सबको भी लेटेस्ट टेक्नोलाजी का प्रशिक्षण देना चाहिए, आधुनिकतम हथियारों की जानकारी दी जानी चाहिए। और इन्हें उपलब्ध कराने चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि आतंकवादियों के पास नये-नये हथियार आ जाते हैं और वे रिमोट कंट्रोल बम द्वारा कहीं भी कोई दुर्घटना कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा यही निवेदन है कि हमारे अर्धसैन्य बलों को भी इस बारे में पूर्ण प्रशिक्षण देना चाहिए।

मैं पुनः कहना चाहता हूं कि विशेष सुरक्षा ग्रुप जिन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया था वह अपने उद्देश्यों में जितना प्रभावी, सक्षम और सफल होना चाहिए था, उतना नहीं हो पा रहा है। और पिछले चुनावों के दौरान हमारे प्रधान मंत्री दक्षिणी राज्यों के दौरे पर गये थे जहां पर उनकी सुरक्षा में खामियां पायी गयी थी, ऐसा समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला था। मेरा कहना यह है कि कौन–कौन सी कैटेगरी के लिये किस प्रकार के एस.पी.जी. लगाये जाते हैं, कैसी व्यवस्था की जाती है इस बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस संबंध में कई बार चिन्ता व्यक्त की गयी है। संसद सदस्य अपने क्षेत्र में जाते हैं जहां उनको कई विरोधों का सामना करना पड़ता है। समाज में आज यह भावना व्याप्त होती जा रही है कि जब प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है तो आम नागरिकों के लिये क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जम्मू में बस को बम से उड़ा दिया जा रहा है और पीछे पंजाब में भी ऐसा होता रहा है हालांकि वहां स्थिति सुधार हुआ है परन्तु फिर भी आम जनता के दिल में आतंकवादियों का भय घर कर गया है। इतना ही नहीं नागालैंड, मणिपुर और तमिलनाडु में लिट्टे जैसे उग्रवादियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ऐसी अवस्था में यह स्पष्ट होना चाहिये किस कैटेगरी के लिये कौन कौन से एस. पी.जी. नियुक्ति की जायेगी। इसमें किस व्यक्ति को स्वेच्छा से या प्रार्थना करने पर यह सुरक्षा दी जायेगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या 10 जनपथ से भी यह प्रार्थना प्राप्त हुई है? क्या सरकार केवल प्रधान मंत्री के परिवार के लोगों के लिये चिन्तित है या पूर्व प्रधान मंत्री के परिवार के लोगों के लिये भी यही भावना रखती है? इसके अतिरिक्त आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों के बारे में भी चिन्तन और विचार करना चाहिये क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। हर नागरिक के जीवन की सुरक्षा का संवैधानिक दायित्व सरकार का है। कानून बना लेने से ही खाली इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो मालूम ही है कि हमारे स्व. प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री खुलेआम जनता से मिलते थे और उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि आम जनता की बातों को सुनने के लिये उनको रोका जाता। आज यदि कोई आदमी अपना दुखड़ा रोने के लिये किसी से मिलना चाहता है तो एस.पी.जी. वाले उनको मिलने नहीं देते हैं। इस मामले में एस. पी.जी. वाले उस व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उन लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि कौन आदमी आमन्त्रित है या कौन नहीं है? उन व्यक्तियों को अपनी समस्यायों को बतलाने के लिये अनुमति मिलनी ही चाहिये क्योंकि यह अत्यंत आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि अध्यादेश लाने वाली यह प्रवृत्ति अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक है और इसकी निन्दा की जानी चाहिये। सरकार को इस तरह से अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति से बचना चाहिये। संसदीय गरिमा और मर्यादा को बनाये रखने के लिये, संविधान का मान–सम्मान बनाये रखने और उसमे प्रदत्त शक्तियों को प्रबलतम बनाने के लिये सरकार को कानून सीधा संसद में लाना चाहिये जिसे अध्यादेश के द्वारा लाकर बाद में संपुष्टि के लिये लाना एक प्रकार से लोकतंत्र के लिये उचित नहीं कहा जा सकता है। जैसा मैंने पहले कहा विशेष सुरक्षा ग्रुप के प्रशिक्षण, अधिकार, सुविधायें और उन सैनिकों की कठिनाईयां हैं जिसमें कई बार गांव के लोग आते हैं। उनकी ट्रेनिंग मानेसर मे होती है इसलिये मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करें। यह तो अनुशासन का तकाजा है कि वे लोग बड़े–बड़े अधिकारियों के सामने कुछ कह नहीं सकते हैं। उनमें से कई लोगों के परिवार के लोग मिलने जाते हैं, बातचीत होती है कि 24 घंटे की एस.पी.जी. के व्यक्ति की ड्यूटी रहती है और रात–दिन ध्यान रखना पड़ता है।

लेकिन वह रक्षा करते हुए मौत के घाट उतर जाए तो उनके परिवारों के बारे में भी हमें चिन्ता करनी पड़ेगी। उनके घर वालों को नौकरी देने के बारे में चिन्ता करनी पड़ेगी, उनकी सुख–सुविधाओं के बारे में चिन्ता करनी पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपनी ओर से अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में जो पहले पांच साल के लिए थीं, उसको और बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की है? मैं आपके माध्यम से सरकार को एक चेतावनी देना चाहूंगा कि जहां कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, वहां पर आपके ही लोग जिस प्रकार से आवाज करते हैं, नारे लगाते हैं, वहां पर उनके ऊपर अंकुश लगाने का प्रयत्न होना चाहिए। भीड़ आवाज लगा रही है कि मंच पर लाओ, मंच पर बैठाओ । प्रधान मंत्री का भाषण अलग हो रहा है, और नेता लोग अलग हो रहे हैं और सोनिया जी का गुणगान अलग हो रहा है। तो ऐसे समय में ऐसे असामाजिक तत्व कहीं तथाकथित अनुयायियों के रूप में छद्म वेश में सामने न आ जाएं और उनको तथा उनके परिजनों को आघात न पहुंचाएं, यह भी चिन्ता का प्रश्न होना चाहिए। इसके बारे में भी दलीय अनुशासन की दृष्टि से आपका संगठन विचार करे तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :–

> "कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सम्माननीय सभा विशेष संरक्षा ग्रुप संशोधन विधेयक, 1994 पर विचार करे। विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 विशेष संरक्षा ग्रुप का गठन करने और इसके कार्यकरण को विनियमित करने हेतु अधिनियमित किया गया था, जो कि प्रधान मंत्री और उनके परिवार के निकटतम सदस्यों की प्रत्यक्ष सुरक्षा के लिए उत्तरदायी था। उक्त अधिनियम में 1991 में संशोधन होने के बाद भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों तथा उनके परियार के निकटतम सदस्यों को भी, भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों के कार्यकाल की समाप्ति से लेकर 5 वर्ष तक के लिए, विशेष संरक्षा ग्रुप द्वारा निकटतम (प्रौक्सीमेट) सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया गया था। विशेष संरक्षा ग्रुप वर्तमान में स्वर्गीय राजीव गांधी के परिवार

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

और भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री वी.पी. सिंह और श्री चन्द्र शेखर तथा उनके परिवार के निकटतम सदस्यों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है।

इस अधिनियम के वर्तमान उपबंधों के अनुसार, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का परिवार विशेष संरक्षा ग्रुप द्वारा 1.12.1994 से सुरक्षा का हकदार था जबकि श्री वी.पी. सिंह तथा श्री चन्द्र शेखर के मामले में सुरक्षा कवच क्रमश 9.11.1995 और 20.6.1996 को समाप्त होगा। 15.6.1994 को राज्य सभा में एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या श्रीमती सोनिया गांधी को विशेष संरक्षा ग्रुप का सुरक्षा कवच और पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मैंने सभा को आश्वासन दिया था कि सरकार का विचार इस अवधि को बढ़ाना है और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के परिवार के सदस्यों को पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी विशेष संरक्षा ग्रुप द्वारा सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना है।

विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 के संशोधित उपबंधों के अनुसार स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के परिवार में श्रीमती सोनिया गांधी और उनके दो बच्चे विशेष सुरक्षा ग्रुप के तहत 1 दिसम्बर, 1994 तक सुरक्षा के हकदार थे। क्योंकि श्री राजीव गांधी ने 2.12.1989 को प्रधान मंत्री का पद छोड़ दिया था।

श्रीमती सोनिया गांधी और उनके बच्चों के जीवन पर मंडराते हुए खतरों को देखते हुए सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उन्हें और पांच वर्ष के लिए विशेष संरक्षा ग्रुप द्वारा सुरक्षा का जारी रखा जाना आवश्यक है। सरकार यह भी महसूस करती है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों और उनके निकट परिवार के निकटतम सदस्यों को भी अगले पांच वर्ष तक विशेष संरक्षा ग्रुप द्वारा सुरक्षा देना आवश्यक है।

चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और उपर्युक्त संशोधन 1 दिसम्बर, 1994 से पहले किया जाना था, इसलिए राष्ट्रपति जी से विशेष संरक्षा ग्रुप संशोधन विधेयक, 1994 को प्रख्यापित करने का अनुरोध किया गया था इसलिए इसे 16 नवम्बर, 1994 को जारी किया गया। इस प्रस्तावित संशोधन से विशेष संरक्षा ग्रुप के लिए कुछ अतिरिक्त श्रम शक्ति और अन्य उपस्करों, सुविधाओं आदि की आवश्यकता होगी जिसकी अनुमानित लागत 34.10 करोड़ रूपये प्रति वर्ष आएगी और यह व्यय भारत की संचित निधि में से किया जाएगा। इस विधेयक का प्रयोजन उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है। मैं इस माननीय सभा से अनुरोध करता हूं कि विशेष संरक्षा ग्रुप (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 12 और 13 पर साथ-साथ चर्चा की जाएगी और इस मद के लिए तीन घंटे का समय आवंटित किया गया है :-

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 16 नवम्बर, 1994 को प्रख्यापित विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 12) का निरनुमोदन करती है।"

"कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री रासासिंह जी रावत ने इस विषय पर ऑर्डिनेंस लाने के बारे मे अपने विचार रखे। माननीय मंत्रीजी ने कारण भी बताए कि क्यों यह ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी और एक तारीख को इसकी अवधि भी खत्म हो रही थी। स्वयं मंत्री महोदय ने कहा कि अगस्त में इनको याद दिलाया गया था और इन्होंने कहा था कि जो सुरक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को दी जा रही है उसको हम एक्स्टैंड करने वाले हैं। सरकार इस सदन में कई बार लताडी जा चुकी है फिर भी आप बार-बार ऑर्डिनेंस ले आते हैं। आज ही नहीं, पहले भी कई पुराने नेताओं ने कहा है कि सदन को इस तरह से तिरस्कृत न किया जाए। आप कहते हैं कि विंटर सैशन नहीं था लेकिन मानसून सत्र में क्या हो गया था? यह तो छोटा सा डेढ़-दो पैज का काम है, इसमे कोई बड़ी रिसर्च नहीं करनी थी, कोई ऐसा काम नहीं था कि जिसके लिए आपको समय नहीं था। आपका यह तर्क भी उचित नहीं कहा जा सकता कि पार्लियामेंट सैशन में नहीं थी। माननीय मंत्रीजी, मेरा तो कहना यह है कि आपका गृह विभाग सोता रहा वरना तो कोई कारण नहीं था कि यह छोटा सा बिल पहले नहीं आ जाता। इसलिए अच्छा यही होगा कि आपका विभाग इस गलती को स्वीकार करे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि थ्रैट असैसमेंट के हिसाब से श्रीमती सोनिया गाधी और उसके परिवार को विशेष सुरक्षा दी जा रही है। आपका असैसमेंट सही होगा, मैं इसमें कोई नुकता-चीनी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप भी जानते हैं और गृह मंत्रालय भी जानता है और हर समय अनौपचारिक रूप से यह बात कही जाती है कि आज सिक्योरिटी एक स्टेटस सिम्बल बन गया है। हर आदमी अपने आगे-पीछे आधा दर्जन गाडियां और काली ड्रेस वाले लेकर घूमना चाहता है। इस पर भी आपने विचार किया है? सुरक्षा देना जरूरी है लेकिन हर सुरक्षा के लिए क्या एक नया संगठन बनाना जरूरी है? आपके पास जो संगठन है वह क्यों नहीं इस प्रकार का काम कर सकता है? आपको प्रधान मंत्री के लिए अलग संगठन चाहिए, पूर्व प्रधान मंत्री के लिए अलग चाहिए। अभी पूर्व राष्ट्रपति जी के लिए शक हो रहा है कि उन पर अटैक किया गया। आप उसके लिए भी एक अलग सुरक्षा दल बनाएंगे? यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है, आपको इसका हल निकालना चाहिए।

2.57 म.प.

(श्रीमती संतोष चौधरी, पीठासीन हुईं)

हमारे पास दर्जनों पैरामिलैट्री फोर्स पड़ी हुई हैं।

[अनुवाद]

इस देश मे बिना किसी कारण अर्द्ध सैनिक बलों की इतनी अधिक संख्या है।

[हिन्दी]

आपको उनको रेशनलाइज करना चाहिए। कोई छोटा सा बहाना आपको मिलते ही आप नया संगठन खड़ा कर देते हैं। यह

प्रवृत्ति गलत है। ऐसा करके वर्तमान में जो संगठन हैं उनमें आप विवाद और दुश्मनी पैदा कर रहे हैं और राष्ट्र का धन भी अनावश्यक रूप से खर्च कर रहे हैं। आप इस बात पर विचार करें कि क्या कॉमन संगठन नहीं हो सकते हैं? क्यों प्रधान मंत्री और पूर्व प्रधान मंत्री के लिए अलग संगठन बनाए जाने चाहिए? आज इतने सारे सिक्योरिटी वाले हो गए हैं कि किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि उनकी संख्या में कमी की जाये।

मैंने यह प्रश्न किया था कि जैड कैटेगरी में कोन लोग हैं और उन पर कितना खर्च होता है। लेकिन सेक्रेसी के नाम पर वह सूचना भी नहीं दी गयी। हम लोग यह भी नहीं जान सकते कि क्या हो रहा है। इस प्रकार की प्रवृत्ति बिलकुल गलत हैं और यह देश को गुमराह करने वाली और देश के पैसे का दुरूपयोग करने वाली प्रवृत्ति है।

3.00 म.प.

इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पर आप थोड़ा सा अलग से विचार करें। इसको एक व्यक्ति और पार्टी का मुद्दा न बनाएं और एक खास किस्म के लोगों, जिनका इसमें स्वार्थ है, का मुद्दा न बनाएं। आप जो थ्रैट असैसमेंट करते हैं, तो उसके अनुसार जब एक बार किसी को जैड कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई, तो वह उसको फिर छोडता नहीं है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले आपने कितने लोगों को जैड श्रेणी की सुरक्षा दी, बाद में थ्रैट असैसमेंट करने के बाद किनकी सुरक्षा में कमी की गई? यह कब तक चलता रहेगा? जब तक आप इस पर सख्ती से कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक इसमें हेर-फेर चलता रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि होम मिनिस्ट्री की काइंडनैस के कारण जो भी अधिकारी रिटायर हो और उसको इस स्पैशल प्रोटैक्शन फोर्स में ले आया जाए। इससे आपकी कोठी के बाहर तो एक दो और गाड़ियां एस.पी.जी. की खडी हो सकती हैं, लेकिन इससे देश का करोड़ों रूपया जो बर्बाद हो रहा है, वह बच जाएगा। आप इस पर विचार तो करिए। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि आपके सिक्योरिटी के लोग फार्म में काम कर रहे हैं। उनके फार्म में गाड़ी खड़ी है।

[अनुवाद]

कृपया इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरी तरह से विचार किया जाए और कुछ उपयोगी तथा न्यायसंगत निष्कर्ष निकाले जाएं।

[हिन्दी]

श्री वी.पी. सिंह जी का सवाल उठा है। उन्होंने कहा है कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि उनके सिक्योरिटी अरैंजमैंट के बारे में आपने क्या निर्णय लिया है। आपने उनको क्या जबाव दिया है। आपने जो थ्रैट असैसमैंट उनकी की है, उसके बारे में उनको और जनता को बताना चाहिए। जनता को तो मालूम होना चाहिए। एक तरफ तो वे कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए और दूसरी तरफ आप उनको दे रहे हैं। इससे आपके प्रति जनता का संदेह और बढ़ता है क्योंकि वे कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए और आप उन्हें दे रहे हैं। इससे उनका शक ठीक प्रतीत होता है कि आप उनको सिक्योरिटी इसलिए दे रहे हैं ताकि आप यह पता लगा सकें कि उनके पास कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। देश में आपके प्रति सिक्योरिटी के नाम पर यह भ्रम हो गया है। जब सिक्योरिटी नहीं चाहते हैं, तो उनको हटाइए।

खर्चे के बारे में आपने कहा है कि 34 करोड़ रूपये का खर्चा हो रहा है। किस प्रकार से यह खर्च हो रहा है। क्या तीनों आदमियों के परिवारों पर बराबर खर्च हो रहा है या अलग-अलग हो रहा है और यदि अलग-अलग हो रहा है तो किसके ऊपर कितना हो रहा है, यह भी बताइए? इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च कितना हो रहा है। जब आपको पता है कि इनकी सुरक्षा के लिए आपको सिक्योरिटी लगानी है, तो एक साल के लिए आप इस बिल को लाते। पूरे पांच साल के लिए आप इस बिल को क्यों लाए हैं? क्या पांच साल तक इनकी थ्रैट असैसमैंट आपने पहले ही कर ली है। पांच साल के लिए इकट्ठा बिल लाना ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि हर साल इनकी थ्रैट असैसमैंट हो और उसके हिसाब से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। आप पूरे पांच साल के लिए ब्लैंक चैक क्यों लेना चाहते हैं? आपकी क्या मजबूरी है?

सभापति महोदया, मैं सरकार की इस प्रवृत्ति का सख्त विरोधी हूं और इस बिल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी आपने चूंकि ऑर्डीनेंस जारी कर दिया है इसलिए आप इस बिल को अब तो पास कर लीजिए, लेकिन मैं आपकी इस प्रकार की टेडेंसी का सख्त विरोधी हूं जो आप पार्लियामैंट की मैजोरिटी का इस प्रकार से दुरूपयोग कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि सिक्योरिटी कवर के खर्च का आपको पूरा ब्यौरा देना चाहिए। इसमें आपके सिर्फ तीन व्यक्तियों के ऊपर होने वाले खर्च को दर्शाया है।

महोदय, आप कृपया सिक्योरिटी के ऊपर होने वाले टोटल खर्च का, हर पार्टी और हर इंसान के ऊपर होने वाले खर्च का एनैलेसिस करके विवरण दीजिए। यह सिक्योरिटी कवर हर पार्टी का मामला है, केवल कांग्रेस पार्टी का मामला नहीं है। जिनको आपने यह सुरक्षा दी है, उनसे इसे सख्ती से हटाइए।

इसमें गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया कोई खेरात नहीं बांट रही है कि हम आपको सुरक्षा दे देते हैं और यह चार पहरेदार मैंने मेरी तरफ से आपके घर में लगा दिये हैं। अगर उनको इस प्रकार की जरूरत है तो वह अपनी सिक्योरिटी का खुद बन्दोबस्त करें। अगर आप समझते हैं कि उन्हें जरूरत नहीं है तो उनकी सिक्योरिटी आप हटा लें। इसलिए थ्रैट असैसमैंट सीरियसली और ओनेस्टली किया जाए और जिन लोगों को वास्तव में सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, उनसे सिक्योरिटी हटाई जाए।

इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

महोदया, यह मुद्दा कार्यपालिका के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के दुरूपयोग के बारे में उठाया गया है। मेरे ख्याल से यह मुद्दा यहां अनेकों बार उठाया गया है मेरा तो यह कहना है कि सरकार को अध्यादेश जारी करने की लत पड़ गई है। हम 'अध्यादेश राज' के अंदर रह रहे हैं। मैंने कभी यह नहीं देखा कि माननीय मंत्री ने इस सभा में इस शक्ति के दुरूपयोग के बारे में की

गई शिकायत की ओर कभी ध्यान दिया हो। वास्तव में इस मामले में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि यह इतना आवश्यक होता तो इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान ही लाया जा सकता था।

मेरे विचार से सरकार अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर रही है। आशंकित खतरे के बारे में जो कुछ सरकार कह रही है वह उसका अपना आकलन है। अभी-अभी माननीय मंत्री ने हमें बताया है कि इन तीनों व्यक्तियों और उनके परिवारों को अगले पांच वर्ष तक कुछ खास किस्म का खतरा है। यह ठीक है कि इस संबंध में कोई समानता नहीं हो सकती है। यदि आप पांच वर्षों की समीक्षा करते हैं तो इन तीनों परिवारों के बारे में समीक्षा गंभीरता से नहीं की जा रही है। इसीलिए मैं अपने पूर्व वक्ता जनरल खण्डूरी की इस बात से सहमत हूं कि यह समीक्षा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर की जाए। मेरा यह सुझाव है कि कानून में इसका लिखित प्रावधान होना चाहिए। अन्यथा, पांच साल के बाद आप फिर यह मुद्दा सभा के समक्ष लाएंगे। इसे संशोधन के रूप में मूल अधिनियम का एक भाग बनाया जाए ताकि एक बार खतरा पैदा होने पर कतिपय वर्गों के व्यक्तियों के लिए उनके अनुरोध तथा सहमति के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष समीक्षा करते हुए सुरक्षा प्रदान की जा सके। इससे उन्हें पर्याप्त शक्तियां प्राप्त होगीं। उन्हें सभा में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। इस प्रकार ऐसी पद्धति अधिक बेहतर है बजाए इसके कि किसी विशेष मामले में पांच या छः वर्ष की अवधि तक सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक विधेयक लाया जाए। मेरे विचार से इसका कोई विधायी अर्थ नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसी बातें सरकार के पास होनी चाहिए। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन यह शक्ति वार्षिक आकलन, समीक्षा तथा सुरक्षा प्राप्त करने वाले की सहमति के आधार पर होनी चाहिए। मैं श्री वी.पी. सिंह का मामला उठाना चाहता हूं। हम जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। जो सुरक्षा श्री वी.पी. सिंह को दी जा रही है उसे वह नहीं चाहते हैं। यदि सरकार के पास कोई ऐसी जानकारी है जो श्री वी.पी. सिंह के पास नहीं है तो सरकार यह कर्तव्य है कि वह श्री वी.पी. सिंह को यह समझायें कि सुरक्षा के घेरे में रहना उनके अपने ही हित में है। अन्यथा, श्री वी. पी. सिंह अपनी सुरक्षा पर किए जा रहे निरर्थक व्यय के प्रति चिंतित तो रहेंगे ही और साथ ही साथ उनके आने-जाने पर लगाये गये प्रतिबंध के प्रति भी परेशान रहेंगे। हम जानते हैं कि सुरक्षा देना रामबाण औषधि नहीं है। हम महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को नहीं बचा सके। व्यक्तिगत तौर पर मैं यह मानता हूं कि जब मृत्यु आती है तो उससे कोई किसी को नहीं बचा सकता। यह ठीक है कि सरकार को अपना कर्त्तव्य निभाना है लेकिन इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जितनी अधिक विस्तृत सुरक्षा दी जाएगी उतनी ही वह कम प्रभावी होगी। इसलिए उसे प्रभावी बनाए रखने के लिए आपको लगातार उसकी समीक्षा करनी होगी। जब आप इसे बढ़ा देगें तो यह प्रभावी नहीं रहेगी। मैं इस मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

तीसरे ये ब्लैक कैट वास्तव में समाज में प्रतिष्ठा और सामाजिक गरिमा का प्रतीक बन गए हैं। लेकिन मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि तीन परिवारों, वास्तव में तीन परिवार नहीं बल्कि एक परिवार तथा दो व्यक्तियों के लिए 34 करोड़ रूपया व्यय किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि एक समय श्री राजीव गांधी की विधवा, श्रीमती सोनिया गांधी और उनके बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब उनके बच्चे बड़े हो गए है और शायद अपने पैरों पर खड़े होंगे। श्रीमती सोनिया गांधी को आजीवन सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। क्या उनके बच्चों, और फिर उनके बच्चों को और ऐसे ही अनंतकाल तक आजीवन सुरक्षा प्रदान की जाती रहेगी। क्या सरकार ऐसा सोचती है। सरकार को इस संबंध में अधिक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि यदि बच्चे बड़े हो जाते हैं। और पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो उन्हें प्रमुख योजना से अलग कर दिया जाए। इसलिए समीक्षा इस दृष्टिकोण से की जाए ताकि लागत कम हो सके और देश के राजकोष पर कम भार पड़े।

हमारे सामने श्री वी.पी. सिंह का मामला है लेकिन हम यह नहीं जानते कि क्या श्रीमती सोनिया गांधी के मामले में सरकार को उनके परिवार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है अथवा क्या सरकार ने उनकी सहमति प्राप्त कर ली है। इस संबंध में हमें सरकार से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हम समझते हैं कि सरकार ने अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया है और इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। उन्होने औपचारिकतावश यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। अचानक ही उन्हें ध्यान आया और उसने महसूस किया कि इसकी अवधि 1 दिसम्बर को समाप्त हो रही है। अतः सरकार अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया और जबरदस्ती हमें उस स्थिति में ला दिया कि सभा के पास अन्य कोई विकल्प न रहे कि वह सरकार के प्रस्ताव से सहमत हो। मेरे विचार से सरकार को सभा को विश्वास में लेना चाहिए और सरकार को अपना कार्य ठीक प्रकार से करना चाहिए और जैसा कि सुझाव दिया गया है कि इसे वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि यह विधेयक सभा द्वारा पारित भी कर दिया जाता है तो भी इससे सरकार को यह जनादेश नहीं मिल जाता कि अगले पांच वर्षों तक जहां आवश्यक है अथवा अनावश्यक, वहां सुरक्षा प्रदान की जाए अथवा जिसने इसके लिए अनुरोध किया है या नहीं, उसे भी सुरक्षा दे दी जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : सभापति महोदया, हमें इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हमारे विचार में राजनीतिज्ञों के साथ-साथ उन सामान्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है, जिनका जीवन खतरे में है। श्रीमती सोनिया गांधी और उनके परिवार के साथ-साथ दो अन्य पूर्व प्रधान मंत्री भी भारत के नागरिक हैं। निःसंदेह प्रश्न यह है कि वे यह सुरक्षा चाहते हैं या नहीं। यह प्रश्न अन्य सदस्यों ने भी किया है। मेरे विचार में सुरक्षा प्रदान किये जाने से पहले यह प्रश्न निश्चित रूप से उठाया जाना चाहिये। अगर सरकार का ऐसा विचार है कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम को और पांच वर्षों के लिए बढ़ा देने से श्रीमती सोनिया गांधी और उनके परिवार की सुरक्षा की जा सकती है तो हम इसमें कोई रूकावट नहीं डालेंगे चाहे इसके लिए हमारे निर्धन देश को वार्षिक रूप से 34 करोड़ रूपये ही क्यों न वहन करने पड़ें।

दूसरी बात, जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि आप कुछेक चुनिंदा लोगों को सुरक्षा प्रदान करके उग्रवाद पर रोक नहीं लगा

सकते। आपको उग्रवाद की जडों पर प्रहार करना पड़ेगा और सभापति महोदया, ऐसा किया जा रहा है या नहीं, यह मुख्य प्रश्न है और मेरे विचार में सरकार को आत्मनिरीक्षण करके स्वयं से यह प्रश्न करना पड़ेगा। मैं यह प्रश्न मुख्य तौर पर इसलिए कर रही हूं क्योंकि श्री राजीव गांधी की हत्या एक घृणित काम था। इसका इससे गहन और व्यापक अन्तःसम्बन्ध था। क्या यह विचित्र बात नहीं है कि दो आयोगों के गठन के बावजूद भी इस अंतर्सबंध को उजागर करने में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। वास्तव में, क्या इनमें से एक आयोग के अध्यक्ष को समाचार पत्रों में यह कहते हुए उद्धत किया है कि उन्हें सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है और यह कि उन्हें वह आंकड़े नहीं मिल रहे हैं, जो इस जांच के लिए उन्हें चाहिये? अतः, मैं पूछना चाहती हूं कि श्री राजीव गांधी की हत्या के घृणित रहस्य को उजागर करने में सरकार की इस असफलता से क्या उग्रवाद को बढावा नहीं मिलेगा। अतः, एक ओर सरकार इस रहस्य को उजागर करने में असमर्थ है और दूसरी ओर विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम की अवधि बढ़ाए जा रही है। मेरे विचार में इस सारी प्रक्रिया में असंगति है।

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि सामान्य नागरिकों को भी आतंकवाद से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। निःसंदेह, ऐसा विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसा करना असंभव होगा। लेकिन ऐसा अन्य तरीकों से किया जा सकता है। लेकिन स्थिति क्या है? हम देखते है कि सरकार इस तर्क के आधार पर **टाडा** को बनाये रखे हुए है कि इससे उग्रवादी गतिविधियां अनुत्साहित होंगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से **टाडा** को उग्रवादी गतिविधियां रोकने में इसकी सामर्थ्यता के बजाय इसके दुरूपयोग के लिए जाना गया है। **टाडा** ने उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसके स्थान पर हमें टाडा के नाम पर पंजाब और कश्मीर से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों से आने वाले सामान्य नागरिक ही नहीं, अल्पसंख्यक लोगों के भी उत्पीड़न और उन्हें यातना देने की शिकायते प्रायः मिल रही हैं। अतः, मेरा कहना यह है कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम का बारीकी से अध्ययन करते समय हमें यह देखना चाहिये कि इसे एक बार में पांच वर्षों के लिए बढा दिया जाये या जैसा कि शहाबुद्दीन जी ने सुझाया है, एक-एक वर्ष के लिए इसका नवीकरण किया जाये। इसके साथ ही सरकार, पुलिस और सेना द्वारा देश के विभिन्न भागों में सामान्य नागरिकों, जो किसी भी प्रकार से नागरिकों से कम नहीं है, पर की जा रही ज्यादितियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय अवश्य करें। उन्हें भी अपनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही, अलगाववादी ताकतों के पीछे राजनीतिक उत्प्रेरणा, जो उग्रवादी गतिविधियों के विकास मे मुख्य कारण होती है, को समाप्त किया जाना चाहिये और सामान्य लोगों पर पुलिस और सेना द्वारा ज्यादती किये जाने की जो शिकायतें हमें विभिन्न राज्यों में मिल रही हैं, को समाप्त करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिये। इसकी तत्काल जांच की जानी चाहिये और अगर यह शिकायतें सच हों तो जिम्मेदार लोगों को उदाहरणात्मक सजा दी जानी चाहिये क्योंकि वे स्वयं उग्रवादियों से कम अपराधी नहीं हैं। जिन लोगों के हाथ में कानून और व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व है और वे इसी कानून का उल्लंघन करके वही कार्य कर रहे हैं जो उग्रवादी कर रहे हों तो वे उनसे छोटे अपराधी नहीं हैं। उग्रवादी आम लोगों में भय उत्पन्न कर रहे हैं लेकिन अगर पुलिस और सेना भी यही काम करती है तो ऐसा करके वे अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को इस प्रकार की विशेष सुरक्षा देने के साथ-साथ इस प्रकार के उपाय किये जायें तभी लोग कुछ चुने हुए व्यक्तियों को सुरक्षा कवर प्रदान करने का तर्क स्वीकार कर सकते हैं।

महोदया, इन शब्दों के साथ, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं और अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री याइमा सिंह युमनान (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदया, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदया, मैं इस विधेयक का, जिसका उद्देश्य विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1991 में संशोधन करना है, समर्थन करता हूं। इसका उद्देश्य इसकी अवधि को पांच से बढ़ाकर दस वर्ष करना है। अतः, मैं इससे हार्दिक रूप से सहमत हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

फिर भी, जैसाकि अन्य माननीय सदस्यों ने बताया है, मैं भी यह कहना चाहूंगा कि विद्रोह-प्रवण क्षेत्र में, विशेष रूप से मणिपुर राज्य में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता है। मैं कुछ पूर्व मंत्रियों का उदाहरण देना चाहूंगा कि किस प्रकार उग्रवादियों की धमकियों से वे भयभीत हैं। वहां सामान्य लोगों का जीवन भी हमेशा अनिश्चित बना रहता है। अगर विद्रोहियों की मांगें पूरी नहीं की जायें तो ये विद्रोही किसी भी सामान्य नागरिक को मार सकते हैं। अतः, मणिपुर राज्य में इन सामान्य लोगों की सुरक्षा का जहां तक संबंध है, उसमें अनिश्चितता का वातावरण है।

जहां तक पूर्व मंत्रियों और विधायकों का सम्बन्ध है, हाल ही में एक पूर्व मंत्री को उनके निवास स्थान पर दो या तीन सशस्त्र लोगों ने दिन दहाड़े बहुत नजदीक से प्रहार करके मार डाला। इसी प्रकार अन्य पूर्व मंत्रियों का जीवन भी खतरे में है। वे स्वतंत्रतापूर्वक कहीं आ-जा नहीं सकते। उदाहरण के लिए, एक श्री मणिहर सिंह और दूसरे ओजोय सिंह हैं, जो पहले मंत्री थे और मेरे दल से संबंध रखते हैं, का जीवन खतरे में है। मैंने यह मुद्दा इस सभा में भी उठाया था। हमारे माननीय गृह मंत्री ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। मुझे माननीय गृह मंत्री का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि सरकार को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन मैं स्वयं राज्य के मुख्य सचिव और यहा तक कि मणिपुर राज्य के राज्यपाल से भी मिला हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि वे सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास सुरक्षाकर्मियों की कमी है। केवल यही नहीं, अब मैं भी खतरे के बीच रह रहा हूं। मणिपुर में कुछ सशस्त्र युवक मेरे घर में घुस आये और उन्होंने मुझसे कुछ पूछा। मेरे विचार में वे मेरे उत्तर से संतुष्ट हो गये इसलिए उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन मैं अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहा हूं क्योंकि मणिपुर में ऐसी स्थिति है। यहां तक कि मैं स्वयं भी, जबकि मैं ये सभी बातें यहां उजागर कर रहा हूं तो मैं यह नहीं जानता कि मैं पुनः कितना सुरक्षित रह पाऊंगा। अतः, मणिपुर में स्थिति यह है।

अन्य मंत्रियों की क्या बात करें, यहां तक कि मुख्य मंत्री भी स्वतंत्र नहीं हैं। अतः, इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए जैसाकि माननीय सदस्यों ने बताया है, मैं भी यह कहना चाहूंगा कि इन लोगों और यहां तक कि जन–साधारण को संरक्षण प्रदान करने का सरकार का नैतिक दायित्व है। मैं इस विचार का अत्यधिक समर्थन करता हूं।

महोदया, अब मैं इस संशोधन पर आता हूं, यह "पांच साल" के स्थान पर "दस वर्ष" करने के लिए है और इसमें वार्षिक रूप से 34 करोड़ रूपये का वित्तीय खर्चा है। यह एक बड़ा खर्च है लेकिन फिर भी इसे अपरिहार्य समझा जाता है। मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि यदि भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों और उनके परिवार के निकट सदस्यों की सुरक्षा के दायरे को यदि थोड़ा कम कर दिया जाये तो फिर इस बड़ी राशि में कुछ कमी की जा सकती है। यदि 34 करोड़ रूपये की यह राशि मणिपुर अथवा त्रिपुरा आदि जैसे छोटे राज्यों को उपलब्ध कराई जा सकती तो यह बहुत ही अच्छा योगदान हो सकता है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : माननीया, यह जो संशोधन विधेयक है इसमें दिक्कत है। समर्थन करने का मन नहीं करता है लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि यहां जान का मामला है और जो कुछ हो चुका है या जो हो सकता है उसमें खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं है। इसके चलते जो सुरक्षा होनी चाहिए हमने देखा है वह नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का मामला जांच के अधीन है, उसके विस्तार में जाना मुनासिब नहीं है। बहुत सी बातें सामने आ चुकी हैं जहां ढिलाई हुई है। अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन देने के बाद भी ढिलाई हुई। मैं विश्वास नहीं करता कि कोई सरकार यह चाहेगी कि कोई प्रधान मंत्री मर जाए या मारा जाए। लेकिन गफलत हुई है।

हमारे मित्र सैयद शहाबुद्दीन जी ने ठीक कहा है कि श्रीमती सोनिया जी व उनके बच्चों के लिए कोई अवधि होगी, कोई सीमा होगी। नहीं होगी तो कोई एक नया घराना, जैसे वर्ण बदल गया जात में कहीं ऐसी बात तो नहीं हो जायेगी क्योंकि मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। जैसे बिहार से दो भूतपूर्व मुख्य मंत्री आजीवन सुविधा पाएं। पता नहीं और राज्यों में यह बीमारी फैलेगी या नहीं । मैं चाहता हूं कि न फैले। जो पहली बार सांसद हुए, हैं उनके आगे–पीछे रायफल्स वाले रहते हैं। पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि मेरे ऊपर जितनी बार हमला हुआ है इस 60 साल के राजनीतिक जीवन में उतना किसी के ऊपर नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं है कि अगर कोई मुझे मारना चाहेगा तो कोई भी बॉडीगार्ड मुझे बचा लेगा। राष्ट्रपति कैनेडी को बचाने वाला कोई नहीं हुआ।

जब 1940 में मैंने उनको कहा था कि 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या के बाद आपने करांची कांफ्रेंस में ऐलान किया था कि मेरी भी मौत ऐसे ही होगी, वह आपका अरमान पूरा नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि क्यों, इस पर मैंने कहा कि आप नेता नहीं है, आप तो महात्मा है। आप मांस–मछली नहीं खाते हैं, आपकी हत्या कौन करेगा? लेकिन जब मैं जेल मे था, आजादी के समय, 15 अगस्त को रिहा हुआ और फिर 22 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, तो मुझे मालूम हुआ कि गांधीजी की हत्या उन्हीं के शिष्यों के सामने, दिल्ली मे और गृह मंत्री निकलकर जाते हैं, तब हुई। जो "ईश्वर, अल्लाह तेरे नाम सबको संमति दे भगवान" कहता था, ऐसी संमति मिली कि उनको खुद को गोली मिली और अल्लाह के नाम पर किसी ने देश का बंटवारा करा दिया। आज सुरक्षाकर्मी रखने की शान पूर्व सांसदो और पूर्व विधायकों में भी बढ़ती जा रही है। मुझे जहां तक जानकारी है कि इनमें से अधिकांश को कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज भी कई सांसद और विधायक सिपाही लेकर चलते हैं। जब उनसे कोई हस्ताक्षर कराने जाता है, तभी उसको पता चलता है कि उनको भी सुरक्षा मिली हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि धन का अपव्यय ही नहीं होता है, बल्कि हमारी सुरक्षा का भी अपव्यय होता है और हमारे देश की प्रतिष्ठा में भी कमी आती है। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि इसका कैसे इंतजाम किया जाये। इस अधिनियम में संतान के लिए सुरक्षा व्यवस्था की बात कही गई है। लेकिन कब तक आप करेंगे? कौन जाने कल कोई इसी बात को लेकर हत्या कर दे। यह सीमा कब तक रखेंगे? इसलिए संतान की सुरक्षा के लिए भी कुछ समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। मृत्यु एक ऐसी चीज है, जो सबको आती है। जब यक्ष ने युधिष्ठर से पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है तो उन्होंने कहा था–

अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तहि यमालयम्।
शेषः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्च्यमतः परम्।।

अर्थात कि दिन–प्रतिदिन लोग मरते जा रहे हैं, मरना निश्चित है, फिर भी जो उस समय जिन्दा रहते है वे समझते हैं कि मैं जिन्दा रहूंगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। लेकिन आज यह परिपाटी बन गई है और मैं इससे काफी चिंतित हूं। जैसे वी.पी. सिंहजी ने कहा है कि मेरे लिए सुरक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, कल कुछ हो जाये तो पता नहीं कौन जिम्मेदार होगा। क्योंकि हमारे देश में सही और गलत दोनों बोलने की आजादी है। ऐसी स्थिति मे पूर्व लोग परिपाटी को बढ़ाते जा रहे हैं, खासकर पूर्व के मामले में पूर्व सासद और पूर्व विधायका खैर बच्चों के लिए तो पूर्व नहीं आ सकता। लेकिन इतना हो सकता है कि आय अवधि तय कर दे। इसीलिए मैने कहा है कि इस बिल का समर्थन करने को दिल नहीं है और विरोध करने की हिम्मत नहीं होती है। मेरे दिमाग में दुविधा है, जो राकता है कि वहा भी ऐसा ही हो। लेकिन जो यह बीमारी बढ़ती जा रही है, यह अवश्य चिंता का विषय है। जैसे बिहार में दो व्यक्ति आजन्म मुख्य मंत्री रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि पूर्व प्रधान मंत्री और बच्चों के लिए कोई अवधि तय करिये। क्योंकि प्रधान मंत्री के प्रति किसी का हो सकता है कि गुस्सा रहा हो, वह दो, चार साल तक रह सकता है।

आज जो प्रधान मंत्री युवक हो गया, उस कारण से नहीं रहेगा, अन्य कारण से हो जाये तो उस सूरत में भी अवधि दे दे। मेरा यह भी अनुरोध है कि जन्म से न हो और जाति जैसा अधिकार न हो जाये, इस बारे में सोचना होगा। हालांकि देश को इसका खर्चा देना

है फिर भी हर तरह की परिपाटी से बचना होगा। सरकारी अधिकारी मारे जाते हैं। फौज के लोग मारे जाते हैं, तो इस मामले में अतन्त न हो जाऐ और कही ऐसा न हो देश की रक्षा करने के बजाय देश की रक्षा करने वाले लोगों की रक्षा करनी पड़ जाये। इसलिए कहूंगा कि इसको सीमित कीजिए ताकि अपवाद के रूप मे रहे और एक विराम न बन जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : माननीय महोदया, अभी हमारे पूर्व वक्ता श्री झा जी बोल रहे थे, वही कैफियत हमारी भी है कि न इसकी मुखालफत की जा सकती है और न ताईद। जहां तक प्रोटेक्शन का सवाल है, मैं समझता हूं कि इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिये क्योंकि इसमें एक इनसानी जान को बचाना है। हमारे सामने 1988 के बिल को एक बार फिर से लाया गया है। इसके फाईनेन्सियल मैमोरेंडा में 34.1 करोड़ रूपये के खर्च की बात कही गयी है। इसमें भी पूर्व प्रधानमंत्री पर एसपीजी लागू होगी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जिन्दा हैं जिनको एसपीजी की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्र शेखर जी को मिला हुआ है और श्री वी.पी. सिंह ने पब्लिकली कहा है कि उनको जरूरत नहीं है और सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि वे उसे हटा लें। दरअसल मामला प्रोटेक्शन का है और हर नागरिक को चाहिये। यदि प्रधान मंत्री हो गये तो ज्यादा जरूरत है लेकिन जो अन्य राजनेता हैं, भूतपूर्व डिफेंस या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इनको बचाने के लिये और भी तरीके हैं। एसपीजी बनाया गया तो न केवल पूर्व प्रधान मंत्री बल्कि उनके परिवार के लोगों के लिये भी जरूरत महसूस की गयी। यदि कोई जातीय तौर पर खतरे में है तो उसके लिये देना भी चाहिये और यह सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन यह बिल खासतौर पर एक व्यक्तिगत के लिये लाया गया है। यदि उनको सुरक्षा दी जाती है तो पर्सनली मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्या यह जरूरी है कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षा एसपीजी के जरिये दी जाये? पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व डिफेंस मिनिस्टर, पूर्व होम मिनिस्टर को क्यों नहीं? उनके बच्चों को क्यों नहीं? यदि वी.पी. सिंह को दी गयी तो उनके बच्चों को क्यों नहीं? मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में आज टैररिस्ट्स का दौर है।

जैसा कि श्री झा जी ने कहा कि किसी को भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे सांसद इस सदन में शिकायत करते हैं। बहुत सारे सांसद मंत्री जी के पास लिख कर देते हैं और मैंने भी लिख कर दिया है। लोगों को डर है, कहीं पर टैररिस्ट से और कहीं पर और दूसरे वजूहातों से। जहां एक आप आदमी को प्रोटेक्शन देना है, वहीं पर जो राजनेता हैं, जो ऐडिमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको भी प्रोटेक्शन देना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरी डीटेल्स लें कि किस तरह से इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ या फिर जिस तरह से राजीव गांधी को पूरी प्रोटेक्शन मिलने के बावजूद भी उनका कत्ल हुआ, या जिस तरह से पंजाब के मंत्री का कत्ल हुआ, मैं समझता हूं कि प्रोटेक्शन रहने के बाद भी लोग मारे जा रहे हैं और लोगों का कत्ल हो रहा है और खतरा खत्म नहीं हुआ है। खतरा आगे और भी हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरह की प्रोटेक्शन का सिस्टम होना चाहिए और एक स्पेशल एसपीजी बनाकर अलग से खास और सीमित फैमिली के लोगों को या परिवार के लोगों को जो यह सुविधा देने का काम हो रहा है उस पर हमें आपत्ति जरूर है। जैसा कि भोगेन्द्र झा जी ने कहा, प्रोटेक्शन की बात थी पर इन्होंने बिहार के पूर्व मुख्य मंत्रियों की बात कही। मैं कहता हूं यह सुविधा का मामला नहीं है, यह प्रोटेक्शन का मामला है। जहां तक मुख्य मंत्रियों को वहां पर सहूलियतें दी गई हैं, वह एक अलग पहलू है। यहां पर सीधा मामला है कि किस तरह से हम अपने भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों को या भूतपूर्व होम मिनिस्टर, डिफेन्स मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करें। मेरा कहना है कि इसको ऐनालाइज करके देखना चाहिए कि अब तक जो प्रोटेक्शन हमने लोगों को दी और किसी टैररिस्ट ने फैसला कर लिया कि उसको हमने मारना है तो उसको बचाने में हम कामयाब हो सके है या नहीं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैररिस्ट द्वारा यही दिल्ली में मारे गए हैं। उनके परिवार के लोगों को एस.पी.जी. या किसी और तरीके से बचाने की कोशिश सरकार कर रही है या नहीं। मेरा कहना है कि जो एस.पी.जी. बनाई है भूतपूर्व प्रधान मंत्री के लिए, अभी तो हम इसकी मुखालिफत नहीं कर सकते लेकिन इसको फ्यूचर में सरकार समान रूप से प्रोटेक्शन देने का इंतजाम करे। भूतपूर्व प्रधान मंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व होम मिनिस्टर, डिफेन्स मिनिस्टर, इन सारे लोगों की या जो बडे अधिकारी हैं जो सेन्सिटिव पोजीशन्स पर काम कर रहे हैं, इन सबको सामान्य रूप से और उनकी औलादों को यह प्रोटेक्शन देना चाहिए। यह नहीं कि चूंकि राजीव गांधी एक खास पार्टी को बिलौंग करते हैं, उन्हीं के बच्चों को मिले बल्कि दूसरे लोग जिनको सिक्यूरिटी की जरूरत है उनको भी दी जानी चाहिए।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर जो परिस्थिति है, जो टैररिज्म का खतरा है, जिस तरह से सियासत के अंदर जो गुण्डागर्दी और बदमाशी बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए सरकार न सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को बल्कि जिन लोगों को सिक्यूरिटी की जरूरत है उनको भी सिक्यूरिटी देने का काम करे। इसको खास प्रधान मंत्री तक या भूतपूर्व प्रधान मंत्री तक सीमित नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग इस मुल्क में हैं जिनको मैं जानता हूं जिनको दो पुलिस वालों की जरूरत भी नहीं है और वह ब्लेक कैट लेकर चलते हैं। सरकार का पैसा उन पर बरबाद किया जा रहा है। सरकार को हर छह महीने या एक साल में रिव्यू करना चाहिए कि जिनको हमने ब्लेक कैट या एस.पी.जी. की प्रोटेक्शन दी है, उनको उस लैवल की सिक्यूरिटी की जरूरत है या नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन चन्द्र शेखर जी की कैबिनेट में जो मंत्री हुआ करते थे, उनको भी आज ब्लेक कैट मिली हुई है। मैं समझता हूं कि अभी जिक्र किया गया था कि आज की तारीख में दाएं दो, बाएं दो, आगे दो और पीछे दो पुलिस वाले अपनी शान बढ़ाने के लिए भी लोग लेकर चलते हैं ताकि उनका रौब-रूतबा अवाम के अंदर बढ़े।

इसलिए मैं यह चाहूंगा कि सही मायनों में जिन लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है उनको प्रोटेक्शन मिले लेकिन सरकार को साल में दो या तीन बार यह रिव्यू अवश्य करना चाहिए कि जिनको प्रोटेक्शन दिया गया है उनको सही मायने में प्रोटेक्शन की जरूरत है या नहीं। आज बहुत से एम.पीज. और एम.एल.एज. ने रिक्वेस्ट की है, उनकी एप्लीकेशन आपके पास रखी होंगी, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूं कि उसकी तरफ आपकी निगाह भी जा रही है। आज

यह स्थिति है कि एक आदमी आवाम पर रौब मारने के लिए सिक्योरिटी चाहता है वरना उसको इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे कैसेज हैं। 1985 में दिल्ली में सिक्खों का जो नरसंहार हुआ था उसमें जो लोग इनवोल्व थे उनको भी ब्लैक कैट मिले हुए हैं। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि उनको सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए लेकिन उनको ब्लैक कैट सिक्योरिटी मिल रही है। पहले प्रधान मंत्री को, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। अगर इस तरह से परिवारों को देते रहे तो फिर यह फेहरिस्त लम्बी हो जाएगी। एस.पी.जी. या दूसरे जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनको सामान्य रूप से एक संगठन में लाने का काम होना चाहिए और चाहे वह प्रधान मंत्री हो, पूर्व प्रधान मंत्री हो या दूसरे अधिकारी हो या राजनेता हो उन सबको बराबर का प्रोटेक्शन देने का काम सरकार करे, ऐसी मेरी मांग है।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदया, जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया गया है, अपने देश के प्रधान मंत्री और पूर्व प्रधान मंत्रियों की सुरक्षा के लिए जो एस.पी.जी. बनायी गई है उसके पीछे एक कारण जरूर है। इसमें सबसे ज्यादा चिन्ता सरकार को श्रीमती सोनिया गांधी और उनके बच्चों की सुरक्षा की है। अगर इस तरह की स्थिति दूसरे भूतपूर्व प्रधान मंत्री के परिवार की होती तो कांग्रेस पार्टी की सरकार इस तरह का काम कभी नहीं करती, कभी सोचने के लिए विवश भी नहीं होती लेकिन सोनिया गांधी के लिए विशेष जरूरत पड़ गयी है। इसलिए मैं समझता हूं कि मात्र एक व्यक्ति के परिवार के लिए सुरक्षा की जो विशेष व्यवस्था की जा रही है वह जान-बूझकर उस परिवार को महिमा-मंडित करने का प्रयास है। मैं मानता हूं कि सभी लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए।

जहां तक भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों का सवाल है उनके लिए विशेष सुरक्षा होनी चाहिए। प्रधान मंत्री की सुरक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रधान मंत्री की हैसियत से उसके पास ऐसे गोपनीय दस्तावेज होते हैं, गोपनीय जानकारी होती है और उसके बाद भूतपूर्व होने के बाद भी वे जानकारियां उनको होती हैं। आज आतंकवाद जो विश्व स्तर पर पनप रहा है उसको देखते हुए अगर पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर पाए तथा प्रधान मंत्री या भूतपूर्व प्रधान मंत्री का अपहरण हो जाए और गोपनीय दस्तावेजों के बारे में अपहरणकर्ता जानकारी मांग सकते हैं।

हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री वी.पी. सिंह जी कह रहे हैं कि एस.पी.जी. को उनसे वापस ले लिया जाए और उनकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसको उचित नहीं मानता। मेरा मानना है कि सुरक्षा राष्ट्र के हित में भी है। बढते हुए आतंकवाद के कारण किसी का अपहरण हो जाए तो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है।

वह अपने ऐटोमिक एनर्जी के बारे में, अपने गोपनीय दस्तावेजों के बारे में, तरह-तरह की गोपनीय चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने लगे, तो ऐसे व्यक्तियों की आत्माएं जरूर डिग जाएंगी कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए और ऐसे समय में उनकी बहादुरी और उनकी क्षमता जरूर डिग जाएगी जब ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पडेगा। इसलिए मैं इस सुरक्षा बिल का, जो सदन में पेश किया गया है, विरोध करता हूं, लेकिन एक बात सभापति महोदया, मैं जरूर करना चाहूंगा कि जो बेमतलब की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, वह हटाई जानी चाहिए। कुछ लोगों ने तो उस सुरक्षा को शान-शौकत का आधार बना रखा है। उस सुरक्षा को हटाकर कम से कम सार्वजनिक पैसे का दुरूपयोग तो रोक सकते हैं।

सभापति महोदया, मैं यहां अनुरोध करूंगा कि एक भूतपूर्व मंत्री ब्लैक कैट कमांडो के दस्ते को लेकर चलते हैं। उनके चलने के समय सार्वजनिक गाडियां रोकी जाती हैं। चूंकि वे इस सदन के सदस्य रह चुके है इसलिए यदि उनका नाम भी यहां ले दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस सरकार के एक भूतपूर्व ग्रह राज्य मंत्री श्री सुबोध कान्त सहाय हैं। उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की गई है। यदि सुबोध कान्त सहाय जैसे व्यक्ति के लिए भी सुरक्षा की आवश्यकता पड सकती है, तो मैं यह कह सकता हूं कि इस देश के 90 करोड लोगों को भी इसी प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उस इलाके में इस सुरक्षा का फायदा होता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अब मुझे पता नहीं क्या फायदा होता है। ऐसे लोगों को सुरक्षा देकर कहीं न कहीं लोगों में प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक स्टेटस को बढाने का काम होता है। वे सोचते हैं कि पता नहीं यह कितना बडा आदमी है जो इसको इतनी सुरक्षा मिली हुई है। सुरक्षा के कमांडो चलने से लोग समझते हैं कि पता नहीं यह राजनीतिक रूप से कितना बड़ा व्यक्ति है, जिसके कारण इसको इतनी बडी सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे लोगों की तो सुरक्षा व्यवस्था जरूर रोकी जानी चाहिए और इस प्रकार से सार्वजनिक धन के व्यय को रोका जाना चाहिए। इस समय मैं सुबोध कान्त सहाय का नाम भी विशेषरूप से लेना चाहूंगा और ऐसे ही अनेक लोग हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी होंगे जो सुरक्षा के नाम पर इसका दुरूपयोग करते होंगे। वे प्रान्तीय स्तर पर सुरक्षा को लेकर घूम-घाम कर भोले-भाले किसानों और ग्रामवासियो को प्रभावित करने का काम करते होंगे। जैसा हमारे माननीय सदस्य श्री तेज नारायण सिंह जी ने बताया वे बक्सर के रहने वाले है, वे सही कह रहे हैं कि कुछ लोग तो इस सुरक्षा के बल पर अपराध करने का भी काम करते होंगे। इस पर रोक लगानी चाहिए।

सभापति महोदया, यह बिल एक परिवार की सुरक्षा करने के लिए, उस परिवार को एस.पी.जी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया है। यह प्रस्ताव सरकार जो लाई है यह बहुत छोटे मन से लाई है। इसको सरकार को नहीं लाना चाहिए। यह सरकार छोटी होती जा रही है। आपको कम लोगों का समर्थन मिल रहा है। आपकी सरकार को कम लोगों का समर्थन प्राप्त है। मेरा कहना यह है कि राज-पाट करने वालो को छोटे मन से कोई भी काम नहीं करना चाहिए क्योंकि छोटे मन से देश नहीं चलता है। राज-पाट करने वालों का मन तो बडा होता है। आज आप जो भू.पू. प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के परिवार की सुरक्षा करने की व्यवस्था कर रहे हैं भले ही उनके बहाने पू. प्रधान मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा इसमे आ जाते हैं या पू. प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई, लेकिन यह बिल खासतौर से भू.पू. स्वर्गवासी प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के परिवार की सुरक्षा के लिए लाया जा रहा है। इस प्रकार का प्रस्ताव छोटा मन करके नहीं लाना चाहिए, बल्कि एक व्यापक प्रस्ताव रखना

चाहिए। यदि व्यापक प्रस्ताव सरकार की ओर से लाया जाता तो यह देश के लिए और आगामी पीढी के लिए अच्छा होता।

सभापति महोदया, मैं सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हू कि बिना मतलब के सुरक्षा जिन लोगों को दी गई है, उसकी पुनः जांच करके देख लीजिए। हमारे तमाम सांसद सुरक्षा की मांग करते हैं, लिखकर देते हैं, फिर भी उनको सुरक्षा नहीं मिलती है और एक यहां बिना मांगे, बिना लिख कर दिए हुए सुरक्षा दी जा रही है और ब्लैक कैट कमांडो उनके साथ चल रहे हैं। उनके स्टेटस को बढा रहे हैं। उनके स्टेटस को बनाकर रखते हैं। उनकी तमाम सुरक्षा कडी कर दी गई है। जो लोग सडकों से गुजर रहे होते हैं, वे ब्लेक कैट कमांडो के उनके साथ होने पर सोचने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा करके आप सार्वजनिक पैसे का दुरूपयोग करते हैं। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस सार्वजनिक पैसे का दुरूपयोग करते हैं। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस सार्वजनिक पैसे का दुरूपयोग रोके। मैं ऐसा समझता हूं कि यह राष्ट्र के लिये हितकर होगा।

एस.पी.जी. की व्यवस्था भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों के लिये की गई है। यह निश्चित रूप से आवश्यक भी है क्योंकि उनके पास गोपनीय चीजें, दस्तावेज राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते होती हैं। आतंकवाद के चलते ये चीजें कही लीक न हो जायें, इसलिये एस.पी.जी. की व्यवस्था मोरारजी भाई, गुलजारी लाल नन्दा जी, चन्द्र शेखर जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के लिये होनी चाहिये। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी चाहे इसको विदड्रा करने के लिये कितना ही मना क्यों न करें, एस.पी.जी. की व्यवस्था उनके लिये रहनी चाहिये। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्रियो को एटॉमिक ऐनर्जी की जानकारी होती है, एस. पी.जी. के हटाने से देश की सुरक्षा खतरे में पड सकती है। मेरी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से प्रार्थना है कि वह राजनीतिक लाभ के लिये देश की सुरक्षा को खतरे में न डालें। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं एक चीज मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को विशेष सुरक्षा देने के बारे में आपने कोई निर्णय लिया है या नहीं?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : इनके बारे में जो निर्णय लिये गये हैं, उनके बारे में अपने जवाब के समय बताऊंगा।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदया, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संबंधी बिल जो लाया गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। यह एक बहुत सैंसटिव मैटर है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर हमे इसकी तरफ देखना चाहिये। यह कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था की कमियों के कारण ही राजीव जी का देहान्त हो गया। जब राजीव जी प्रधान मंत्री नहीं थे, तब कैबिनेट सैक्रेटरी श्री शेषन थे। उन्होंने स्वयं कहा था कि राजीव जी की जान को खतरा है, इसलिये उनके लिये एस.पी.जी. की व्यवस्था की जानी चाहिये। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वह देने से इन्कार कर दिया। इसकी राजीव जी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पडी।

सोनिया जी के परिवार और भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी को 5 वर्ष के लिये सुरक्षा देने के बारे में जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। जब कोई भारत का प्रधान मंत्री बनता है तो उसको पूरी रिसपैक्ट दी जाती है। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना हमारा फर्ज भी है। भारत में ही नहीं श्रीलंका में भी हमने देखा कि वहां प्रेमदास जी को कैसे बम से उडा दिया गया।

वी.पी. सिंह जी ने कहा है कि एस.पी.जी. को उनके यहां से विदड्रा कर लिया जाना चाहिये। विदड्रा करने के बाद अगर उनको कुछ हो जायेगा तो सारी बात गवर्नमैंट के ऊपर आ जायेगी। उनकी देखभाल करना गवर्नमैंट की ड्यूटी है। पहले पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था और टैररिस्ट्स से लोगों को खतरा था। जम्मू कश्मीर और असम में भी आतंकवाद का जोर है...**(व्यवधान)**

4.00 म.प.

अगर एक कार में महिला होती है तो हम लोग कभी उसका विरोध नहीं करते हैं। यह एक सैंसिटव मैटर है। कोई आदमी के साथ पोलिटिकल सवाल जुड़ा नहीं होता है। इसके लिए हम लोग कभी नहीं बोलते हैं। इसके लिए जो गवर्नमैंट ने अमेंडमैंट लिये हैं, मैं उसका समर्थन करती हूं। साथ-साथ में यह भी ठीक है कि कोई आदमी उसका दुरूपयोग करता है। उसका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। यह देखना देश के लिए बहुत ही जरूरी है और यह हो सकता है कि हमारे देश में कोई टेरेरिस्ट एक्टिविटीज नहीं होगी लेकिन यह तो होगा ही क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा जो एशियन रीजन है, अकेले हिन्दुस्तान में नहीं लेकिन पाकिस्तान, बंग्लादेश, श्रीलंका और अन्य कन्ट्रीज में भी ऐसा ही होता है। इसीलिए जिसको सिक्योरिटी रिस्क है उसकी देखभाल करना तो गवर्नमेंट का काम है। यह बात सच है कि इसमें रूपया लगता है। रूपया नहीं लगने से तो कुछ भी नहीं होता है लेकिन साथ-साथ जिन परिवारों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है जिस परिवार की हमारे देश के लिए वेल्यू है उस परिवार की देखभाल तो करनी है। राजीव जी जिन्दा नहीं हैं, लेकिन अगर उनका परिवार जिन्दा है तो उनके परिवार की रक्षा करना हमारा काम है। यह हमारे देश का हक है। जैसे और भी भूतपूर्व प्रधान मंत्री हैं, मैं उसके लिए भी अपील करना चाहती हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदया, इस देश के लिए बलिदान करने वाले तमाम परिवार हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का परिवार है। महात्मा गांधी जी का परिवार है और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके परिवार ने इस देश के लिए बलिदान किया है, उन लोगों के परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की चिन्ता सरकार को नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि सोनिया गांधी की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन सब लोगों के लिए यह व्यवस्था बराबर की होनी चाहिये। देश के लिए बलिदान करने वाले लोगों के लिए होनी चाहिये और इसकी व्यवस्था बढ़ा दी जाये। अन्य लोगों के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाये। जयप्रकाश जी ने भी बलिदान किया है।

सभापति महोदय : वीरेन्द्र सिंह जी, आप बैठ जाइये।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : एक चीज मुझे भी जाननी थी। यहां पर इन्होंने बात रखी है कि सोनिया गांधी का प्रोटेक्शन हो। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन न जाने ऐसे कितने परिवार हैं, राजनीतिज्ञ खड़े हों, जिनको टैररिस्ट ने मारने का काम

किया है। ऐसे कितने हैं जिनको टैरेरिस्ट ने मारने का काम किया है उनकी फैमिली के प्रोटेक्शन के बारे में सरकार सोच रही है कि नहीं। दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूं जिसका होम मिनिस्टर जवाब देंगे कि जो भी यहां एम.पी. चुनकर आते हैं उनके राज्य में उनके प्रोटेक्शन के लिए तो पुलिस मिल जाती है लेकिन जो फैशन के लिए दांए बाएं लेकर चलते हैं उनको आज भी बडे लेबॅल पर जो चन्द्र शेखर की मिनिस्ट्री में थे उनको आज भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। क्या मंत्री जी जवाब देंगे तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने एम.पी. ऐसे हैं जिनको सिक्योरिटी थ्रैट्स हैं और उन्होंने रिक्वेटस किया है। आज तक उनको प्रोटेक्शन देने का काम नहीं हुआ।

सभापति महोदय : आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। अच्छा अब आप मेहरबानी करके बैठ जाइये। आपको समय मिल चुका है।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं सोनिया गांधी की बात इसीलिए कहती हूं। इसमें कोई पार्टी पोलिटिक्स की बात नहीं है। जिसकी जिन्दगी खतरे में है, जिसने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है। तो इस बारे में मैं आपसे सहमत हूं। अमरीका में भी ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जिनके परिवार ने बलिदान किया है। इन्दिरा जी ने बलिदान दिया है आपको मानना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे फैमिली हैं। मैं आपके साथ सहमत हूं जैसा आर्मी स्टॉफ में भी है जो देश के लिए लड़ा करते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए लडा करते हैं, जो देश को जिन्दगी देते हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। उनकी भी सिक्योरिटीज है। आपको मालूम होना चाहिये। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सुरक्षा के लिए मैं होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं।

जिस परिवार की देखभाल करना गवर्नमेंट का कर्तव्य है उसकी गवर्नमेंट देखभाल जरूर कर सकती है लेकिन हर परिवार की देखभाल तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, इनडिविजुअल हर आदमी को तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं देख सकती है। लेकिन उसमें भी थोडा च्वाइस होता है, प्रायोरिटी होता है, प्रायोरिटी में कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी में जिन्दगी की बात ही सबसे बडी प्रायोरिटी होनी चाहिए।

यह बात भी सच है जैसे कि जर्नलिस्ट और प्रेस फोटोग्राफर काम करते हैं इनको क्या रिस्क है, क्या इनको सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। ये लोग जब फोटो खीचंने जाते हैं, जब न्यूज निकालने जाते हैं तो इन लोगों की जिन्दगी भी खतरे में होती है। क्या आपको बिहार का मालूम नहीं है कैसे जर्नलिस्ट लोगों को डाटते हैं, उनकी जिन्दगी कैसे खतरे में है। इन लोगों को भी सिक्योरिटी रिस्क है लेकिन इन लोगों का वेज बोर्ड भी नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में पेंशन तथा अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं, यह प्वाइंट भी महत्वपूर्ण है। अगर आप डिसकशन करना चाहते हैं तो आइए आप पूरा प्वाइंट डिसकशन करने के लिए तैयार हो जाइए, हम लोग भी इसके लिए तैयार हैं लेकिन यह बात नहीं है जो बिल के साथ रिलेटिड है, बिल में जो रिलेशन है इसी के लिए मैं कहना चाहती हूं। यह बिल जो गवर्नमेंट लाई है इसका मैं समर्थन करती हूं, अगर इसमें कोई और किसी का सजेशन है, किसी की जिन्दगी खतरे में है तो आप लोग जरूर लिख कर दे सकते हैं गवर्नमेंट जरूर उसकी देखभाल कर सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं होम मिनिस्टर को बधाई देना चाहती हूं और मैं यह कहना चाहती हूं कि आम जनता के ऊपर इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए और आम जनता के लिए भी सिक्योरिटी का जो सिस्टम है इसको मजबूत बनाने के लिए मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं।

[अनुवाद]

4.08 म.प.

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुई)

[हिन्दी]

डा. एस.पी. यादव (सम्भल) : माननीय सभापति महोदया, एसपीजी की सुरक्षा हो या न हो, या किस प्रकार से हो मंत्री जी ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है उस पर इस सदन के अंदर चर्चा हो रही है। मैं इस सदन मे जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं उन सबसे मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि देश को चलाने के लिए जो नीतियां वे निर्धारित करें या जो नीतियां वे एडोप्ट करें उनमें कहीं पर कोई खामी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी कोई आतंकवाद पनपता है या कहीं कोई जगजू पैदा होते हैं या अन्य जो असामाजिक तत्व लोगों पर विभिन्न प्रकार से हमला करते हैं उनके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है।

महोदया, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस समय वह प्रधान मंत्री थीं। उनको सबसे बड़ी एसपीजी मिली हुई थी लेकिन ये लोग स्वयं ही उनको मारने के एक मुजरिम बने। उसके बाद भी सरकार ने कोई इस प्रकार का स्टेप नहीं उठाया कि आगे इस प्रकार की घटनाए न हों। माननीय मंत्री जी इस पर बडे ठंडे दिमाग से विचार कीजिए कि यह एसपीजी का कितना उपयोग और दुरुपयोग हो रहा है यह देखना चाहिए। अगर हमारे राजनेताओ की नीतियां कहीं गलत दिशा में चली जाएंगी तो देश के लोग उसे बर्दास्त नहीं करेंगे। मैं देख रहा हूं कि स्वर्ण मन्दिर में सेनाओ ने प्रवेश किया था जिसके कारण इतिहास में एक धब्बा लगा और हमारे देश की प्रधान मंत्री जी की हत्या हुई और जिस समय 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया और जिसके कारण बम्बई के अंदर 13 जगह बम कांड हुए। सरकार कभी एनालिसिस नही करती है कि किन नीतियों के कारण इस प्रकार के लोगों को कठोर स्टेप्स, अनचाहे स्टेप्स लेने पडते हैं। सरकार के ऊपर देश को चलाने का बहुत बड़ा दायित्व होता है, देश की जनता को सुख--सुविधाएं पहुंचाने का दायित्व होता है, न कि उनके दिलो को आहत करने का होता है। बहुत बडा दायित्व होता है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं। वे संशोधन चाहते हैं। हम लोग इसका विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह कहना चाहते हैं कि देश का इतना बडा धन चंद लोगों की सुरक्षा के लिए खर्च हो जाये और हिन्दुस्तान मे पता नहीं कितने लोग बिना बात के मौत के घाट उतरते रहें और उनकी थाने मे एफ.आई.आर भी न लिखी जाये, ऐसा कानून देश में कहां है? हमने कई बार गृह मंत्रीजी को लिखकर दिया, अनुरोध किया कि 6 दिसम्बर के बाद हमारे क्षेत्र में आठ-दस लोग मारे गये, आज तक उनका पता नहीं चला। लेकिन पुलिस प्रशासन और जिले के प्रशासन ने स्वीकार नहीं

किया कि वे मारे गये या जिंदा हैं। केन्द्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जांच नहीं हुई। सरकार चाहे केन्द्र की हो या प्रदेश की, उन सबके लिए एक स्वच्छ प्रशासन देने की आवश्यकता है। अगर प्रशासन स्वच्छ नहीं दिया जायेगा तो लोगों के दिलों को कभी थामा नहीं जा सकता है। माननीय वी.पी. सिंहजी का नाम यहां बार-बार लिया गया कि उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था लेने से इनकार कर दिया है। यह आदमी का साहस है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वे लोग भाग रहे हैं जिनको सुरक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। माननीय वी.पी. सिंह यह महसूस करते हैं कि मैंने प्रधान मंत्री पद पर रहते हुए कोई गलत काम नहीं किया इसलिए मुझे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। यह आदमी का आंतरिक बल होता है और साहस होता है कि वह जानते हुए ही अपनी मजबूती प्रदर्शित करता है। यहां पर कई साथियों ने कहा कि कुछ लोग इस सुरक्षा का प्रदर्शन और ढोंग दिखाते हैं कि हमारे साथ एसपीजी या दूसरा कोई सुरक्षा का साधन है। जबकि उनके जीवन के लिए कोई खतरा नहीं होता है। यह कोई विरोध की बात नहीं है, केवल एक व्यक्ति की आलोचना करने के लिए कहा जाये या आलोचना आलोचना के लिए की जाये, मै इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानता हूं। इस सदन में कोई बात ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में कुछ तथ्य हों।

एसपीजी जिन लोगों को प्रदान की जा रही है, बार-बार एक ही बात आती है कि एक ही परिवार की सुरक्षा के लिए एसपीजी का प्रावधान, उसमें संशोधन, फिर संशोधन में पुनः संशोधन किये जा रहे हैं। मै मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि देश में ऐसा भी संदेश नहीं जाना चाहिए या लोगों के मन में ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि यह बात केवल एक या दो लोगों के लिए ही की जा रही है और सदन में इस पैर विचार हो रहा है और इतना खर्च हो रहा है। अपनी सुरक्षा स्वयं होती है। जो सरकारी एजेंसीज हैं वे नहीं कर पाती है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति के सम्बन्ध में यहां भी चर्चा हुई कि उनके साथ एसपीजी थी या नहीं थी। यदि थी तो फिर किस प्रकार से किसी ने उनकी कार को टक्कर मारी। जिसकी वजह से आज वे मौत से संघर्ष कर रहे हैं। क्या आपने इस पर कभी विचार किया कि हमारी जो एजेंसीज हैं वे कितने प्रभावशाली ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं या केवल एक दिखावा मात्र बन गयी हैं। इतिहास आपके सामने है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जनरल वैद्य की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई। देश के पिता समान व्यक्ति महात्मा गांधी की हत्या हुई। लेकिन कोई सुधार कहीं दिखाई नहीं देता है।

मंत्रीजी ने जो यह संशोधन विधेयक रखा है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना अवश्य चाहते हैं कि जिसको भी विशेष सुरक्षा दी जाये तो फेयरनैस के आधार पर दी जाये, उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाये और आप एस.पी.जी. की कानून व्यवस्था में प्रत्येक छः महीने के बाद उसमें संशोधन करने का कष्ट करें।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदया, इस विधेयक में सब सैक्शन-4 में संशोधन करके 5 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष करने के लिये कहा गया है और मुझे इसमें कोई विरोध नहीं है। जहां तक सोनिया गांधी की सुरक्षा का सवाल है, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। सुरक्षा के नाम पर ऐसे लोगों की सुरक्षा की जाती है जिसे यह गरीब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कई भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों को सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है फिर भी वे सरकार का लाखों रूपया बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह की फिजूलखर्ची को रोकना चाहिये। यहां की 85 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे रह रही है और जिनको दो जून का खाना नसीब नहीं होता है, उस देश में इस तरह की सुविधाएं देना शोभा नहीं देता है।

सभापति महोदया, इसमें सोनिया गांधी का केस अलग है। चूंकि इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री रहे हैं, उनको मार दिया गया, इसलिये उनकी सुरक्षा की जरूरत है। यदि कांग्रेस हुकूमत चाहती तो यह खर्चा घटा सकती है। आज सोनिया सरकार से बाहर है, आप उसको लोक सभा के सदस्य के रूप में जिताकर ला सकते हैं और फिर सुरक्षा दी जा सकती है। लेकिन न मालूम आप लोगों को उससे अदावत क्यों है? आप चुनाव के समय नारा तो देते हैं-मां बेटे का यह बलिदान भूल सकेगा न हिन्दुस्तान। अगर आप चाहते तो उसको लोक सभा में उसी सीट से ला सकते थे जहां से राजीव गांधी चुनाव लड़ते थे। वहां से एक कमजोर उम्मीदवार को जिताकर लाये हैं। आप सारा सुरक्षा का पैसा गांधी परिवार पर खर्च करना चाहते हैं। आपको डर है कि राजीव गांधी की जगह कहीं सोनिया न ले ले। न सरकार बोलती है और न हमारे प्रधान मंत्री इस बारे में बोलते हैं। मैं यह समझता हूं कि नेहरू परिवार के प्रति श्रद्धा होती तो इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते और ये यों ही मारे मारे न फिरते। आप तो इन्दिरा और राजीव के नाम पर आंसू बहाते हैं। आज यदि एक आदमी मुख्य मंत्री बन जाता है या प्रधान मंत्री बनता है तो क्या सारी उम्र उसकी सुरक्षा होती रहेगी? इस देश में तो लाखों नौजवान बिना काम के खाली घूम रहे हैं। गरीबों को खाना नहीं है और इस बोझ को लेकर सरकार और खर्च बढ़ा रही है। मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। जैसाकि श्री वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्री गुलजारी लाल नंदा के परिवार के लोगों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिये। देश के पिता महात्मा गांधी के परिवार के लोगों को सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार को बहुत मोह है तो उन लोगों ने भी देश के लिए बहुत कुर्बानी की है, त्याग और तपस्या की है। उनके परिवारों की भी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके परिवारों की सुरक्षा करने की सरकार की कोई चेष्टा नहीं है। अगर होती तो निश्चित रूप से कुछ किया जाता । इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और साथ ही साथ जो दुरूपयोग इस बिल का होता है कि जिनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, कम से कम उस चीज को रोकें। मैं सरकार से दावे से कहना चाहता हूं कि सरकार को जांच करानी चाहिए कि कौन लोग हैं जो जनता के बीच में नहीं रहते हैं और केवल दिल्ली में रहकर भी प्रधान मंत्री के नाम पर सरकार का लाखों रूपया खर्च कराते हैं। उनकी जांच कीजिए और उन पर होने वाले खर्च की कोई आवश्यकता नहीं है और उनको कोई खतरा नहीं है। खतरा उन्हीं को होता है जो जनता के बीच में रहते हैं। जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं उनको क्या खतरा होगा? जिनको जनता पूछती ही नहीं है उनको खतरा किससे होगा और जिनको जनता पूछती नहीं है उन पर आप लाखों रूपया सुरक्षा के नाम पर खर्च करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो बेवजह सुरक्षा के नाम पर आप लाखों रूपया खर्च करते हैं वह आप बेराजगार लोगों को काम देने

में खर्च कीजिए, सरकारी ट्यूबवेल लगाने में खर्च कीजिए। दिल्ली के जिन इलाकों में पानी का इंतजाम नहीं है वहां खर्च कीजिए जिससे गरीब लोगों को पीने का पानी मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोनिया गांधी जी से संबंधित इस बिल का समर्थन करता हूं और जो मैंने निवेदन किया उसे सरकार से लागू करने का आग्रह करता हूं।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : सभापति महोदया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया।

अभी हमारे संदस्य बड़ी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने तो यह भी कहा कि बिल का हम समर्थन करते हैं पर साथ ही यह भी कहा कि एक व्यक्ति को यह सुरक्षा क्यों दी जाए। यह बिल ही चन्द व्यक्तियों के लिए है। क्योंकि ये एस.पी.जी. सिर्फ प्रधान मंत्री और पूर्व प्रधान मंत्रियों के लिए ही बना है। वह लोग चन्द ही हैं। इसमें सारे देश की बात नहीं हो सकती। अगर और लोगों को सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए और भी साधन हैं, पुलिस है, बी.एस.एफ है, सी.आर.पी.एफ. है। वह सारे इस काम के लिए मिलते हैं। सांसदों और दूसरे लोगों को भी वह सुविधा है। यह एस.पी.जी. सिर्फ प्रधान मंत्रियों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए बनी है। इसको यह कहना कि हम इसकी मुखालिफत नहीं करते और साथ ही साथ मुखालिफत भी करते जाएं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है और कोई उसको बदल नहीं सकता कि जो कुर्बानी इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने दी है यह फैक्ट है और जिस काम के लिए दी है, वह देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए दी है, ऐसी छोटी–छोटी बातें करने से उस कुर्बानी को मिटाया नहीं जा सकता। इस तरीके से जो कुर्बानी दी है और जो उनका परिवार है उसकी सुरक्षा करना देश के लोगों का काम है, देश की सरकार का काम है। उस काम में किसी किस्म की यह बात नहीं कहनी चाहिए कि एक व्यक्ति के लिए क्यों हैं। आखिरकार वह भी व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है और जो दूसरे हैं उनके लिए भी कानून बने हुए हैं। मगर चूंकि यह कानून सिर्फ प्रधान मंत्री के लिए बना हुआ है, एक स्पेशल एक्ट है, उसको कोई तोड़ने की बात नहीं कहनी चाहिए कि ये एक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें वी.पी. सिंह और भूतपूर्व प्रधान मंत्री चन्द्र शेखर जी भी आते हैं, मोरारजी देसाई भी हैं। हो सकता है कुछ को सिक्यूरिटी की जरूरत न हो। ये वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने टैरेरिज्म नहीं देखा है। पंजाब के लोगों ने देखा है और जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं या असम के लोगों ने देखा है। बाकी बात करके मजा लेते हैं। कभी देखा नहीं और वहां कभी नहीं गए । जब गए तो उन लोगों के साथ बात की जो टैरेरिस्ट को शह देते हैं। टैरेरिज्म को बढ़ावा देते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ बैठते हैं तथा सियासी तौर पर उनको बढ़ावा देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी जिनका जिक्र कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए। वे जब अमृतसर में गए तो किन लोगों के साथ उन्होंने वहां जुलूस निकाला और किन लोगों के साथ बातचीत की? भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने यहां दिल्ली में आतंकवादियों को इकट्ठा कर मीटिंग की, पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ बातें करते रहे, उनसे खुफिया तौर पर बातें की, जो अनलॉफुल थे उनके साथ बैठकर बातें की।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदया, जो इस तरह के जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री वी.पी. सिंह के बारे में, जिनकी इंटेग्रिटी को पूरा हिन्दुस्तान मानता है उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने टैरेरिस्ट्स के साथ बात की। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। वे हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री हैं, हमारी पार्टी के लीडर हैं, उनके बारे में इस तरह की बात की गई है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, मेरा ऐसा विचार नहीं है। उन्होंने श्री वी.पी. सिंह जी का नाम नहीं लिया है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उन्होंने उनका नाम लिया है ....**(व्यवधान)**

श्री राम कापसे (ठाणे) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। लेकिन साथ ही वह जो कुछ भी बोल रहे हैं, मेरे विचार से वह आपत्तिजनक है और जहां तक इस संकल्प का संबंध है यह पूर्णरूप से असंगत है।

सभापति महोदय: अच्छा प्रश्न यह है। मैं उनका व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार करती हूं।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : महोदया, मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

यह बात कैसे इरैलेवेंट है? पूर्व प्रधान मंत्री जी टैरेरिस्ट्स के साथ बातचीत करते रहे थे। यदि ऐसा नहीं है तो वे टैरेरिज्म के खिलाफ लड़ते क्यों नहीं हैं?

सभापति महोदय : आप जो बिल की परिधि है उसी के बारे में चर्चा करें। अनावश्यक विवाद में न जाएं।

श्री उमराव सिंह : विवाद इन्होंने शुरू किया है। पूर्व प्रधान मंत्री के परिवार को प्रोटेक्शन देने के बारे में बिल था उसका क्रिटिसाइज करना इन्होंने शुरू किया है।

प्रो. रासा सिंह रावत : ये जिस ढंग से पूर्व प्रधान मंत्री जी के बारे में कह रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं वह उचित नहीं है। पूर्व प्रधान मंत्री जी ने देश की भावनात्मक एकता के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए उनसे भेंट की होगी लेकिन जिस टोन में ये बात कर रहे हैं उसे कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

श्री उमराव सिंह : भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने स्वय ये माना है कि उन्होंने टैरेरिस्ट से बात की है।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की।

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट रूकिए।

...**(व्यवधान)**....

सभापति महोदय : अब मैंने ये सुन लिया है कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन आप कह रहे है कि कुछ अन्य लोगों ने ये कहा है आदि। स्थिति चाहे कुछ भी हो, मै सदस्यों से संकल्प के दायरे में रहने का अनुरोध करता हूं। उसके बाद उत्तर देने के लिए मंत्री महोदय यहां पर हैं। मेरा यह भी अनुरोध है कि इस तरह से किसी का भी हवाला मत दीजिए चाहे वह श्री वी.पी. सिंह जी हों, या कोई और। यदि यह बात आपके मन मे है भी तो कृपया इसे प्रकट मत कीजिए।

...(**व्यवधान**)...

[हिन्दी]

श्री उमराव सिंह : मैडम, मुझे इस बात की हैरानी है कि यहां सोनिया जी का नाम तो बार-बार आ गया और यदि किसी भूतपूर्व प्रधान मंत्री का नाम आ जाए, तो इर्रैलेवेंट हो जाता है।

प्रो. रासा सिंह रावत : आप कृपा करके बिल को देखिए। बिल में सोनिया जी का नाम लिखा गया है। इसलिए उनके नाम का यहां उल्लेख हुआ है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दीजिए। वह अंतिम वक्ता है।

....(**व्यवधान**)....

[हिन्दी]

डा. जी.एल. कनौजिया (खीरी) : सभापति महोदया, अगर ये लास्ट स्पीकर हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये जो चाहें, वह बोलते रहें? ....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने उनसे निवेदन किया है आपको दौड कर पीठासीन अधिकारी के पास नहीं जाना चाहिए। आपको पीठासीन अधिकारी से इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए।

.....(**व्यवधान**).....

[हिन्दी]

श्री उमराव सिंह : आप अगर मेरी बात सुनेंगे, तो आप मेरी प्रशंसा करेंगे। क्योंकि हमने टैररिज्म को देखा है। आपने टैररिज्म को नहीं देखा है और आप उनके साथ मिलकर उनको मदद करते रहे हैं? ...(**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदया, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

सभापति महोदय : क्या पाइंट ऑफ आर्डर है?

...(**व्यवधान**)....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उमराव सिंह जी, आप ऐसे विषय पर ऐसा विवाद क्यों कर रहे हैं? मैं आप सब लोगों से विषय की सीमाओं के भीतर ही रहने का अनुरोध करती हूं चूंकि श्री थॉमस जी अंतिम वक्ता हैं। उसके बाद सांविधिक संकल्प के प्रस्तावक को भी उत्तर देने का अधिकार होगा। और तत्पश्चात भले ही

... (**व्यवधान**) ...

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : इनको क्या हक है कि ये हम पर इल्जाम लगाएं कि हम टैररिस्ट से मिलते रहे हैं? कम से कम इन शब्दों को तो रिकार्ड से निकाल दीजिए।

सभापति महोदय : नहीं, मैंने कह दिया कि इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

... (**व्यवधान**) ...

सभापति महोदय : आप किस रूल में पॉइंट आफ ऑर्डर उठा रहे हैं?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदया, इनको कोई हक नहीं है कि ये किसी अपोजीशन के मैम्बर पर इस प्रकार का आरोप लगाएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने उन्हें पहले ही ऐसा न करने के लिए कह दिया है, क्या मैंने ऐसा नहीं कहा है? कृपया आप सब लोग मेरे साथ सहयोग करें।

... (**व्यवधान**) ...

[हिन्दी]

श्री उमराव सिंह : मैं यह कह रहा था कि पंजाब और देश में टैररिज्म क्यों फैला, किन दिनों में फैला, उस वक्त कौन प्रधान मंत्री थे। यह एक बिलकुल सरल बात है। यह हिस्ट्री है। इसको सभी लोग जानते हैं।

सभापति महोदय : जब सभी लोगों को मालूम है, तो फिर यहां बोलने की क्या जरूरत है।

... (**व्यवधान**) ...

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : आप लोगों ने ही इसे सिर चढ़ाया है।

[हिन्दी]

श्री उमराव सिंह : यह सब आप लोगों की गड़बड़ है। इस बिल के लिए यह मुनासिब बात है कि जो प्रधान मंत्री जी, जिन्होंने टैररिज्म के खिलाफ लडाई लडी, जिन्होंने कुर्बानी दी है...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान गृहण कीजिए। मैंने अपने इन सब बातों में न पडने के लिए कहा है। मैंने अपने स्थान से हाथ जोड़कर आपसे अपने स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया है।

... (**व्यवधान**) ...

[हिन्दी]

श्री उमराव सिंह : मैडम, मैं, तो खत्म कर रहा हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन और मैम्बर साहेबान को सिक्योरिटी चाहिए, उनको भी यह सुरक्षा मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं वास्तव में यह देखकर आश्चर्यचकित हूं कि इस विधेयक के बारे में आपत्तियां की गई हैं जिसमें केवल यही कहा गया है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को पहले से ही दी जा रही सुरक्षा की अवधि पांच वर्ष के लिए और बढ़ायी जानी चाहिए। मुझे यह देखकर अचंभा हुआ है कि इस हद तक आपत्तियां की गई हैं कि कोई सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए। वास्तव में, इस राष्ट्र को इस वास्तविकता के लिए क्षमायाचना करनी चाहिए कि श्री राजीव गांधी की हत्या के समय उन्हें उचित सुरक्षा नहीं दी गई थी।

अब यह किसी पर दोष लगाने का प्रश्न नहीं है बल्कि यह सत्य है कि जिस समय राजीव जी की हत्या की गई थी या उस अवधि के दौरान वह आम चुनावों के सिलसिले में पूरे देश का दौरा कर रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी। प्रश्न यह नहीं है कि कोई व्यक्ति इसका हकदार है या नहीं बल्कि यह राष्ट्र का कर्तव्य है और राष्ट्र के कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए। यदि सरकार इसमें विफल रहती है तो वह उसके लिए जिम्मेदार है। यद्यपि, मैं इस सरकार को दोषी नहीं ठहराता हूं। अतः पर्याप्त सुरक्षा न देने के लिए हमें विशेष रूप से क्षमा मांगनी चाहिए विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि यह बात बहुत अच्छी तरह से मालूम थी कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री को खतरा है। मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति को उस समय पर्याप्त सुरक्षा न देने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अतः मेरा ख्याल है कि इस मामले पर चर्चा करने का यह उचित समय है।

आयोग गठित किये गए हैं और उन्होंने भी यह कहा है कि राजीव जी को उस समय पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई थी जबकि उनके जीवन को वास्तव में खतरा था। यह विधेयक भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा देने के संबंध में है। यद्यपि, विधेयक में विशेष रूप से यह कहा गया है कि श्रीमती सोनिया गांधी और उनके परिवार के सदस्यों को समुचित सुरक्षा दी जाए। इस विधेयक में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है और इसे पारित करना होगा।

हम आतंकवाद के बारे में और उन व्यक्तियों पर बर्बरता पूर्ण आक्रमणों के बारे में भी सुन रहे हैं जो प्रधान मंत्री नहीं हैं। मैं एक दृष्टान्त उद्धृत कर सकता हूं जो आज मेरे अपने राज्य में हो रहा है जहां एक विपक्षी दल इस हद तक पहुंच गया है और उसने यह रवैया अपना लिया है कि किसी मंत्री विशेष को राज्य में घुसने नहीं दिया जाएगा। लोकतांत्रिक ढांचे में कोई भी दल इस तरह की बात नहीं कर सकता है। ....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें व्यवधान न पहुंचाइए। उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री पी.सी. थामस : मैं केवल ये कह रहा हूं कि ...(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायंकिल) : उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की है कि यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं अपनी महिला सहयोगियों से बैठ जाने का अनुरोध करती हूं। उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री पी.सी. थामस : मुझे मालूम नहीं है कि मैंने किसी सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैंने केवल इतना कहा है कि ऐसे बर्बरतापूर्ण हमलों को रोका जाना चाहिए और उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें इस तरह के विधेयक पर चर्चा करते समय ऐसा रवैया अपनाना चाहिए। कोई भी अपनी आपत्ति प्रकट कर सकता है। हमने मंत्रियों को भी काले झण्डे दिखाए हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सुना कि किसी दल का यह रवैया रहा है कि किसी मंत्री या सत्तासीन व्यक्ति को चलने फिरने की अनुमति भी नहीं दी जाय।

हर कोई यह तर्क देता है कि हर एक नागरिक को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर एक नागरिक को कहीं भी आने-जाने का मौलिक अधिकार होना चाहिए। हम इसी बात पर बल देते हैं और यही हमारा उद्देश्य भी है। मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र जिन्होंने इस बात को ठीक नहीं माना है वे भी किसी भी व्यक्ति के देश में कहीं भी आने--जाने की स्वतंत्रता का समर्थन करेंगे।

स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि हम इस तरह के विधेयक के बारे में सोच रहे हैं। हम एक ऐसा विधेयक पारित कर रहे हैं जिसमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री के परिवार के सदस्यों को जो संरक्षण दिया जा रहा है और जो संरक्षण प्रधान मंत्री को दिया जाता है वह जारी रहना चाहिए। हम सब जानते हैं कि विशेष सरक्षण ग्रुप एक विशिष्ट चीज है, जो संरक्षण दिया जा रहा है वह कोई साधारण संरक्षण नहीं है। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। हम यह बात समझते हैं।

हमें यह संरक्षण उन लोगों को देना होगा जो सत्ता में हैं या जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है। यह विधेयक इस प्रकृति का है। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार ने इस संबंध में समय बढ़ाकर सही काम किया है।

सभापति महोदय : तेलगूदेशम के सदस्य यहां पर नहीं हैं। अतः मैं श्री राव को बोलने के लिए कह रही हूं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : पहली बात यह है कि मुझे इस विधेयक जिसके द्वारा इस विधेयक का सरक्षण पांच वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव है, को पारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। हम सब को श्री राजीव गांधी के परिवार के सदस्यों से सहानुभूति है। लेकिन इस संबंध मे सरकार क्या फिर से विचार कर रही है? विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों अति विशिष्ट व्यक्तियो, संसद सदस्यो और कि... सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत अधिक धन व्यय किया जा ... जब मैं पहली बार आठवीं लोक सभा में गया था और फिर दसवीं लोक सभा में आया तो मैंने वास्तव मे एक बहुत बड़ा परिवर्तन पाया। यहा तक कि राष्ट्रपिता की प्रतिमा ... तक भी हमने बहुत से पुलिसकर्मियों को चहलकदमी करते हुए देखा।

हमने संसद भवन के बाहर भी एक पुलिस आयुक्त को अपनी कार में जाते हुए देखा और उनकी कार के आगे और पीछे दोनों कारें चल रही थीं। ऐसी स्थिति आ रही है जबकि बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि बंदूकधारी और कुछ सुरक्षाकर्मी अपने साथ रखना प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। कुछ भी हो यह सब किसका पैसा है? क्या यह जनता का पैसा नहीं है? इस बारे में फिर से सोचना चाहिए। यदि कुछ लोग किसी को नुकसान पहुंचाने पर ही तुले हुए हैं तो इसे रोक पाना बहुत कठिन है। इतिहास में यह बात संदेह से परे सिद्ध हो चुकी है। जॉन केनेडी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और श्रीलंका के भूतपूर्व प्रधान मंत्री जैसे लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हत्या हो चुकी है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे किसी न किसी समय समाप्त अवश्य किया जाना चाहिए, मुझे आश्चर्य है कि कुछ प्रधान मंत्री जो महान समाजवादी होने का दावा करते हैं वे भी सरकार से सुरक्षा व्यवस्था पर करोड़ों रूपए व्यय करवा रहे हैं। मैं इस संबंध मे इस देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को बधाई देता हू कि उन्होंने सरकार से उन्हें प्रदान की गई विशेष संरक्षण ग्रुप कवच को वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने स्वेच्छा से विशेष संरक्षण ग्रुप कवच के बिना भी रहने का फैसला किया है। मुझे आशा है कि अन्य दूसरे भूतपूर्व प्रधान मंत्री भी जो आज जीवित हैं वे, भी ऐसे ही सुझाव लेकर आगे आएगे।....**(व्यवधान)**

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उन्हें यह कहने का अधिकार तो है कि वे अपने लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं है कि दूसरों को भी सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए। यह शरारतपूर्ण बात है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : उन्होंने दूसरों के लिए आपत्ति नहीं की है। वह कम से कम यह कहने के लिए तो आगे आएं कि उन्हें अपने लिए इसकी जरूरत नहीं है। ....**(व्यवधान)**

सभापति महोदयः मंत्री जी बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। कृपया उत्तर देना मंत्री महोदय पर निर्भर है।

... **(व्यवधान)** ...

सभापति महोदय : ये सब क्या हो रहा है?

... **(व्यवधान)** ...

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : जब पंडित जवाहर लाल नेहरू जिन्दा थे, अपनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद वह कई बार लोगों के साथ और लोगों में चले जाते थे। उन लोगों में इतना साहस था और उनका जनता में इतना विश्वास था कि लोग ही उनके संरक्षक बन जाते थे, आपकी पुलिस क्या सुरक्षा प्रदान कर सकती है।..**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री चार्ल्स जी, कृपया अपना स्थान गृहण कीजिए। मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए?

... **(व्यवधान)** ...

श्री एस.बी. चव्हाण : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का अपने-अपने ढंग से समर्थन करने के लिए सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। यह पूरी तरह से जानते हुए भी कि यह विधेयक इस प्रकार का है और इस तथ्य के बावजूद कि वे विपक्ष के सदस्य हैं, उन्होंने यह आवश्यक समझा कि उस बारे में संभवतः वह कोई जोखिम न उठायें।

वास्तव में, हम इस समस्या से अच्छी तरह से अवगत हैं और वस्तुतः कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह मुद्दा भी उठाया गया था, कि जहां तक संभव हो हमें इस प्रकार के मामलों में अध्यादेश जारी नहीं करना चाहिए, मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। वस्तुतः मेरा यह प्रयास रहा भी है और मैं आपको इसके लिए आश्वासन भी दे सकता हूं लेकिन कई बार स्थिति हमारे काबू से बाहर हो जाती है और उस समय हमारे लिए अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो जाता है। यह एक प्रकार से अपरिहार्य बुराई है। यद्यपि संविधान में पहले से ही उपबंध मौजूद हैं, और साथ ही साथ जहां तक संभव हो, हमें विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहिए, सदन में इस विधेयक पर पूरी तरह से चर्चा की जानी चाहिए और उसके बाद ही उस विषय पर अध्यादेश जारी करने की बजाये विधेयक को पारित करना चाहिए, कम से कम मैं इस बात को बडी गंभीरता से लेता हूं और जहां तक संभव होता है, मैं ऐसी बातों से बचना चाहता हूं।

महोदया, यहां पर एक मुद्दा उठाया गया था कि क्या सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हर वर्ष हमें इसकी समीक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां तक स्वर्गीय राजीव गांधी के परिवार का संबंध है, कम से कम मुझे इस बात मे कोई संदेह नहीं है कि आगामी पांच वर्षों तक इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होने वाला है। यदि सरकार इस सदन के समक्ष कहेगी कि खतरे की आशंका के कारण श्रीमती सोनिया गांधी और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी तब कुछ माननीय सदस्य यह मुद्दा जरूर उठाएंगे कि केवल श्रीमती सोनिया गांधी को ही विशिष्ट दर्जा दिये जाने की कोशिश क्यों की जा रही है। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि वस्तुतः शेष दोनों प्रधान मंत्री भी इसी विधेयक के दायरे में आते हैं।

एक माननीय सदस्य ने यह मुद्दा भी उठाया था कि क्या श्री वी.पी. सिंह ने इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था वापस करने की पेशकश की है और सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय लिया है। महोदया, यह प्रश्न व्यक्तिगत निर्णय लेने से संबंधित नहीं है। यदि वह न्यायालय के समक्ष जायें और फिर न्यायालय निर्णय दे तब निस्सन्देह हमारी स्थिति सुरक्षित हो जाती है। हमें इसके बारे मे कुछ भी नहीं कहना है। परन्तु यदि श्री वी.पी. सिंह यह पेशकश करते हैं कि उन्हें सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है तो यह उनकी मर्जी पर निर्भर नहीं करता कि वह इसे स्वीकार करें या नहीं। सरकार के रूप में, हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायें। ईश्वर न करे, यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो आप ही हमसे पूछेंगे कि क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है?

विशेष संरक्षा ग्रुप की अवधारणा श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सामने आयी है। उसके बाद, यह विधेयक विशेषकर यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था कि शासनाध्यक्ष को, जो कि कार्य निर्वाहक हैं और जो सभी मामलों का फैसला करता है, विशेष सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। यह प्रश्न पूछा जा

सकता है कि गृह मंत्री को ऐसी सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की गई है, रक्षा मंत्री को यह सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की गई है? हर एक मंत्री स्वय अपने निर्णय लेता है। लेकिन ऐसी विभिन्न प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं जो कि अन्य सभी मंत्रियों को प्रदान की गई हैं। लेकिन जहां तक प्रधान मंत्री का संबंध है वह शासनाध्यक्ष होता है। उसको कई अप्रिय निर्णय लेने होते हैं। कभी लोगो को उनके निर्णय अच्छे लग सकते हैं और कभी नहीं और कभी–कभी किन्हीं मामलों पर हम समझौता नहीं कर सकते हैं और वस्तुतः प्रधान मंत्री को शासनाध्यक्ष के रूप में पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पडती है। इसलिए हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है।

यह आशंका कब तक बनी रहेगी कोई नहीं कह सकता और संभवतः हम इसकी गारंटी भी नहीं दे सकते हैं। वास्तव में सुरक्षा का प्रावधान केवल पांच वर्षों तक के लिए ही है अर्थात पद छोड़ने के बाद पांच वर्षों तक के लिए यह व्यवस्था है। लेकिन चूंकि श्रीमती सोनिया जी एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य है इसीलिये दोनों भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों को भी यही पेशकश की गई थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भगवान के लिए आप जनता के मनों में ऐसी कोई भावना को जन्म न लेने दें जिससे ऐसा प्रतीत हो कि आप इन मामलो में अपना अलग दृष्टिकोण रखते हैं। मौत की धमकी एक ऐसा विषय है जिसमें जोखिम नहीं उठाया जाना चाहिए। यदि हमें जोखिम उठाना भी पड़े तो भी निश्चय ही हम उस उत्तरदायित्व की उपेक्षा नहीं कर सकते जो हमें निभानी है। इसलिए हमारा यह निर्णय है। मैं इस मामले में ढील नहीं दूंगा मैं यह बात कई बार उनकी जानकारी में ला चुका हूं कि उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया है।

जैसा कि विशेष संरक्षा ग्रुप द्वारा संरक्षित व्यक्ति को नही करना चाहिए था। इन सबके बावजूद उनका व्यवहार वैसा ही रहा। यह मेरी जिम्मेदारी है और इसलिए इस अवसर पर मै दोनों भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों तथा श्रीमती सोनिया गांधी व उनके परिवार के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे लोग गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के विषय में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से पालन करें। इसके बावजूद यह आवश्यक नहीं है कि आगे कोई अप्रयि दुर्घटना नहीं होगी। मैं संभवतः किसी प्रकार की गारंटी नहीं दे सकता। हम अधिक से अधिक सावधानी बरत सकते हैं जो कि इन परिस्थितियों में सभव हो और हम यही तो करने की कोशिश कर रहे हैं। अतः यह अनावश्यक रूप से कोई समस्या उत्पन्न करने की कोशिश मत कीजिए कि वह एक बहादुर व्यक्ति है और उन्होंने अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था को न स्वीकारने की पेशकश की है। इसमें बहादुरी की कोई बात नहीं है । कभी–कभी हम अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर न करे, यदि उनको कुछ हो जाता है तो आप मुझको छोडने वाले नहीं है और आप निश्चय ही मेरे खिलाफ आरोप लगाएंगे और यह कहेंगे कि आप गृह मंत्री है और आप उनको सुरक्षा प्रदान करने के अपने कर्त्तव्य में विफल हो गये है। अन्य सभी माननीय सदस्य इसी प्रकार की दलील देने से नहीं चूकेंगे। इसलिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस प्रकार के निरर्थक विचारों को व्यक्त न किया जाये। सभी भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक दो जैसी प्रक्रियाएं लागू की गई हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। मेरे अनुसार, श्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार की धमकी नहीं मिली है। लेकिन आपने यहां पर जो कुछ कहा है, उसको ध्यान में रखते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार के सदस्यों से मैं, निश्चय ही यह पूछूंगा कि क्या उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है। यदि उन्हें जान का खतरा हुआ तो निश्चय ही हम अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। जब सभी अन्य भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्य सुरक्षा पाने के हकदार हैं, तो यदि श्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार के सदस्यों को भी किसी प्रकार की धमकी मिली है तो वह सुनिश्चित करना हमारा फर्ज बनता है कि उनके लिए भी आवश्यक सुरक्षा की वयवस्था करें। वैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही साहसी व्यक्ति थे और उन्होंने इस राष्ट्र की बहुत सेवा की है।

मुझे इस सम्माननीय सदन की जानकारी में यह बात लानी होगी कि हम इस सदन के माननीय सदस्यों को दी गई सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। यदि मुझे साफ–साफ यह कहना पड़े तो मैं यह कह सकता हूँ कि जब सत्र शुरू होता है तो मुझे लगभग सभी के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। यह इसलिए कि लगभग हर दिन मुझे माननीय सदस्यों की ओर से आवेदन मिल रहे हैं और कभी–कभी ये लोग इस हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन कर रहे हैं। वह इस संबंध में मुझे लिखते हैं और उसके पश्चात् मैं नही समझता कि इस बारे में मुझे कोई जोखिम उठाना चाहिए। मैंने तुरन्त अपने खुफिया विभाग के निदेशक को इसकी सूचना दी है, ताकि वह यह सुनिश्चित करें कि जब माननीय सदस्य दिल्ली में हों तो उनको आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाए। मैंने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है कि जब भी संसद सदस्य अपने–अपने राज्यों में जाये तो यह सुनिश्चित करना उनका उत्तरदायित्व है कि उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाये। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसकी मुझे जानकारी है, और वास्तव में यदि मेरे वश में होता तो निश्चिय ही मैं कुछ लोगों को प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था को हटा देता। लेकिन और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे ध्यान में रखना होता है। अन्यथा, अनावश्यक रूप से सदस्य एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि प्रमुख सदस्य को तो सुरक्षा प्रदान की गई और मुझे क्यों नहीं की गई। तब मैंने कहा कि उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी लेकिन कृपया अनावश्यक रूप से सरकार की नीयत पर यह संदेह न करें कि सरकार एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। हम सब लोगों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं। मेरा यह विचार है कि उनके समक्ष सुरक्षा संबंधी कोई खतरा होगा जिसको वह बताना नहीं चाहते हैं। यदि ऐसा मामला है तो उनको मेरे पास भरोसे के साथ आना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि आखिर खतरा किस बात का है। वह अपने आपको ऐसी स्थिति में डालना नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं। यदि इसमें कुछ और धन खर्च होता है तो भी हमें स्थिति को स्वीकार करना पड़ता है और सुरक्षा उपलब्ध करानी पडती है।

महोदया, 34 करोड़ रूपये के व्यय के बारे में एक मुद्दा उठाया गया था। मैं आपको 34.1 करोड़ रूपयों का विवरण दे रहा हू जो

कि इस मद के तहत व्यय किया जा रहा है। परिवार के लिए आवर्ती व्यय 4.455 होता है और अनावर्ती व्यय 6.907 होता है। कुल मिलाकर यह 11.362 हो जाता है। जब इन तीनों आंकडों को मिलाकर देखते हैं तो कुल आवर्ती व्यय 13.365 होता है, अनावर्ती व्यय 20.721 और कुल व्यय 34.086 हो जाता है। यह कुल व्यय है और इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि मुझे इस सदन के समक्ष यह जानकारी रखनी चाहिए ताकि सदस्यों को पूरा संतोष हो सके और ऐसी कोई शिकायत न होने पाये कि हमने कुछ अन्य मुद्दों पर जवाब देना नहीं चाहा जो कि सदन में उठाये गये थे।

रही बात अन्य लोगों के परिवार के सदस्यों की, तो जहां तक राजीव गांधी एवं उनके परिवार के सदस्यों का संबंध है, हम इस सुरक्षा व्यवस्था को पांच वर्ष तक बरकरार रखेंगे। वास्तव में, मेरा ख्याल है कि कम से कम जहां तक मेरा संबंध है मेरे पास पूरी जानकारी है जो इस बात को न्यायोचित ठहराती है कि और पांच वर्ष तक सुरक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने वास्तव में कसम खा रखी है। मैं इसके संबंध में और कुछ नहीं कहना चाहता। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए पांच वर्ष तक सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि हमें इस अवधि को और पांच वर्ष बढाना पडे। राजीव गांधी के परिवार के सदस्य इस प्रकार की स्थिति में हैं।

जहां तक अन्य लोगों का संबंध है, यदि वे लोग मुझे यह बताते हैं कि वे कोई खतरा नहीं महसूस कर रहे हैं तो हम उनसे कहेंगे कि खतरे का एक बार फिर से मूल्यांकन करें और उसके बाद ही यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि परिवार के सदस्यों को अब कोई खतरा नहीं है तभी हम इस पर विचार करेंगे। परन्तु जहां तक संभव है, हम अब तक जिस मानदण्ड का अनुसरण कर रहे हैं, उससे हटना नहीं चाहेंगे।

एक माननीय सदस्य ने गठित किये गये दो आयोगों का मुद्दा उठाया है। एक है वर्मा आयोग और दूसरा जैन आयोग। मैं नहीं जानता कि जनता में ऐसी धारणा कैसे बन गई है कि इनमें से एक आयोग के साथ सरकार सहयोग नहीं कर रही है। मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ इस प्रकार की रिपोर्ट का खण्डन करना चाहता हूं। वर्मा आयोग ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केन्द्र सरकार तथा तमिलनाडु सरकार के जो अधिकारी इस संबंध में जिम्मेदार हैं उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मुझे विश्वास है कि हम इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करेंगे। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बरतने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

5.00 म.प.

जहां तक जैन आयोग का संबंध है मैं नहीं जानता कि यह धारणा कैसे बन रही है कि इसके साथ सरकार सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। निश्चिय ही मैं इस सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार इस आयोग को पूरा सहयोग दे रही है। हमने इस आयोग को गठित किया था और ऐसा करने के पीछे भी एक निश्चित उद्देश्य था। जैन आयोग के पास अब तक 103 शपथपत्र दायर करने थे और हमने ये सब दायर कर दिये हैं। यदि वे और जानकारी मागेंगे तो मुझे विश्वास है कि कोई भी अधिकारी अपने कर्त्तव्य से नहीं हटेगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जैन आयोग को जो भी सहयोग, जानकारी और दस्तावेज की जरूरत होगी हम निस्सन्देह यह जानकारी उन तक पहुंचाएंगे।

जहां तक मणिपुर का संबंध है, श्री याइमा सिंह युमनाम ने मुद्दा उठाया था कि केन्द्र के आदेशों के बावजूद राज्य के कुछ भूतपूर्व मंत्रियों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। मुझे राज्यपाल को स्पष्ट आदेश जारी करना होगा। राज्यपाल के अपने व्यक्तिगत जो भी विचार हों, पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश उन पर बाध्यकारी हैं। राज्यपाल को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी ही होगी। इस जिम्मेदारी से बचने की कोई गुंजाईश नहीं है। यह किसी विशिष्ट अधिकारी अथवा राज्यपाल की इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न होने पर जो भी व्यक्ति जिस प्रकार की सुरक्षा प्राप्त करने का हकदार है, राज्यपाल को उसे उस प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध करानी ही होगी।

महोदया, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। अतः इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित करे।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदया, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। जहां तक इस बिल का सवाल है मैं उसकी खिलाफत नहीं कर रहा हूं लेकिन आज यहां पर होम मिनिस्टर साहब ने एक चीज का एलान किया है और मैंने पूछा था कि एम.पीज. को स्टेट में तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिली हुई है। इन्होंने कहा कि जब सैशन होगा तो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे।

सभापति महोदय : यह नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यहां जब आते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कैसे खड़े हो सकते हैं? प्रो. रासा सिंह रावत को बोलना है।

डा. जी.एल. कनौजिया : यह सुरक्षा का प्रश्न है।

सभापति महोदय : सुरक्षा के अनेक प्रश्न हो सकते हैं। कुछ नियम और विनियम हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : इस तरह की सिक्योरिटी दिल्ली के अन्दर होनी चाहिए।

डा. जी.एल. कनौजिया : यह सिक्योरिटी का प्रश्न है। होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो मेम्बर हैं उनको उनके स्टेट में सिक्योरिटी देते हैं और देते रहेंगे। उसके लिए लिखा है, मैं उसके जवाब में एक क्लेरिफिकेशन मांग रहा हूं।

सभापति महोदय : आपकी कोई कम्पलेंट है तो आप लिखकर दे दीजिए।

डा. जी. एल. कनौजिया : मैं इनसे दो बार मिला भी हूं, इनको लिखा भी है, पायलट जी को भी लिखा है और अपने यहां के चीफ

मिनिस्टर को भी लिखा है। मैंने लिखा है कि मेरा संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है। इसमें 60 हजार सिक्ख वोटर भी हैं और यह क्षेत्र पीलीभीत से लगा हुआ है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री उमराव सिंह : मुझे डा. कनौजिया द्वारा सिक्ख समुदाय के विरूद्ध प्रयोग किए गए शब्दों तथा सभी सिक्खों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों पर आपत्ति है।

[हिन्दी]

डा. जी.एल. कनौजिया : मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि मेरे यहां इंसीडेंट्स हुए हैं। हमारे यहां आतंकवाद की काफी घटनाएं हुई हैं, काफी बार गोलियां चली हैं।**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आप जो भी कह रहे हैं वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा, आप बैठिए, जिनको बोलना है उनको बोलने दीजिए। **(व्यवधान)****

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कोई सीमा होनी चाहिए। इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह अध्यक्ष महोदय को बताएं कि उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदया, गृह मंत्री ने कहा है कि जहां तक सदस्यों की उनके राज्य में सुरक्षा का संबंध है, उसके लिए गृह मंत्रालय ने मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं कि वे देखें कि सदस्यों को उनके राज्य में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो। यदि अनेक सदस्य राज्य सरकार को शिकायत करते हैं और किसी न किसी कारण से वे सदस्यों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, तो क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वह संबंधित राज्यों में सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करे? मेरा यही कहना है।

श्री एस.बी. चव्हाण : बशर्ते कि राज्य सरकार यह कहे कि वे सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं और केन्द्र सरकार को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, तब निश्चित रूप से मैं इसकी ओर ध्यान दूंगा।

सभापति महोदय : अब कृपया रासा सिंह रावत जी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय सभापति महोदया, अभी गृह मंत्री जी ने जो कुछ उत्तर दिया है, उसको सुनकर जहां तक अध्यादेश को प्रस्तुत करने वाली प्रवृत्ति है, उसकी मैं निन्दा करता हूं। हालांकि यह सरकार का अधिकार है जैसा गृह मंत्री जी ने कहा, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपेक्षा करूंगा कि सरकार इस अधिकार का दुरूपयोग न करे और दूरदर्शिता का परिचय दे। यदि सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय दिया होता तो सरकार इस विधेयक को मानसून अधिवेशन में लाकर पास करा चुकी होती।

महोदया, हम चाहते हैं कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, सुरक्षा का वातावरण बना रहे, किसी को भय नहीं हो। हम सभी चाहते हैं कि सोनिया जी और उनका परिवार सुरक्षित रहे और उनकी सुरक्षा भी कायम रहे, लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने बार–बार कुर्बानी देने की बात कही और कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बलिदान से कौन इंकार कर रहा है ? कोई उससे इंकार नहीं कर सकता है। उनके अलावा भी इस देश के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए हैं। **(व्यवधान)**

महोदया, मेरे कहने का अधिकार है। मैं बोल रहा हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह क्या हो रहा है? यह क्या मछली बाजार है? यह पार्लियामैंट है। कृपया मैम्बर को बोलने दीजिए।

... **(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पवन जी, आप दल के सचेतक हैं। सभा की गरिमा बनाए रखना आपका दायित्व है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मैडम, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकली है जिसके कारण ये इतना शोर कर रहे हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं। जहां तक सोनिया जी का प्रश्न है, भगवान उनकी लम्बी उम्र करे और वे बहुत दिनों तक जियें, लेकिन अभी माननीय गृह मंत्री जी ने पांच साल की सुरक्षा की बात कही है और आगे भी हो सकता है कि उनकी सुरक्षा को बढाने की आवश्यकता हो। मैं कहता हूं कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन सरकार ने पांच साल की बात कहकर इस बात पर मुहर लगा दी है कि आने वाले पांच वर्षों मे देश से आतंकवाद को समाप्त करने में आप अपने आपको अक्षम पा रहे हैं और आपका मानना है कि भय का वातावरण बना रहेगा। हम यह चाहते थे कि एक साल का समय रहता और एक साल के बाद अगर आतंकवाद खत्म हो जाता है, असुरक्षा का वातावरण दूर हो जाता है, भय का वातावरण देश से दूर हो जाता है और यदि शांति स्थापित हो जाती है, तो इसको आगे और बढाने की जरूरत नही पडेगी।

महोदया, लोकतांत्रिक सरकार का मतलब यह है कि वह केवल सोनिया गांधी की ही नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करेगी। लोकतांत्रिक सरकार वही है जो सामान्य नागरिक और देश के सबसे बडे नेता को एक समान स्तर की सुरक्षा प्रदान करे। वह चाहे पूर्व प्रधान मंत्री हों या राष्ट्रपति हों। सभी नागरिकों को समान

** कार्यवाही–वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

सुरक्षा का अवसर मिले, यही सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुर्बानी और बलिदान की बात कर रहा हूं। इन्दिरा जी और राजीव जी की कुर्बानी और बलिदान से कोई इन्कार नहीं करता है। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया।

जब भगत सिंह जी की मां के पास यह खबर पहुंची कि तुम्हारे बेटे को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा है तब भगत सिंह जी की मां ने कहा कि :--

"परवाह नहीं जो, बन गई बच्चे की जान पर,

अरे एक तो क्या लाख भी हों तो वार दूं भारत की शान पर।"

मैं अंडमान गया था। वहां की सैल्युलर जेल में मैंने उन शहीदों, क्रांतिकारियों के नाम पढ़े, जिन्होंने अंग्रेजों की यातनायें सहीं।

"जब वक्त चमन पर पड़ा, वह लहू हमने दिया,

और जब बहारों का समय आ गया तो कह दिया तुम्हारी जरूरत नहीं" **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अनुभवी सदस्य हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि ऐसे विषय पर दूसरों की भावनाओं को आहत मत कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। उनकी कुर्बानी से कोई इन्कार नहीं करता लेकिन शहीदों की.... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दें। तब आपको बोलने का अधिकार होगा। आप ऐसा नहीं कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : जिस प्रकार से वह बोल रहे हैं, वह दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जहां तक मैंने सुना है, उन्होंने इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की देशभक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा है।

कुमारी ममता बनर्जी : वह भगत सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात कर रहे हैं। इसीलिए इसका इससे संबंध नहीं है। लेकिन हर कोई स्वतंत्रता-पूर्व आंदोलन का सम्मान करता है।

[हिन्दी]

श्री. रासा सिंह रावत : अभी माननीय गृह मंत्री जी ने खर्चे की सीमा 34 करोड़ रूपये की बतायी है, मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें आर्थिक मितव्ययता बरती जानी चाहिए क्योंकि यह राशि बहुत बड़ी दिखायी दे रही है। इसके बारे में आप विचार करें।

एस.पी.जी. के वैलफेयर के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसके बारे में मैंने पहले भी सवाल उठाया था लेकिन मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया। जवान अपनी जान पर खेलकर जिन लोगों की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनके कल्याण के बारे में हमें सोचना चाहिये। अगर कोई जवान शहीद हो जाता है तो उनके आश्रितों की भलाई के लिये कुछ किया जाना चाहिये।

जब इन्दिरा जी के परिवार की सुरक्षा की बात कही जाती है तो मेनका गांधी जी को भी नहीं भूलना चाहिये। वह स्वर्गीय संजय गांधी जी की पत्नी हैं। इसको समान दृष्टि से देखा जाना चाहिये। मैं यही कहना चाहूंगा कि :

"जाके राखे साईया, मार सके न कोई,

बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो जाये"

5.14 म.प.

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

ऐसी भावना होनी चाहिये। मैं अध्यादेश की प्रवृत्ति का विरोध करता हूं। इसलिये मैं निरनुमोदन के प्रस्ताव को विदड्रा नहीं करूंगा। सोनिया गांधी और उनके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रासा सिंह रावत क्या आप अपना सांविधिक संकल्प वापिस लेंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मैंने जो संकल्प पेश किया है उसको तो मैं विदड्रा नही करूंगा। अध्यादेश की जो प्रवृत्ति है उसका मैं विरोध करता हूं, क्योंकि सरकार बार-बार दुरूपयोग करती है। बाकी जैसा मैंने कहा कि इसमें जो भावना निहित है उसका मैं समर्थक हूं कि प्रधान मंत्री जी के परिवार की या सोनिया जी के परिवार की सुरक्षा पूरी होनी चाहिए उसमें जो कुछ भी कमी आर्थिक दृष्टि से कम हो सके तो होनी चाहिए और मेनका जी की भी हो सके तो बहुत अच्छी बात होगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

...**(व्यवधान)** ...

श्री उमराव सिंह : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब डा. कनौजिया अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बोल रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में 60,000 सिख रहते हैं, और उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय के विरूद्ध आरोप लगाए हैं। यह शब्द अत्यंत आपत्तिजनक हैं और उन्हें इसे वापस लेना चाहिए। वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने भारत के शांतिप्रिय लोगो के विरूद्ध आरोप लगाए हैं, उन्होंने उन व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप लगाए है जिन्होंने इस देश के लिए स्वतंत्रता हासिल की और जो सीमा पर संघर्ष कर रहे हैं। वह ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप लगा रहे है ....**(व्यवधान)**

डा. जी.एल. कनौजिया : मैंने कुछ व्यक्तियों पर ही आरोप लगाए हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में अनेक मामले लंबित पड़े हैं और आप यह दावा कर रहे हैं कि वे दोषी व्यक्ति नहीं हैं। **(व्यवधान)**

श्री उमराव सिंह : महोदय, वह क्या कह रहे हैं ?

डा. जी.एल. कनौजिया : अनेक आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, बैंक लूटे गए हैं और वहां लोगों की हत्या की गई है। **(व्यवधान)**

श्री एस.बी. चव्हाण : महोदय, इन मामलों में कुछ व्यक्ति अवश्य शामिल होंगे। लेकिन संपूर्ण सिख समुदाय पर आरोप लगाना सही नहीं है। वह यही आरोप लगा रहे हैं।

डा. जी.एल. कनौजिया : महोदय, मैंने सारे सिख समुदाय के विरूद्ध आरोप नहीं लगाए हैं। यह गलत आरोप है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूं। कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय को चुनौती नहीं दे सकता है। यदि सिख समुदाय के विरूद्ध कुछ कहा गया है तो उसे हटा दिया जाएगा।

अब प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 16 नवम्बर, 1994 को प्रख्यापित विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश 1994 (1994 का संख्यांक 12) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

> "कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,

'दूसरा' का लोप किया जाए (1)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

5.20 म.प.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, के निरनुमोदन संबंधी संविधिक संकल्प तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 12 अक्तूबर, 1994 को प्रख्यापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है।"

सभापति जी, जैसे पिछले बिल के बारे में भी मैंने कहा था अब फिर वही कहना चाहता हूं कि इस समय भी हमारे सामने एक अन्य अध्यादेश सरकार के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रीय देश है। लोकतंत्र के अन्दर यह परम्परा रही है कि वहां पर जनता के द्वारा चुनी हुई जो संस्था है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता निहित है और जो प्रभुता सम्पन्न है, उसके अंदर सरकार को कोई भी चीज सीधे लानी चाहिए और उस पर विचार होना चाहिए। सरकार को चर्चा होने के बाद सब पक्षों के विचार जानने के बाद फिर कोई निर्णय लेना चाहिए कि वह देश के हित में है या नहीं है। परंतु यह सरकार कुछ वर्षों से निरंतर निरंकुश होती जा रही है। सदन के अंदर जो महत्वपूर्ण मामले आने चाहिए, वह सरकार लाने का प्रयास नहीं करती है और बाद में पिछले दरवाजे से यानि अध्यादेश के माध्यम से, महामहिम राष्ट्रपति के नाम से, जिनके प्रति सारा देश श्रद्धा रखता है, उनके नाम पर इस प्रकार के अध्यादेश जारी किये जाते हैं, फिर सरकार बिल लेकर सदन में आती है तब हमें मजबूर होकर मानना पड़ता है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार की जो अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति है यह अलोकतंत्रीय है, यह असंवैधानिक है, यह संसद

की गरिमा को घटाने वाली है, यह संसद की महत्ता को कम करने वाली है। यह जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो जनआकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के विचारों को इस पवित्र और महान सदन में रखते हैं, उनके अधिकारों पर चोट पहुंचाती है। इस अध्यादेश लाने की आदत की मैं भर्त्सना करता हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब भारत का संविधान पारित हो रहा था और अध्यादेश लाने का प्रावधान उसमें रखा जा रहा था, उस समय स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू को कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखते हुए कहा थी कि यह अधिकार सरकार को केवल इसलिए दिया जा रहा है, कि कभी अपरिहार्य स्थिति पैदा हो जाये, कभी देश पर घोर संकट पैदा हो जाये और संसद न चल रही हो तो ऐसे समय में सरकार के लिए देश हित को सर्वोपरि मानकर कोई निर्णय लेना आवश्यक हो तब यह अध्यादेश लाना चाहिए। स्वर्गीय मावलंकर जी ने, स्वर्गीय नेहरू जी ने और अन्य विधान विशेषज्ञों ने इस बात की पुष्टि की थी लेकिन जो वर्तमान सरकार है वह निरंतर अपनी तानाशाही मनोवृत्ति का परिचय देती रही है। क्योंकि उनको एक बार 1975 में इसका स्वाद लग चुका है। जब उस समय की सरकार ने देश के कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए देश में आपातकाल स्थिति लागू कर दी थी और उसके बाद निरंकुशता का परिचय देते हुए तत्कालीन सरकार ने अपने हाथ में सारे अधिकार ले लिये थे। उस समय लोकतंत्र का नाम लेने वालों को जेलों की सीखचों के पीछे डाल दिया जाता था। वही पुरानी आदत इस सरकार को भी है। लगता है कि इस सरकार के नुमाइंदे भी उस आदत को भूले नहीं है और इसलिये अध्यादेश की प्रवृत्ति इस समय बनी हुई है और बार-बार ले आते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की अलोकतांत्रिक वृत्ति और अध्यादेश के अधिकार के दुरूपयोग करने की मनोवृत्ति का विरोध करना चाहता हूं और इसलिये निरनुमोदन का प्रस्ताव रखता हूं।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह बैंकों का मामला है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक संशोधन विधेयक, 1994 लाया जा रहा है और पहले 1964 में यह कानून बना था। आपको मालूम है कि बैंकों के स्कैंडल का मामला गूंज रहा है और जिसकी जांच के लिये जे.पी.सी. का गठन किया गया था और 18 महीने लगातार बैठक की और उसने बताया कि बैंकों के इतिहास में सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ है। इस घोटाले का यह निष्कर्ष आया जिसे इस सदन में रखा गया, उसपर बहस हुई और सरकार ने आश्वासन दिया कि एटीआर लायेंगे और दोषी लोगो के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे। ए.टी.आर. के नाम पर जो रिपोर्ट आयी, उसकी धज्जियां हम लोगों ने उड़ाई और सरकार को मजबूर होकर पिछले मानसून सैशन में कई दिन तक लोक सभा की कार्यवाही ठप्प करनी पड़ी। अब यह शीतकालीन सत्र भी जा रहा है और सरकार ने 20 दिसम्बर तक संशोधित ए.टी.आर. लाने का वायदा किया है लेकिन सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है, वह हम जानते हैं। हां, अभी आंध्र और कर्नाटक के एसम्बेली के हुए चुनाव परिणामों को देखकर सरकार कुछ सबक लेगी और वस्तुस्थिति सदन के सामने रखेगी और दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी और नहीं तो जैसा कि सरकार का स्वभाव रहा है, आई.डी.बी.आई. का मामला है, स्केम स्कैंटल से बैंकों की विश्वसनीयता घटी है, इसका भी यही हाल होगा। देश की जनता में यह भावना बढ़ रही है और शेयरों में पैसा लगाने वाले लोग भयभीत हो रहे हैं कि ऐसा न हो कि हवाला आदि जैसे स्कैंडलों की तरह हमारी गाढ़े पसीने की कमायी न चली जाये? देश के अंदर बैंकों को सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, उसको दृष्टि में रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिन उद्देश्यों को लेकर स्थापित किया गया था कि देश के अंदर उद्योगपति चाहे लघु हों या बड़े हों, यदि उनको पूंजी दी गयी तो रियायती दरों पर पूंजी प्रदान की जाये, सरकार अपने बजट में इसलिये प्रावधान करती है कि देश में बैंकों के जरिये आम जनता का भला हो और इसी के लिये नेहरूवादी नीतियों का अनुसरण किया गया। सरकारी उपक्रमों की जो स्थिति हुई और अभी सरकार ने नेहरूवादी नीतियों को पलटकर उदारीकरण के नाम पर, ग्लोबलाईजेशन के नाम पर जो खुली औद्योगिक नीति और दूसरी चीजें चलायी हैं, बहुराष्ट्रीय और आई.एम.एफ. तथा विश्व बैंक के दबाव में आकर जिस प्रकार से देश में एक वातावरण पैदा किया जा रहा है और आई.डी.बी. आई. जिन उद्देश्यों को लेकर स्थापित किया गया था, वह खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह खतरा हम लोग बढ़ा रहे हैं। आपने गैट समझौता बिना संसद की स्वीकृति प्राप्त किये पास कर दिया और मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी और हमारे देश में विदेशी कम्पनियां पूंजी लगाना चाहती हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये, नहीं की और उनके शेयर्स और पूंजी को आमंत्रित किया है। आज सुबह प्रश्नकाल में यह चर्चा हुई कि मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते हैं, उनका काम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देकर उनकी रोजी-रोटी छीनी जा रही है। इससे तो वे भूखे मर जायेंगे और कहीं इस मामले में भी ऐसा न हो कि वे लघु और बड़े बैंकों को ऋण न दें और वे खत्म हो जायें। इससे हमारे बैंको का विकास कैसे होगा? हमारे उद्योग ठप्प हो जायेंगे। आत्मनिर्भरता भी खत्म हो जायेगी तथा स्वदेशी भावना भी नष्ट हो जायेगी।

मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि तीन वर्ष के बाद हमारा देश स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती मनाने की ओर अग्रसर हो रहा है और इस वर्ष भी पूज्य बापू की 125वीं जयंती आप और हम सब लोग बड़े समारोहपूर्वक सारे देश में मना रहे हैं। बापू की जो स्वदेशी की भावना थी, बापू की जो कुटीर उद्योगों के विकास के लिए भावना थी, लघु उद्योगों तथा ग्रामों को स्वावलंबी बनाने की जो भावना थी या इस देश में जो छोटे उद्योग धंधे चलते हैं उन धंधों को पनपाने की भावना थी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास बैंक उन लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय उद्योगपतियों को जो छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, जो यहां की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले और हिन्दुस्तान में पाए जाने वाले आधारभूत संसाधनों का उपयोग करने वाले हैं, उनको पनपाने के लिए औद्योगिक विकास बैंक ने कितनी राशि निर्धारित की है या कितने लोगों लाभान्वित किया है? बैंकों का पैसा लोनिंग वगैरह में दे दिया जाता है लेकिन वसूली ठीक प्रकार से नहीं होती है। मैं सरकार को यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि हम पहले रियायत वगैरह तो देते थे और बजट में भी इसका प्रावधान होता था। अब

वह रियायत खत्म हो गई और विश्व बैंक के दबाव में आप बाकी रियायतें भी खत्म करने जा रहे हैं और उसके साथ-साथ सरकार के बजट में भी इसका प्रावधान नहीं है। आपने कहा कि अपनी पूंजी बढ़ाओ। तब ये बैंक इश्यू जारी करेगा, बाजार से शेयर खरीदेगा, इक्विटी आएगी और फिर पूंजी से बैंक समृद्ध होगा और समृद्ध बनने के बाद क्या वह गरीबों को भी लोन देगा या फिर छोटे उद्योग धंधों को या कुटीर उद्योग वालों को या स्वदेशी की भावना को जिन्दा रखने वालों को भी लोन देगा या नहीं? वसूली की आज क्या स्थिति है? वसूली हो रही है और बहुत सी बट्टे खाते में डाल दी गई है। कितनी वसूली बट्टे खाते में डाल दी गई है, यह भी बताएं। औद्योगिक विकास बैंक की वर्तमान स्थिति क्या है यह भी बताएं ताकि देश की जनता को मालूम पड़े कि औद्योगिक विकास बैंक के ईश्यू जारी करने से पहले पूंजीगत लाभांश इतना था या कुल पूंजी इतनी थी, डिपोजिट इतना था, एफ.डी. इतनी थी, रिजर्व बैंक की और दूसरे बैंकों की प्रतिभूतियां इतनी थीं, इतना इसका घाटा था। देश को वस्तुस्थिति की जानकारी देनी चाहिए ताकि उदारीकरण और जो नयी औद्योगिक नीति है उसके संदर्भ में जो कीमत बढ़ाने जा रहे हैं, पूंजी को न्यौता देने जा रहे हैं वह पूंजी आएगी लेकिन उससे गरीबों को भी लाभ होना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा। कहीं ऐसा न हो कि उस पूंजी के माध्यम से वह बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को ही लोन दें और फिर उनसे वसूल न कर पाएं और सब माफ हो जाएं और देश की औद्योगिक उन्नति का बहाव रूक जाए। विकास की गति अवरूद्ध नहीं होनी चाहिए।

यह अध्यादेश लाना इतना आवश्यक नहीं था जैसा सरकार ने इसमें कहा है। एक महीने में कुछ घटने वाला नहीं था। जब 7 दिसंबर से संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरू होने वाला था तो सरकार इसको अभी भी ला सकती थी। ऐसा मालूम पड़ता है कि दाल में कुछ काला है इसलिए औद्योगिक विकास बैंक का मामला पिछले सत्र में भी नहीं लाए और अध्यादेश के जरिये सरकार इसे सदन में लाई है। इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आप संशोधन लाएं, लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारे भारत के जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग हैं, और स्वदेशी की भावना को पनपाने वाले धंधे हैं, जो हमारे यहां के कुशल कारीगर हैं, उनके धंधों को इससे हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, उनकी सबसिडी गैट समझौते के दबाव में कम नहीं की जानी चाहिए। यह कहकर मैं पुनः आपके माध्यम से जो अध्यादेश लाने वाली वृत्ति है, इसका विरोध करता हूं और इस अध्यादेश का निरनुमोदन करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"भारतीय औद्योगिक बैंक अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रदान करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के कार्य में लगे विभिन्न वित्तीय संस्थानों के विकास में सहायता देने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। वित्तीय क्षेत्र में हाल के वर्षों में अनेक परिवर्तन होने से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए बाजार से संसाधन जुटाना आवश्यक हो गया है। इसे अपने संसाधनों तथा सहायता के लिए केवल सरकार पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए। इसलिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यों को प्रभावी बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक समय-समय पर अपनी शेयर पूंजी बढ़ाता रहे जो इसे पूंजी बाजार से अतिरिक्त इक्विटी जुटाने की अनुमति देकर ही किया जा सकता है।

महोदय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन प्रमुखतः उसकी पुनर्संरचना के बारे में है जो सरकार के 51 प्रतिशत से अनधिक शेयरों द्वारा उसके नियंत्रण को बनाए रखते हुए पूंजी बाजार में शेयर पूंजी जारी कर संसाधन जुटाने की अनुमति देकर किया जा सकता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता देकर और संचालनात्मक लचीलेपन द्वारा कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए इक्विटी शेयर पूंजी जारी कर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजी बाजार से धन जुटाने की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए राष्ट्रपति ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1994 12 अक्तूबर, 1994 को प्रख्यापित किया। अतः महोदय, यह विधेयक उक्त अध्यादेश का स्थान लेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जो तत्काल आवश्यकता थी, आप उसके बारे में बताइए।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विस्तृत चर्चा के बाद बताऊंगा। उन्होंने वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अन्य सदस्य भी इसमें भाग लेना चाहते हैं और शायद वे भी यही मुद्दा उठाएं। विधेयक का उत्तर देते समय मैं इसको स्पष्ट करूंगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 12 अक्तूबर, 1994 को प्रख्यापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है।"

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री राम कापसे (ठाणे) : माननीय सभापति महोदय ...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया बीच में मत बोलिए। माननीय सदस्यों को सुनना चाहिए।

श्री राम कापसे : राष्ट्रपति द्वारा यह अध्यादेश 12 अक्तूबर को प्रख्यापित किया गया था। हम 12 दिसम्बर, 1994 को उस संशोधन पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। केवल दो माह का समय बीता है। अब मंत्री जी ने कहा है कि तात्कालिकता थी । लेकिन मैं उनका ध्यान 14 जुलाई, 1994 के "द इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित करता हूं। इसमें बताया गया है कि सरकार ने 14 जुलाई, 1994 से भी पहले इस प्रकार के संशोधन का निर्णय कर लिया था। यहां तक कि श्री खान जो कि बैंक के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी एक घोषणा की थी कि वह शेयर बाजार से बहुत अधिक पूंजी

लाएंगे आदि। यदि सरकार ने बहुत पहले यह निर्णय ले लिया था तो मैं महसूस करता हूं कि यह जून, 1994 से पहले किया गया था तो फिर आपने अध्यादेश जारी करने के लिए 12 अक्तूबर तक इन्तजार क्यों किया। अध्यादेश जारी करना और तत्पश्चात हमें उसे पारित करने के लिए कहना एक परंपरा सी बन गई है। आपको इस पर मानसून सत्र के दौरान चर्चा करवानी चाहिए थी और उसी दौरान इसे पारित करवाना चाहिए था। अतः अध्यादेश प्रख्यापित करने का कोई कारण ही नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस संशोधन के बारे में कब निर्णय लिया था और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से यह जुलाई, 1994 से पहले ही लिया गया होगा।

अब जहां तक संशोधन का संबंध है, तो आपके उद्देश्य और कारण क्या हैं? आप कहते हैं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 इसलिए अधिनियमित किया गया था कि यह बैंक राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुरूप एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में वित्त पोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण, उद्योगों को प्रोत्साहन देने अथवा उन्हें विकसित करने, उद्योगों के विकास के लिए ऋण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये ऐसी संस्थाओं के विकास में सहायता प्रदान करने तथा इनसे संबंधित अन्य बातों में समन्वय स्थापित करेगा।

मै यह जानना चाहता हूं कि क्या आप उस भूमिका को बदलने की बात सोच रहे हैं जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पिछले तीस वर्षों से निभाता चला आ रहा है। यदि यह भूमिका राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है तो इस बैंक को केवल संस्थानों के कार्यकरण के साथ समन्वय करना होगा। दूसरा ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो यह भूमिका निभाएगा। आपको या तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को यथावत रखना होगा अथवा आपको भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षकीय प्राधिकार को मजबूत करना होगा। उनके पास इस उद्देश्य के लिए एक प्रकोष्ठ है। आपको भारतीय रिजर्व बैंक में उस पर्यवेक्षकीय प्रकोष्ठ को मजबूत करना होगा क्योंकि जहां तक वित्तीय संस्थानों के समन्वय का संबंध है केवल एक ही प्राधिकरण होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप इसके लिए कौन से संस्थान उपलब्ध करवा रहे हैं।

अब आपने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने का निर्णय लिया है। अब उन्हें संसाधन जुटाने में वास्तव में प्रतिस्पर्धात्मक बनना होगा। जहां तक संसाधन जुटाने का संबंध है यदि वह शेयर बाजार पर ही निर्भर रहा तो वह स्वाभाविक रूप से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मौलिक रूप से दी गई भूमिका को नहीं निभा पाएगा।

जहां तक आई.सी.आई.सी.आई. और आई.एफ.सी.आई. जैसे अन्य निकायों का संबंध है उनके बारे में भी आप जानते ही हैं कि जब वे इक्विटी के रूप में कम लागत के संसाधन जुटाते हैं तो वे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थिति से अच्छी स्थिति में होते हैं। अतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई सी आई सी आई और आई एफ सी आई के बीच कैसे समन्वय स्थापित कर सकता है? वास्तविक प्रश्न यह है। यदि आप एक बार इसे शेयर बाजार में जाने की अनुमति दे देते हैं तो स्वाभाविक है कि यह भूमिका किसी और को सौंपनी होगी। इस संबंध में आपने जो कुछ किया है कृपया उसके बारे में सभा को बताइए, केवल तभी हम इसका समर्थन कर सकते हैं।

प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण होने के कारण पहले जैसा समन्वय नहीं हो पा रहा है। अतः आपने कार्यात्मक स्वायत्तता दे रखी है। क्या यह सही है? जहां तक निजी उद्यमों का संबंध है इस विधेयक के पारित होने के बाद भी इनकी अधिकतम संख्या चार से अधिक नहीं होगी। आप अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और विशेषज्ञ निदेशकों की नियुक्ति करेंगे। आप एक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्त करेंगे। अतः आप ये सब नियुक्तियां कर रहे हैं। आरंभ में आप दो निदेशकों से शुरू करेंगे उसके बाद आप तीन या अधिक से अधिक चार निदेशकों की नियुक्ति कर सकते हैं। जहां तक शेयरों का संबंध है अधिकांश शेयर सरकार के पास रहेंगे और नियुक्ति करने का अधिकार भी सरकार के पास होगा। अतः आप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को किस तरह की कार्यात्मक स्वायत्तता देने जा रहे हैं? यदि आप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को यह स्वायत्तता नहीं देने जा रहे हैं परन्तु साथ ही आप कुछ लोगों को शेयरधारकों का प्रतिनिधि भी स्वीकार कर रहे हैं तो यह स्वाभाविक है कि मौलिक भूमिका समाप्त हो जायेगी और जो कार्यात्मक स्वायत्तता आप देने का विचार रखते हैं वह भी वास्तव में नहीं दी जा सकेगी। यह वास्तविक समस्या है।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, यह केवल इन दो परिवर्तनों तक ही सीमित है।

पहला परिवर्तन शेयर बाजार के लिये अनुमति देना है और दूसरा, निदेशक मण्डल की नियुक्ति के बारे में है। आपका यही प्रस्ताव है। धारा 6 में किए गए परिवर्तन में क्या कहा गया है? बोर्ड में निम्नलिखित लोग होंगे अर्थात् एक अध्यक्ष, और प्रबंध निदेशक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होगा बशर्ते कि उस व्यक्ति को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाए। अतः अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। बोर्ड की सिफारिश पर एक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी–यह नियुक्ति भी आप ही करेंगे। दो निदेशक जो केन्द्र सरकार के कर्मचारी होंगे और केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे–ये भी आपके अपने ही लोग होंगे। तत्पश्चात विशिष्ट ज्ञान वाले लोगों में से तीन निदेशकों की नियुक्ति आप करेंगे। तत्पश्चात, कुल इक्विटी शेयरों को ध्यान में रखते हुए दो, तीन या चार निदेशकों की नियुक्ति की जानी है। केवल यही एकमात्र नया कार्यात्मक परिवर्तन होगा। क्या आप इसे कार्यात्मक परिवर्तन कहते हैं? मैं समझता हूं कि यह केवल एक अतिशयोक्ति भर ही है कि हम उन्हें कार्यात्मक स्वायत्तता दे रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

जहां तक शेयर बाजार का संबंध है, और यदि इसे वास्तव में प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है तो क्या आप शेयर बाजार के दरवाजे पूरी तरह से खोलने की बात सोच रहे हैं। क्या आप निजी उद्यम को 51 प्रतिशत से भी अधिक देने की बात सोच रहे हैं?

एक बार उद्योग के प्रतिनिधियों के अन्दर आ जाने पर वे अपने हितों की रक्षा करेंगे यद्यपि, जहां तक समन्वय का संबंध है भारतीय

औद्योगिक विकास बैंक यह देखेगा कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को देखना होगा और उसके लिए बैंक का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके बाद संभवतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यह भूमिका नहीं निभाएगा। अतः आपका क्या करने का विचार है? यह वास्तविक समस्या है।

मैं कुछ और टिप्पणियां करना चाहता हूं। प्रतिभूति घोटाले के बाद केवल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ही उन कुछ संस्थानों में से एक है जो ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं। जिस दौरान घोटाला हुआ उस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसमें शामिल नहीं था। हमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में काम कर रहे लोगों को बधाई देनी चाहिए। इससे स्पष्ट रूप से यह बात पता चलती है कि यह काम करने वाले लोगों पर निर्भर करता है, व्यवस्था पर नहीं। आपने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में अच्छे लोगों को नियुक्त किया हुआ है। यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है लेकिन जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक का संबंध है उनके मामले में ऐसी बात नहीं है। अब आपको इन नियुक्तियों के बारे में और अधिक सावधान रहना होगा। अतः यह मेरा एक सुझाव है।

दूसरी समस्या, उन राज्य–इकाइयों की है जिनके माध्यम से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कार्य करता है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि वे अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं। इससे परेशानी खडी हो गई है। अततः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को राज्य निकायों की सहायता से काम करना होता है जो इसी प्रकार कार्य करती हैं। उनके कार्य करने के तरीके और उनके राजनीतिकरण से पूरे देश में एक समस्या खड़ी हो गई है। अतः क्या आप सावधानी से और गंभीरता से उन राज्य निकायों के बारे में सोच रहे हैं। यह एक वास्तविक समस्या है।

जहां तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का संबंध है, आपको उनसे प्रतिस्पर्धा करनी होगी। आपने उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अतः कम से कम इस मौके पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की नीति निर्धारित करते समय इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में तो सावधान रहना चाहिए कि राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कैसे प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।

अंतिम बात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बारे में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना पांच वर्ष पहले हुई थी। इस संसद को यह बताया गया था कि हम पांच वर्ष बाद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थिति की पुनरीक्षा करेंगे कि क्या यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के भाग के रूप में काम कर सकता है।

जहां तक राष्ट्र का संबंध है, लघु उद्योग क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण कराना चाहता हूं कि पांच वर्ष पहले, उन्होंने संसद को आश्वासन दिया था कि वह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की भूमिका और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ इसके संबंधों का पुनः मूल्यांकन करेंगे। लेकिन मंत्री महोदय ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। सरकार फिर से अध्यादेश जारी कर देगी और फिर हमारे सामने सरकार कहेगी कि "हम अध्यादेश पहले ही जारी कर चुके हैं, अतः कृपया इसे पारित करें।" अतः हमें कम से कम यह तो जानना चाहिए कि आप भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बारे में क्या सोचते हैं क्योंकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से बहुत बडी रकम ले रखी है। अतः मेरा यह सुझाव है।

श्री विजय एन. पाटील (इरनदोल) : सभापति महोदय, जैसा कि श्री रासा सिंह रावत एवं श्री कापसेजी पहले ही कह चुके हैं और मैं भी यह महसूस करता हूं कि इस विधेयक को सीधे संसद में लाया जाना चाहिए था।

अध्यादेश प्रख्यापित करने की जल्दी नहीं थी क्योंकि शेयर बाजार में इस समय तेजी है और आने वाले कई वर्षों तक यही स्थिति रहेगी। भारत के घटना चक्र, विशेषकर शेयर बाजार के संबंध में हर ओर प्रलोभन ही प्रलोभन है। यहां तक कि कालेज जाने वाले छात्र भी अपनी नोट बुकों में पाठ्यक्रम को लिखने के, बजाय यही हिसाब लगाते रहते हैं कि एक अथवा दो माह में किस कंपनी का शेयर कितना बढ जाएगा, आदि। अतः यह अटकलबाजी चलती रहती है। ऐसी कई गैर–सरकारी कंपनियां आजकल कुछ विख्यात लोगों जैस सुप्रसिद्ध सेवानिवृत्त नौकरशाह अथवा अर्थशास्त्रियों अथवा उद्योगपतियों को अपने निदेशक मण्डल में लेती हैं और सार्वजनिक निर्गम जारी करती हैं और शेयर बाजार में करोड़ों रूपये अर्जित करती हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सह–संस्थाः यूटीआई एव अन्य संस्थाएं खुले बाजार में बहुत धन कमा रही हैं। अतः इसके माध्यम से पूंजी जुटाने का लालच भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यकारी अधिकारियों में भी बहुत अधिक हो गया है और इसलिए अपनी मूल भूमिका को भूलकर वे सार्वजनिक निर्गम जारी करके पूंजी जुटाने का निर्णय ले रहे हैं।

यह कार्य जून, 1995 में भी किया जा सकता है। इस विधेयक को अध्यादेश जारी करके सामने लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किस उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मूल रूप से गठन किया गया था? इसके पीछे क्या आशय था? इसका आशय था विकासशील देश में उद्योग के विकास को बढावा देना, और न केवल वित्त पोषक के रूप में बल्कि निगरानीकर्त्ता तथा समन्वयकारी के रूप में भी कार्य करना। अब ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने मूल उद्देश्य से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का गठन सभी वित्तीय संस्थानों के बीच सामंजस्य एवं समन्वयता स्थापित करते हुए योजनाबद्ध, एकीकृत, समन्वित औद्योगिक विकास करने के लिए किया गया था। अतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अपना अलग दर्जा है। यह सभी वित्तीय संस्थानों में सबसे वरिष्ठ है तथा यह अन्य संस्थाओं का मार्ग निर्देशन कर सकता है। लेकिन यदि यह अपने आप पूंजी जुटाकर वित्त पोषण का कार्य करने लगेगा तो यह भी अन्य संस्थाओं की ही तरह हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि यह बैंक उद्योग को वित्त पोषण करने के मामले में अन्य संस्थाओं की ही तरह बराबर मार्ग–दर्शन कर सके। इसलिए, मुझे यह जानकर दुःख हो रहा है कि हमारे वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्व बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं। कुछ वर्ष पहले सरकार ने इस देश के सौ जिलों

में औद्योगिक विकास केन्द्र आरम्भ करने का निर्णय लिया था। वह एक बहुत ही बड़ा एवं महत्वपूर्ण कार्य था जिसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को सही ढंग से तथा उत्साहपूर्वक ढंग से करना चाहिए था। अब तक ये सौ विकास केन्द्र स्थापित हो जाने चाहिए थे। भारत सरकार को इन विकास केन्द्रों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को नोडल एजेन्सी के रूप में नियुक्त करते हुए बहुत प्रसन्नता हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक केवल 33 विकास केन्द्र ही कार्य करने लगे हैं। इसके विपरीत हमारे कार्यकारी अधिकारियों का यह विचार है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण के संदर्भ में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उद्देश्य एवं संगठन के बारे में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। हमारे मस्तिष्क में हमारे देश का औद्योगिक विकास ही सर्वोपरि है। हमारा सबसे पहला एवं सर्वोपरि महत्व का कार्य विश्वव्यापीकरण नहीं है कि हम विभिन्न देशों में जाकर वहां अपनी शाखाएं स्थापित करें। इसलिए मैं कभी–कभी सोचता हूं कि जहां तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का संबंध है, हमने जो निर्णय लिया था और कार्य शुरू किया था, क्या आज हम उससे भटक गये हैं।

कुछ ही वर्ष पहले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने रजत जयन्ती मनाई थी। उस समय प्रबन्धन समिति द्वारा और साथ ही सरकार द्वारा समचार–पत्रों एवं अन्य विभिन्न मंचों के माध्यम से दर्शाई गई योजनाएं, अनुमान प्रोजेक्शन्स एवं भविष्य के लिए दिए गए निर्देश अलग–अलग थे। अब ये पूरी तरह से अलग हैं। मैं पूंजी जुटाने अथवा वित्तीय रूप से अधिक सक्षम होने के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन आपकी भूमिका पूरी तरह से बदल जाएगी। आप बैंकर बन जाएंगे। आपकी स्थिति समन्वयकर्ता की नहीं रह जाएगी। वह भूमिका गौण हो जाएगी।

मुझे यह पढ़कर आश्चर्य हुआ है कि इस विधेयक के खंड 6 में विभिन्न निदेशकों के नाम–निर्देशन के बारे में उल्लेख किया गया है। उनका नाम–निर्देशन किस तरह से होगा इसका विवरण दिया गया है। मेरे मित्र श्री राम कापसे ने बताया है कि सरकार चार अथवा पांच लोगों को नाम–निर्देशित करेगी। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विभिन्न बैंकों में गैर–सरकारी निदेशकों के नाम–निर्देशन के मामले में सरकार जनता के प्रति अपनी वचनबद्धता पूरी तरह से नहीं निभा पाई है। आज भी, गत 1½ वर्ष से दस बैंकों में गैर–सरकारी निदेशकों का नाम–निर्देशन नहीं हो पाया है। इस विषय में सभी सिफारिशें सरकार को मिल गई हैं। यह फाईल केवल कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, प्रधान मंत्री कार्यालय बैंकिंग विभाग और पुनः संबंधित बैंक के इर्द–गिर्द ही घूम रही है। लेकिन किसी का भी नाम–निर्देशन नहीं हो पाया है। इस मामले में भी यह आशंका है कि शायद एक अध्यक्ष अथवा एक या दो निदेशकों का नाम–निर्देशन होगा। अन्य निदेशकों को नाम–निर्देशित नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयुक्त शब्द हैं कि मानदण्डों के आधार पर अथवा किन क्षेत्रों से निदेशकों को चुना जाएगा"? मुझे यह पढ़कर प्रसन्नता हुई है कि सर्वप्रथम वैज्ञानिकों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद तकनीकी विशेषज्ञों को, फिर उद्योगों को और उसके बाद बैंकों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन हमें बैंक के निदेशक मंडल में प्रसिद्ध वैज्ञानिक शायद ही दिखाई देते हैं। दो स्थानों पर वैज्ञानिकों का उल्लेख किया गया है।

विधेयक पारित करने के बाद, मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन लेना चाहता हूं कि इस बोर्ड में कम से कम एक वैज्ञानिक अथवा तकनीकी विशेषज्ञ को, जो कि औद्योगिक विकास में अपने योगदान के लिए सुप्रसिद्ध हो, निर्देशित किया जाएगा।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि अब समय खत्म हो चुका है। आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

सभा कल 11 बजे म.प. तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 13 दिसम्बर, 1994/22 अग्रहायण 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।